चतुर्दश माला, खंड 26, अंक 16

सोमवार, 19 मार्च, 2007
28 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FD-025
Block 'G'
Acc. No.....62.....
Dated.....15 June 2008

(खण्ड 26 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)]

अंक 16, सोमवार, 19 मार्च, 2007/28 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	281 से 300	2-63
अतारांकित प्रश्न संख्या	2708 से 2897	63-476
सभा पटल पर रखे गए पत्र		475-485
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति		
चौदहवां प्रतिवेदन		486
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
(एक) कृषि और सहकारिता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट शेष दो सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति		
	श्री शरद पवार	486-487
(दो) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति		
	श्री जी.के. वासन	487-488
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के सहयोगी थिल्लैयादी वल्लीयाम्मै की स्मृति में डाक टिकट और "फर्स्ट डे कवर" जारी किए जाने की आवश्यकता		
	श्री एस.के. खारवेनथन	489
(दो) गुजरात में सूरत-धुलिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 के वीरपुर और गांधीनगर रेलवे क्रॉसिंग पर सड़कों का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता		
	डा. तुषार अमर सिंह चौधरी	490

विषय		कॉलम
(तीन)	झारखंड के सिन्दरी स्थित उर्वरक कारखाने को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता श्री चन्द्र शेखर दूबे	490
(चार)	गुजरात के अमरेली में जूनागढ़ और कोडीनार के बीच सड़क निर्माण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता श्री वी.के. ठुम्मर	491
(पांच)	कैलाश मानसरोवर के लिए शिपक-ला-पास होकर वैकल्पिक छोटे रास्ते का पता लगाए जाने की आवश्यकता श्रीमती प्रतिभा सिंह	491
(छह)	राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में आश्रम एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 4311 (बरेली से नया भुज तक) का ठहराव किए जाने की आवश्यकता डा. करण सिंह यादव	492
(सात)	उड़ीसा में पारेषण और वितरण घाटे को कम करने हेतु विद्युत उपयोगिता को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए अनुदानों की शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता श्री विक्रम केशरी देव	492
(आठ)	पाइप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्यों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता डा. सत्यनारायण जटिया	493
(नौ)	रेल से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के रेल भाड़े में हुई बढ़ोतरी को वापस लिए जाने की आवश्यकता श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	493
(दस)	गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता श्री काशीराम राणा	494

विषय		कॉलम
(ग्यारह)	मध्य प्रदेश में नीमच स्थित गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलायड वर्क्स का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	495
(बारह)	पश्चिम बंगाल के दिघा के तटीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रशान्त प्रधान	496
(तेरह)	ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. करूणाकरन	496
(चौदह)	उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिकेवल प्रसाद	497
(पंद्रह)	उत्तर प्रदेश में हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा और सुदढ़ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजनरायन बुधौलिया	498
(सोलह)	बिहार के पीरापंथी घाट पर सिकरहाना नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रघुनाथ झा	499
(सत्रह)	उड़ीसा के 23 जिलों को वर्ष 2006-07 के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	499
(अठारह)	पुडुचेरी के जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. एम. रामदास	500

विषय कॉलम

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश में सूखा राहत कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 370 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ 501

(बीस) देश में उपलब्ध अधिशेष भूमि (सरप्लस लैंड) का बंटवारा भूमिहीन श्रमिकों के बीच किए जाने तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का बजट आबंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 502

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री पी. चिदम्बरम 503

विचार करने के लिए प्रस्ताव 504

खंड 2 से 11 और 1 504

पारित करने के लिए प्रस्ताव 505

राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प के बारे में

तथा

राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री हंसराज भारद्वाज 505

विचार करने के लिए प्रस्ताव 507

खंड 2 से 5 और 1 507

पारित करने के लिए प्रस्ताव 508

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2007

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 508

विचार करने के लिए प्रस्ताव 508

खंड 2, 3 और 1 509

पारित करने के लिए प्रस्ताव 510

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 511-512

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 511-524

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 525-526

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 525-528

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 19 मार्च, 2007/28 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : यदि हाउस चले तो हम लोग सब बातों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। *(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : पश्चिम बंगाल के अन्दर *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मल्होत्रा आपने स्थगन प्रस्ताव के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 281 प्रो० रासा सिंह रावत।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : नंदीग्राम में निर्मम हत्याएं हुईं। *(व्यवधान)* महिलाओं की हत्या हुई। *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री पी०एस० गढ़वी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी सीट पर जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात तो सुन लीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नन्दी ग्राम की घटना राज्य का विषय है इसलिए मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात तो सुन लीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो बैठ जाइये।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल नीति

***281. प्रो० रासा सिंह रावत :**
श्री विजय कृष्ण :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किए जाने के बाद एक नई राष्ट्रीय जल नीति बनाने का है;

(ख) क्या योजना आयोग ने भी देश में पानी की बढ़ती हुई कमी के बारे में चिन्ता व्यक्त की है तथा राज्य सरकारों को सुझाव

दिया है कि वे जल संसाधनों को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने के लिए अपने नियमों में संशोधन कर सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय जल नीति-2002 (एन०डब्ल्यू०यू०पी०) में जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय जल नीति में उल्लेख है कि जल का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता और एक बहुमूल्य राष्ट्रीय परिसंपत्ति है और यह कि जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शासित किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) योजना अयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के मध्यावधि मूल्यांकन में यह मत व्यक्त किया है कि औसत उपलब्धता के निकट भविष्य में जल की कमी के स्तर से नीचे जाने की संभावना है। योजना आयोग के "टुवार्ड्स फास्टर एण्ड मोर इन्कलूसिव ग्रोथ- एन एप्रोच टू द इलेवन्थ फाइव इयर प्लान" नामक प्रकाशन में वर्षा पोषित तथा अन्य क्षेत्रों में जल संबंधी संवेदनशीलता पर भी विचार-विमर्श किया गया है। इस रिपोर्ट में उल्लेख है कि इन क्षेत्रों के संबंध में जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन की स्थिति गंभीर है तथा इस पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तथापि, योजना आयोग ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है कि जल संसाधनों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए राज्य सरकारें अपने कानूनों को बदल सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेंशन निधि

*282. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कर्मचारी भविष्य निधि में से कर्मचारियों का कितना अंशदान पेंशन निधि में स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ख) क्या पेंशन निधि में और अधिक धनराशि स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि अधिवर्षिता पर कर्मचारियों को और अधिक पेंशन मिल सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 3 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार, नियोजक द्वारा भविष्य निधि के लिये प्रत्येक माह में देय अंशदान में से कर्मचारी के वेतन की 8.33 प्रतिशत धनराशि कर्मचारी पेंशन निधि में जमा कराई जाती है।

(ख) से (घ) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक पूर्णत: अंशदान एवं लाभकारी योजना है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 32 में अंशदानों की दरों और पेंशन तथा अन्य लाभों की मात्रा की समीक्षा करने के लिए किसी मूल्यांकन द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि के वार्षिक मूल्यांकन का प्रावधान है। मूल्यांकन घाटे को ठीक करने के लिये मूल्यांकक द्वारा की गयी सिफारिशों में अंशदान में बढ़ोतरी अथवा लाभों में कमी करने जैसे उपाय शामिल हैं। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने पेंशन निधि के लिये और अधिक निधि अंतरित करने के संबंध में अभी तक कोई राय नहीं बनाई है।

पे चैनलों के लिए प्रभार

*283. **श्री अधीन चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) क्षेत्र में पे चैनलों के लिए प्रभारों में बदलाव के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के निर्णय के विरुद्ध प्रसारकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) कैस क्षेत्र में पे चैनलों के प्रभारों में परिवर्तन करने के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के निर्णय के खिलाफ प्रसारकों से हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टी०डी०एस०ए०टी०) के समक्ष दो प्रसारकों द्वारा अपील दर्ज की गई थी तथा दो प्रसारकों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दर्ज की हैं। टी०डी०एस०ए०टी०) ने अपीलों को खारिज कर दिया है जबकि दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज याचिकाएं अभी लंबित हैं जिनमें भारत सरकार भी एक पक्षकार है। यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

आल इण्डिया रेडियो/दूरदर्शन कवरेज क्षेत्र का विस्तार

*284. **श्री जी०एम० सिद्दीश्वर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आल इण्डिया रेडियो (ए०आई०आर०) और दूरदर्शन के कवरेज क्षेत्र में विस्तार के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष ट्रांसमिशन व्यवस्था करने हेतु कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, ग्यारहवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) स्थलीय पद्धति में टी०वी० कवरेज का विस्तार का ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में क्षेत्रवार 79 प्रतिशत और आबादी-वार 91 प्रतिशत है। इसी प्रकार, आकाशवाणी की कवरेज का विस्तार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में क्षेत्रवार 91.78 प्रतिशत और आबादी-वार 99.14 प्रतिशत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सारे देश को दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डी०टी०एच० सेवा के जरिए भी कवर किया जाता है। डी०टी०एच० सेवा को मुख्यत: कवर न किए गए पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों को आकाशवाणी/टी०वी० कवरेज उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया था। ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन ऐसे क्षेत्रों में कुछ और अधिक एफ०एम० रेडियो स्टेशन स्थापित करने पर भी विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर

*285. **श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री वी०के० तुम्मर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक योजना के अंत में देश में कृषकों, कृषि भूमि स्वामियों एवं कृषि मजूदरों की राज्यवार कितनी संख्या दर्ज की गई;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रों में सृजित रोजगारों का राज्यवार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के दौरान रोजगार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कार्य-योजना तैयार की गई है; और

(च) इस प्रयोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भारत के महापंजीकार द्वारा जारी जनसंख्या गणना के आंकड़ों के अनुसार 1991 तथा 2001 की जनगणना में कृषक तथा कृषि मजदूर सहित कृषि श्रमिकों के राज्य वार ब्योरे नीचे दिए गए है :

(संख्या हजार में)

राज्य	कृषक		कृषि श्रमिक		कुल	
	1991	2001	1991	2001	1991	2001
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	8292	7860	12517	13832	20809	21692

1	2	3	4	5	6	7
अरूणाचल प्रदेश	243	279	22	19	264	298
असम	4429	3731	1017	1264	5444	4994
बिहार	8105	8194	8633	13418	16738	21611
गोवा	69	50	45	36	105	86
गुजरात	5604	5803	4507	5162	10112	10964
हरियाणा	2091	3018	1007	1279	3098	4297
हिमाचल प्रदेश	1537	1955	75	94	1612	2049
जम्मू और कश्मीर	0	1592	0	246	0	1838
कर्नाटक	6692	6884	5653	6227	12346	13111
केरल	1206	724	2450	1621	3656	2345
मध्य प्रदेश	10028	11038	5041	7401	15069	18439
महाराष्ट्र	11542	11813	9533	10815	21075	22629
मणिपुर	464	380	80	114	544	493
मेघालय	426	467	98	172	524	639
मिजोरम	210	256	18	27	228	283
नागालैण्ड	375	549	8	31	383	580
उड़ीसा	5041	4248	3906	4999	8947	9247
पंजाब	1984	2065	1543	1490	3527	3555
राजस्थान	10445	13140	2204	2524	12649	15664
सिक्किम	98	131	14	17	112	148
तमिलनाडु	6043	5116	8757	8638	14800	13754
त्रिपुरा	334	313	208	276	543	589
उत्तर प्रदेश	22417	22168	8743	13401	31160	35568

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	6407	5654	5482	7363	11889	13017
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	18	21	7	5	24	27
चंडीगढ़	2	2	2	1	4	3
दादर एवं नागर हवेली	46	39	9	15	55	54
दमन तथा दिव	6	4	2	1	9	5
दिल्ली	34	37	28	16	62	53
पांडिचेरी	18	11	80	72	99	83
उत्तराखण्ड	1637	1570	255	260	1892	1830
छत्तीसगढ़	4755	4311	2111	3091	6866	7402
झारखण्ड	4085	3890	1937	2851	6022	6741
सम्पूर्ण भारत	124684	127313	85992	106775	210676	234088

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (61 वें दौर) के अनुसार सामान्य स्थिति के तहत अन्य बातों के साथ-साथ कृषि में जिसमें पशुपालन शामिल हैं, में देश में नियुक्त अनुमानित कार्यकर्ताओं की संख्या 1999-2000 के दौरान 237.56 मिलियन में बढ़कर 2004-05 में 238.8 मिलियन हो गई।

(ग) से (च) ग्रामीण इलाकों में रोज़गार में सजृन करना सरकार की नीति के उद्देश्यों में से एक है। 11वीं योजना का अप्रोच पेपर के अनुसार जिससे कृषि सकल घरेलू उत्पाद की 4% वार्षिक की दोहरी वृद्धि दर से ग्रामीण मज़दूरी में वृद्धि तथा बेरोज़गारी को कम करके ग्रामीण रोज़गार में सुधार आएगा। तथापि, कृषि में कार्यबल की निर्भरता में कमी लाकर, यह बतलाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-फार्म कार्यकलापों में भी अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्रों के लिए, नीति संबंधी कदमों तथा कार्यक्रमों/स्कीमों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे ऋण, सिंचाई, सुविधाओं, फसल विविधिकरण, विपणन ढाँचा, बागवानी तथा विस्तार सेवाओं को कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने हेतु उठाया गया है। उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने तथा खेती को लाभकारी व्यवसाय के तौर पर प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को फार्म यन्त्रीकरण, कृषि क्लीनिक तथा कृषि व्यापार केन्द्रों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का विकास करने तथा खाद्य संसाधित कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यक्रमों को भी शुरू किया गया है। इन सभी स्कीमों तथा कार्यक्रमों से कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोज़गार अवसर पैदा होने की प्रत्याशा है। इन कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने के लिए 2007-08 के लिए जो 11 वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, अधिक परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं का आयात

*286. **श्री तथागत सत्पथी :**
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 01 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार गेहूं, चावल, दालों, खाद्य तेल, चीनी आदि सहित विभिन्न खाद्यान्नों के भंडार की क्या स्थिति है;

(ख) क्या भंडारण मानदंडों के अनुसार इनके भंडार की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पहले कम दरों पर उक्त वस्तुओं के आयात की अनुमति दी थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख तक सरकार और निजी व्यापारियों द्वारा उक्त वस्तुओं का कितनी मात्रा में तथा किस मूल्य पर आयात करने का अनुबंध किया गया था और वास्तव में कितनी मात्रा में इनका आयात किया गया;

(च) क्या सरकार ने देश में इनकी कमी को देखते हुए इनका और आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनका आयात कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ज) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) 1 मार्च, 2007 को देश में गेहूं और चावल की केन्द्रीय पूल में स्टाक स्थिति तथा चीनी के स्टाक की स्थिति निम्नानुसार है:–

(लाख टन में)

चावल	गेहूं	जोड़
139.67	51.00	190.67

1.3.2007 की स्थिति के अनुसार पत्तनों पर रखे हुए गेहूं की आयातित मात्रा 5.11 लाख टन है। चीनी की स्टाक स्थिति अनंतिम रूप से लगभग 131 लाख टन होने का अनुमान है। खाद्य तेलों और दालों के स्टाक अधिकांशत: निजी व्यापारियों के पास रखे होते हैं जो खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात भी करते हैं और इसलिए स्टाक स्थिति उपलब्ध नहीं है।

(ख) चावल और गेहूं के मौजूदा बफर मानदंडों के अनुसार कोई कमी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार ने गेहूं, चीनी, खाद्य तेलों और दालों के नि:शुल्क/घटे हुए शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी थी। सरकारी एजेंसियों द्वारा वास्तविक रूप में आयातित/अनुबंधित गेहूं तथा दालों की मात्रा और मूल्य के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। निजी व्यापारियों द्वारा आयातित वस्तुओं के बारे में सूचना संलग्न विवरण-II पर उपलब्ध है।

(च) और (छ) सरकार द्वारा गेहूं, चावल, चीनी, दालों और खाद्य तेलों के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अनुमति दी गई है बशर्ते की इसके लिए विहित शुल्कों/शुल्क मुक्त भुगतान किया जाए।

(ज) देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) 31.12.2007 तक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(ii) सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत बिक्री करने के लिए केन्द्रीय पूल से 4 लाख टन गेहूं रिलीज करने का निर्णय किया है।

(iii) दालों के आयात पर सीमा शुल्क 8 जून, 2006 को घटाकर उसे शुल्क मुक्त कर दिया गया है तथा इस आदेश की वैधता अवधि को 1.8.2007 तक बढ़ा दिया गया है।

(iv) 22 जून, 2006 से दालों (7.3.07 से अनुमत काबुली चना के निर्यात को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश की वैधता अवधि को और बढ़ाकर 31.3.2008 तक कर दिया गया है।

(v) केन्द्र सरकार ने एक केन्द्रीय आदेश जारी किया था जिसके तहत राज्य सरकारें जमाखोरी को रोकने के लिए गेहूं और दालों के मामले में स्टाक सीमाएं लागू कर सकती हैं और इस आदेश की वैधता अवधि को दिनांक 27.2.2007 के आदेश द्वारा और 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

(vi) किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित प्रोत्साहन के साथ प्रत्येक वर्ष तिलहनों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।

(vii) किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने के लिए सरकार ने रबी विपणन मौसम हेतु गेहूं के लिए 100 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की है जिससे कुल वसूली मूल्य 850 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

(viii) सरकार ने 31 दिसम्बर, 2007 तक गेहूं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान की है ताकि किसी प्रकार की कमी न हो।

(ix) सरकार ने आवश्यक होने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन तथा एकीकृत बाल विकास स्कीम जैसे अन्य कल्याण योजनाओं के लिए राज्य व्यापार निगम के जरिए 3 मिलियन टन तक गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है।

विवरण-I

सरकारी खाते पर आयात किया गया गेहूं

क्रम० संख्या	निविदा की तारीख	ठेके की मात्रा (लाख टन में)	यू०एस० डालर प्रति टन में भारित औसत मूल्य
1.	20.02.2006	5	178.75
2.	8.5.2006	8	191.388
3.	12.06.06	22	197.817
4.	27.07.06	3.3	210.72
5.	30.08.06	16.7	228.94
	सकल जोड़	55	205.37

8.3.2007 की स्थिति के अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा हाल ही में किया गया दालों का आयात

दालों का नाम	एम०एम०टी०सी०		पी०ई०सी० लि०		एस०टी०सी०		नेफेड	
	मात्रा (टन में)	मूल्य यू०एस० डालर प्रति टन	मात्रा (टन में)	मूल्य यू०एस० डालर प्रति टन	मात्रा (टन में)	मूल्य यू०एस० डालर प्रति टन	मात्रा (टन में)	मूल्य यू०एस० डालर प्रति टन
मूंग	1000	638.50	2000	630.00			5000	630.00
तूर	1000	412.00	4000	384.00				
	7000	457.00						
	2000	458.00						
	10000	470.00						
उड़द	3000	586.00	5000	659.00	30000	634.50	25000	670.00
दून मटर	2000	378.00	6000	570.00				
योग	26000		17000		30000		30000	

योग 103000 टन

सभी मूल्य सी० एंड एफ० मूल्य हैं।

विवरण-II

खुले सामान्य लाइसेंस पर किया गया निजी आयात

गेहूं

6.03.2007 की स्थिति के अनुसार आई मात्रा (पी०क्यू० फरीदाबाद के अनुसार)	9.37 लाख टन

खाद्य तेल

2006-07 (अप्रैल 2006 से अक्तूबर 2006) (स्रोत डी०जी०सी०आई०एस०)	27.85 लाख टन

चीनी

चीनी का आयात (31.10.2006 तक) (स्रोत डी०जी०सी०आई०एस०)	0.010 लाख टन

दालें

दालों का आयात (31.12.2006 तक)	16.95 लाख टन

ढलवां लोहे का उत्पादन

***287. श्री रनेन बर्मन :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बोकारो स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र और बर्नपुर स्थित भारतीय लौह और इस्पात कंपनी द्वारा वर्ष-वार कितने तथा कितने मूल्य के ढलवां लोहे का उत्पादन किया गया;

(ख) पश्चिम बंगाल और झारखंड की लघु/मझौली/बड़ी औद्योगिक इकाइयों/कंपनियों को ढलवां लोहा बेचने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन इकाइयों/कंपनियों को 10,000 टन से अधिक का ढलवां लोहा बेचा गया;

(घ) क्या किसी कंपनी को ढलवां लोहा बेचने के लिए निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए 10,000 टन से अधिक ढलवां लोहा प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) वर्ष 2003-04 से 2005-06 के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बी०एस०एल० (बोकारो इस्पात संयंत्र) और आई०एस०पी० (इस्को इस्पात संयंत्र) द्वारा उत्पादित कच्चे लोहे की मात्रा साथ ही प्रति टन कच्चे लोहे पर सकल बिक्री प्राप्ति के आधार पर कच्चे लोहे का मूल्य निम्नानुसार है:–

क्र० सं०	वर्ष	बोकारो इस्पात संयंत्र		इस्को इस्पात संयंत्र	
		उत्पादन (हजार टन)	सकल बिक्री प्राप्ति की दृष्टि से उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपए)	उत्पादन (हजार टन)	सकल बिक्री प्राप्ति की दृष्टि से उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपए)
1	2003-04	89	93	222	285
2	2004-05	75	124	182	329
3	2005-06	167	228	213	318

(ख) पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में लौह अयस्क की बिक्री के लिए कोई पृथक प्रक्रिया नहीं है।

सेल के केंद्रीय विपणन संगठन (सी०एम०ओ०) के माध्यम से कच्चे लोहे की बिक्री के लिए अखिल भारतीय आधार अपनाई जा रही प्रक्रिया आर्डरों की बुकिंग के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार है:–

(i) सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम, लघु उद्योग निगम (एस०एस०आई०सी०एस०), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।

(ii) प्रचलित आर्डर बुकिंग योजनाओं के तहत बुक किए गए आर्डर।

(iii) सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सतत मांग पंजीकरण के तहत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपूर्ति।

1.4.2006 से पूर्व तत्कालीन इस्को खुली निविदा के साथ-साथ कंपनी के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित बिक्री सूचनाओं के जरिए कच्चे लोहे की बिक्री करता था। सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र ने संयंत्र से कच्चे लोहे की कुछ मात्रा सीधे बेची है।

(ग) उन अलग-अलग इकाइयों/कंपनियों/एसोसिएशनों, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों के दौरान बोकारो स्थिति एकीकृत इस्पात संयंत्र (बी०एस०एल०) और बर्नपुर स्थित इस्को इस्पात संयंत्र (आई०एस०पी०) से 10,000 टन से अधिक कच्चे लोहे की आपूर्ति की गई है, का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वर्ष	कंपनी का नाम	संयंत्र	मात्रा: टन
2003-04	मैसर्स कैसोराम स्पन पाइप्स, 10, कैमेक स्ट्रीट, कोलकाता-71	इस्को	10,684
	टाटा स्टील, जमशेदपुर, झारखंड	बी०एस०एल०	10101
	मैसर्स एस०पी०एस० मैटल कास्ट एंड अलॉयज, जीटी रोड, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	इस्को	13,312
2004-05	शून्य	शून्य	शून्य
2005-06	मैसर्स महावीर ट्रेडिंग कंपनी, बोकारो	बी०एस०एल०	10480
	मैसर्स बालाजी इलैक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड, कोडर्मा	बी०एस०एल०	10905
	मैसर्स एसोसिएशन ऑफ बाटला स्मॉल इंडस्ट्रियल, जालंधर	बी०एस०एल०	19147
	मैसर्स सुमेर एंड सन्स (प्रा०) लि० पियर खारा, शाहदरा, आगरा, (यू०पी०)	इस्को	11,281

(घ) कच्चे लोहे की बिक्री के लिए मात्रा की कोई अधिकतम सीमा अथवा मानदंड नहीं है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन

*288. श्री गणेश सिंह :
श्री राजनरायन बुधौलिया :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में चीनी का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) पिछले तीन चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी के उत्पादन (अनंतिम) का राज्यवार ब्यौरा देने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार के संशोधित अनुमानों में चीनी के उत्पादन में लगभग 11 लाख टन मात्रा की वृद्धि के मद्देनज़र, अब 2006-07 मौसम के दौरान भारत में अनंतिम तौर पर कुल लगभग 238 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। चीनी के उत्पादन (अनुमानित) का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान चीनी के उत्पादन का ब्यौरा

(लाख टन में)

राज्य	चीनी मौसम 2003-2004 (अ)	चीनी मौसम 2004-2005 (अ)	चीनी मौसम 2005-2006 (अ)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	8.81	12.03	12.75
बिहार	2.77	2.70	4.19
छत्तीसगढ़	0.17	0.13	0.22
गोवा	0.10	0.09	0.11
गुजरात	10.77	8.32	12.44
हरियाणा	5.86	3.98	3.88
कर्नाटक	11.57	11.32	20.09
केरल	0.01	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.94	0.78	0.94
महाराष्ट्र	31.99	23.03	52.64
उड़ीसा	0.44	0.87	0.52
पांडिचेरी	0.20	0.19	0.26
पंजाब	3.88	3.37	3.89
राजस्थान	0.10	0.11	0.05
तमिलनाडु	11.90	14.75	21.38
उत्तराखंड	3.93	3.36	4.14
उत्तर प्रदेश	46.08	51.52	55.64
पश्चिम बंगाल	0.07	0.05	0.07
अखिल भारत	139.58	136.60	193.21

(अ) – अनंतिम

विवरण-II

वर्तमान चीनी मौसम 2006-07 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए राज्यवार चीनी उत्पादन के अनुमान

(लाख टन में)

राज्य	चीनी मौसम 2006-2007 (अनुमानित)
1	2
आंध्र प्रदेश	13.26
बिहार	3.25
छत्तीसगढ़	0.30
गोवा	0.10
गुजरात	12.26
हरियाणा	5.50
कर्नाटक	19.00
केरल	0.00
मध्य प्रदेश	0.94
महाराष्ट्र	81.00
उड़ीसा	0.58
पांडिचेरी	0.20
पंजाब	4.51
राजस्थान	0.09

1	2
तमिलनाडु	22.98
उत्तराखंड	4.50
उत्तर प्रदेश	69.80
पश्चिम बंगाल	0.07
अखिल भारत	238.34

*महाराष्ट्र सरकार ने चीनी उत्पादन के अनुमानों में संशोधन करके उत्पादन 70 लाख टन से बढ़ाकर 81 लाख टन कर दिया है।

[अनुवाद]

आयातित नकली उर्वरक

*289. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर आयातित उर्वरक या तो घटिया स्तर के हैं या फिर नकली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आयातित उर्वरकों के परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उचित परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरकों के आयात हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। 2003-04 से 2006-07 के दौरान सभी महत्वपूर्ण आयातित उर्वरक यथा यूरिया, डी०ए०पी० और एम०ओ०पी०, जो कुल आयातित उर्वरकों का लगभग 99.5% है, का परीक्षण किए जाने पर यूरिया उर्वरक की दो खेपों में कण आकार (पार्टिकल साइज) में थोड़ी भी भिन्नता के अलावा, मानक गुणवत्ता के पाए गए हैं। तथापि, इसी अवधि में 100 प्रतिशत जल में घुलनशील आयातित उर्वरकों का लगभग 4% अवमानक पाया गया है चूंकि उनमें न्यूट्रिएन्ट्स पोषक तत्व रूप में सही मात्रा में नहीं थे।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) एफ०सी०ओ०, 1985 में सख्ती से यह निर्धारण किया गया है कि केवल उन्हीं गुणवत्ता प्राप्त उर्वरकों का आयात किया जाए जो निर्धारित मानकों का खरे हों।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा विशेष गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन

*290. **श्री हितेन बर्मन : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के पास बदलते बाजार परिदृश्य के मद्देनजर विशेष गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न इस्पात संयंत्रों को क्या अनुदेश दिए गए हैं; और

(ग) दसवीं योजना एवं ग्यारहवीं योजना हेतु इस दिशा में विभिन्न इस्पात संयंत्रों द्वारा क्या योजना तैयार की गई है और क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के इस्पात संयंत्र बाजार आवश्यकताओं और संयंत्रों में उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार पहले ही विशेष गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) दसवीं और ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित सेल संयंत्रों/इकाइयों के आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं में अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है और इन सुविधाओं की स्थापना से विशेष गुणवत्ता वो इस्पात के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सहायता

*291. **डा० कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य :**
श्रीमती प्रतिभा सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य द्वारा धनराशि के उपयोग एवं उनके द्वारा निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्यों एवं प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) देश में बागवानी को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिये कृषि मंत्रालय दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें चला रहा है जिनके नाम हैं – उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में समेकित बागवानी विकास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टी०एम०एन०ई०) और राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन०एच०एम०)। वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरूआत से पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, पूरे देश में बागवानी से संबंधित योजनाओं को "कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के पूरक/अनुपूरक संबंधी कृषि में वृहद् प्रबंधन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (एम०एम०)" के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा था। टी०एम०एन०ई०, एन०एच०एम० और एम०एम० योजनाओं को वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता और उनके व्यय के राज्यवार ब्यौरा को क्रमश: संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है। इसी प्रकार इन योजनाओं के प्रमुख घटकों के वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों को संलग्न विवरण-IV (क, ख तथा ग), टी०एम०एन०ई० से संबंधित, संलग्न विवरण-V (क तथा ख), एन०एच०एम० से संबंधित और संलग्न विवरण-VI, एम०एम० से संबंधित, में दिया गया है।

विवरण-I

2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान टी०एम०एन०ई० के अंतर्गत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दी गई वित्तीय सहायता और व्यय

लाख रुपये में

	जारी धनराशि			उपयोग की गई धनराशि		
	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07 (9.03.07 तक)
	1	2	3	4	5	6
अरूणाचल प्रदेश	1645.55	1300.00	1400.00	1553.75	1290.00	699.00
असम	871.00	1300.00	1400.00	871.00	1298.53	699.3
मणिपुर	1286.25	1500.00	1700.00	1042.74	1650.93	347.59
मेघालय	1395.99	1700.00	2000.00	1395.99	1700.00	1000.00
मिजोरम	1801.10	1800.00	2000.00	1801.10	1800.00	1500.00
नागालैंड	1467.30	1700.00	2000.00	1291.95	1700.85	800.00
सिक्किम	1150.00	1800.00	1800.00	1092.85	1762.94	1300.00
त्रिपुरा	1111.3	1500.00	1400.00	1111.3	1500.00	637.72

	1	2	3	4	5	6
जम्मू व कश्मीर	1233.00	1550.00	3500.00	272.59	2790.28	835.57
हिमाचल प्रदेश	1300.00	1100.00	4000.00	1300.00	1100.00	3000.00
उत्तरांचल	975.00	1100.00	4000.00	975.00	1100.00	3000.00

विवरण-II

2005-06 और 2006-07 के दौरान एन०एच०एम० के अंतर्गत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए दी गई वित्तीय सहायता और व्यय

लाख रुपये में

क्र० सं०	राज्य	जारी धनराशि		उपयोग की गई धनराशि	
		2005-06	2006-07	2005-06	2006-07 (09.03.07 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4420.96	7500.00	1781.14	7137.47
2.	बिहार	3100.00	3500.00	3.02	2175.78
3.	छत्तीसगढ़	2367.83	5500.00	353.96	2560.53
4.	गोवा	315.20	200.00	112.91	26.57
5.	गुजरात	3239.28	777.03	986.71	1653.55
6.	हरियाणा	050.00	3480.00	163.00	2112.7
7.	झारखंड	3030.00	4000.00		2170.2
8.	कर्नाटक	4455.17	8448.25	322.72	1265.45
9.	केरल	3533.98	7959.53	400.14	2471.72
10.	मध्य प्रदेश	2839.77	4291.75	481.67	2804.09
11.	महाराष्ट्र	8260.28	14492.65	2749.03	9186.27
12.	उड़ीसा	3611.91	4450.00	1794.43	3286.59

1	2	3	4	5	6
13.	पंजाब	2868.82	1150.00	1021.21	901.15
14.	राजस्थान	2259.57	3837.93	1464.30	2477.37
15.	तमिलनाडु	3891.67	4600.00	2462.47	5348.74
16.	उत्तर प्रदेश	5340.25	1500.00	537.97	1592.98
17.	पश्चिम बंगाल	4035.31	4600.00	3926.34	81.96
18.	दिल्ली		300.00		
19.	लक्षद्वीप		63.00		
20.	अंदमान व निकोबार		85.00		
	योग	58620.00	80735.13	18561.02	47253.12

विवरण–III

2004–05 के दौरान बृहद् प्रबंधन के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता और व्यय

लाख रुपये में

राज्य	परिव्यय	व्यय
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1012.28	966.58
बिहार	665.3	0
छत्तीसगढ़	425	0
गोवा	92	85.17
गुजरात	345	83.71
हरियाणा	277	135.55
झारखंड	57.5	0
कर्नाटक	1522.55	906.94
केरल	1139.75	213.03
मध्य प्रदेश	818.35	749.69
महाराष्ट्र	3385	290.19
उड़ीसा	804.55	0
पंजाब	180	0
राजस्थान	648.8	543.38
तमिलनाडु	1400	0
उत्तरांचल	250	161.03
पश्चिम बंगाल	450	0
दिल्ली	37.7	0
लक्षद्वीप	75.5	0
अंदमान व निकोबार	36.77	12.81

विवरण–IV(क)

टी०एम०एन०ई० योजना के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां (2004-05)

घटक	अरुणाचल प्रदेश		असम		मणिपुर		मेघालय		मिजोरम		नागालैंड		सिक्किम		त्रिपुरा		जम्मू व कश्मीर		हिमाचल प्रदेश		उत्तरांचल		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
क्षेत्र विस्तार (है०)	6260	6260	5695	3959	4438	3570	2552	2552	6790	6809	3426	3426	4396	4107	4850	7801	4142	3480	3628	3775	3480	3581	49657	50033
नर्सरियां सं०	0	0	34	18	0	2	18	17	2	2	3	3	25	21	0	7	55	49	22	22	14	7	173	148
ड्रिप सिंचाई इकाई	500	500	100	94	100	0	58	58	58	150	25	25	50	45	0	10	115	0	200	220	300	100	1546	1202
कृषक/प्रशिक्षण कार्यक्रम	0	0	3980	0	1110	250	780	780	1440	820	413	413	2400	2347	1600	3633	2105	553	3610	3670	2265	1701	19703	14167
महिला विकास प्रशिक्षण	0	0	2000	0	2000	490	0	0	500	500	0	0	800	800	0	235	775	498	1000	440	2250	1422	9325	4385
विपणन	परि०		परि०		परि०		परि०		परि०	33	परि०	13	परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०	61
अवसंरचना	आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०	
प्रसंस्करण इकाई	परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०	
	आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०	

परि० – परियोजना

आ० – आधारित

विवरण-IV(ख)

टी०एम०एन०ई० योजना के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां (2005-06)

घटक	अरुणाचल प्रदेश		असम		मणिपुर		मेघालय		मिजोरम		नागालैंड		सिक्किम		त्रिपुरा		जम्मू व कश्मीर		हिमाचल प्रदेश		उत्तरांचल		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
क्षेत्र विस्तार (है०)	5400	5400	5360	5360	3709	3709	4519	4519	10617	10617	7454	7454	6788	6788	3472	3472	4630	4630	2378	2378	4680	4680	59007	59007
नर्सरियां सं०	2	2	8	8	0	0	12	12	1	1	14	14	15	15	2	2	59	59	10	10	15	15	138	138
ड्रिप सिंचाई इकाई	500	500	138	138	250	250	621	621	162	162	120	120	50	50	0	0	8	8	280	280	210	210	2339	2339
कृषक/प्रशिक्षण कार्यक्रम	1500	1500	3095	3095	1700	602	530	530	800	800	1300	1300	3520	3520	460	460	906	906	1880	1880	700	700	16391	15293
महिला विकास प्रशिक्षण	0	0	2220	2220	500	0	0	0	500	500	0	0	2000	1850	440	440	10	10	956	956	0	0	6626	5976
विपणन	परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०	54	परि०		परि०		परि०	15	परि०		परि०	2	परि०	71
अवसंरचना	आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०	
प्रसंस्करण इकाई	परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०	1
	आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०	

परि० – परियोजना

आ० – आधारित

विवरण-IV(ग)

टी०एम०एन०ई० योजना के अंतर्गत राज्यवार वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां (2006-07 9.03.07 तक)

घटक	अरुणाचल प्रदेश		असम		मणिपुर		मेघालय		मिजोरम		नागालैंड		सिक्किम		त्रिपुरा		जम्मू व कश्मीर		हिमाचल प्रदेश		उत्तरांचल		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
क्षेत्र विस्तार (है०)	8430	8430	5848	2905	6938	1687	6998	3402	8551	7781	6096	3448	4354	4420	3524	943	8989		10392		9822		79942	33016
नर्सरियां सं०	3	3	5		2	2	23				10	10	15	15	10	2	30		19		27		144	32
ड्रिप सिंचाई इकाई	250	200	200		100	71	280		180	12	250		75		300				100		700		2435	283
कृषक/प्रशिक्षण कार्यक्रम	2500	2500	3000		562	449	1100		660	314	1650	1100	4500	3202	2500	280	1124		5700		1700		24996	8275
महिला विकास प्रशिक्षण			2000	300	2000	140	0		2000		500	500	3500	3500	500						4000		14500	4740
विपणन	परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०	54	परि०		परि०		परि०	15	परि०		परि०		परि०	71
अवसंरचना	आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०	
प्रसंस्करण इकाई	परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०		परि०	1
	आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०		आ०	

परि० — परियोजना

आ० — आधारित

विवरण-I (क)

एन०एच०एम० के अंतर्गत 2005-06 के दौरान प्रमुख कार्यकलापों के लक्ष्य और उपलब्धियां

वास्तविक क्षेत्र हैक्टेयर में

क्रम संख्या	राज्य	क्षेत्र कवरेज		सुधार		नर्सरियों		संरक्षित		जैविक खेती		आई०पी०एम०		पी०एच०एम० (सं०)		मंडिया (सं०)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	25398	15978	9670	5420	5	5	58.3	21.1	200		8000					
2.	बिहार	3320		13367		17		108.6				2500		3			
3.	छत्तीसगढ़	10740		2450		9		238.0				500		7		12	
4.	दिल्ली																
5.	गोवा	155	251	1250	552	2	7	15.0	1.2	300		500					
6.	गुजरात	27032	25140	400		42	36	105.9	0.3	50		1966	1966		1		
7.	हरियाणा	2780	837	200	60	6		1.0		60	60	440	440				
8.	झारखंड	7000				75		153.8						14		28	
9.	कर्नाटक	17010	17101	801	812	95	103	272.1		4800	2365				8		1
10.	केरल	10830	2136	7500		48	5	30.0		2019	160	250	250				
11.	मध्य प्रदेश	5950	1370	1250	1144	20	32			1668	717	11000	6377				
12.	महाराष्ट्र	28495	3820	9000	4386	26	1	815.0	43.0	4400	1305	19477	6116				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.	उड़ीसा	18900	14687	4500	1303	35	35	13.9	101.0	100	100	200					
14.	पंजाब	2480	942	3350	230	5		360.1							3900	44	47
15.	राजस्थान	11662	12510	70	104	15	8	54.5		500	467	1800	4906	2		4	17
16.	तमिलनाडु	8369	13884	650	877	25	42	30.1	7.6	800	998	3300	4596	6			
17.	उत्तर प्रदेश	14940		4850	1320	11	10	606.4	240.7	1050	3493	400	1600	950	7		
18.	पश्चिम बंगाल	8480	7618	3900	1015	4		192.8		2500	2021	10000	10000	33		2	
	कुल	203541	116274	63208	17223	440	284	3055.5	414.9	18447	11686	60333	36251	1015	19.00	90	65.00

विवरण-V(ख)

2006-07 के दौरान एन०एच०एम० के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

28.2.2007 तक राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार

'क्षेत्र हैक्टेयर

''मात्रा संख्या

राज्य	क्षेत्र कवरेज		सुधार		नर्सरी		पी०एच०एम०		मंडी		जैविक खेती आई०एन०एम०		आई०पी०एम०/	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
आन्ध्र प्रदेश	42636.36	57764.97	7770.00	10194.09	66.00	25.00	48.00	4.00	37.00	6.00	1950.00	0.00	33250.00	31681.00
बिहार	12212.00	5939.00	0.00	2.00	28.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	4000.00	500.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	12493.00	10614.00	1420.00	0.00	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00	14000.00	6000.00
दिल्ली	160.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	750.64	7.62	300.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	2443.40	13148.56	650.00	0.00	19.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1500.00	10.00
हरियाणा	5379.85	7429.00	939.00	299.00	16.00	10.00	0.00	14.00	11.00	0.00	380.00	320.00	1781.00	1291.00
झारखंड	10400.00	7222.00	0.00	0.00	63.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	500.00	0.00
कर्नाटक	34450.40	10675.00	2130.58	0.00	189.00	1.00	0.00	4.00	48.00	1.00	5500.00	0.00	45000.00	0.00
केरल	26600.00	5275.00	15000.00	7000.00	120.00	9.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	1075.00	4101.00	2250.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	7110.00	18396.98	2445.00	2584.05	27.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	2685.00	10000.00	13942.00
महाराष्ट्र	73081.30	82745.94	10300.00	7649.08	75.00	17.00	90.00	52.00	0.00	4.00	5350.00	1630.00	14650.00	6581.35
उड़ीसा	19500.00	22069.00	1433.00	0.00	42.00	68.00	11.00	0.00	46.00	0.00	1000.00	440.00	1200.00	0.00
पंजाब	1339.00	2424.00	0.00	3159.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	20002.00	0.00
राजस्थान	22534.00	14119.92	97.58	217.50	25.00	30.00	4.00	0.00	0.00	0.00	700.00	910.00	3493.00	8152.00
तमिलनाडु	28755.10	19544.00	500.00	1664.00	27.00	103.00	0.00	150.00	0.00	0.00	400.00	2921.00	7000.00	13105.00
उत्तर प्रदेश	0.00	21351.10	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24688.60	0.00	1660.00
पश्चिम बंगाल	18366.60	182.00	300.00	112.00	214.00	3.00	17.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	11000.00	0.00
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	334.00	0.00	50.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	318545.65	298908.09	43335.16	32959.72	937.00	470.00	187.00	225.00	142.00	11.00	27030.00	34669.60	171477.00	85172.35

विवरण-VI

2004-05 के दौरान वृहद प्रबंधन के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां

राज्य		क्षेत्र विस्तार							योग	ड्रिप	स्प्रिंकलर	संरक्षित	मल	प्रदर्शन (सं०)			सुधार फल	आईपी एम/ पीपी	बागवानी यंत्रीकरण
		फल	सब्जी	बागवानी एव	कंदमूल	कोको	मसाले							ड्रिप	जी हाउस	मल्च			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आन्ध्र प्रदेश	लक्ष्य	8046	23000	68.2	1893	835	2140	1640	37622.2			30					200		
	उपलब्धि	8869	2241	68.2	1721	885	2148.3	3768	19700.5			30					200		
बिहार	लक्ष्य																		
	उपलब्धि																		
छत्तीसगढ़	लक्ष्य	1077		130	36	1903		450		100		10						212	
	उपलब्धि	494		2		369		47											
गोवा	लक्ष्य	80		3.1	6	1000				5	30								
	उपलब्धि	73.69		6.12	22.6	1092				11.24	60.4								
गुजरात	लक्ष्य	1496		238	12			3322	5068	2000	2914	8	66	16	8	10	460	5680	460
	उपलब्धि	2828		166				148.6	3142.6	148.66	1112.5	3					168	893	204
हरियाणा	लक्ष्य	1477		730	10			1200		200		6						100	
	उपलब्धि	808		730	4			1000		286								100	
केरल	लक्ष्य	1390	1600			600		3		88.88	66.66	8.76							
	उपलब्धि					876		3.3		21.38	7.14								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मध्य प्रदेश	लक्ष्य	6224		848	327			116	7515	160		1:1						1438	
	उपलब्धि	5048		694	396			150	6288	193								622	
महाराष्ट्र	लक्ष्य	1150	200					444	292	80	503					6400			
	उपलब्धि			70	27					27	22	2						146	
पंजाब	लक्ष्य	700	200	100						624									
	उपलब्धि																		
राजस्थान	लक्ष्य	7500		282				4000		1200				10	5	70	1600		
	उपलब्धि	6352		299				3460		136							197		
तमिलनाडु	लक्ष्य	6600	2650	650	1200	4468	600	2637	18606						20			1000	
	उपलब्धि	3010	2367	597	1166	3490	434	1419	12473						13			891	
उत्तर प्रदेश	लक्ष्य	1629		60				286		235		12	100				126	200	

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

*292. डा० के०एस० मनोज : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में 31.12.06 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पहले से शामिल व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य पेंशन योजनाओं में संशोधन को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार संराशीकरण लाभ योजना के आरंभ की तिथि से 100 माह पूरा होने पर मासिक पेंशन के साथ संराशीकरण राशि की पुनर्बहाली करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के सदस्यों की कुल संख्या 3,23,88,660 है। क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संराशीकरण के आरंभ की तिथि से 100 माह के पश्चात् पेंशन के संराशीकृत अंश की पुनर्बहाली करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत नामांकित क्षेत्र-वार सदस्य 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	क्षेत्र	सदस्य
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	4993001
2.	तमिलनाडु तथा पांडिचेरी	4534709
3.	कर्नाटक	4046002
4.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2702877
5.	पंजाब	2255549
6.	आंध्र प्रदेश	2217153
7.	दिल्ली	1963312
8.	गुजरात	1844045
9.	उत्तर प्रदेश	1339902
10.	मध्य प्रदेश	1174239
11.	हरियाणा	1122787
12.	केरल	1082518
13.	राजस्थान	806339
14.	उड़ीसा	572409
15.	गोवा	343911
16.	झारखंड	317133
17.	बिहार	303964
18.	उत्तर-पूर्व	241439
19.	छत्तीसगढ़	180192
20.	हिमाचल प्रदेश	180075
21.	उत्तरांचल	167104
	कुल	32388660

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन

*293. **श्री किसनभाई वी० पटेल :**
श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी-निजी भागीदारी से 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करके उन्हें उत्कृष्टता केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) बनाने के लिए किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों के लिए उपकरणों के रख-रखाव, कच्चे माल और प्रशिक्षण हेतु आवश्यक नमूनों के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों में अब तक राज्यवार कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया गया है और कितनों का उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत ऐसे और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ङ) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2004-05 के अपने बजट अभिभाषण में देश में 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु उपायों की घोषणा की थी। तत्पश्चात, आंतरिक निधिकरण से 100 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन की योजना को मार्च, 2005 में मंजूरी दे दी गई। इन 100 औद्यामेगिक प्रशिक्षण संस्थानों का वितरण 75:25 की निधिकरण प्रणाली जिसे क्रमश: केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा के आधार पर 22 राज्यों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों में किया गया। राज्य सरकारों के लिए परियोजना अवधि के दौरान एवं उसके आगे की अवधि के लिए योजना के कार्यान्वयन/उसे जारी रखने हेतु अपनी वचनबद्धता दर्शाने वाला एक समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) प्रस्तुत करना होगा। सरकार द्वारा चलाए जा रहे शेष 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में मंत्रालय विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बातचीत कर रहा है। इस बीच, भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्यों में उपर्युक्त 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन हेतु निर्धारण किया है। राज्य सरकारों को अग्रिम कार्रवाई के एक हिस्से के रूप में अगले तीन वर्षों में उन्नयन हेतु चयन किए जाने वाले शेष 300 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अंतिम रूप देने के लिए संस्थागत विकास योजनाएं प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

वर्ष 2005-06 के दौरान उन्नयन हेतु शामिल किए गए तथा वर्ष 2006-07 हेतु निर्धारित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्यवार संख्या की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्कृरूट केन्द्रों के रूप में उन्नयन किए जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्र० सं०	भाग लेने वाले राज्यों का नाम	आंतरिक निधिकरण से वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान शामिल किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	उन्नयन हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान निर्धारित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
1.	आंध्र प्रदेश	5	5
2.	बिहार	2	2
3.	छत्तीसगढ़	4	4
4.	दिल्ली	1	1
5.	गोवा	2	1

(i)	(ii)	(iii)	(iv)
6.	गुजरात	8	15
7.	हरियाणा	5	5
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1
9.	झारखंड	1	1
10.	कर्नाटक	6	6
11.	केरल	5	3
12.	मध्य प्रदेश	8	7
13.	महाराष्ट्र	12	15
14.	उड़ीसा	2	4
15.	पंजाब	8	2
16.	राजस्थान	5	5
17.	तमिलनाडु	5	5
18.	उत्तरांचल	3	1
19.	उत्तर प्रदेश	10	7
20.	पश्चिम बंगाल	3	3
21.	चंडीगढ़	1	—
22.	पांडिचेरी	1	
23.	असम	—	4
24.	जम्मू व कश्मीर	—	2
25.	सिक्किम	—	1
	योग	100	100

पेट्रोरसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति

*294. श्री सुनील खां :
श्री ई०जी० सुगावनम :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोरसायन संबंधी राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्यावरण के लिए खतरनाक प्लास्टिक उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में प्लास्टिक वस्तुओं का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है;

(ङ) क्या रसायनिक केंद्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पेट्रोरसायन पर राष्ट्रीय नीत का प्रारूप सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और उसे अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जा रहा है।

(ख) पेट्रोरसायन पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति का उद्देय-निवेशों में वृद्धि, पेट्रोरसायन उत्पादों के उत्पादन और खपत में वृद्धि, उद्योग की प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि, अनुसंधान और विकास का संवर्द्धन तथा पर्यावरण अनुकूल विकास प्राप्त करना है।

(ग) प्लास्टिक, रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ हैं ओर आमतौर पर खतरनाक नहीं हैं। अधिकांश प्लास्टिक पुन: प्रसंस्करित और रिसाइकल किए जाने वाले स्वरूप के होते हैं। तथापि, उपभोग पश्चात प्लास्टिक

कचरे के अपर्याप्त विभेदन और संग्रहण से पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

(घ) भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की औसत खपत 4.5 कि०ग्रा० है।

(ङ) और (च) रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने पहले देश में वृहत्त रसायन औद्योगिक परिसरों (एम०सी०आई०ई०) की स्थापना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ की थी। उक्त संकल्पना को पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पी०सी०पी०आई०आर०) का रूप दिया गया है जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और अधिसूचित किया जाना है। पी०सी०पी०आई०आर० त्वरित तथा समन्वित निर्णय लेने में सहायक होगा तथा अपेक्षित पैमाने पर स्तर की सुविधाओं वाले निवेश क्षेत्रों के विकास के लिए समुचित नीतिगत रूपरेखा उपलब्ध कराएगा। पी०सी०पी०आई०आर० विशिष्ट रूपरेखाओं वाला लगभग 250 कि०मी० (जिसमें कम से कम 40% क्षेत्र प्रसंस्करण कार्यकलापों के लिए रखा गया है) क्षेत्रफल में फैला हुआ निवेश क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में उत्पादन परियोजनाओं, जन सुविधाओं, संभार तंत्र, पर्यावरण संरक्षण, आवासीय क्षेत्रों पर प्रशासनिक सेवाओं का सम्मिलन होगा। इससे देश में पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन सेक्टरों में विश्वस्तरीय निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है। राज्य सरकारों से पी०सी०पी०आई०आर० की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों पर केन्द्र सरकार इस नीति के अनुरूप विचार तथा अनुमोदन प्रदान करेगी और रेल, सड़क, बंदरगाहों तथा हवाईअड्डों सहित बाह्य भौतिक आधारसंरचना संपर्क की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाएगी।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन

*295. श्री उदय सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुराज्य सरकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने सहकारी सोसाइटी की स्वायत्तता पर प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव का आकलन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) जी, हां। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्ताव मुख्यतया केन्द्र अथवा राज्य सरकार में किसी मंत्री द्वारा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के पद धारण करने पर रोक हटाने और किसी बोर्ड सदस्य द्वारा कम से कम लगातार दो बार ऐसे पद धारण करने पर रोक लगाने से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त दो से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियों में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का पद धारण करने से संबंधित प्रतिबंध को हटाने का भी अनुरोध किया गया है। भारत सरकार ने बहुराज्य सरकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में अध्ययन करने और सिफारिश करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

[हिन्दी]

लकड़ी पर आधारित उद्योगों के लिए दिशा-निर्देश

*296. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डा० अरुण कुमार शर्मा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लकड़ी पर आधारित उद्योगों को पर्यावरणीय/वानिकी संबंधी मंजूरी देने के लिए कोई विनियम/दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं/तैयार किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से ऐसे उद्योगों

के लिए पर्यावरणीय/वानिकी संबंधी मंजूरी देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) **पर्यावरणीय स्वीकृति:** केन्द्र सरकार ने पर्यावरणी प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 14 सितम्बर, 2006 को अधिसूचित कर दी है, जिसके अनुसार रद्दी कागज से कागज निर्माण करने वाले और तैयार लुग्दी से बिना ब्लीचिंग किए कागज निर्माण करने वाले उद्योगों (अधिसूचना – अनुसूची की मद 5 (i)) तथा काष्ठ/बायोमास आधारित थर्मल पावर संयंत्रों (अधिसूचना – अनुसूची की मद (घ)) को छोड़कर, अन्य लुगदी एवं कागज निर्माण उद्योगों को पूर्व-पर्यावरणीय स्वीकृति लेना आवश्यक है।

वानिक स्वीकृति: केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया है, जिसके अनुसार यदि किसी वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु इस्तेमाल किया जाना हो, तो इसके लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।

(ग) जी, हां।

(घ) **पर्यावरणीय स्वीकृति:** पिछले 2 वर्षों के दौरान दो काष्ठ आधारित परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं, जिन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई। सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

वानिकी स्वीकृति: दिनांक 25.10.1980 से 13.03.2007 तक की अवधि के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वानिकी स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए काष्ठ आधारित उद्योग संबंधी मामलों का राज्यवार उनकी स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में काष्ठ आधारित उद्योगों की कार्यप्रणाली तथा इमारती लकड़ी व उसके उत्पादों के परिवहन से संबंधित एक रिट-याचिका (सिविल) संख्या 202/95 के संबंध में दिनांक 12.12.1996, 4.3.97, 15.1.98 तथा 12.5.2001 को आदेश पारित किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 202/95 के संबंध में अपने दिनांक 29.10.2002 के आदेश द्वारा पुन: यह निर्देश दिए थे कि सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में बिना लाइसैंस के चलाए जा रहे काष्ठ आधारित उद्योगों को बन्द किया जाएगा और केन्द्रीय शक्ति प्राप्त समिति की पूर्वानुमति के बिना किसी आरा मिल, वनीर अथवा प्लाइवुड यूनिट को चालू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

(च) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.1.1998 के आदेश में उल्लिखित अनुसार, काष्ठ आधारित उद्योगों के पुन: स्थापन के लिए सभी पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक एस्टेट्स का सृजन किया गया है।

विवरण-I

काष्ठ आधारित परियोजनाएं, जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

(i) मैसर्स नगालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लि० (एन०पी०पी०सी०एल०) द्वारा तुली, जिला मोकोकचुंग, नागालैंड स्थित लुग्दी एवं कागज मिल को पुन: चालू करना और उसकी क्षमता को 33000 टी०पी०ए० से बढ़ाकर 66000 करके उसका उन्नयन करना।

(ii) मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लि० द्वारा काजीथंपुरम, करुर, तमिलनाडु में कागज का उत्पादन 2,05,000 एम०टी०पी०ए० से बढ़ाकर 2,45,000 एम०टी०पी०ए० करना तथा 45,000 एम०टी०पी०ए० मार्केट पल्प का उत्पादन करना।

विवरण-II

25.10.1980 से 13.03.2007 तक की अवधि के दौरान वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वानिकी स्वीकृति के लिए काष्ठ आधारित उद्योगों के मामले

क्र० सं०	प्रस्ताव का वर्ष	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला	आवेदित क्षेत्र (हे०)	मामले की स्थिति	कार्रवाई की तारीख	पथान्तरित क्षेत्र (हे०)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1983	आरा मिल की स्थापना	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग वैली	4.31	रद्द	30/10/1984		मेरिट पर रद्द
2	1986	आरा मिल की स्थापना	अरुणाचल प्रदेश	ईस्ट कमांग	0.5	रद्द	13/10/1988		मेरिट पर रद्द
3.	1982	आरा मिल का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	कमांग	1.5	रद्द	07/10/1983		मेरिट पर रद्द
4.	1982	आरा मिल की स्थापना	अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबनसीरी	6.75	रद्द	07/07/1983	6.75	
5.	1982	आरा मिल का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	तिरप	4	अनुमोदित	23/02/1983	2.1	
6.	1990	रोबता में अमोरतला आरा मिल का एस्टेट	अरुणाचल प्रदेश	वैस्ट कमांग	0.645	अनुमोदित	06/11/1991	0.645	
7.	2006	बुद्ध खेड़ा में विभागीय आरा मिल की चलाना	हरियाणा	करनाल	0.194	अनुमोदित	15/02/2007	0.194	
8.	1983	आरा मिल का विस्तार	कर्नाटक	बेलगांव	0.89	अनुमोदित	24/04/1985	0.89	
9.	1985	आरा मिल के निर्माण के लिए पट्टे का नवीकरण	कर्नाटक	बेलगांव	0.89	अनुमोदित	23/04/1985	0.89	
10.	1985	आरा मिल के निर्माण के लिए मैसर्स इण्डिया प्लाईवुड कंपनी को लीज देना	कर्नाटक	नार्थ कन्नड़	0.8	अनुमोदित	26/05/1996	0.8	
11.	1985	आरा मिल की पुन: स्थापना	कर्नाटक	नार्थ कन्नड़	0.4	रद्द	01/09/1986		मेरिट पर रद्द
12.	1996	लघु उद्योग चलाना (आरा मिल)	कर्नाटक	नार्थ कन्नड़	0.8	रद्द	31/03/1999		गैर स्थल विशिष्ट प्रस्ताव

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	1984	एक आरा मिल का निर्माण और औद्योगिक लेबर के लिए अस्थाई आवास बनाना	कर्नाटक	नार्थ कन्नड़	4	रद्द	31/03/1999		वैकल्पिक एन०एफ०एल० उपलब्ध
14.	1990	मौरेह में यांग – नग पोकपी – लोक चाओ आर०एफ० से आर के पुरकायस्थ आरा मिल तक भूमि का आवंटन	मणिपुर	मणिपुर (सेन्टर)	0.68	बन्द	30/07/1996		राज्य सरकार को कार्रवाई करने को कहा गया है
15.	2002	मै० मनरोब आरा मिल उमलांग की स्थापना करने के लिए 0.15 हे० वन भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग	मेघालय	खासी हिल (ईस्ट)	0.15	अनुमोदित	08/03/2002	0.15	
16.	1998	कुलुंगा में आरा मिल की पुन: स्थापना	उड़ीसा	सुन्दरगढ़	4.7	रद्द	18/01/1999		मेरिट पर रद्द
17.	1997	उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा चारा आरा मिलों की स्थापना	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	0.25	रद्द	17/11/1997		मेरिट पर रद्द
18.	1997	भुट्टा बाड़ी आरा मिलें	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	0.65	अनुमोदित	23/06/1997	0.65	
19.	1997	मदारी हाट आरा मिलें	पश्चिम बंगाल	जलपईगुड़ी	1.83	अनुमोदित	23/06/1997	1.83	
20.	1997	साऊआगढ आरा मिलें	पश्चिम बंगाल	जलपईगुड़ी	0.46	अनुमोदित	23/06/1997	0.46	

अधिक संख्या में इस्पात संयंत्रों की स्थापना

*297. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर बिहार में, अधिक संख्या में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो नए संयंत्रों को कब तक स्थापित किया जाएगा और ये संयंत्र कहां-कहां पर स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) इस पर कितनी लागत आएगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) केंद्र सरकार की इस्पात का उत्पादन करने वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर०आई०एन०एल०) नामक कंपनियों का देश में विभिन्न स्थानों पर इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है। सेल बिहार सहित विभिन्न स्थानों पर इस्पात प्रक्रमण इकाइयां स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक दवाओं के लिए कर से छूट

*298. **श्रीमती प्रिया दत्त :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कैंसर के ईलाज की दवाओं सहित जीवन रक्षक दवाओं को कर से छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'कीमोथेरेपी' में प्रयोग की जाने वाली दवाओं को सरकारी अस्पतालों के माध्यम से रियायतों दरों पर उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सरकार द्वारा यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 21/2002 दिनांक 1.3.2002 की सूची 3 और 4 के अंतर्गत कैंसररोधी औषधों सहित अनेक विनिर्दिष्ट औषधों तथा उनके विनिर्माण हेतु बल्क औषधों पर सीमा शुल्क के भुगतान से पूरी छूट दी गई या 5% की रियायती दर निर्धारित की गई। इन औषधों को यथा संशोधित उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं० 6/2002 दिनांक 1.3.2002 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क से भी छूट दे दी गई है। इसके अतिरिक्त कई विशिष्ट दवाओं को उत्पाद शुल्क की अधिसूचना सं० 4/2006-सीई० दिनांक 1.3.2006 की सूची 1 एवं 3 द्वारा उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त हैं।

मेरे मंत्रालय द्वारा 11 वीं योजना में 100 करोड़ रु० प्रति वर्ष उपलब्ध कराकर कैंसर औषधि सहायता निधि सृजित करने का प्रस्ताव किया गया है। यह राष्ट्रीय औषधि नीति के प्रारूप का अंश भी है। इस निधि का लक्ष्य मुख्य रूप से कैमोथेरेपी औषधियां रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है।

त्वरित पर्यावरण न्यायालय

*299. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री मधुगौड यास्खी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण संबंधी मामलों को हल करने हेतु त्वरित न्यायालयों (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) पर्यावरणीय मामलों का निर्णय लेने के लिए त्वरित पर्यावरण न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत के विधि आयोग ने अपनी 186 वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य में पर्यावरण न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की है, जिनमें पर्यावरणीय विवादों को निपटाने के लिए पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े न्यायिक व वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल हों और साथ ही उनके पास विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के अंतर्गत अपीलों के संबंध में अपीलीय अधिकार हों। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सिद्धान्त रूप में कुछ संशोधनों के साथ विधि आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय का पर्यावरण से संबंधित सिविल मामलों के प्रभावी व त्वरित निपटान के लिए राज्यों के समूहों के

लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल और कुछ क्षेत्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल गठित किये जाने का प्रस्ताव है।

कृषि में निवेश

*300. श्री सांताश्री चटर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कृषि क्षेत्र में निवेश सकल घरेलु उत्पाद (जी०डी०पी०) का अनुपात घटकर 1.7 प्रतिशत रह गया है, जोकि वर्ष 2003 में 2.1 प्रतिशत था;

(ख) यदि हां, तो मात्र तीन वर्षों में 20 प्रतिशत की इस भारी गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि पर इस वित्तीय वर्ष में सरकारी निवेश हेतु किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है और जनवरी, 2007 तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी नवीनतम अनुमानों के अनुसार, सकल पूंजी विनिर्माण के तहत ठीक से मापे गए मुख्य कृषि में निवेश वास्तविक अर्थों में (1999-2000 मूल्यों पर) 2002-03में 2.1% से 2003-04 और 2005-06 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 1.9% कुल सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में नीचे हो गया था। कुल सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कृषि में निवेश में कमी, कृषि में निवेश में वृद्धि से कुल सकल घरेलू उत्पाद में सापेक्षता तीव्र वृद्धि के कारण है। कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में कुल सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2002-03 में 0.4% से 2005-06 में 0.5% की बढ़ोतरी हुई, किन्तु निजी क्षेत्र का कृषि में निवेश कुल सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में इसी अवधि के दौरान 1.8% से 1.5% कम हो गया।

(ग) 2006-07 में कृषि में सार्वजनिक निवेश के लिए आबंटनों की संरचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, "आर्थिक सर्वेक्षण (2006-07)" के अनुसार कृषि में जन निवेश (1999-2000 मूल्यों पर) 2004-05 के 10,267 करोड़ रुपए की तुलना में 2005-06 में 13,219 करोड़ रुपए रहा है।

कर्नाटक में खाद्यान्नों का उत्पादन

2708. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान फसल मौसम के दौरान कर्नाटक में खरीफ सीजन के खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक गिरावट हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) 5.2.2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ मौस में कर्नाटक में 2006-07 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन खरीफ 2005-06 के दौरान हुए 9.74 मिलियन टन की अपेक्षा 6.94 मिलियन टन अनुमानित किया गया है जोकि राज्य के अनेक भागों में सूखे के कारण 2.80 मिलियन टन की गिरावट दर्शाता है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने 128 मंडलों में 2006-07 के दौरान सूखा घोषित किया था तथा राष्ट्रीय आपदा आनुषंगिक निधि (एन०सी०सी०एफ०) से 1262.95 करोड़ रुपए तथा राहत रोजगार के लिए 5.74 लाख टन खाद्यान्नों की सहायता का अनुरोध किया है। अत: मंत्रालीय केन्द्रीय दल ने स्थिति का निर्धारण करने के लिए दौरा किया तथा इसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा आनुषंगिक निधि से 74.48 करोड़ रुपए तथा राहत रोजगार के लिए 1.00 लाख लाख टन चावल की मंजूरी दी है।

कोयना जल विद्युत बांध

2709. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कोयना जल विद्युत बांध से पश्चिम की ओर कितनी मात्रा में जल प्रवाह की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या बाढ की भयावहता के दौरान जल की मात्रा को नहीं मापा जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य से पश्चिम की ओर जल प्रवाह को न मापने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) बछावत अधिकरण ने महाराष्ट्र में कोयना परियोजना से वर्ष में 67.5 टी०एम०सी० तक जल डाइवर्ट करने की अनुमति दी है।

(ख) जी, नहीं। बछावत अधिकरण के निर्णय के अनुसार डाइवर्ट किए गए जल की संपूर्ण मात्रा का मापन किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषक वर्ष

2710. **श्री के०सी० पल्लानी शामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास वर्ष 2007 को ''कृषक वर्ष'' घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने भी ऐसी ही घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान देश में कृषकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) सरकार को वर्ष 2007 को कृषक वर्ष के रूप में घोषित करने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई जानकारी नहीं मिली है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि कृषि वर्ष 2006-07 को कृषि नवीकरण वर्ष या कृषक वर्ष के रूप में अभिनामित (मनाया) किया जाय। इस वर्ष के लिए आयोग द्वारा संस्तुत सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, वर्षा जल भण्डारण तथा जल स्रोतों के रिचार्ज के जरिए सिंचाई जल की आपूर्ति में वृद्धि, ऋण एवं बीमा सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रचार-प्रसार तथा विपणन के अवसर शामिल हैं।

(ङ) कृषि क्षेत्र का पुनरुद्धार, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार और किसानों की आय वृद्धि कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र है जिनकी पहचान सरकार द्वारा संकेन्द्रित और समेकित कार्यवाही के लिये की गई है। सरकार द्वारा कृषकों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए की गई पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ वे शामिल हैं: अगले तीन वर्षों में कृषि ऋण प्रवाह को दोगुना करने के लिए वर्ष 2004 में ऋण नीति, फसल ऋण पर ब्याज दर में कमी, कृषि से सीधे जुड़े हुए जल निकायों की नवीनीकरण और सुधार हेतु राष्ट्रीय परियोजना, सामुदायिक अनाज बैंक स्कीम, केन्द्रीय समेकित कृमि केन्द्रों की स्थापना, राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना, विपणन में सुधार, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, भूजल रिचार्ज और कृषि विस्तार में सुधार आदि।

[हिन्दी]

खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिक

2711. **श्री चन्द्रभान सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने 10 दिसम्बर, 1996 को एक निर्णय लिया है जिसमें खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम के नियोजन को मानवता के प्रति अत्याचार माना गया था और राज्यों को इस पर एक विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुदेश जारी किया गया था;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने 10.12.1996 के अपने निर्णय में, खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों की कार्य मुक्ति, पुनर्वास और उक्त प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण करने के तरीकों के बारे में कतिपय निवेश दिए। न्यायालय ने उन तरीकों के बारे में भी कतिपय निर्देश दिए जिनके द्वारा गैर-खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों की कार्यदशाओं को विनियमित और संवर्द्धित किया जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को न्यायालय में समय-समय पर दाखिल नियमित शपथ-पत्र के जरिए रिपोर्ट किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में नारियल क्षेत्र का पुनरूद्धार

2712. **श्री पी०सी० थामस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से नारियल क्षेत्र के पुनरूद्धार तथा थन्नीर मुक्कोम बन्द के पुनर्निमाण और सुदृढ़ीकरण सहित कुट्टानाड नम भूमि (धान) के संरक्षण एवं पुनरूद्धार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय कृषि मंत्री को संबोधित केरल के मुख्य मंत्री के दिनांक 4.10.2006 का पत्र इस मामले में प्राप्त हुआ है। सुझावों के आधार पर एम०एस० स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन, चेन्नई के थन्नीरमुक्कोम बांध के पुनर्निमाण एवं सुदृढ़ीकरण सहित कुट्टानाड नम भूमियों के पुनरूद्धार के लिये परियोजना के निरूपण का कार्य सौंपा गया है। इस फाउंडेशन में फरवरी, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

जहां तक नारियल क्षेत्र के पुनरूद्धार का संबंध है, "भारत में पारम्परिक राज्यों में नारियल के बागानों को पुर्नरोपण एवं पुनरूद्धार" के लिये दिसम्बर, 2006 के दौरान नारियल विकास बोर्ड, कोचीन से एक व्यापक परियोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा इस परियोजना की जांच की जा रही है।

फिल्मोत्सव निदेशालय को बन्द करना

2713. **श्री कुलदीप बिश्नोई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्मोत्सव निदेशालय को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका वार्षिक व्यय कितना है; और

(ग) निदेशालय के एक बार बन्द होने के बाद फिल्मोत्सव को आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई/अपनाई जाने वाली रणनीति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं। तथापि, व्यय सुधार आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, फिल्म समारोह निदेशालय को बंद करने की सिफारिश की है और साथ ही यह सिफारिश की है कि फिल्म समारोहों का आयोजन और इसमें भागीदारी फिल्म उद्योग पर छोड़ दी जाए। व्यय सुधार आयोग की इन सिफारिशों पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिए जाने की आशा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन

2714. **श्री बालेश्वर यादव :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निर्णित मामलों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस कानून का अनुपालन सफल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्रलाय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, समीक्षा और संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं।

अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों के माध्यम से कार्यान्वयन निश्चित किया जाता है जबकि राज्य स्तर पर, प्रवर्तन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य प्रवर्तन तंत्र पर है। अधिनियम के सांविधिक उपबंधों के तहत, समुचित सरकार अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और नियोक्ताओं को मजदूरी के भुगतान न

करने या कम करने की जानकारी मिलने पर मजदूरी की कमी के भुगतान की सलाह देते हैं। सलाह का पालन न करने पर चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध विधिक और दांडिक कार्रवाइयाँ की जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों के लिए आम राज्यों (जिन्होंने प्रवर्तन रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं) की तुलनात्मक तालिका निम्नवत् हैं :–

वर्ष	क्षेत्र	किए गए निरीक्षणों की संख्या	अनियमितताएँ	
			पहचाने गए	शोधित
1	2	3	4	5
2003-04	केन्द्रीय	18380	241023	175816
	राज्य	162449	149965	174085
	कुल	180829	390988	349901
2004-05	केन्द्रीय	16956	179551	211092
	राज्य	431680	178247	137619
	कुल	44863	357798	348711
2005-06	केन्द्रीय	12392	133826	140307
	राज्य	495889	207032	160954
	कुल	508281	340858	301261

राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

निरीक्षणों, अनियमितताओं/शोधित की दृष्टि से पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम मजदूरी कानून के उल्लंघन को रोकने संबंधी मामलों की संख्या काफी वृद्धि दर्शाती है-खासकर राज्य क्षेत्र में। उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2003-04 में 1.81 लाख निरीक्षण किए गए जो 2004-05 और 2005-06 में बढ़कर क्रमशः 4.49 लाख और 5.08 लाख हो गए। ये आंकड़े 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हैं जिनके तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं। यह राज्य क्षेत्र में निरीक्षणों पर अधिक बल का संकेतक है। पता लगाए गए तथा शोधित अनियमितताओं में सापेक्षित कमी है जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के बेहतर अनुपालन का संकेत देता है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए अथक प्रयासों का परिणाम है। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ चर्चा उन्हें पत्र लिखकर, व्यक्तिगत अंतःचर्चा तथा दौरों के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रभावी अनुपालन हेतु अब भी प्रयासरत है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन संबंधी ब्यौरे

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष								
		2003-04			2004-05			2005-05		
		किए गए निरीक्षणों की संख्या	अनियमितताएं		किए गए निरीक्षणों की संख्या	अनियमितताएं		किए गए निरीक्षणों की संख्या	अनियमितताएं	
			पहचाने गए	शोधित		पहचाने गए	शोधित		पहचाने गए	शोधित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	केन्द्रीय क्षेत्र	18,380	2,41,023	1,75,816	16,956	1,79,551	2,11,092	12,392	1,33,826	1,40,307
	राज्य क्षेत्र									
1.	बिहार	2,97,439	55,996	55,491	2,00,498	35,356	30,910	2,71,206	52,846	56,342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	गुजरात	1,20,550	1,01,364	57,977	11,455	68,406	50,059	1,14,327	74,554	60,714
3.	हरियाणा	5,212	शून्य	शून्य	2715	19	19	1,483	49	49
4.	जम्मू और कश्मीर	1,802	382	170	1,618	473	291	2,087	728	483
5.	केरल	27,779	44,788	35,635	26,675	38,233	29,067	25,472	41,202	22,403
6.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	उड़ीसा	29,798	23,535	12,212	24,437	20,660	11,494	18,501	16,583	8,833
8.	राजस्थान	7,681	26	113	7,168	387	124	8,707	1,436	1,093
9.	त्रिपुरा	4,932	95	92	611	193	193	8,639	—	शून्य
10.	उत्तर प्रदेश	39,710	10,512	लागू नहीं	212	187	196	12,313	9,488	शून्य
11.	पश्चिम बंगाल	28,478	6,710	6,340	29,952	7,465	7,360	12,952	3,214	3235
12.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	234	1,170	1,124	84	420	420	123	615	615
13.	चंडीगढ़	62	23	23	207	257	171	222	144	85
14.	दादरा एवं नागर हवेली	71	28	28	78	24	24	78	27	27
15.	दिल्ली	8,101	6,460	4,880	9,337	167	7,291	7,884	5,406	6,335
16.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	पांडेचेरी	8,589	शून्य	शून्य	7,532	—	—	11,895	740	740
	कुल (उक्त राज्य)	1,62,449	1,49,965	1,74,085	4,31,680	1,78,247	1,37,619	4,95,889	2,07,032	1,60,954
	कुल (केन्द्रीय+राज्य)	1,80,829	3,90,988	3,49,901	4,48,636	3,57,798	3,48,711	5,08,281	3,40,858	3,01,261

[अनुवाद]

असम गैस क्रेकर परियोजना

2715. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम गैस क्रेकर परियोजना में दो दशकों से भी ज्यादा का असाधारण विलंब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में चरण-वार कितनी प्रगति हुई है और विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 15 अगस्त 1985 के असम समझौते के अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है कि सरकार असम के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए असम के तेजी से चहुंमुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में असम गैस क्रैकर परियोजना शुरू की गई थी। प्रारंभ में, इस परियोजना को असम औद्योगिक विकास निगम (ए०आई०डी०सी०) एवं रियालन्स इंडस्ट्रीज लि० (आर०आइ०एल०); द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लि० (आर०ए०पी०एल०) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था। सरकार ने 3 सितम्बर, 1994 को परियोजना के लिए 377 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता का अनुमोदन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2 लाख टी०पी०ए० इथाइलीन के उत्पादन के लिए संबद्ध गैस उपलब्ध कराने की वचनबद्धता दर्शायी थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड और आर०ए०पी०एल० के बीच 5 मिलियन मानक घनमीटर गैस की आपूर्ति के लिए 19 अक्तूबर, 2000 को एक करार किया जिसे 1.30 लाख टी०पी०ई०ए० इथाइलीन के उत्पादन के लिए पर्याप्त माना गया। शेष गैस की आपूर्ति तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की जानी थी। ओ०एन०जी०सी० 1.35 एम०एम०एस०सी०एम०डी० गैस उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ। तथापि, ओ०एन०जी०सी० से घटती मात्रा/गुणवत्ता (तेल कुओं की आयु के कारण) वाली गैस के कारण पहले पाँच वर्षों के लिए 28,000 टी०पी०ए० ईथाइलीन तथा शेष 10 वर्षों अर्थात कुल 1.80 टी०पी०ए० ईथाइलीन की शेष अवधि के लिए 15,000 टी०पी०ए० को पर्याप्त पाया गया। आर०ए०पी०एल० ने महसूस किया कि 2 लाख टी०पी०ए० ईथाइलीन से नीचे की परियोजना व्यवहार्य नहीं होगी और उन्होंने 2 लाख टी०पी०ए० ईथाइलीन के उत्पादन के लिए पर्याप्त गैस पर बल दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस मामले पर आगे विचार किया और गैस की आपूर्ति में कमी की भरपाई के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के माध्यम से एल०पी०जी० सप्लाई करने पर सहमत हुआ। 15 वर्षों की अवधि के लिए सहायता की राशि 6673 करोड़ रुपए की गणना की गई (पूंजी, आधारभूत संरचना तथा फीडस्टॉक सब्सिडि के लिए)।

15 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख टी०पी०ए० इथाइलीन के उत्पादन के लिए 600 रुपये प्रति हजार घनमीटर की दर से गैस/एल०पी०जी० की आपूर्ति पर सब्सिडी का अनुमोदन करने के लिए 29 मई, 2003 को एक मंत्रिमंडल नोट भेजा गया जिसमें तेल और गैस कंपनियों को सब्सिडी निर्धारित करने की क्रियाविधि निर्धारित करने के लिए वित्त मंत्रालय को अधिकृत किया। मंत्रिमंडल सचिवालय ने राय व्यक्त की कि यह परियोजना 1985 में सोची गई थी और उसके बाद से सरकार की नीति में तथा बाजार में दशा में अनेक परिवर्तन हुए, खासकर उदारीकरण के बाद। मंत्रिमंडल सचिवालय ने सुझाव दिया कि इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सचिवों की समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। सचिवों की समिति के लिए नोट पर टिप्पणियों देते समय वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया कि भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम गेल (इंडिया) लि० से इस परियोजना की व्यवहार्यता और परियोजना को हाथ में लेने की इच्छा जानी जाय। अतत: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के शीर्ष प्रमोटर के रूप में गेल की पहचान की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर लोक निवेश बोर्ड ने 15.4.2005, 8.7.2005 और 23.9.2005 को हुई अपनी बैठकों में विचार किया।

सरकार द्वारा अंतिम रूप से अप्रैल, 2006 में परियोजना अनुमोदित की गई है। तथापि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय ने सरकार द्वारा अनुमोदित से अधिक इस परियोजना के लिए फीडस्टॉक आपूर्ति के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की याचना की। इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में 'ब्रह्मपुत्र क्रैकस एंड पॉलीमर्स लिमिटेड' जनवरी 2007 में निगमित की गई जिसमें गेल इंडिया लि० (जी०ए०आई०एल०) की 70% इक्विटी भागीदारी, ऑयल इंडिया लि० (ओ०आई०एल०), नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि० (एन०आर०एल०) एवं असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (असम सरकार) में से प्रत्येक की 10% इक्विटी भागीदारी है। फीडस्टॉक आपूर्ति के लिए अतिरिक्त सुविधा के मुद्दे पर लोक निवेश बोर्ड ने 12 फरवरी, 2007 को फीडस्टॉक मूल्यों में वृद्धि तथा संचालन लागतों, ब्याज दरों में वृद्धि, कार्य ठेका कर पर असम सरकार द्वारा छूट की अनुपलब्धता तथा आई०आर०आर० में वृद्धि जैसे परियोजना पैरामीटरों में अन्य परिवर्तन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अग्रेषित किए गए पूरक नोट पर विचार विमर्श किया। लोक निवेश बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि सी०सी०ई०ए० द्वारा अनुमोदित पैरामीटरों के अनुरूप परियोजना

को तेजी से कार्यान्वित किया जाय। फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ता तत्काल ही संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ फीडस्टॉक आपूर्ति करार संपन्न करेंगे।

शल्क लाक्षा का उत्पादन

2716. **श्री एल० राजगोपाल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीलॉक एण्ड फोरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (एस०एच०ई०एफ०ई०एक्स०आई०एल०) ने आंध्र प्रदेश में शल्क लाक्षा के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार आंध्र प्रदेश में शल्क लाक्षा का कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार शल्क लाक्षा का कितना निर्यात किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश वन विभाग ने, आंध्र प्रदेश में शल्क लाक्षा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए शीलॉक एण्ड फोरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (एस०एच०ई०एफ०ई०एक्स०आई०एल०) से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

(ग) आंध्र प्रदेश वन विभाग किसी भी प्रकार की शल्क लाक्षा की प्राप्ति नहीं करता। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में शल्क लाक्षा बनाने का कोई उद्योग और शल्क उत्पादन नहीं है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, भारत में शल्क लाक्षा का वर्ष-वार किया गया निर्यात निम्नलिखित है:—

वर्ष	शल्क का निर्यात (टन)
2003-04	7181.31
2004-05	6330.48
2005-06	5891.87

[हिन्दी]

आक्सीटोसिन के टीके का दुरूपयोग

2717. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आक्सीटोसिन के टीके का दुरूपयोग कद्दू वर्ग के दायरे में शामिल सब्जियों का भार एक ही दिन में दुगुना करने के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त टीके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) इस बारे में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी हां।

(ख) अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार कद्दू (कद्दू वर्ग) में फलों के आकार पर आक्सीटोसिन का कोई प्रभाव नहीं देखा गया है तथापि यह प्रलेखित तकनीक नहीं है।

(ग) से (ङ) मानव स्वास्थ्य पर आक्सीटोसिन के टीके के प्रभाव के बारे में कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध/प्रलेखित नहीं है।

बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय

2718. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के दौरान अब तक राज्य-वार खोले गए विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई निगरानी योजना भी तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, हां। सरकार 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन०सी०एल०पी०) स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिसमें कार्य से हटाए गए बच्चों के लिए विशेष स्कूल खोले जाते हैं।

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत अब तक खोले गए स्कूलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दसवीं योजना अवधि में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत 602 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी थी। वर्ष 2006-2007 के लिए आबंटन 105 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को जिला प्राधिकारियों द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत की गयी आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से मॉनीटर किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, केन्द्रीय सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय मॉनीटरिंग समिति योजना के सम्पूर्ण कार्यचालन को मॉनीटर करती है। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यचालन को मॉनीटर करती हैं। इसके अलावा, योजना के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूलों की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बाल श्रमिकों के लिए खोले गए स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1126
2.	असम	95
3.	बिहार	145
4.	छत्तीसगढ़	225
5.	गुजरात	9
6.	झारखंड	161
7.	कर्नाटक	272
8.	मध्य प्रदेश	367
9.	महाराष्ट्र	172
10.	उड़ीसा	1651
11.	पंजाब	87
12.	राजस्थान	714
13.	तमिलनाडु	390
14.	उत्तर प्रदेश	1347
15.	पश्चिम बंगाल	567
	कुल	7328

[अनुवाद]

एस०ए०आई०एल० के पास कोकिंग कोयले का स्टॉक

2719. **श्री जोवाकिम बखला :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार एस०ए०आई०एल० (सेल) के संयंत्रों में कोकिंग कोयले के स्टॉक का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कतिपय इस्पात संयंत्रों में कोकिंग कोयले की उपलब्धता/स्टॉक में असंतुलन है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के इस्पात संयंत्रों में स्वदेशी और आयातित कोककर कोयले का स्टॉक (13.3.2007 की स्थिति के अनुसार) नीचे दिया गया है :–

इकाई: हजार टन

संयंत्र/श्रेणी	भिलाई इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०)	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी०एस०पी०)	राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर०एस०पी०)	बोकारो इस्पात संयंत्र (बी०एस०एल०)	इस्को इस्पात संयंत्र (आई०एस०पी०)	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)
स्वदेशी	99	54	48	24	32	257
आयातित	74	31	23	48	9	185
योग	173	85	71	72	41	442

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों में अग्नि दुर्घटनाएं

2720. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न इस्पात संयंत्रों में संयंत्र-वार, कितनी अग्नि दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) क्या इस्पात संयंत्रों में इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर०आई०एन०एल०) के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में हुई अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है :–

I. सेल

संयंत्र	2004	2005	2006	2007 (फरवरी तक)
1	2	3	4	5
भिलाई इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०)	0	1	0	0
बोकारो इस्पात संयंत्र (बी०एस०एल०)	2	1	0	0
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी०एस०पी०)	0	0	0	0
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर०एस०पी०)	2	0	1	0
इस्को इस्पात संयंत्र (आई०एस०पी०)	0	1	0	0
मिश्र इस्पात संयंत्र (आई०एस०पी०)	0	0	0	1
कुल	4	3	1	1

II. आर०आई०एन०एल०

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आर०आई०एन०एल० में निम्नलिखित रिपोर्टेबल अग्नि दुर्घटनाएं हुईं :–

क्र० सं०	दुर्घटना की तारीख	दुर्घटना का स्थान
1	2	3
01	08.04.2005	धमन भट्टी के बी०एच०एस०-2 के बी2-9 कन्वेयर में आग

1	2	3
02	10.05.2005	आर०एम०एच०पी० के सी०ओ०-68 कन्वेयर में आग
03	24.07.2005	इस्पात गलनशाला में एलडी कन्वर्टर सं० 1 के निकट "ओ" लेवल पर लाग
04	30.05.2006	सी०पी०-40 कन्वेयर आर०एम०एच०पी० के 68 में आग

अग्नि दुर्घटनाओं की सेल और आर०आई०एन०एल० द्वारा जांच की जाती है। सिफारिशों का अनुपालन किया जाता है और निगरानी रखी जाती है। प्रत्येक संयंत्र में अग्नि रोकथाम, सुरक्षा और नियंत्रण उपाय किए जाते हैं।

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सेल द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम

- प्रत्येक संयंत्र में एक सुस्थापित ओर सुसज्जित अग्निशमन विभाग है, जिसमें अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए योग्य तथा प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी होते हैं।
- शॉप में विद्यमान अग्नि सुरक्षा प्रणाली की पर्याप्तता का आवधिक रूप से पुनर्मूल्याकंन और सतत आधार पर संवर्धन किया जाता है।
- अग्नि संबंधी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवधिक रूप से हाऊसकीपिंग अभियान चलाए जाते हैं।
- इंटर प्लांट ऑडिट टीमों द्वारा शॉप की शेफ्टी ऑडिट के दौरान अग्नि पहलुओं की समीक्षा की जाती है।
- उपयुक्त फायर एक्सटींगसरों, फायर हाईड्रेंट तथा अन्य फायर सूप्रैशन प्रणालियों का उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को गहन रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।
- क्षति को न्यूनतम करने के लिए आपातकालीन स्थिति, यदि कोई हो, से निपटन के लिए ऑन-साईट डिजास्टर मैनेजमेंट योजनाएं तैयार की गई हैं।
- कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा प्रणाली की दक्षता की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल और टोपोग्राफी ड्रिल आयोजित की जाती है।
- संयंत्र के साथ-साथ निगमित स्तर पर अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा उपायों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आर०आर०एन०एल० द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम

भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आर०आर०एन०एल० द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक उपाय तथा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :

दुर्घटना की तारीख	परिणाम-उपचारात्मक उपाय
1	2
08.04.2005	1. हीट डिटेक्टर उपलब्ध कराए जाने हैं (माउंटिड ऑन फ्लोर)
	2. सिंटर प्लांट से प्रेषित किए जाने से पूर्व सिंटर की कूलिंग में शीघ्रता हेतु सिंटर संयंत्र को छोडते हुए सिंटर के ताप का पता लगाने के लिए पायरोमीटर की स्थापना।
	3. लैंडिंग वाल्व की आवधिक रूप से जांच
10.05.2005	1. ऑपरेशन ग्रू द्वारा आईलरों का नियमित निरीक्षण
	2. जाम हुए रोलरों या खराब बेयरिंग वाले रोलरों की जांच
30.05.2005	1. सभी शॉपों में कन्वेयर गैलरी का निरीक्षण
	2. सामग्री की स्टेकिंग ट्रैक से 5 मीटर दूर सुनिश्चित की जाएगी।
	3. रिटर्न साईड बैल्ट के नीचे गिरी सामग्री को दूर करने के लिए साफ करने की कार्रवाई को कार्यान्वित किया जाएगा।

1	2
	4. हर समय 7 किग्रा० का प्रैशर प्राप्त करने हेतु फायर हाईड्रेन्टों में पानी का प्रैशर सुनिश्चित किया जाएगा। कम प्रैशर पाए जाने की स्थिति में अतिरिक्त पंप चालू किए जाएंगे।
24.07.2005	1. ऑयल और लुब्रीकेंट की लिकेज/स्पीलेज को बंद किया जाएगा।
	2. इंस्ट्रूमेंटेशन की रिरूटिंग/उन इलैक्ट्रिकल केबलों, जो वल्नरेबल हैं, की जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

वानिकी संबंधी अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्ताव

2721. **श्री हंसराज गं० अहीर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर नवोदय विद्यालय, घोट, गढ़-चिरौली, महाराष्ट्र के संबंध में वन संबंधी प्रस्ताव प्राप्त/अनुमोदित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने वन संबंधी प्रस्ताव के लिए अपेक्षित धनराशि को वन विभाग को जमा करा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्माण कार्य के लिए विशेष अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) जी, हां। महाराष्ट्र के जिला गढ़चिरौली, घोट में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण के लिए 12.00 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग का एक प्रस्ताव अप्रैल, 2002 में प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन शामिल है क्योंकि स्कूल भवन का निर्माण वर्ष 1988-91 के दौरान हुआ था। राज्य सलाहकार दल के ध्यान में यह तथ्य आया है कि संबंधित विभाग के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना निकट के चन्द्रपुर जिले में ऐसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण किया है। नर्मी का रुख बरतते हुए चन्द्रपुर में विद्यालय के लिए चरण-I मंजूरी में निर्धारित शर्तों का प्रयोक्ता एजेंसी से अनुपालन अभी प्राप्त किया जाना है।

(ङ) से (छ) चन्द्रपुर में विद्यालय के लिए चरण-I मंजूरी में निर्धारित शर्तों का अनुपालन प्राप्त होने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय, घोट के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

भेषज क्षेत्र

2722. **श्री जी० करूणाकर रेड्डी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में भेषज क्षेत्र के पुनर्गठन पर पेटेंट कानूनों के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इस पुनर्गठन से कुछ इकाइयां बन्द हो जायेंगी;

(घ) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप किस सीमा तक बेरोजगारी हुई है; और

(ङ) बन्द हुई इकाइयों की दक्ष जनशक्ति का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) से (ङ) भारत, विश्व व्यापार संगठन को स्थापित करने वाले समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है। डब्ल्यू०टी०ओ० समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ, आई०पी०आर० पर एक समझौता आई०पी०आर० के पहलुओं से संबंधित व्यापार (ट्रिप्स) समझौता शामिल है। ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत सदस्य देशों से अपेक्षित है कि वे ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों और बौद्धिक संपदा संबंधी अपने कानूनों के बीच समरूपता पैदा करें। पेटेंट के संबंध में, ट्रिप्स समझौते ने 1.1.2005 से

औषध, खाद्य एवं कृषि रसायन आविष्कारों के लिए उत्पाद पेटेंट की शुरूआत को निर्दिष्ट किया। तदनुसार, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 को संशोधित करके उत्पाद पेटेंट सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधनों पर विचार करने के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभागों एवं औषध उद्योग के महत्वपूर्ण संघों सहित विभिन्न संबंधित संगठनों व उद्योग संघों के साथ विस्तृत परामर्श किया गया। औषध उद्योग द्वारा व्यक्त चिंताओं और आशंकाओं जिसमें पूरे औषध उद्योग पर पड़ने वाला प्रभाव शामिल है, पर गंभीरता से विचार किया गया और संशोधनों को अंतिम रूप देने के दौरान दवाओं की रियायती मूल्य पर उपलब्धता बनाए रखना सुनिश्चित करने को नियम में शामिल किया गया है।

अनुमान है कि भारत में उत्पादित 95% से अधिक दवाइयां पेटेंटरहित हैं और उत्पाद पेटेंट शुरू होने से इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची-2003 में शामिल दवाइयां भी पेटेंटरहित हैं और उत्पाद पेटेंट युग में अप्रभावित रहेंगी। बहुत कम मात्रा में दवाइयां (5% से कम) जिनके कि उत्पाद पेटेंट के अधीन आने की संभावना है, का उत्पादन देश में बिना किसी बाधा के होता रहेगा। भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में अद्यतन संशोधन के अंतर्गत इसे सुनिश्चित किया गया है। ऐसी दवाओं के उत्पादन पर उचित रायल्टी का भुगतान पेटेंटधारी कंपनी को करना होगा।

चूंकि भारत में उत्पादित मौजूदा दवाइयां, उत्पाद पेटेंट तंत्र के शुरू होने से प्रभावित नहीं होंगी, अत: इस कारण से कुछ इकाइयों के बंद होन की कोई संभावना नहीं है। अत: उत्पाद पेटेंट युग के शुरू होने से भारत के फार्मा उद्योग में बेरोजगारी का कोई प्रश्न नहीं उठता।

वास्तविक और मुद्रित लागत में अंतर

2723. **श्री नरहरि महतो :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य पदार्थों सहित डिब्बा बंद उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में वास्तविक लागत और मुद्रित लागत के बीच अनुमोदित लाभ के बारे में मौजूदा प्रावधान क्या है;

(ख) इसके उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस बारे में प्राप्त हुई शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि विनिर्माता पैकेज पर 'अधिकतम खुदरा मूल्य . . . रुपए (सभी करों सहित)' के रूप में उसके खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा करेगा। पैकेज पर घोषित मूल्य के बारे में निर्णय विनिर्माता द्वारा लिया जाता है। वास्तविक लागत और मुद्रित मूल्य के बीच अनुमत मार्जिन के बारे में नियमों के उपबंधों में कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोहरे के कारण नष्ट हुई आलू की फसल

2724. **श्री अविनाश राय खन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कतिपय भागों में कोहरे के कारण आलू की फसल नष्ट हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रभावित किसानों को इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं। वैसे तो कोहरा आलू की फसल को क्षति नहीं पहुंचाता। तथापि यह आलू में फाइटोपेथोरा इन्फैस्टन्स द्वारा होने वाले लेट ब्लाइट रोग की गहनता बढ़ाता है विशेषकर जबकि रोग फसल मौसम की शुरूआत में हो जाए।

(ख) पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्यों में नवंबर, 2006 के पूर्वार्द्ध के दौरान असामान्य वर्षा से उन दिनों कोहरा रहा

हैं। 1 फरवरी से 12, 2007 के दौरान लगातार वर्षा और कोहरे के कारण लेट ब्लाइट रोक उग्र हो गया। वर्षा द्वारा सृजित कोहरे ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में आलू में लेट ब्लाइट रोग को गंभीर कर दिया। उपर्युक्त राज्यों में आलू की फसल में 20 से 30% उपज हानि होने का अनुमान है।

(ग) कोहरे से आलू की फसल की क्षति से निपटने के लिए सहायता मांगने हेतु किसी भी राज्य से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सरकार ने यथा शीघ्र 29.11.2006 को और पुन: 29.12.2006 को देश में आलू उत्पादकों को सलाह देने के लिए कदम उठाए हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं:—

(i) जहां रोग नहीं हुआ है वहां मेन्कोजेब (0.2%) का छिड़काव।

(ii) उन खेतों में जहां रोग कुछ समय पहले ही लगा है, कुर्जेट (1000 लीटर पानी में 0.3%, 3 कि०ग्रा०/हैक्टेयर) का फसल पर छिड़काव

(iii) उन खेतों पर जहां रोग की गहनता 5% से अधिक है मेटालेक्सिल आधारित फफूंदनाशी (0.25%) का प्रयोग।

(iv) किसानों को अगले फसल मौसम हेतु गुणवत्ताप्रद बीज और आवश्यक दिशानिर्देश दिए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

तटीय प्रबंधन क्षेत्रों का सृजन

2725. श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय प्रबंधन क्षेत्रों (सी०एम०जेड०) के सृजन से तटीय क्षेत्रों के निकट रहने वाले मछुआरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) सचूना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जलाशय परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव

2726. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान जलाशय परियोजनाओं हेतु राज्यों से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजनाओं के लिए अब तक आवंटित धनराशि और उन पर किए गए खर्च का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्रीय जल आयोग में 14 जलाशय परियोजना प्रस्ताव (10 वृहद और 4 मध्यम) प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) इस अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय है और इसकी आयोजना, निष्पादन, वित्तपोषण और निष्पादन की प्राथमिकता राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। समय-समय पर लागू कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत अब तक जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

वक्तव्य-I

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान प्राप्त मूल्यांकनाधीन नई जलाशय परियोजनाओं की राज्यवार सूची

स्थिति: ए – मूल्यांकन के विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत परियोजना।
बी-कुछ टिप्पणियों के अध्यधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति

15.3.2007 के अनुसार

क्र० सं०	परियोजनाओं का नाम	वृहद/मध्यम	नदी/बेसिन	लाभान्वित जिला	प्राप्ति की तारीख	लाभ (हजार हेक्टे०)	अनुमानित लागत (करोड़)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश								
1.	इंदिरा सागर (पोलावरम) बहुउद्देश्यीय परियोजना	वृहद	गोदवरी	पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा	10/2005	291.114/960 एम०डब्ल्यू०	9071.82	ए
2.	वम्सधारा परियोजना चरण-II फेज-II	वृहद	वम्सधारा	श्रीकाकुलम	2/2007	43.41 (सी०सी०ए०)	1212.04	ए
3.	मोदीकुंतावागु परियोजना	मध्यम	मोदीकुंता/गोदावरी	खम्मम	10/2006	6.25	136.77	ए
छत्तीसगढ़								
1.	केलो सिंचाई परियोजना (मैसोनरी बांध)	वृहद	केलो/महानदी	रायगढ़	9/2003 12/2005	34.555	235.00 269.70	ए
2.	सोनदुर बांध परियोजना	वृहद	सोनदुर/महानदी	रायपुर एवं धामतरी	10/2005	38.470	394.10	ए
3.	पैरी उच्च बांध एवं महानदी संपर्क परियोजना	वृहद	पैरी/महानदी	रायपुर एवं धामतरी	5/06	77.60	726.36	ए

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड								
1.	सुवर्णरेखा (बहुउद्देश्यीय) परियोजना	वृहद	खरकाई/सुवर्णरेखा	सिंहभूम एवं रांची	6/06	237	4539.98	ए
महाराष्ट्र								
1.	बेम्बला नदी परियोजना	वृहद	बेम्बला/वर्धा/गोदावरी	यवतमाल	3/06	70.756	1276.87	बी
2.	खड़कपूर्णा	वृहद	खड़कपूर्णा/गोदावरी	बुल्धाना	8/06	24.864	578.56	बी
3.	पेंटाकली	वृहद	पेनगंगा/गोदावरी	वासिम/बुल्धाना	8/06	14.332	172.45	ए
4.	निचली पेंधी जलाशय परियोजना	वृहद	पेंधी/पूर्णा/तापी	अमरावती एवं अकोला	01/07	12230 (सी०सी०ए०)	161.17	ए
5.	बेनदारा टैंक (बांध)	मध्यम	वर्धा/गोदावरी	चन्द्रपुर	11/05	4.88	50.07	ए
राजस्थान								
1.	परवान सिंचाई सह पेयजल आपूर्ति परियोजना (मैसनरी बांध)	मध्यम	परवान/चंबल/गंगा	जलावर, बारन, कोटा	1/07	105.062	1114.000	ए
2.	लहासी सिंचाई परियोजना (बांध)	मध्यम	लहासी, अंधेरी, पार्वती एवं चंबल	बारन	10/91	6.008	44.73	बी

विवरण-II

2005-06 और 2006-07 के दौरान तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

क्रम संख्या	बैठक संख्या	बैठक की तिथि	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	वृहद/मध्यम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	लाभ हेक्टे०/ एम०डब्ल्यू०	योजना आयोग द्वारा अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	84वां	12.05.2005	स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन एवं एकीकृत भूमि विकास परियोजना फेज-II	हिमाचल प्रदेश	नयी बांध नियंत्रण	235.52	—	
2.	84वां	12.05.2005	पुन्नसा लिफ्ट सिंचाई	मध्य प्रदेश	वृहद	185.03	36758.40	
3.	84वां	12.05.2005	पुनाद सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	157.78	10846.00	05.12.2005
4.	84वां	12.05.2005	गुल नदी	महाराष्ट्र	मध्यम	65.73	3025.00	09.11.2005
5.	84वां	12.05.2005	हरंगहट लिफ्ट सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	मध्यम	49.20	4819.00	16.03.2006
6.	85वां	22.02.2006	मद खुल नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	12.8241	9352	06.07.2006
7.	85वां	22.02.2006	नंदी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	6.4615	3060	06.07.2006
8.	85वां	22.02.2006	मरतंद आई नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	27.71	6498	06.07.2006
9.	85वां	22.02.2006	श्री राम सागर परियोजना चरण-II	आंध्र प्रदेश	वृहद	1043.14	193871	20.03.2006
10.	85वां	22.02.2006	पेंच डाइवर्जन परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	583.40	96519	10.04.2006
11.	85वां	22.02.2006	धनसिरी (संशोधित)	असम	वृहद	401.24	83366	
12.	85वां	22.02.2006	चंपामती (संशोधित)	असम	वृहद	147.24	24994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	85वां	22.02.2006	सक्की-किरण नल्लाह का नहरीकरण	पंजाब	बाढ़ सुरक्षा	118.05	–	
14.	86वां	02.06.2006	बाबू नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	12.3362	3077	06.07.2006
15.	86वां	02.06.2006	चेनाब नदी की मास्टर योजना	जम्मू एवं कश्मीर	बाढ़ सुरक्षा	25.45	–	
16.	86वां	02.06.2006	तावी नदी की मास्टर योजना	जम्मू एवं कश्मीर	बाढ़ सुरक्षा	27.82	–	
17.	86वां	02.06.2006	जेवार-तापी मार्जीनल बंड की संरचना	उत्तर प्रदेश	बाढ़ सुरक्षा	71.3711	–	
18.	86वां	02.06.2006	तकली सिंचाई सह पेयजल परियोजना	राजस्थान	मध्यम	51.81	4791	
19.	86वां	02.06.2006	नर्मदा नहर परियोजना	राजस्थान	मध्यम	1541.357	151072	
20.	86वां	02.06.2006	पेडावागु डाइवर्जन स्कीम	आंध्र प्रदेश	मध्यम	124.64	6000	27.06.2006
21.	86वां	02.06.2006	रल्लीवागु जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	33.30	2430	27.06.2006
22.	86वां	02.06.2006	माचाडीवागु जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	50.40	3440	27.06.2006
23.	86वां	02.06.2006	गगरीन सिंचाई परियोजना	राजस्थान	मध्यम	80.12	9675	
24.	86वां	02.06.2006	अजी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	20.5149	8315.90	
25.	86वां	02.06.2006	गोलावागु जलाशय परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	मध्यम	84.08	3845	27.06.2006
26.	86वां	02.06.2006	मंजोर सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	मध्यम	99.53	10433	
27.	86वां	02.06.2006	पिप्लाद सिंचाई परियोजना	राजस्थान	मध्यम	33.64	3549	
28.	86वां	02.06.2006	दादी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	49.95	4650.13	06.07.2006
29.	86वां	02.06.2006	रफियाबाद उच्च लिफ्ट सिंचाई स्कीम	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	63.62	2932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	86वां	02.06.2006	पुष्कारा लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	379.503	75235	27.06.2006
31.	86वां	02.06.2006	तादीपुडी लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	376.96	83599	27.06.2006
32.	87वां	17.11.2006	कचनोदा बांध परियोजना	उत्तर प्रदेश	वृहद	88.79	108.50	03.01.2007
33.	87वां	17.11.2006	1ली पटियाला फीडर एवं कोटला ब्रांच	पंजाब	वृहद	123.30	68624	
34.	87वां	17.11.2006	निलवाई जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	90.50	5260	12.02.2007
35.	87वां	17.11.2006	कांची नहर परियोजना	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	53.70	3229	
36.	87वां	17.11.2006	बल्ह घाटी (लेफ्ट बैंक)	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	62.25	43.54	
37.	87वां	17.11.2006	यमुना नदी के बायें तट पर अलीपुर बंध को चौड़ा करना, सुदृढ़ करना और 10 मी० चौड़ी रोड़ मुहैया कराना	उत्तर प्रदेश	बाढ़ सुरक्षा	42.20	—	22.12.2006
38.	87वां	17.11.2006	हरदोई शाखा प्रणाली की सिंचाई सघनता में सुधार करना	उत्तर प्रदेश	वृहद	105.2997	306055	08.12.2006
39.	88वां	02.03.2007	अलीसागर लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	227.90	21770	
40.	88वां	02.03.2007	गुतफा लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	वृहद	171.91	15699	
41.	88वां	02.03.2007	गोदावरी लिफ्ट सिंचाई	आंध्र प्रदेश	वृहद	6016.00	286000	
42.	88वां	02.03.2007	बेम्बला नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	1276.87	70756	
43.	88वां	02.03.2007	खड़कपूर्णा नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	578.56	24864	
44.	88वां	02.03.2007	अरूणावती नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	225.32	25155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	88वां	02.03.2007	लाल नल्ला सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	103.49	7320	
46.	88वां	02.03.2007	कार सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	170.04	6744	
47.	88वां	02.03.2007	निचली वर्धा सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	वृहद	857.70	51655	
48.	88वां	02.03.2007	मुसरूमिल्ली जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	207.00	15676	
49.	88वां	02.03.2007	लहासी सिंचाई परियोजना	राजस्थान	मध्यम	44.73	6008	
50.	88वां	02.03.2007	घाघरा नदी के दाहिने तट और शारदा नदी के बायें तट पर सीमान्त तटबंध का निर्माण	उत्तर प्रदेश	बाढ़ संरक्षा	46.52		
51.	88वां	02.03.2007	दोलाईथाबी बैराज परियोजना	मणिपुर	मध्यम	98.37	75.45	

विवरण-III

ए०आई०बी०पी० के तहत जारी सी०एल०/अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य	राशि													कुल जोड़
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05			2005-06 अनुदान	2006-07 अनुदान	
										ऋण	अनुदान	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	35.2500	74.0000	79.6700	66.0150	96.0200	281.6600	33.1860	205.5300	61.2829	26.2641	87.5470	311.3815	374.4265	1642.6860
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.0000	0.0000	0.0000	7.5000	7.5000	15.000	1.5000	20.0000	1.0000	9.0000	10.0000	18.0000	24.3000	130.8000
3.	असम	5.2300	12.4000	13.9500	14.5400	24.0770	14.5210	16.2738	19.2015	1.6930	15.2370	16.9300	34.8932	27.3585	199.4150
4.	बिहार	13.5000	5.1500	36.1850	129.6950	151.7750	3.4200	14.4805	74.6440	26.0505	11.1645	37.2150	16.2380		482.3025
5.	छत्तीसगढ़	0.0000	4.5000	9.5000	10.5200	13.9300	48.2000	104.0000	74.6300	2.0475	0.8775	2.9250	7.6645	7.5150	283.3845
6.	गोवा	0.0000	5.2500	0.0000	3.5000	61.6500	58.0000	0.0000	2.0000	0.4550	0.1950	0.6500			131.0500
7.	गुजरात	74.7730	196.9000	423.8200	272.7000	421.8500	581.6900	1000.3300	650.3590	484.7500	45.7500	530.5000	339.6000		4492.5220
8.	हरियाणा	32.5000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18.0000	7.7350	7.7945	3.3405	11.1350	6.0000		87.3700
9.	हिमाचल प्रदेश	0.0000	6.5000	5.0000	11.0470	18.0150	3.2440	8.1500	14.6920	0.3690	3.3210	3.6900	30.0785		100.4165
10.	जम्मू एवं कश्मीर	1.3000	0.0000	0.0000	4.6800	10.4600	11.0700	34.9990	21.5450	1.2744	11.4701	12.7445	36.6878	28.1816	161.6679
11	झारखंड	0.0000	8.8900	11.6400	14.3450	5.7150	10.8200	9.6700	1.8330	14.8995	6.3855	21.2850	5.0370		89.2350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	कर्नाटक	61.2500	90.5000	94.5000	157.1400	171.0000	492.5000	620.8500	266.4780	314.7921	81.5031	396.2952	140.7759		2491.2891
13.	केरल	3.7500	15.0000	0.0000	0.0000	22.4000	11.2750	5.6650	31.0000	34.8080	14.8320	49.4400	9.3591	13.9280	161.8171
14.	मध्य प्रदेश	63.2500	110.0000	81.2500	95.3250	151.3280	215.4100	220.0000	568.4400	31.6907	155.0103	516.7010	168.0966	20.2500	2210.0506
15.	महाराष्ट्र	14.0000	55.0000	50.8600	49.8750	97.0200	39.1000	133.1341	164.3950	370.5002	158.7858	529.2860	167.3822	308.3247	1608.3770
16.	मणिपुर	4.3000	26.0000	10.7800	21.8100	1.5000	9.3600	19.5000	15.5000	1.3000	11.7000	13.0000	75.7035	77.5242	274.9777
17.	मेघालय	0.0000	0.0000	0.0000	2.6938	5.5120	4.4700	1.5000	1.0880	0.1744	1.5694	1.7438	1.5750		18.5826
18.	मिजोरम	0.0000	0.0000	0.0000	1.4330	1.4330	2.0000	0.7500	9.3000	0.5000	4.5000	5.0000	9.3150	9.0000	38.2310
19.	नागालैंड	0.0000	0.0000	0.0000	2.7300	5.0000	5.0000	2.6590	8.0000	0.4000	3.6000	4.0000	7.9987	10.0095	45.3972
20.	उड़ीसा	48.4500	85.0000	71.5000	90.2500	100.3200	168.4750	179.5700	154.6850	16.9561	7.2669	24.2230	151.3742	112.8046	1186.6518
21.	पंजाब	67.5000	100.0000	0.0000	42.0000	55.6200	113.6900	3.6600	0.0000				26.3166		441.7866
22.	राजस्थान	2.6750	42.0000	140.0500	106.6650	78.4670	96.3150	174.3850	499.8370	247.0328	105.8712	352.9040	90.2952		1583.5932
23.	सिक्किम	0.0000	0.0000	0.0000	1.3600	0.0000	2.4000	0.7500	0.7500	0.0750	0.6750	0.7500	0.9113	3.3236	10.2449
24.	त्रिपुरा	3.7730	5.1000	3.9750	34.6530	13.8830	21.0630	13.394	13.3769	1.1000	9.9000	11.0000	31.9950	21.5731	173.7867
25.	तमिलनाडु	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						20.0000
26.	उत्तर प्रदेश	43.5000	78.0000	76.0000	286.0000	315.9000	354.6900	359.0000	274.7850	123.1440	52.7760	175.9200	133.1280	70.8054	2168.2284
27.	उत्तरांचल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	25.1625	25.5525	3.8992	35.0925	38.9917	80.4387	45.2725	215.4179
28.	पश्चिम बंगाल	5.0000	20.0000	10.0000	25.0000	26.8250	38.6080	28.1330	3.1440	9.4227	4.0383	13.4610	0.0287	6.0000	176.1997
	कुल	500.0010	952.1900	1119.1800	1450.4768	1856.2000	2601.9810	3061.7026	3128.5009	2087.2115	780.1257	2867.3372	1900.3142	1160.5972	20598.4809

सोने-चाँदी की फार्वर्ड ट्रेडिंग

2727. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने-चाँदी की फार्वर्ड ट्रेडिंग के कारण सोने-चाँदी की कीमतों में अत्यधिक और बार-बार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्राफा व्यापारी संघ ने सोने-चाँदी की फार्वर्ड ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) सोने-चाँदी के मूल्यों का निर्धारण घरेलू मांग और आपूर्ति तथा प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर होता है। भारत में सोने-चाँदी के मूल्यों में मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ ही उतार-चढ़ाव आता है।

(ग) जी, हां। कुछ सर्राफा व्यापारी एसोसिएशनों में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) भावी सौदा बाजार मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्लेटफार्म मात्र है। वायदा बाजार आयोग जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत वस्तु भावी सौदा बाजार विनियामक है, यह सुनिश्चित करता है कि भावी मूल्य आपूर्ति और मांग की स्थितियों के सही प्रतिबिम्ब हैं। अत: सरकार द्वारा कोई कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

मुर्गीपालन और बत्तखपालन फार्मों को बढ़ावा

2728. **श्री ई०जी० सुगावनम :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मुर्गीपालन और बत्तखपालन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का लक्ष्य देश में कुक्कुट तथा बत्तख पालन को बढ़ावा देना है। पिछले तीन वर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक जारी निधियों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गयी है। इसके अलावा, बंगलौर, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़ तथा मुम्बई स्थित केंद्रीय कुक्कुल विकास संगठन भी अपने संबंद्ध क्षेत्रों में कुक्कुट तथा बत्तख पालन से संबंधित गतिविधि को देखते है।

विवरण

केंद्रीय प्रायोजित योजना "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (फरवरी, 2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	—	50.00	—
2.	आंध्र प्रदेश	—	47.92	—	54.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	74.50	132.50	135.60	117.50
4.	असम	—	—	—	—
5.	बिहार	—	—	160.00	—
6.	छत्तीसगढ़	—	—	148.00	68.00
7.	गोवा	—	68.00	—	—
8.	गुजरात	22.38	90.37	136.00	136.00

1	2	3	4	5	6
9.	हरियाणा	–	–	40.00	–
10.	हिमाचल प्रदेश	27.40	25.00	117.56	10.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	42.50	204.00	47.00	25.50
12.	झारखंड	–	–	–	–
13.	कर्नाटक	–	55.00	–	80.00
14.	केरल	–	–	191.68	73.32
15.	लक्षद्वीप	–	–	–	25.00
16.	मध्य प्रदेश	48.93	64.00	–	124.87
17.	मणिपुर	–	150.00	–	40.00
18.	मेघालय	–	–	42.50	–
19.	मेघालय	–	40.00	85.00	130.00
20.	मिजोरम	57.00	128.00	240.00	207.50
21.	नागालैंड	42.50	252.50	300.00	170.00
22.	उड़ीसा	15.00	–	–	287.00
23.	पंजाब	–	–	40.00	–
24.	राजस्थान	–	–	–	–
25.	सिक्किम	42.50	–	42.50	120.00
26.	तमिलनाडु	–	99.76	–	50.00
27.	त्रिपुरा	82.50	–	–	–
28.	उत्तर प्रदेश	17.09	–	342.06	136.00
29.	उत्तरांचल	–	–	54.70	–
30.	पश्चिम बंगाल	33.20	80.00	120.00	372.40
	कुल	505.50	1437.05	2292.60	2227.09

मुर्गीपालन क्षेत्र

2729. श्री नकुल दास राई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर सिक्किम में मुर्गीपालन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केंद्रीय प्रायोजित योजना "राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता" के तहत सिक्किम को जारी 85.00 लाख रुपए सहित पूर्वोत्तर राज्यों को 1703.10 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2006-07 के दौरान, उक्त योजना के तहत सिक्किम को जारी 120.00 लाख रुपए सहित पूर्वोत्तर राज्यों को 745.00 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भविष्यनिधि राशि के भुगतान में चूक

2730. श्री सी० कुप्पुसामी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेके के मजदूरों को कार्य पर लगाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अनेक ठेकेदारों द्वारा कामगारों और साथ ही अपने संगत अंशदान से संग्रहीत भविष्य निधि राशि के भुगतान में चूक के समाचार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने ठेकेदारों ने चूक की और इसके कारण कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) क्या सरकार का विचार ठेकेदारों द्वारा भविष्य निधि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) ठेका कामगारों के संबंध में प्रधान नियोक्ता के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों का अनुपालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है और चूक का पता लगने पर चूककर्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(ग) और (घ) चूक का पता लगने पर प्रधान नियोक्ता के माध्यम से देयों और वसूली के आकलन के लिए समुचित कार्रवाई की जाती है, इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत शिकायतें दर्ज किया जाना, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन आरंभ करना, चल/अचल सम्पत्ति की कुर्की, चूककर्ताओं की गिरफ्तारी इत्यादि शामिल है।

नारियल अनुसंधान केन्द्र, केरल

2731. **श्री पी० करूणाकरन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) ने नारियल अनुसंधान केन्द्र को केरल में कासरगोड से मुख्य संस्थान में स्थानांतरित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या आई०सी०ए०आर० ने केन्द्र की चल संपत्तियों को केरल में कृषि विभाग को स्थानांतरित करने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में केरल सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) केरल में कासरगोड स्थित नारियल अनुसंधान केन्द्र को मुख्य संस्थान में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सी०पी०सी०आर०आई०) कासरगोड, केरल के कन्नारा स्थित अनुसंधान केन्द्र को बंद करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों की समीक्षा समिति ने इस केन्द्र की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए इसे बंद करने की सिफारिश की है, चूंकि इसी प्रकार का कार्य सी०पी०सी०आर०आई० के कयामकुलम (केरल) तथा विट्टल (कर्नाटक) स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों पर किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जैसा कि कन्नारा स्थित अनुसंधान केन्द्र को बंद करने का निर्णय लिया गया था, तो कृषि विभाग, केरल सरकार से अचल सम्पत्तियों के साथ इसे अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया गया था, जिसे कृषि निदेशक, केरल सरकार और निदेशक, सी०पी०सी०आर०आई० कासरगोड के साथ दिनांक 19.8.2004 को हुई बैठक में सिद्धान्त रूप में मान लिया गया था।

(ङ) जी, हां। केरल सरकार ने कन्नारा स्थित सी०पी०सी०आर०आई० अनुसंधान केन्द्र को बंद करने के निर्णय की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया था।

(च) इस मामले की सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुन: जांच की गई थी तथा इसकी प्रासंगिकता पर विचार करते हुए इस अनुसंधान केन्द्र को बंद करने का निर्णय लिया गया।

बांस का उत्पादन, प्रसंस्करण, उपयोग और निर्यात

2732. **श्री के०एस० राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बांस के उत्पादन, प्रसंस्करण, उपयोग और निर्यात की पद्धति क्या है;

(ख) बांस के उत्पादन, प्रसंस्करण और बांस के उत्पादों के विपणन से रोजगार सृजन की कितनी संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके और सहकारिताओं तथा स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी के माध्यम से अनुसंधान, पौधरोपण विकास, हस्तशिल्प विकास और क्षेत्र विशेष विपणन संबंधी कार्यक्रम को चलाकर बांस उत्पादन से संबंधित नीति बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने देश में बांस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 28 राज्यों में 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बांस मिशन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की है। इस मिशन में अनुसंधान, रोपण तथा हस्तशिल्प विकास, विपणन एवं निर्यात के घटक शामिल हैं। इस कार्यक्रम को सहकारी समितियों और स्वयं-मदद समूहों की स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकारों के जरिए क्रियान्वित किया जाएगा।

इस मिशन का एक अधिदेश बांस के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं उपयोग के संबंध में आंकड़ों का एकत्रण और संकलन है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बांस के निर्यात की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय बांस मिशन से 5 वर्षों की अवधि में 1.76 हैक्टे० क्षेत्र में बांस रोपण क्रियाकलापों के जरिए लगभग 50.4 मिलियन मानव दिवस के कार्य का सृजन होने की परिकल्पना की गई है। नर्सरी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष सृजित किए जाने वाले कुल अनुमानित रोजगार लगभग 9.7 लाख मानव दिवस के समतुल्य होगा। इसके अलावा, हस्तक्षेप क्षेत्र में कुशल तथा अकुशल, दोनों मामलों में रोजगार का सृजन होगा।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान बांस का निर्यात

(मात्रा-के०जी०एस० में और मूल्य आई०एन०आर० में)

जिंस	2003-04		2004-05		2005-06	
बांस	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	120199	3232088	386461	9789482	122576	3036966

स्रोत – वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

कृषि मूल्य को औद्योगिक मूल्यों के साथ जोड़ना

2733. **श्री फ्रांसिस फैन्थम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि उपज के मूल्य को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़कर निर्धारित करने हेतु मानदंड में परिवर्तन के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि मूल्यों की वृद्धि को औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि के साथ जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस समानता को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) कृषि लागत और मूल्य आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें करते समय कृषि क्षेत्र तथा गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों के बारे में सूचकांक पर भी विचार करता है। ये सूचकांक जोकि किसानों द्वारा उनके उत्पादों के लिए प्राप्त मूल्यों के सूचकांक तथा अन्तिम एवं मध्यवर्ती उपभोग हेतु वस्तुओं और पूंजी निर्माण के लिए चुकाई गई कीमतों का अनुपात है, कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच मूल्यों में सापेक्षिक परिवर्तन मापता है। इसके अतिरिक्त कृषि लागत और मूल्य आयोग, औद्योगिकी लागत ढांचे पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव तथा रहन-सहन की लागत पर प्रभाव सहित अन्य बहुत से तथ्यों पर भी विचार करता है।

नकली बीजों की बिक्री

2734. **श्री ई० पोन्नुस्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में नकली और घटिया गुणवत्ता वाले बीजों को बेचने के लिए दोषी पाई गई कंपनियों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) नकली बीजों की बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968 तथा

बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के अधीन अभियोजन सहित प्रवर्तन के अधिकार राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित कंपनियों के खिलाफ इन विधानों के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

वर्ष	नकली बीजों की बिक्री के मामलें में दर्ज मामलों की संख्या	कंपनी का नाम
2002-03	4	मैसर्स सिंजेंटा इंडिया लि०
		एडवांटा इंडिया लि०
		मॉर्शेटो इंडिया लि०
		ननहेम्स सीड्स
2003-04	2	मैसर्स सिंजेंटा इंडिया लि०
		मोर्शेटो इंडिया लि०
2004-05	7	मैसर्स सिंजेंटा इंडिया लि० (3 मामले)
		पायनियर सीड्स इंडिया लि०
		इंडो-अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स
		सेमिनिस वेजिटेबल्स

(ग) ऐसे बीजों की बिक्री पर नियंत्रण करने के लिए जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं, बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के तहत पर्याप्त प्रावधान मौजूदा हैं। इसके अलावा, इन विधानों के प्रावधानों के तहत अधिसूचित निरीक्षकों को विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने के संदर्भ में जिंसों का नमूना आहरित करने, स्टाफ को जब्त करने तथा 'बिक्री पर रोक' जारी करने के उचित अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकारों से मिली शिकायतों के आधार पर और अधिसूचित निरीक्षकों द्वारा विधिक प्रावधानों के प्रवर्तन के दौरान न्यायालय में उन व्यक्तियों के खिलाफ जो नियम और अधिनियम का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाते हैं, मामले दर्ज किए जाते हैं।

वन्य-जीव अभयारण्य संबंधी अधिसूचना

2735. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कच्छ के छोटे रन को संरक्षित वन्य जीव अभयारण्य के रूप में घोषित करने संबंधी कोई अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिसूचना के परिणामस्वरूप प्रभावित/विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार, किसी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित करना संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गुजरात राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना सं० जी०एच०/के०एच०/13/डब्ल्यू०एल०पी०/1972/79736 पी० दिनांक 12.1.1973 (4840.89 वर्ग कि.मी.) और सं० जी०के०एच०/13/78/डब्ल्यू०एल०पी०/1976/89899/पी०, दिनांक 13.1.1978 (112.81 वर्ग कि०मी०) के अंतर्गत कच्छ के छोटे रन के कुल 4953.70 वर्ग कि०मी० क्षेत्र को वन्य गधा अभयारण्य घोषित किया है।

(ग) प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के निस्तारण तथा उनके पुनर्वास से संबंधित मामला, गुजरात राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत है।

प्रसार भारती के कर्मचारियों हेतु भर्ती नियम

2736. एडवोकेट सुरेश कुरूप : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रसार भारती के कर्मचारियों के भर्ती नियमों और सेवा शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय अथवा प्रसार भारती को कोई निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की निगम को वापस सरकार के अधीन लाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील सं० 3244/02 (प्रसार भारती व अन्य बनाम अमरजीत सिंह व अन्य) में दिनांक 02.02.2007 को दिए गए अपने निर्णय में यह आदेश दिया कि सभी कर्मचारी निगम के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं और निगम के पास इनका स्थानांतरण करने का अधिकार है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ को प्रसार भारती की धारा 11 के तहत छः माह के भीतर सरकारी कर्मचारियों को प्रसार भारती में स्थानांतरित करने के संबंध में एक ठोस निर्णय लेने का निदेश दिया। सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को उपरोल्लिखित अवधि के भीतर अथवा इसके समाप्त हो जाने के तत्काल बाद एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।

(ग) प्रसार भारती के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों और वित्तीय पैकेज सहित प्रसार भारती के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एक मंत्री-समूह (जी०ओ०एम०) का गठन किया गया है।

(घ) और (ङ) यह मामला अभी भी मंत्री-समूह के समक्ष है।

[हिन्दी]

भूमि प्रबन्धन

2737. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सकल घरेलू उत्पाद में भूमि प्रबंधन में कतिपय खामियों के कारण गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी०एस०ओ०) द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा के नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) स्थायी (1999-00) मूल्यों पर वृद्धि दर में वर्ष 2004-05 के दौरान 7.5 प्रतिशत से 2005-06 के दौरान 9.2 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) बढ़ोत्तरी दिखाई है। यह सुझाव देता है कि देश में भूमि के प्रयोग में कुछ प्रवाहों का देश के कुल सकल घरेलू उत्पादन (जी०डी०पी०) की वृद्धि पर प्रत्यक्ष प्रभावी नहीं है। तथापि भूमि प्रबंध राज्य का विषय है तथा केन्द्रीय सरकार इस संबंध में सलाहकार की भूमिका निभाती है। राज्यों में वैधानिक प्रावधान भी हैं जो कृषि योग्य भूमि को, गैर कृषि उद्देश्य के लिए, भूमि उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं। राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति रूपरेखा अन्य बातों के साथ-साथ भू-उपयोग बोर्ड के माध्यम से राज्यों में कृषि उपयोग प्रबंधन पर केन्द्रित करती है।

[अनुवाद]

बर्ड फ्लू

2738. **श्री दुष्यंत सिंह :**
श्री एम० राजा मोहन रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्ड फ्लू के पुनः भारत में फैलने की रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) अफगानिस्तान, चीन, जिबोती, हांगकांग, हंगरी, जापान, कोरिया गणराज्य, कुवैत, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस, स्लोवेनिया, थाइलैण्ड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम तथा वियतनाम जैसे कई देशों में एवियन इंफ्लूएंजा के पुनः फैलने की खबर है जिससे यह संकेत मिलता है कि यह वायरस विश्व के कुछ देशों में बराबर फैल रहा है। इसके फैलने की खबर पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा म्यांमार जैसी पड़ोसी देशों से प्राप्त हुई है तथा भारत प्रवासी पक्षियों के तीन प्रमुख उड़ान मार्ग में स्थित हैं जो कि इसके संक्रमण के संभावित स्रोत है। अतः, भारत संवेदनशील है तथा यहां बर्ड फ्लू अभी भी फैल सकता है। भारत ने 11 अगस्त, 2006 को नोटिफिएबल एवियन इंफ्लूएंजा मुक्त देश का प्रमाण-पत्र पुनः प्राप्त कर लिया था और यह अब भी है।

(ग) देश में इस रोग से निपटने से संबंधित तैयारी के रूप में उठाए गए एहतियाती कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तैयारी के रूप में देश में उठाए गए एहतियाती कदम

(क) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही

1. तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक स्पष्ट और केन्द्रित राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है। प्रकोप के अनुभव के आधार पर 2005 में विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई थी जिसे अब संशोधित करके राज्यों को परिचालित किया गया है ताकि वे नियंत्रण और रोकथाम उपाय कर सकें।

2. सरकार ने संचालनों में मारे गए कुक्कुट के लिए कुक्कुट पालकों को मुआवजा देने की अपनी नीति घोषित और प्रदर्शित की है।

3. पड़ोसी देशों में प्रकोप को देखते हुए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

   (क) कई पशुधन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध

   (ख) पाकिस्तान और म्यामांर के सीमावर्ती राज्यों को सचेत किया गया है।

   (ग) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे विशेषकर जलनिकायों के आसपास निगरानी बढ़ाएं, किसानों को सलाह दें कि वे कुक्कुट को अंदर रखे, कुक्कुट को अन्य प्रजातियों के साथ मिलने से रोके तथा असामान्य मृत्यु की तत्काल खबर दें।

4. देशभर में निगरानी निरंतर जारी है। पिछले एक वर्ष में 108000 में अधिक नमूनों का परीक्षक किया गया है।

5. प्रकोप को रोकने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल गठित किए गए हैं।

6. राज्यों की तैयारी का बराबर आंकलन किया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा वीडियोकान्फ्रांसिंग, पशुपालन सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलनों, भारत सरकार के अधिकारियों के नियमित दौरों, राज्यों से असामान्य मृत्यु संबंधी साप्ताहिक रिपोर्टों आदि के जरिए उस पर निगरानी रखी जा रही है। राज्यों द्वारा तैयारियों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए भारत सरकार द्वारा रेड्डी रैक्नेर तैयार किए गए हैं।

7. भारत सरकार के प्रमुख स्टेक होल्डर विभागों विशेषकर पशुपालन और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच विभिन्न स्तरों पर संयुक्त व्यवस्था काम कर रही है और यह सफल है। अंतरमंत्रालयी कार्यबल स्थिति की नियमित समीक्षा करता है। तकनीकी मामलों की समीक्षा करने और उन पर निर्णय लेने के लिए संयुक्त निगरानी दल की बराबर बैठकें होती हैं। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करती है।

8. नियंत्रण संचालनों के लिए आवश्यक सामग्री का रिजर्व विकसित किया गया है तथा उसका और विस्तार किया जा रहा है।

9. विभाग बर्ड फ्लू के विरुद्ध कुक्कुट टीकों पर सामरिक रिजर्व बनाए हुए है।

10. भारत सरकार ने नियंत्रण और रोकथाम संचालनों को देखने के लिए 16.000 से पशुचिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षित किया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सभी पशुचिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का उपयोग करें।

11. बंगलौर, कोलकता, पुणे तथा जालंधर में प्रयोगशाला में क्षेत्रीय स्तर पर सीरम नमूनों का प्रशिक्षण आरंभ हो गया है।

12. उच्च सुरक्षा पशुरोग प्रयोगशाला के पास इंफ्लूएंजा के निदान के लिए अपेक्षित सामग्री का पर्याप्त स्टाक है।

13. बर्ड फ्लू की तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए विश्व बैंक के सहयोग से 126 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना अनुमोदित की गई है।

14. इस विभाग और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से रेडियो और टी वी स्पोर्टों के जरिए प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में सूचना, शिक्षा, संचार अभियान चलाए गए हैं।

15. नियोजन स्रोत के रूप में इस्तेमाल के लिए एवियन इंफ्लूएंजा के खतरे के तहत संवेदनशील क्षेत्रों को विकसित करने के लिए यूनिसिफ और वेट लैंडस इंटरनेशनल के सहयोग से कार्यवाही शुरू की गई है।

16. बर्ड फ्लू की सूचना देने वाले देशों से आयात को प्रतिबंधित करने के लिए 2004 से एक प्रणाली काम कर रही है।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए तैयारी उपाय :

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एवीयन एंफ्लुएंजा होने पर मनुष्य के मामले में रोकथाम के पर्याप्त उपाय कर लिए हैं।

1. महामारी के तैयारी के संबंध में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सभी पणधारियों के साथ 1 अगस्त, 2005 को एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक की जिसमें एंफ्लूएंजा महामारी की तैयारी तथा प्रतिक्रिया योजना पर विचार-विमर्श किया।

2. एवियन एनफ्लूंजा के मानव में मामले को देखने के लिए महामारी की तैयारी तथा आकस्मिक योजना के लिए एक नीतिगत योजना तैयार की तथा उसे सभी राज्यों को परिचालित किया।

3. एक आदर्श राज्य कार्ययोजना तैयार की गई थी तथा राज्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ चर्चा की गई थी।

4. केन्द्र तथा राज्यों की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को प्रशिक्षित किया गया था तथा उन्हें तैयारी की अवस्था में रखा गया था।

5. सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई०ई०सी०) नीतियों को भी अंतिम रूप दिया गया। एन०आई०सी०डी० ने अर्द्ध सैनिक बलों के लिए संवेदन कार्यशालाओं को भी आयोजित किया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई०सी०एम०आर०) ने एन्फ्लूएंजा निगरानी नेटवर्क को सुदृढ़ किया।

6. ओसेलटामिवीर (टैमीफ्लू) के एक लाख कोर्स खरीदे थे।

7. पिछले वर्ष की बीमारी के फैलने के दौरान कार्यवाही की गई थी उसमें केन्द्र तथा राज्य की टीमों द्वारा लगभग दस लाख जनसंख्या की निगरानी शामिल है।

8. आई०सी०एम०आर० एन्फ्लूएंजा निगरानी नेटवर्क अपनी निगरानी रिपोर्टों को पृथक-पृथक एवं टाइप्ड मौसमी एन्फ्लूएंजा स्ट्रेनों को साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से अद्यतन कर रहा है।

9. एन०आई०सी०डी० सैंटिनल साइटों (सेंट स्टीफन अस्पताल तथा अरूणा आसफअली अस्पताल) ने एन्फ्लूएंजा निगरानी कर रहा है। जलगांव, महाराष्ट्र के एवियन एन्फ्लूएंजा के प्रभावित क्षेत्रों से मानव के नमूनों का भी टेस्ट किया जा रहा है, जिनमें से भी को नकारात्मक पाया गया।

10. 100 वेंटिलेटर तथा 100 सेमी आटोमैटिक एनालाइजर खरीदे गए हैं।

11. राज्य स्तरीय आर०आर०टी० को प्रशिक्षित किया गया है। जिला स्तरीय आर०आर०टी० को आई०डी०एस०पी० कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है।

12. एन०आई०सी०डी० में 10-11 जनवरी, 2007 को आकस्मिक योजना की महत्वपूर्ण समीक्षा आयोजित की गई थी।

13. एवियन एन्फ्लूएंजा की तैयारी तथा प्रतिक्रिया के संबंध में 5 से 9 मार्च, 2007 तक एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी।

14. ओसल्टामिवीर, पी०पी०ई० तथा एन-95 के संचय स्थिति को बरकरार रखा जा रहा है।

15. सूचना, शिक्षा तथा संचार नीतियों को रेडियो तथा टेलीविजन स्पोटों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जोधपुर में समाचार केन्द्र

2739. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर में समाचार केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर समाचार केन्द्र को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, जोधपुर में क्षेत्रीय समाचार एकक (आर०एन०यू०) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जोधपुर जिले को दूरदर्शन के दो सिंट्रगों द्वारा समाचारों के प्रयोजनार्थ पर्याप्त रूप से कवर किया जा रहा है। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए क्षेत्रीय समाचार एककों की स्थापना करने हेतु जोधपुर सहित सात स्थानों को अभिनिर्धारित किया गया है। स्कीमों का कार्यान्वयन निधियों के अनुमोदन और उपलब्धता के अध्यधीन है।

निरक्षर व्यक्तियों को रोजगार

2740. **डा० चिन्ता मोहन :**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निरक्षर अथवा 5वीं कक्षा तक शिक्षित श्रमिकों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के फलस्वरूप किन-किन क्षेत्रों में और कितने रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में 70 मिलियन एन रोजगार अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। यह बेरोजगार व्यक्तियों की सभी श्रेणियों अर्थात निरक्षर/शिक्षित/अर्धकुशल/कुशल/अकुशल हेतु है। दृष्टिकोण पत्र, तीव्र, और अधिक व्यापक तथा सघन विकास पर आधारित एक नवीन संकल्पना के लिए नीतियों के पुन:निर्माण के अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, तथा न केवल रोजगार में वृद्धि को तेज करना बल्कि कम मजदूरी पाने वालों की मजदूरी को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां तैयार करना भी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में रोजगार सृजन हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयास शामिल हैं:–

(i) विकास को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अधिकाधिक लोग और अधिक उत्पादक आस्तियों तक पहुंच सकें, जिससे कि वे स्वयं बेहतर आय सृजित कर सकें और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से वेतन भोगी श्रम हेतु पर्याप्त मांग भी सृजित हो सके ताकि, जो स्व-रोजगार नहीं कर सकते, वे बेहतर वेतन रोजगार प्राप्त कर सकें।

(ii) सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को और तेज करने तथा कृषि में वृद्धि को दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित हो सकेंगे। श्रम सघन विनिर्माण क्षेत्रों यथा; खाद्य प्रसंस्करण, चर्म-उत्पाद, जूते तथा कपड़े और सेवा क्षेत्रों यथा; पर्यटन तथा निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

(iii) 11वीं योजना के दौरान ग्राम एवं लघु उद्यम (वी०एस०ई०) अधिकांश नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाएंगे।

(iv) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एन०आर०ई०जी०ए०) प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी पर कम से कम 100 दिनों का शारीरिक श्रम प्रदान कराने का आश्वासन देता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार लागतार रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में अनेक रोजगार सृजन एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं – स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।

[अनुवाद]

रसायनों की ढुलाई की निगरानी

2741. **श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में ऐसे अनेक मामलों की जानकारी मिली है जिनमें टनों के हिसाब से एक संवेदनाहर औषधि केटामाइन, जिसका व्यापक रूप से दुरूपयोग किया जा रहा है, को विश्व की गई जगहों पर ले जाया गया है;

(ख) क्या रसायनों की ढुलाई की निगरानी के लिए कोई समुचित प्रणाली नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नशीले पदार्थ का उत्पादन करने वाली इकाइयों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (घ) केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम व नियमावली के अधीन एक अनुसूची 'एम' औषधि है और इसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर के नुस्खे पर ही बेचा जाना अपेक्षित है।

संवेदनाहारी दवा केटामाइन के दुरूपयोग की कोई विशिष्ट घटना इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आयी है। तथापि, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, डी०जी०एफ०टी० ने सूचित किया है कि कई बार इस मद की भारत से बाहर तस्करी के प्रयासों के दौरान जब्ती हुई है। इसके अतिरिक्त, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ने 2006 की अपनी रिपोर्ट में इस औषध के संभावित दुरूपयोग की ओर संकेत किया था। इस मद के निर्यात को विनियमित करने के लिए, केटामाइन के निर्यात हेतु नारकोटिक्स आयुक्त से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विचाराधीन है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंसेस अधिनियम (एन०डी०पी०एस०) (वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित) संभावित रूप से दुरूपयोग होने वाले रसायनों पर नियंत्रित सामग्री के रूप में नियंत्रण रखता है और कैटामाइन को एन०डी०पी०एस० अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

क्षमता से जुड़ी योजना

2742. **श्री सर्वे सत्यनारायण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने चालू वर्ष के लिए रबी और खरीफ फसलों के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऋण योजना के लिए प्रत्येक जिले में आधार के रूप में क्षमता से जुड़ी योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे किसानों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारत सरकार खरीफ और रबी मौसमों के लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करती है। राज्य सभी खरीफ और रबी मौसमों के लिए विभिन्न फसलों के अपने उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करते है। वर्तमान वर्ष (2006-07) के खरीफ और रबी मौसम के दौरान प्रमुख राज्यों के उत्पादन लक्ष्यों का ब्यौरा, जैसा कि उनके द्वारा सूचित किया गया है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) देश के प्रत्येक चार जिले के लिए वार्षिक आधार पर क्षमता सम्बद्ध ऋण योजनाओं का निरूपण करता है जो जिला ऋण प्लान तैयार करने के लिए आधार का काम करता है। पी०एल०पी० में इसके पूर्व तथा पश्चात की स्थितियों में बैंकों, सरकारी विभागों/एजेंसियों आदि को शामिल करते हुए एक सहभागी प्रक्रिया का अनुसरण करके क्षेत्रवार/क्रियाकलापवार क्षमता को प्रखंडवार अलग-अलग प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, उपलब्ध ऋण क्षमता का आकलन करते हुए पी०एल०पी० अवसंरचना और अन्य सहायक सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतरालों की पहचान भी करती है।

पी०एल०पी० उपलब्ध क्षमता के साथ ऋण प्लान (लक्ष्य) की उचित संलग्नता सुनिश्चित करती है ताकि उपलब्ध अवसंरचना और अन्य सहायक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वंछित क्षेत्रों और क्रियाकलापों के लिए ऋण की राशि को दिशा दी जा सके। ऐसे ऋण विस्तार का अंतिम उद्देश्य विभिन्न ऋण सहायक क्रियाकलापों की शुरूआत करने के लिए किसानों को मदद करना है।

विवरण

2006-07 के लिए विभिन्न फसलों के राज्यवार उत्पादन लक्ष्य

क्र० सं०	राज्य	खाद्यान्न			कपास*	गन्ना	तिलहन		
		खरीफ	रबी	कुल			खरीफ	रबी	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	123.300	64.880	188.180	24.650	181.400	21.910	10.580	32.490
2.	असम	35.390	9.355	44.745	0.007	11.600	0.100	2.213	2.313
3.	बिहार	78.000	92.500	170.500		130.000	0.180	2.900	3.080
4.	छत्तीसगढ़	71.473	10.776	82.249		1.050	3.103	2.371	5.474
5.	गुजरात	44.570	34.330	78.900	75.000	146.300	38.210	11.710	49.920
6.	हरियाणा	41.830	96.770	138.600	21.000	90.000	0.130	12.980	13.110
7.	हिमाचल प्रदेश	10.060	7.750	17.810			0.100	0.040	0.140
8.	कर्नाटक	86.150	29.300	115.450	8.890	187.200	11.950	6.110	18.060
9.	केरल	5.084	8.640	13.724		0.700	0.045	0.090	0.135
10.	मध्य प्रदेश	51.830	126.190	178.020	7.550	26.400	53.730	10.530	64.260
11.	महाराष्ट्र	106.700	65.300	172.000	28.140	462.000	41.610	10.330	51.940
12.	उड़ीसा	84.340	13.600	97.940	1.860	29.400	3.090	4.610	7.700
13.	पंजाब	95.770	147.060	242.830	20.400	72.500	0.110	2.300	2.410
14.	राजस्थान	59.100	102.150	161.250	13.000	2.500	20.500	42.750	63.250
15.	सिक्किम	0.922	0.215	1.137			0.036	0.043	0.079
16.	तमिलनाडु	23.170	83.150	106.320	5.850	405.900	10.380	7.700	18.080
17.	त्रिपुरा	5.068	2.132	7.200	0.020	0.792	0.023	0.018	0.041
18.	उत्तर प्रदेश	198.900	355.500	554.400	0.060	एनए	2.700	15.000	17.700
19.	उत्तराखंड	9.210	8.435	17.645		66.000	0.210	0.140	0.350
20.	पांडिचेरी	0.505	0.735	0.940			0.004	0.073	0.078

*प्रत्येक 170 किग्रा० की लाख गांठें।

संकर खाद्य फसल

2743. **श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) ने संकर खाद्य फसलों की अनेक किस्में विकसित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त फसलों की उत्पादन-संरक्षण प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश में उक्त फसलों के किस सीमा तक कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक होने की संभावना है; और

(ङ) उक्त संकर किस्मों को कब तक किसानों को उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न खाद्य फसलों में कई संकरों का विकास किया है। चावल में, के०आर०एच०-2, पी०ए०-6201, 6444 और सुरूचि-5401 जैसे संकर लोकप्रिय हुए हैं। इसी तरह अन्य खाद्य फसलों के लोकप्रिय संकर जैसे मक्का में डी०एच०एम०-103, डी०एच०एम०-105, पारस, बुलंद, त्रिशुलता: ज्वार में सी०एस०एच०-16, सी०एस०एच०-18 और बाजरे में जी०एच०बी०-558, नंदी-35, एम०एल०बी०एच०-504, पी०ए०सी०-903 विकसित किए गए हैं। जारी किए गए संकरों की बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। समेकित फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियां भी विकसित की गई हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में जिसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में कृषि की चावल तीव्रीकरण प्रणाली (एस०आर०आई०) के तरीकों को प्रभावकारी पाया गया है।

(घ) इन संकरों को अपनाने तथा उनकी उत्पादन-संरक्षण प्रौद्योगिकियों ने आंध्र प्रदेश में खाद्यान्नों की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता की है जहां खाद्यान्न उत्पादकता वर्ष 1965-66 में 709 कि० ग्रा० प्रति हैक्टर थी वह वर्ष 2003-04 में बढ़कर 2012 कि० ग्रा० प्रति हैक्टर हो गई।

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संकरों के जनक वंशक्रमों के प्रजनक बीज का उत्पादन करने के लिए अधिदेशित है तथा इसी क्रम में कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त प्रजनक बीज के सभी मांग-पत्र पूरे किए गए।

[हिन्दी]

असंगठित कामगारों के लिए रोजगार नीति

2744. **श्री रामदास आठवले : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में पूरे वर्ष के दौरान कामगारों को विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक नई रोजगार नीति बनाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उन पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में 70 मिलियन नए रोजगार अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। यह बेरोजगार व्यक्तियों की सभी श्रेणियों अर्थात निरक्षक/शिक्षित/अर्धकुशल/कुशल/अकुशल हेतु है। भविष्य में अतिरिक्त रोजगार अवसर मुख्यत: सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्रों में सृजित किए जाएंगे तथा इसे मजबूती देने के लिए नीतिगत प्रयासों की आवश्यकता होगी। 11वीं योजना में विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, फुटवियर तथा कपड़ा और श्रम सघन विनिर्माण क्षेत्रों तथा पर्यटन एवं निर्माण जैसे सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

व्यक्ति की औसत आय

2745. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्रीमती संगीता कुमार सिंह देव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्तमान में प्रति माह और प्रति घंटे प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना है;

(ख) भारत और विश्व के अन्य विकासशील देशों में एक व्यक्ति की औसत आय कितनी है;

(ग) अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारतीय व्यक्ति की आय में कितना अंतर है; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

2746. **श्री सी०एस० सुजाता :**
श्री पी० राजेन्द्रन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ (एन०सी०यू०आई०) और राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०सी०टी०) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर०टी०आई० एक्ट) के उपबंधों का अनुपालन किया है और उक्त अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पदनामित अधिकारी का क्या ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन०सी०यू०आई०) ने सूचित किया है कि वह सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में यथा परिभाषित सार्वजनिक प्राधिकरण की श्रेणी में नहीं आता है। जहां तक राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०सी०टी०) का संबंध है, सचिव, एन०सी०सी०टी० को मुख्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में अभिनामित किया गया है। एन०सी०सी०टी० को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवश्यक बातों का स्पष्ट (डिस्क्लाजर) करने का निदेश दिया गया है।

[हिन्दी]

सेल के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा

2747. **श्री० मुनव्वर हसन** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के अधिकारियों द्वारा की गई विदेशी यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक यात्रा पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कंपनी को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कंपनी द्वारा अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान सेल द्वारा प्रबंधकीय/तकनीकी प्रशिक्षण तथा सरकारी दौरों के संबंध में विदेश में तैनात किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या, कंपनी द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	विदेशी यात्राओं की संख्या	विदेशी दौरों पर व्यय
2003-04	177	4.32
2004-05	270	5.39
2005-06	266	5.45
2006-07 (9 माह)	197	3.95

सेल के कार्यपालकों को इस्पात संयंत्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय उन्नयन, सामान्य प्रबंधन के साथ तालमेल बिठाने हेतु प्रशिक्षण के लिए और निर्यात को बढ़ावा देने, बाजार अध्ययन, ग्राहकों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श/बैठकें करने के लिए विदेश में तैनात किया जाता है और यह कार्य-कलाप कंपनी की वाणिज्यिक सफलता के लिए अपेक्षित हैं। तथापि, प्रत्येक दौरे के संबंध में विशिष्ट ब्यौरा देना कंपनी के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान सेल द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कर-पूर्व लाभ	कर-पश्चात निवल लाभ
2003-04	2628	2512
2004-05	9365	6817
2005-06	5706	4013
2006-07 (9 माह)	6498	4300

विदेशी दौरों/प्रशिक्षण से मिले ज्ञान/जानकारी ने भी कंपनी की उत्पादकता तथा लाभ प्रदता में बढ़ोतरी करने में अप्रत्यख रूप से योगदान दिया है। वर्ष 2003-04 से 2005-06 और 2006-07 (9 माह) के दौरान विदेशी दौरों पर किया गया व्यय क्रमश: कंपनी के कारोबार का केवल 0.02 तथा 0.01 प्रतिशत है और इसे अनावश्यक व्यय नहीं माना जा सकता है।

संक्रमित रक्त के कारण होने वाली मौत के लिए मुआवजा

2748. श्री सज्जन कुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता न्यायालयों ने हाल ही में दिल्ली में अनेक अस्पतालों को संक्रमित रक्ताधान के कारण होने वाली मौत के मामलों में मरीजों को मुआवजा देने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 'संक्रमित रक्त के कारण मौत के लिए मुआवजा' के बारे में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दिल्ली द्वारा हाल में किसी मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दिल्ली द्वारा हाल में संक्रमित रक्ताधान के कारण उपभोक्ता को मुआवजा देने के लिए 2 मामलों में निर्णय दिए गए हैं न कि रक्ताधान के कारण मौत के लिए मुआवजे के बारे में।

(ख) राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दिल्ली द्वारा निर्णीत मामलों के संक्षिप्त ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

1. **शिकायत संख्या 3/2006 तारीख 15.1.2007** – श्रीमती हरवंश और चावल बनाम एस्कार्टस हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर – राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दिल्ली ने अस्पताल को सेवा में कमी अथवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया और 50,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दिल्ली के उक्त निर्णय के खिलाफ 5.3:2007 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक अपील दायर की गई है और उस पर 21.3.2007 को सुनवाई होगी।

2. **शिकायत संख्या 101/1992 तारीख 13.2.2006** – नरेश कुमार बनाम सुनील ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन सेंटर – राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दिल्ली ने संदूषित रक्त की बिक्री करने और औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत बनाए गए औषधि और प्रसाधन नियम, 1945 के नियम 96 में बताए गए तरीके से रक्त की बिक्री न किए जाने के खिलाफ शिकायतकर्ता को 20,000 रुपए का मुआवजा दिया।

(ग) सरकार न्यायिक प्रक्रिया/आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तथापि, दु:खी पक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी समाधान पाने के लिए अगले उच्च मंच के समक्ष अपील/पुनर्विचार आदि का आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

[अनुवाद]

मौसम संबंधी परिवर्तन

2749. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एस०के० खारवेनथन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मौसम संबंधी परिवर्तन की उभरती स्थिति से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल गठित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यबल द्वारा किन-किन प्रमुख मुद्दों पर कार्य किया जाएगा; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) माननीय वित्त मंत्री ने अपने हाल के बजट भाषण में यह उल्लेख किया है कि सरकार ने भारत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने तथा उन उपायों को अभिनिर्धारित करने के लिए, जिन्हें हमें भविष्य में अपनाना होगा, एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा इस संबंध में उचित परिवर्तन शीघ्र ही किए जाएंगे।

तमिलनाडु के लिए अतिरिक्त खाद्य राजसहायता

2750. **श्री के० सुब्बारायण :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में गरीब तबकों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चावल की आपूर्ति कर सकने के लिए अतिरिक्त राजसहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को तमिलनाडु सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने राज्य में कमजोर वर्गों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल की आपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त राजसहायता की मांग की हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वनों के विकास के लिए विशेष अनुदान

2751. **श्री एस० मल्लिकार्जुनैया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार तुमकुर जिले में वनों के विकास हेतु विशेष अनुदान उपलब्ध कराती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में वनों के विकास के लिए कोई विशेष अनुदान नहीं दिया जा रहा है। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफ०डी०ए०) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जे०एफ०एम०सीज) के द्विस्तरीय विकेन्द्रीकृत संरक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) का कार्यान्वयन कर रहा है। तुमकुर वन विकास अभिकरण को 2002-03 से 2006-07 तक (31.12.2006 को) 2000 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार करने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 3.77 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर नदी घाटी परियोजना

2752. **श्री गणेश प्रसाद सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर नदी घाटी परियोजना पर "पानी के प्रतीक" शीर्षक वाले वृत्तचित्र संबंधी प्रस्तावों पर अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो जल संसाधनों के क्षेत्र में उपलब्धियां दर्शाने वाले वृत्तचित्र से संबंधित प्रस्तावों को रोके रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपलब्धियां दर्शाने वाले वृत्तचित्र से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जल संसाधन मंत्रालय के पूर्वोत्तर नदी घाटी परियोजना

पर 'पानी के प्रतीक' शीर्षक वाले वृत्तचित्र से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मंगलौर में मत्स्यन पत्तन का निर्माण

2753. **श्री डी०वी० सदानन्द गौडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मंगलौर में मत्स्यन पत्तन का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने सितम्बर, 1997 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत 75 लाख रुपए की लागत से मंगलौर में मौजूदा मत्स्यन बंदरगाह के चरण-2 के रूप में विस्तार के लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया था। राज्य सरकार को 37.50 लाख रुपए की परियोजना के 50% के केन्द्रीय हिस्से को दो किश्तों में जारी कर दिया है।

कर्नाटक सरकार ने मत्स्यन बंदरगाह को चरण-3 के रूप में विस्तारित करने की अपनी इच्छा व्यक्त है कि जिसके लिए (1) मौजूदा बंदरगाह की सुविधाओं की उपयोगिता का पता लगाने के लिए मूल्यांकन पूरा किया जाना है तथा (2) राज्य सरकार को चरण-2 के पूरा होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

[हिन्दी]

सरिस्का बाघ अभयारण्य का बंद किया जाना

2754. **श्री पारसनाथ यादव :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरिस्का बाघ परियोजना को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बाघों का बड़ी संख्या में शिकार किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उनकी संख्या में कमी आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) बाघों के अवैध शिकार और उनके शरीर के हिस्सों के अवैध व्यापार की कुछ घटनाओं का पता चला है। बड़े पैमाने पर बाघ के शिकार का कोई पता नहीं चला है जिससे उनकी संख्या में कमी हो रही है।

(घ) बाघ और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बाघ संरक्षण के लिए हाल ही में सरकार द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण प्रयास नीचे दिए अनुसार है:–

1. बाघ रिजर्व राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके वर्षा ऋतु के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों को सुदृढ़ करना जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तावित है। अर्थात् संप्रेषण/बेतार सुविधाओं को सुदृढ़ता के साथ-साथ स्थानीय लोगों सहित भूतपूर्व सैनिकों/ होम गार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दल को तैनात करना।

2. माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित बाघ टास्क फोर्स की तत्काल सिफारिशों का कार्यान्वयन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में संशोधन शामिल है।

3. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 04.09.2006 से गठित किया गया है जिससे बाघ संरक्षण इनके द्वारा बेहतर किया जा सकेगा जैसे कि बाघ संरक्षण प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाऊंडेशन की स्थापना।

4. भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भूगौलिक सूचना प्रणाली क्षेत्र में तालुका विस्तार पर देश में बाघ पर्यावासों की स्थिति का आकलन।

5. चारों ओर के/बफर क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को शामिल करे रिजर्व विशेष पुर्नरुद्धार कार्यनीतियां तैयार करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ मिलकर बाघ रिजर्वों (10 कि०मी० तक की परिधि दूरी) के चारों और वन आच्छादन स्थिति का तुलनात्मक आकलन

6. सुरक्षित क्षेत्रों पर वर्ल्ड कमीशन के फ्रेमवर्क से अपनाए गए 45 पैरामीटरों के आधार पर स्वायत्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा बाघ रिजर्वों का आकलन जिसकी गठन समीक्षा इन्टरनैशनल यूनियन फार कन्सरवेंजन आफ नेचर एंड नेचुरल रिसोंस द्वारा की गई है और संसद में प्रस्तुत की गई है।

7. भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर अखिल भारतीय बाघ आकलन प्रक्रिया (वास-स्थल मानीटिरिंग के अलावा अन्य मुख्य शिकारी एवं सहभक्षी) में संशोधन

8. पड़ोसी बाघ रेंज देशों के साथ द्विपक्षीय प्रयास

9. स्थानीय लोगों के लाभों के लिए परि-पर्यटन मार्गनिर्देश तैयार करने और प्रबंधन के लिए बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्रों के चारों ओर पारि-विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

10. व्यवहार्य ऐजेंसी के माध्यम से ग्राम पुर्नवास पैकेज बढ़ाने के लिए प्रयास करना।

उक्त के अतिरिक्त वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय इस प्रकार से हैं:—

11. वन्यजीवों (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं वाणिज्यिक दोहन के लिए इन्हें वैधानिक सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

12. वन्यजीवों की अनेक दुर्लभ और खतरे में पड़ी प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल करके इन्हें अत्याधिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

13. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है और इसे और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामले में सजा को बढ़ावा गया है। अधिनियम में वन्यजीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपस्कर, गाड़ी या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

14. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा दायर करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

15. भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के मुख्य निर्यात और व्यापार केन्द्रों में क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए है।

16. राज्यों को विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जैसे कि बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए राज्यों की क्षमता और अवसंचना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

17. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा जनवरी 2002 में एक राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 अपनाई गई है। योजना में देश में वन्यजीवों के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए कार्यनीति तैयार की गई है।

18. भारत ने जैव विविधता संरक्षण और वन्य वनस्पति जाति और प्राणी जाति के अवैध व्यापार पर नियंत्रण संबंधित अनेक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

19. वन्यजीवों के सीमापार व्यापार पर नियंत्रण के लिए नेपाल और चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

20. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिए बाघ वाले देशों का एक विश्व बाघ फोरम तैयार किया गया है।

जल संसाधनों का उपयोग

2755. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार राज्यों में विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों का कितना प्रतिशत उपयोग हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा राज्यों में जल संसाधनों के संवर्धन के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गई है/किए जाने की संभावना है तथा इससे कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि की सिंचाई किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन परियोजनाओं की संकल्पना, आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। देश में औसत वार्षिक वर्षा 4000 बिलियन घनमीटर (बी०सी०एम०) होने का अनुमान है। वाष्पन इत्यादि प्राकृतिक प्रक्रियाओं को गणना में लेने के पश्चात देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बी०सी०एम० आंकी गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्थलाकृतिक, जलवैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण उपयोज्य जल 1123 बी०सी०एम० है जिसमें से 690 बी०सी०एम० जल सतही जल है और 433 बी०सी०एम० जल पुनर्भरणीय भूजल है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग को निम्नानुसार आकलित किया है :

क्र० सं०	उपयोग	आवश्यकता बी०एस०एम० में	आवश्यकता का % बी०एस०एम० में
1.	सिंचाई	524	83.31
2.	घरेलू	30	4.77
3.	उद्योग	30	4.77
4.	अन्य उपयोग	45	7.15

मार्च, 2006 तक सृजित कुल सिंचाई क्षमता 100.97 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है। राज्यवार सृजित सिंचाई क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं के लिए आबंटन और व्यय किया जाता है। तथापि, निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के तहत राज्य सरकारों को सहायता मुहैया कराती है। इस कार्यक्रम के तहत और परियोजनाओं को शामिल करने के लिए ए०आई०बी०पी० मानदण्डों में छूट दी गई है और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। भारत सरकार ने कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जलनिकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (जल निकायों की आर०आर०आर०) संबंधी राष्ट्रीय परियोजना के शीर्षक से एक प्रायोगिक स्कीम जनवरी, 2005 में अनुमोदित की है। भारत सरकार केन्द्र प्रायोजित स्कीम कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सी०ए०डी०एण्डडब्ल्यू०एम०) के तहत भी सहायता मुहैया कराती है। राज्यों को ए०आई०बी०पी०, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार तथा सी०ए०डी०एण्डडब्ल्यू०एम० के तहत इन कार्यक्रमों/स्कीमों की शुरूआत से फरवरी, 2007 तक क्रमश: 20598.48 करोड़ रुपए, 142.81 करोड़ रुपए और 3217.16 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई की गई है।

विवरण

मार्च, 2006 तक सृजित राज्यवार सिंचाई क्षमता

(000 हेक्टे०)

क्र० सं०	राज्य का नाम	सृजित सिंचाई क्षमता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6,604.27
2.	अरूणाचल प्रदेश	113.88
3.	असम	952.65
4.	बिहार	7,677.46
5.	छत्तीसगढ़	1,731.76
6.	गोवा	53.40
7.	गुजरात	4,632.73
8.	हरियाणा	3,804.25

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	183.54
10.	झारखण्ड	1,004.13
11.	जम्मू और कश्मीर	581.41
12.	कर्नाटक	4,245.95
13.	केरल	1,331.51
14.	मध्य प्रदेश	4,265.42
15.	महाराष्ट्र	6,558.05
16.	मणिपुर	122.59
17.	मेघालय	60.19
18.	मिजोरम	17.73
19.	नागालैंड	84.08
20.	उड़ीसा	3,561.28
21.	पंजाब	6,007.12
22.	राजस्थान	5,221.70
23.	सिक्किम	32.98
24.	तमिलनाडु	3,695.54
25.	त्रिपुरा	148.81
26.	उत्तर प्रदेश	31,698.75
27.	उत्तरांचल	800.80
28.	पश्चिम बंगाल	5,777.49
	कुल राज्य	100,969.47
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1.39
	कुल जोड़	100,970.86

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी हेतु सतर्कता समितियां

2756. **श्रीमती किरण माहेश्वरी :**
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) की बेहतर निगरानी हेतु सतर्कता समितियों के गठन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम है जहां पर ऐसी सतर्कता समितियों के गठन का प्रस्ताव है; और

(ग) राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समुचित निगरानी के लिए ऐसी समितियों का गठन सुनिश्चित करने हेतु अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) केंद्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करती रही है कि वे सतर्कता समितियों को सक्रिय करें ओर यदि इन समितियों का पहले पुनर्गठन नहीं हुआ है तो कार्ड धारकों और जन-प्रतिनिधियों में से व्यक्तियों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए इनका पुनर्गठन करें। मॉडल सिटीजन चार्टर में पंचायत, वार्ड, तालुक, जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा सतर्कता समितियों का गठन करने पर पहले ही जोर दिया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के लिए जून, 1999 में जारी दिशा-निर्देशों में यह सुझाव दिया गया है कि उचित दर दुकान संबंधी समितियां गठित करने के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सतर्कता समितियों के मुख्य कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करना और इससे संबंधित समस्याओं को दूर करना है। फिलहाल, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकान स्तर, ब्लाक/मंडल/तालुक, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता समितियां कार्य कर रही हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सतर्कता समितियों के गठन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गठित सतर्कता समितियों की स्थिति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन				टिप्पणी
		राज्य	जिला	ब्लाक	उ०द०दु०/ ग्राम	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1	23	304	41,000	खाद्य सलाहकार समिति के रूप में नामित
2.	अरूणाचल प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
3.	असम	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
4.	बिहार	नहीं	38	534	8471	समितियों को मानीटरिंग समिति कहा जाता है। इसके अलावा 101 उप-प्रभागीय मानीटरिंग समितियां भी गठित की गई हैं।
5.	छत्तीसगढ़		16	146	9636	
6.	दिल्ली	1	**	**	**	** प्रत्येक सर्किल (70) में सतर्कता समितियां गठित की गई हैं
7.	गोवा	**	**	**	**	** ग्राम पंचायत और निगम प्रशासनों को अपने न्याय-क्षेत्राधिकार में उचित दर दुकानों की कार्यप्रणाली पर निगाह रखने और नियंत्रण रखने के लिए ग्राम एवं निगम स्तर पर 3 सदस्यीय ग्राम समिति का गठन करने का निदेश दिया गया है। संबंधित तालुकों में निरीक्षण स्टाफ को तैनात किया गया है। इसके अलावा पंचायतों के सरपंच एवं विपक्षी सदस्यों से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मानीटर करने का अनुरोध किया गया है। पंचायत के निदेशक से सतर्कता समितियों के सदस्यों के नाम तथा पते भेजने का अनुरोध किया गया है ताकि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण दिलाया जा सके।
8.	गुजरात	1	3	68	14,555	उचित दर दुकान के लिए राज्य, जिला एवं तालुका स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4	5	6	7
9.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	जी हां, 7559 (1364 शहरी क्षेत्र में और 6195 ग्रामीण क्षेत्र में)	
10.	हिमाचल प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
11.	जम्मू व कश्मीर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	स्थिति का जायजा लेने और जहां आवश्यक हो वहां उपचारात्मक उपाय बताने के लिए ये समितियां नियतिम रूप से बैठकें करती हैं।
12.	झारखंड	–	–	–	–	सूचित नहीं
13.	कर्नाटक	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
14.	केरल	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
15.	मध्य प्रदेश	–	जी हां	जी हां	जी हां	
16.	महाराष्ट्र	सूचित नहीं	23	214	22736	इसके अलावा निगम एवं म्युनिसपल कार्पोरेशन स्तर पर क्रमश: 96 और 15 समितियां हैं।
17.	मणिपुर	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	जी हां	
18.	मेघालय	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	जी हां	
19.	मिजोरम	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
20.	नागालैंड	जी हां	जी हां	जी हां	सूचित नहीं	
21.	उड़ीसा	सूचित नहीं	जी हां	जी हां	जी हां	
22.	पंजाब	सूचित नहीं	जी हां	जी हां	सूचित नहीं	
23.	राजस्थान	1	32	241	21607	
24.	सिक्किम	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
25.	तमिलनाडु	+जी हां	+जी हां	+जी हां	+जी हां	+ ये सलाहकार सतिमियां हैं।

1	2	3	4	5	6	7
26.	त्रिपुरा	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	जी हां	
27.	उत्तरांचल					वर्तमान में राज्य सरकार ने सतर्कता समिति का गठन नहीं किया है।
28.	उत्तर प्रदेश	गठन नहीं	70	820	52002	
29	पश्चिम बंगाल	1	19	341	18053	
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	सूचित नहीं	जी हां	जी हां	जी हां	
31.	चंडीगढ़	सतर्कता समितियां गठित की गई हैं लेकिन शायद ही कोई बैठक आयोजित की गई क्योंकि विभिन्न ग्रामों और कालोनियों में केवल 24 उचित दर दुकानें हैं। तथापि, विभाग चुने गए स्थानीय प्रतिनिधियों से वार्तालाप करता है।				
32.	दादरा एवं नगर हवेली	छोटा स्थान होने के कारण केवल एक जिला स्तरीय समिति है।				सूचित नहीं
33.	दमन व दीव	*				
34.	लक्षद्वीप	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक द्वीप पर एक सतर्कता सह सलाहकार समिति है। इसके अलावा वहां एक सांविधिक सतर्कता समिति भी है।				
35.	पांडिचेरी	राज्य एवं आंचलिक सतर्कता समितियां हैं।				

*सूचना प्राप्त नहीं हुई।

पे — चैनलों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन

2757. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्रारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टी०वी० के पे चैनल उपभोक्ताओं से मनोरंजन और विज्ञापनों दोनों की ही लागत वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, क्या पे चैनल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करते हुए विज्ञापनों और उपभोक्ताओं दोनों से कमाई कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस पर विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) सशुल्क टी०वी० चैनलों का व्यवसाय मॉडल मुख्यतया दो स्रोतों (i) अंशदान (ii) विज्ञापन से प्राप्त होने

वाले राजस्व पर आधारित है। दोनों स्रोतों से प्रत्याशित आमदनी के आधार पर सशुल्क चैनलों के लिए उपभोक्ता प्रभार समय-समय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी प्रशुल्क आदेश के अध्यधीन नियत किए जाते हैं। इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि अनुसंधान कार्य का आंकलन

2758. **श्री एम० अंजन कुमार यादव :**
श्री वी०के० थुम्मर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि अनुसंधान कार्यों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कृषि अनुसंधान के अंतर्गत कौन-कौन से विभिन्न कार्य किए गए हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या अनुसंधान क्षेत्र में कृषि वैज्ञानकों की कमी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में कृषि और किसानों को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान मुद्दों को निपटाने के लिए परिषद ने अनेक परियोजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :–

– कृषि शिक्षा, अनुसंधान, सेवा और व्यावसायिक सम्पर्क के सुदृढ़ीकरण आपसी प्राथमिक क्षेत्रों पर अनुसंधान कार्य करने के लिए इण्डियन-यू एस ज्ञान पहल।

– क्षमता बढ़ाने और सहायक अनुसंधान के लिए कृषि विज्ञानों में मूल और नीतिगत अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कोष।

– राज्य कृषि विश्वविद्यालय और भा०कृ०अ०प० संस्थानों में स्थित कृषि फसलों और मात्स्यिकी में क्वालिटी बीज उत्पादन पर परियोजना।

– पराजीनी फसलों और कीट बायोसिस्टेमेटिक पर नेटवर्क परियोजना।

– आण्विक प्रजनन जीन पिरामिडिंग, माइकोटोक्सिन-एफलाटोक्सिन प्रबंधन; ऑल्टरनेरिया ब्लाइट-समेकित प्रबन्धन; मुरझारन-समेकित प्रबंधन; पेड़ से होने वाले तिलहनों; क्वालिटी के प्रोटीन वाली मक्का; समुद्री टाइगर श्रिम्प आदि में लवण; सहिष्णु जीनों की पहचान आदि पर नेटवर्क मोड में नीतिगत अनुसंधान पहलों को शुरू किया।

– विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (6 वर्ष)

(ख) से (ग)

– 2005 के दौरान फसलों की 108 किस्में और संकर किस्में तथा 2006 में 87 किस्में जारी की गईं।

– 6 हजार टन प्रजनक बीज का उत्पादन और 55.25 लाख पौदों की आपूर्ति की गई।

– सस्ती विश्वस्त और सक्षम कम ऊर्जा वाली प्रसिजन अनुप्रयोग सिंचाई प्रणाली विकसित की गई।

– लगभग 4.40 लाख किसानों और प्रसार कार्मिकों के ज्ञान और कुशलता को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

– जूट से गूदा, पेपर, बोर्ड बनाने के लिए बड़ी मात्रा में कृषि और औद्योगिक अवशिष्टों के पुनर्चक्रण/पुन:प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित कीं।

– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रयासों से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा भारत में पहला मिथुन बछड़ा पैदा हुआ।

– भैंस पॉक्स विषाणु के लिए नैदानिक आधारित तीव्र पी०सी०आर० विकसित किए।

– खुर और मुंह रोग के लिए 2 एशिया 1 फील्ड पृथकों के लिए पूर्ण जीनोम सीक्वेंस किए।

– सैल कल्चर के प्रयोग से बर्ड फ्लू रोग के विरुद्ध टीका विकसित किया (आयातित टीके से बेहतर)।

– विभिन्न फसलों के लिए आई०पी०एम० प्रौद्योगिकियां वैध की गई।

– ग्रामीण कुक्कुट पालन के लिए 4 लाख से अधिक उर्वर अंडे/दिन चूजे/बड़े हुए पक्षियों की आपूर्ति की।

– पीली कैट फिश और स्पाइनी ईल के सफलतापूर्वक संकर पैदा किए।

– विभिन्न फसलों के लिए कीट प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए एक जैनेरिक विकसित किया।

– विश्व के विभिन्न भागों के लिए संगठनों में अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए।

– वर्ष 2006 के दौरान ग्रामीण जिलों में 42 नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृति किए इसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 546 हो गई।

– शोलापुर में (वर्ष 2005) में एक राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की।

– सुनामी से बर्बाद हुए क्षेत्रों के पुनर्वास में राष्ट्रीय प्रयासों को पूरी प्रौद्योगिकीय जानकारी प्रदान की।

(घ) से (च) जी, नहीं। अनुसंधान कार्य उपलब्ध वैज्ञानिक मानव शक्ति की न्यायोचित पुनर्तैनाती से व्यवस्थित किया गया है। वैज्ञानिक संवर्ग में रिक्तियों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर भरवाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

नई बाघ परियोजनाएं

2759. **श्री एन०एन० कृष्णदास** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई बाघ परियोजनाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी लागत कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जमोनाराघन मीना) : (क) और (ख) प्राप्त प्रस्तावों तथा बाघ परियोजना की संचालन समिति की 23.01.2003 को आयोजित 37वीं बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर सात राज्यों में फैले आठ नए बाघ रिजर्वों को घोषित करने के बारे में "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के उपबंधों के आधार पर तैयार रिजर्व विशिष्ट "बाघ संरक्षण योजना" नए बाघ रिजर्वों की प्रबंधन लागत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होगी।

विवरण

नए बाघ रिजर्वों की सूची

क्र० सं०	नए बाघ रिजर्व का नाम	राज्य
1.	अन्नामलाई-पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु और केरल
2.	उदान्ति और सीतानड़ी वन्यजीव अभयारण्य	छत्तीसगढ़
3.	सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य	उड़ीसा
4.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	असम
5.	अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य	छत्तीसगढ़
6.	दान्डेली वन्यजीव अभयारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान	कर्नाटक
7.	संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय दुबरी वन्य जीव अभयारण्य	मध्य प्रदेश
8.	मदुमलई वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु

[अनुवाद]

केन्द्रीय बहु विशेषज्ञता वाले पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना

2760. **श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में एक केन्द्रीय बहु विशेषज्ञता वाले पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) केरल सरकार के पशुपालन, डेरी और मात्स्यिकी विभाग से बहु विशेषज्ञता वाले पशुचिकित्सा केन्द्र एवं अनुसंधान संस्थान का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जहां विभाग द्वारा इसे समर्थन देना उचित नहीं माना गया।

[हिन्दी]

वनों में रहने वाली जनजातियों के कल्याणार्थ योजनाएं

2761. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों में रहने वाली जनजातियों और अन्य वर्गों के कल्याणार्थ क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा वनों में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास और उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) भारत सरकार, बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म सहित संयुक्त वन प्रबंध कार्यक्रमों के माध्यम से वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सुरक्षा में देश के जनजातियों सहित वनों में निवास कर रहे समुदायों को शामिल कर रही है। इसके अतिरिक्त, जनजातिय कार्य मंत्रालय, अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित प्रमुख कल्याण और विकासात्मक स्कीमें और कार्यक्रम भी लागू कर रही है;

1. कोचिंग और एलाईड और उल्लेखनीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान।
2. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।
3. कम शिक्षा वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसर।
4. लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान।
5. प्राचीन जनजातीय समूहों का विकास।
6. अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप।
7. मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, बुक बैंक और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियें की प्रतिभा की अद्यतन स्कीम।
8. अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास और लड़कों के लिए हॉस्टल।
9. जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय।
10. अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार और अन्य।
11. जनजातीय उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस०सी०ए०टू०टी०एस०पी०)।
12. संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सहायता अनुदान।

(ख) अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक रूप से वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 को, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक रूप से वन वासी समुदायों की आजीविकास बढ़ाने के प्रयोजनार्थ व्यावसायिक और वास-स्थलों के अधिकार मुहैया कराने के लिए अधिनियमित किया गया है।

[अनुवाद]

शास्ति का संदाय

2762. श्री मनोरंजन भक्त :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की डाउ कैमिकल्स ने भारतीय कीटनाशी विनियामकों को शास्ति का संदाय करने की हामी भरी है, जैसा कि दिनांक 17 फरवरी, 2007 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) और (ख) जी, नहीं। डॉव केमिकल्स ऑफ यू०एस०ए० द्वारा भारतीय कीटनाशी विनियामकों को किसी दंड का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) प्रेस रिपोर्टों और संयुक्त राज्य अमेरिका के सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट के आधार पर, भारत सरकार को अंदेशा है कि डॉव केमिकल्स कंपनी ने कथित तौर पर अपनी सहयोग कंपनी डी-नोसिल क्रॉप प्रोटेक्शन लि० के माध्यम से 1996-2001 के दौरान कई कृषि रसायन उत्पादों के पंजीकरण व विपणन के लिए राज्य व गणराज्य के स्तर पर भारत सरकार के कार्मिकों को बहुत से अनुचित भुगतान किए हैं। भारत सरकार ने इन आरोपों की जांच के आदेश के साथ-साथ इस अवधि में कंपनी द्वारा करवाए गए पंजीकरणों की पुनरीक्षा का आदेश भी दिया है।

राष्ट्रीय कृषि नीति

2763. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से राज्यों को राष्ट्रीय कृषि नीति के साथ-साथ कृषि संबंधी अनुसंधानों के क्रियाकलापों में शामिल करने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के जलवायु संबंधी स्थितियों, भौगोलिक विशेषताओं और बालू गुणवत्ताओं को शामिल करने की उनकी संभावना बढ़ सके है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) मुख्यत: कृषि तथा साथ ही किसानों की दशा सुधारने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति में प्रावधानों को शामिल करने हेतु राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ किसानों के सामने आने वाले विभिन्न मामलों की जाचं करने तथा साथ ही देश में मुख्य कृषि प्रणालियों की आर्थिक लाभप्रदता और संधारणीयता हेतु उपर्युक्त हस्तक्षेप सुझाने तथा खाद्य और आजीविका सुरक्षा में सुधार करने के लिए वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया है। आयोग ने राज्य सरकारों किसानों और अन्य स्टेक-होल्डरों के साथ विस्तृत परामर्श करने के बाद राष्ट्रीय कृषक नीति के संशोधित मसौदे सहित कई सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति के संशोधित मसौदे सहित अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर चर्चा करने तथा उनके विचार प्राप्त करने के लिए 22 दिसम्बर, 2006 को कृषि और संबंगी क्षेत्रों के राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय कृषक नीति के संशोधित मसौदे और अन्य सिफारिशों की शीघ्र जांच करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की है।

सेन्ट्रल प्लानटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट (सी०पी०सी०आर०आई०) के केन्द्र को चरणबद्ध ढंग से बंद करना

2764. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :**
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्री पी०सी० थामस :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कनारा स्थित सेन्ट्रल प्लानटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट (सी०पी०सी०आर०आई०) के केन्द्र को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस केन्द्र को बनाए रखने और इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार सहित विभिन्न पक्षों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस केन्द्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सी०पी०सी०आर०आई०) कासरगोड के कन्नारा स्थित अनुसंधान केन्द्र को बंद करने का निर्णय लिया है।

(ख) यह निर्णय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों की समीक्षा संबंधी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया जिसमें केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान

(सी०पी०सी०आर०आई०) के इस केन्द्र की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए इस केन्द्र को बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि समानरूपी अनुसंधान कार्य कयामकुलम (करेल) तथा विट्टल (कर्नाटक) स्थित सी०पी०सी०आर०आई० के क्षेत्रीय केन्द्रों में चल रहे हैं।

(ग) और (घ) कन्नारा स्थित केन्द्र को नियमित रखने के लिए कुछ माननीय संसद सदस्यों तथा केरल के मुख्य मंत्री से सुझाव प्राप्त हुए हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले की पुन: जांच की गई और क्षेत्रीय केन्द्र की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस केन्द्र को बंद कर दिया जाए।

तदनुसार केरल सरकार के कृषि विभाग से अनुसंधान केन्द्र की अचल सम्पत्तियों को (टेक-ओवर) अधिग्रहित करने का अनुरोध किया गया। निदेशक, कृषि विभाग, केरल सरकार के साथ निदेशक सी०पी०सी०आर०आई० कासरगोड की दिनांक 19.8.2004 को हुई बैठक में इस अनुरोध पर सैद्धांतिक रूप में सहमति व्यक्त की गई थी। तथापि, सहमति होने पर भी कृषि विभाग, केरल सरकार द्वारा केन्द्र को अधिग्रहित किया जाना अभी बाकी है।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान को धनराशि का आबंटन

2765. श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कटक के विध्याधरपुर स्थित केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान को दी जाने वाली धनराशि के आबंटन में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए वर्षवार कितना बजटीय आबंटन किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान चावल और धान की नई बेहरत किस्मों की विकसित करने के लिए कौन-कौन से अनुसंधान कार्य किए गए हैं और इनमें कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटन नहीं घटा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत किए गए बजटीय आबंटन का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

वित्तीय वर्ष	योजना (लाख रु० में)	
	आबंटन	व्यय
2003-04	153.00	140.18
2004-05	355.90	338.52
2005-06	353.10	352.79

(ग) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल में अधिक उपज देने वाली किस्मों और संकरों के विकास में लगा हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान संकरों नामत: अजय और राजलक्ष्मी को जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, छ: किस्में नामत: गीताजंलि, केतकीजोहा, वीरेन्द्र, नवीन, अभिशेख और वर्षाधान भी विकसित की गई हैं। इन किस्मों और संकरों की उपज क्षमता 4.0 टन प्रति हैक्टर से 7.0 टन प्रति हैक्टर के बीच है।

हल्दी के मूल्य में गिरावट

2766. डा एम० जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में हल्दी के मूल्य में आई भारी गिरावट के कारण हल्दी उगाने वाले किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड (नेफेड) को किसानों के लिए लाभकारी मूल्य पर हल्दी को खरीदने का निदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) हल्दी के मूल्यों में अनुचित गिरावट के कारण हल्दी के किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई सूचना अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त दूध का विपणन

2767. **श्री ए० साई प्रताप :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में दूध के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार दूध की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया है; और

(ग) अतिरिक्त दूध के विपणन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश में दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित दूध की मात्रा इस प्रकार है :–

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (हजार टन में)
2003-04	6959
2004-05	7257
2005-06	7624

(ग) आन्ध्र प्रदेश में अतिरिक्त दूध की कोई सूचना नहीं है। राज्य में दुग्ध उत्पादन राज्य की मांग को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर पर्याप्त है।

औद्योगिक पार्क आर्डिनेन्स

2768. **श्री मधुसूदन मिस्त्री :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने औद्योगिक पार्क आर्डिनेन्स है; और

(ख) औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कार फर्नांडीस) : (क) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, औद्योगिक पार्क स्कीम चला रहा है इसे पहली बार 30 मार्च, 1999 को अधिसूचित किया गया था तथा 1 दिसम्बर, 1999 एवं 1 अप्रैल, 2002 को इसे संशोधित किया गया। इस स्कीम के द्वारा उन औद्योगिक केन्द्रों/औद्योगिक मॉडल टाउन विकास केन्द्रों जिन्हें केन्द्रीयकृत रूप में उच्च गुणवत्ताकी अवसंरचना उपलब्ध करायी जाती है, के विकास हेतु निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है ताकि ऐसे पार्कों से चलाई जा रही इकाइयां अल्पतर सौदे लागत का लाभ उठा सकें तथा कम समय में शुरू की जा सकें।

यह स्कीम ऐसे उपक्रम पर लागू है जो 1 अप्रैल 1997 से शुरू होकर 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली औद्योगिक मॉड्ल टाउन/ग्रोथ सेन्टर नामक पात्र परियोजनाओं का "विस्तार एवं प्रचालन" अथवा "प्रबोधन एवं प्रचालन" करता है।

विवरण

वर्ष 1999 से औद्योगिक पार्क योजना के तहत संस्वीकृत अनुमोदनों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य	औद्योगिक पार्क योजना, 1999 तथा 2000 के अंतर्गत संस्वीकृत योजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25
2.	चंडीगढ़	01
3.	गुजरात	05
4.	हरियाणा	02
5.	जम्मू एवं कश्मीर	01
6.	कर्नाटक	41
7.	केरल	01
8.	महाराष्ट्र	56
9.	पंजाब	01
10.	राजस्थान	78

1	2	3
11.	तमिलनाडु	12
12.	उत्तर प्रदेश	08
13.	उत्तरांचल	05
14.	पश्चिम बंगाल	08
	योग	244

डाइक्लोफिनेक ड्रग पर प्रतिबंध

2769. **श्री के०वै०एस०पी० रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पशु चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली डाइक्लोफिनेक ड्रग को चरणबद्ध ढंग से हटाने और अंततः इस पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों से पशु चिकित्सा में उपयोग की जाने वाली उक्त औषधि के उपयोग को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पशुओं के उपचार के लिए उपयोग में लायी जाने वाली वैकल्पिक, सुरक्षित और प्रभावी अनुमत्य औषधि का क्या नाम है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (घ) पशु चिकित्सा में इस्तेमाल के लिए डाइकोफिनेक को हटाने का मामला सरकार के विचाराधीन था क्योंकि डाइकोफिनेक से उपचारित पशुओं के पशुशवों के अपमार्जन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की संख्या में गिरवट के कारण विभिन्न मंचों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने जनवरी, 2006 में राज्य पशुपालन/पशुचिकित्सा विभाग को सलाह दी है कि वे अपने केन्द्रीय ड्रग भंडारणों के लिए डाइकोफिनेक न खरीदें। भारतीय औषध महानियंत्रक ने भी अपने पत्र संख्या 18-03/2006-डी०सी० दिनांक 11 मई, 2006 द्वारा सभी औषध नियंत्रकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे डाकोफिनेक के पशुचिकित्सा फार्मूलेशन के निर्माण के लिए प्रधान निर्माण लाइसेंस वापिस ले लें और 3 महीने के भीतर इस प्रकार के फार्मूलेशन को बाजार से हटा दें।

(ङ) मैलोसिक्सीकम जैसे वैकल्पिक ड्रग की पशुचिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल में पशुओं के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने की अनुमति है।

[हिन्दी]

मजदूरों हेतु मजदूरी

2770. **डा० शफीकुर्रहमान बर्क** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे और मझोले उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी के संबंध में कोई पारदर्शिता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में पारदर्शिता लाने के लिए किन उपायों को अपनाया जाएगा?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक आधार पर कैस (सी०ए०एस०)

2771. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारती दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का विचार स्वैच्छिक आधार पर कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी०ए०एस०) की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्वैच्छिक आधार पर कैस की अनुमति देने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। तथापि, ट्राई ने स्वैच्छिक आधार पर कैस की अनुमति देने के विकल्प की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फॉरवर्ड मॉर्केट में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

2772. डा० सत्यनारायण जटिया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्यात एवं आयात का ब्यौरा क्या है तथा वस्तु-वार और वर्ष-वार उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित मात्रा तथा मूल्य कितना था;

(ख) क्या फॉरवर्ड मार्केट में खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारकों तथा खुले बाजार में मूल्यों पर इसके प्रभाव के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्यात और आयात, उनकी मात्रा और मूल्य तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा उनके मदवार और वर्षवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य, मांग और आपूर्ति तथा प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर निर्धारित होते हैं। वस्तु भावी सौदा बाजार मूल्य खोज तथा मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कराते हैं। खुले बाजारों में मूल्यों पर वस्तु भावी सौदा व्यापार के प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

विवरण-I

मुख्य खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मात्रा और यूनिट मूल्य को दर्शाता हुआ आयात और निर्यात का ब्यौरा

यूनिट मूल्य अमेरिकी डॉलर में/यूनिट मात्रा हजार यूनिटों में

क्र० सं०	वस्तु	यूनिट	आयात मूल्य	निर्यात मूल्य	आयात मात्रा	निर्यात मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
			अप्रैल-मार्च 2004			
1.	गेहूं	टन	118.39	127.13	0.46	4093.08
2.	चावल (गैर बासमती)	टन	उपलब्ध नहीं	179.25	0.05	2640.57
3.	दालें	टन	288.53	464.73	1723.33	153.88
4.	चीनी	टन	183.4	220.52	74.4	1200.6
5.	वनस्पति तेल	टन	480.6	उपलब्ध नहीं	5290.3	उपलब्ध नहीं
6.	कच्चा जूट	टन	182.55	उपलब्ध नहीं	111.96	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6	7
			अप्रैल-मार्च 2005			
1.	गेहूं	टन	109.79	158.11	0.22	2009.35
2.	चावल (गैर बासमती)	टन		237.48	उपलब्ध नहीं	3615.1
3.	दालें	टन	288.81	483.57	1339.45	271.18
4.	चीनी	टन	277.76	299.39	932.74	108.68
5.	वनस्पति तेल	टन	507.36	उपलब्ध नहीं	4751.19	उपलब्ध नहीं
6.	कच्चा जूट	टन	335.54	उपलब्ध नहीं	20.74	उपलब्ध नहीं
			अप्रैल-मार्च 2006			
1.	गेहूं	टन	उपलब्ध नहीं	166.31	उपलब्ध नहीं	745.57
2.	चावल (गैर बासमती)	टन	324.35	236.16	0.02	3905.41
3.	दालें	टन	324.78	551.95	1608.24	444.61
4.	चीनी	टन	259.61	391.31	558.77	316.85
5.	वनस्पति तेल	टन	464.67	उपलब्ध नहीं	4174.79	उपलब्ध नहीं
6.	कच्चा जूट	टन	337.49	उपलब्ध नहीं	47.4	उपलब्ध नहीं

विवरण-II

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(प्रति क्विंटल रुपए)

क्र० सं०	वस्तु	किस्म	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
	खरीफ				
1.	धान	सामान्य	560	570	580*
		ग्रेड ए	590	600	610*
2.	ज्वार	हाइब्रिड	515	525	540
3.	बाजरा		515	525	540
4.	अरहर (तूर)		1390	1400	1410
5.	मूंग		1410	1520	1530
6.	उड़द		1410	1520	1530
7.	मूंगफली		1500	1520	1530
	रबी फसल				
8.	गेहूं		640	650#	750

1	2	3	4	5	6
9.	चना		1425	1435	1445
10.	रैपसीड सरसों		1700	1715	1715
11.	मसूर		1525	1535	1545
12.	गन्ना@		74.50	79.50	80.25
13.	जूट		890	910	1000

*. 1.10.2006 से 31.3.2007 के बीच धान खरीद पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा गेहूं पर 50 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस दिया जाता है।

@8.5 प्रतिशत की बुनियादी वसूली से जुड़े सांविधिक न्यूनतम मूल्य जिसमें स्तर से ऊपर वसूली में प्रति 0.1 प्रतिशत के लिए समानुपातिक प्रीमियम।

मध्य प्रदेश में डेयरी विकास

2773. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत गुणवत्ता वाले और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा सघन डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त धनराशि को कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं ''गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण'' और ''सघन डेयरी विकास कार्यक्रम'' के तहत मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव का योजनावार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

राज्य सरकार से प्राप्त 14 प्रस्तावों में से इस विभाग ने वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान बेतुल, धार, ग्वालियर, भिंड, दतिया, मौरेना, बालाघाट, मंदसौर, देवास, रतलाम, भोपाल, सिहोर और साजापुर जिलों में तीन वर्ष की अवधि में क्रियान्वित करने के लिए 637.49 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता और 166.74 लाख रुपए की संगठनात्मक हिस्सेदारी से 804.23 लाख रुपए

[अनुवाद]

नदियों को जोड़ना

2774. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के हिमालय क्षेत्र में नदियों को जोड़ने का कार्य अप्राकृतिक धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2050 तक जनसंख्या के 1.6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और खाद्यान्न की आवश्यकता के 400 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सिंचाई और कृषि को वरीयता देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए नदियों को जोड़ने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस समय नदियों को जोड़ने का मामला किस चरण में है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन०पी०पी०)

के हिमालयी घटक के अंतर्गत व्यवहार्यता रिपोर्टों (एफ०आर०एस०) की तैयारी के लिए पहचान किए गए 14 संपर्कों में से भारतीय भाग के लिए दो संपर्कों अर्थात सारदा-यमुना और घाघरा-यमुना की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। भारतीय भाग में शेष संपर्कों के लिए क्षेत्र अन्वेषण और जांच का कार्य अंतिम चरण में है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए अध्ययन (1994) में यह दर्शाया गया है कि औसत अनुमानों का इस्तेमाल करते हुए सन 2050 तक भारत की आबादी लगभग 1.60 बिलियन हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास उपयोग (1999) ने सन 2050 तक देश के लिए 494 मिलियन टन (उच्चमांग) और 420 मिलियन टन (कम मांग) खाद्यान्न की आवश्यकता होने का आकलन किया है।

(घ) और (ङ) जल संसाधन मंत्रालय (एम०ओ०डब्ल्यू०आर०) (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) तथा केन्द्रीय जल आयोग (सी०डब्ल्यू०सी०) ने जल संसाधन विकास के लिए 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्षय योजना (एन०पी०पी०) तैयार की थी जिसमें अधिकता वाले बेसिनों से कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जिसके दो घटक हैं अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक जल के अंतर्बेसिन अंतरण की परिकल्पना की गई थी। एन०पी०पी० के प्रस्तावों की व्यवहार्यता प्रमाणित करने और इसे एक ठोस आधार देने के लिए विभिन्न तकनीकी अध्ययन करने के वास्ते जल संसाधन मंत्रालय के अधीन 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन०डब्ल्यू०डी०ए०) की स्थापना की गई। किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर एन०डब्ल्यू०डी०ए० ने व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफ०आर०) तैयार करने के लिए 30 संपर्क अभिज्ञात किए हैं (प्रायद्वीपीय घटक के अधीन 16 तथा हिमालयी घटक के अधीन 14)। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अधीन 14 संपर्कों तथा हिमालयी घटक के अधीन 2 संपर्कों (भारतीय हिस्सा) की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं।

इसके अलावा प्रायद्वीपीय घटक में एक संपर्क अर्थात केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) तैयार करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के बीच 25 अगस्त, 2005 को हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त डी०पी०आर० तैयार करने का काम एन०डब्ल्यू०डी०ए० को सौंप दिया।

धान की खेती

2775. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान की खेती का क्षेत्र वर्ष-दर-वर्ष घटता ही जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार ऐसे कितने क्षेत्र पर खेती की जा रही है; और

(ग) धान की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) 2003-04 से 2005-06 तक धान की खेती के अंतर्गत आने वाला समस्त भारत का क्षेत्र नीचे सारणी दिया गया है:

वर्ष	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)
2003-04	42,592.5
2004-05	41,906.7
2005-06	43,659.8

फसल वर्ष 2004-05 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून अपनी लम्बी अवधि औसत से 13 प्रतिशत कम था, जिसके परिणामस्वरूप 2004-05 के दौरान धान की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र विशेषकर उत्तर प्रदेश में कम हुआ। 2003-04 से 2005-06 तक धान की खेती के अंतर्गत आने वाले राज्य-वार क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में चावल (धान) की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2000 से कृषि के वृहत प्रबंधन माध्यम के अंतर्गत "चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०-चावल)" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। स्कीम के अंतर्गत उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी,

हाइब्रीड चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी, खेतों पर प्रदर्शनों के द्वारा एकीकृत कीटनाशक प्रबन्धन, किसानों को प्रशिक्षण, इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं प्रकाशित सामग्री के द्वारा प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण, कृषि उपकरणों, टपकाव सिंचाई प्रणाली की स्थापना, किस्मीय बदलाव तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन के प्रचार के लिए भारत सरकार तथा राज्यों के बीच 90:10 प्रतिशतता भाग के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त किसानों के खेतों पर 100% भारत सरकार की सहायता पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) द्वारा फ्रंट लाइन प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। चावल के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे चावल तीव्रीकरण (एस०आर०आई०), जीरो टिलेज तथा अन्य संसाधन बचाव प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भी सरकार प्रोत्साहन देती है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप धान की उत्पादकता 1999-2000 में 2979 किलोग्राम/हैक्टेयर से 2005-06 में 3153 किलोग्राम/हैक्टेयर बढ़ गई है।

विवरण

राज्य	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)		
	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	2975.0	3086.0	3982.0
अरूणाचल प्रदेश	119.2	121.6	122.3
असम	2529.0	2376.8	2420.3
बिहार	3578.0	3122.6	3252.4
छत्तीसगढ़	3829.0	3746.7	3747.2
गोवा	52.8	52.4	52.2
गुजरात	675.3	685.6	666.0
हरियाणा	1015.0	1028.0	1052.0
हिमाचल प्रदेश	81.3	81.0	79.4
जम्मू और कश्मीर	259.8	250.0	259.0
झारखण्ड	1363.0	1285.0	1354.7
कर्नाटक	1073.9	1308.0	1485.0
केरल	287.4	289.9	275.8
मध्य प्रदेश	1718.8	1622.5	1657.7
महाराष्ट्र	1530.0	1519.0	1515.0
मणिपुर	157.8	176.3	166.3
मेघालय	109.7	111.5	100.7
मिजोरम	59.5	54.8	55.8
नागालैंड	155.0	153.0	156.4
उड़ीसा	4501.2	4472.0	4479.0
पंजाब	2614.0	2647.0	2642.0
राजस्थान	99.7	101.3	107.4
सिक्किम	14.7	14.7	15.0
तमिलनाडु	1396.6	1872.8	2050.5
त्रिपुरा	237.7	242.6	244.7
उत्तर प्रदेश	5952.0	5339.3	5578.2
उत्तरांचल	293.0	306.0	302.0
पश्चिम बंगाल	5856.6	5783.6	5783.0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10.6	10.7	10.6
दादरा नागर हवेली	13.5	13.5	13.6
दिल्ली	6.5	6.0	7.5

1	2	3	4
दमन और दीव	1.8	1.7	1.8
पाण्डिचेरी	25.1	24.8	24.3
समस्त भारत	42592.5	41906.7	43659.8

ई०आई०ए० संबंधी कार्यबल

2776. **श्रीमती मेनका गांधी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई०आई०ए०) संबंधी मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक कृत्यक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यबल ने ई०आई०ए० मानदंडों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग ने ग्यारहवीं योजना (2007-08) तैयार करने के संदर्भ में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के बारे में मानदण्डों की पुनरीक्षा के लिए पारि बल स्थापित किया था।

(ग) से (ङ) पारि बल की रिपोर्ट ग्यारहवीं योजना के लिए पर्यावरण और वन क्षेत्र के लिए स्थापित योजना आयोग की संचालन समिति के विचाराधीन है।

पर्यावरण/वन संसाधनों पर खनन का प्रभाव

2777. **श्री सुग्रीव सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरकारी/निजी क्षेत्र की खनन कंपनियों द्वारा उड़ीसा के विभिन्न भागों में क्षतिग्रस्त हुए पर्यावरण तथा वन संसाधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में खनन हेतु स्वीकृति देने से पहले कोई शर्तें रखी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन शर्तों ने राज्य में पर्यावरण तथा वन संसाधनों की क्षति को किस सीमा तक रोका है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य में जनवरी, 2005 से 36 (छत्तीस) खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है। पर्यावरणीय मंजूरी कतिपय शर्तों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की शर्त पर प्रदान की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ ही साथ अधिभार का उचित प्रबंध, अधिभार कूड़े का सुधार, अधिभार कूड़े के चारों तरफ नाली उपलब्ध करना, ढके हुए ट्रकों के द्वारा खनिजों का परिवहन, हरित पट्टी का विकास, धुलाई सड़कों पर पानी का छिड़काव, नियंत्रित विस्फोटन को अपनना, वायु और जल (भू और सतही) गुणता आदि की नियमित मानीटरिंग आदि शामिल है।

उसी अवधि के दौरान उड़ीसा में खनन उद्देश्यों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत परिमाणित 4,978.548 हैक्टेयर वन क्षेत्र वनेतर प्रयोग के लिए दिया गया। आस-पास के क्षेत्रों पर खनन के प्रभाव को कम करने के लिए वानिकी मंजूरी प्रतिपूरक वनीकरण, पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन, दिशा-परिवर्तित क्षेत्र के लिए निवल वर्तमान मूल्य का भुगतान, वनस्पतिजात और प्राणिजात के लिए संरक्षण उपाय, बाड़ लगाना और सुरक्षा जोन का प्रबंध आदि की जैसी कतिपय शर्तों के आधार पर दी जाती है।

प्रदूषण और खनन के कारण अन्य दुष्प्रभावों को रोकने में उपर्युक्त शर्तें बड़े पैमाने पर सफल रही हैं।

[हिन्दी]

मजदूरों को निशुल्क कानूनी सलाह

2778. **श्री हेमलाल मुर्मू :**
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्रभावी निकाय बनाने और देश में कामगारों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के विवादित मामलों के निपटारे की हाल ही में समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गरीब मजदूरों को निशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकलापों की केन्द्रीय न्यासी बार्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) द्वारा नियमित रूप से निगरानी/समीक्षा की जाती है और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई स्कीमों के सफल संचालन हेतु उपयुक्त सुझाव/सिफारिशें की जाती है। संगठन के फील्ड अधिकारियों द्वारा सदस्यों की शिकायतों का समाधान करने के लिए और कठिनाइयां, यदि कोई हों तो, उन्हें दूर करने हेतु मासिक आधार पर भविष्य निधि अदालतों का आयोजन किया जाता है।

कामगारों के लिए स्कीम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कई कदम उठाए है अर्थात अपने मुख्यालय में एक शुल्क रहित (टोल फ्री) हेल्पलाईन, की स्थापना, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में सुविधा केन्द्रों की स्थापना आदि। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सभी कार्यालयों में शिकायत अदालतों का आयोजन किया जाता है। लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के उद्देश्य से 1 अगस्त, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक एक आम माफी स्कीम (एमनेस्टी स्कीम) आरम्भ की गई है।

[अनुवाद]

ई०पी०एफ० अंशदान में वृद्धि

2779. **श्री मित्रसेन यादव :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि (ई०पी०एफ०) में नियोक्ता के अंशदान को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इसके लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्ता

2780. **श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वैद्यनाथन समिति की प्रत्येक सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) सरकार ने देश में सहकारी ऋण संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए ग्रामीण सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यवहारिक क्रियान्वयन करने योग्य कार्ययोजना के रूपान्वयन के लिए प्रोफेसर ए० वैद्यनाथन की अध्यक्षता में अगस्त, 2004 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को कायाकल्प पर एक कार्यबल का गठन किया। कार्यबल में फरवरी, 2005 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। सरकार ने सिद्धांत: कार्यबल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकारों के साथ उस पर विचार-विमर्श किया गया तथा सहमति बनाई गई।

वैद्यनाथन समिति की सिफारिशें, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ हुई सहमति और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	प्रो०ए० वैद्यनाथन समिति की सिफारिश	राज्य सरकारों के साथ सरकार से हुई सहमिति पर पैकेज	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1.	लघु आवधिक सहकारी ऋण संरचना को वित्तीय स्थिति के स्वीकार स्तर तक लाने के लिए उनके तुलन पत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए वित्तीय पैकेज	इसमें तुलन-पत्रों को स्वच्छ बनाना, न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं हेतु सहायता, समरूप लेखाकरण प्रणाली विकसित करना और कम्प्युटरीकरण शामिल हैं। 13596 करोड़ रुपए अनुमानित वित्तीय पैकेज का वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और सहकारी ऋण समितियों द्वारा शेयर किया जाएगा जो हानि के उद्गम और विद्यमान वचनबद्धता पर आधारित होगी।	नौ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल, और उत्तर प्रदेश ने पैकेज के क्रियान्वयन के लिए सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है अन्य पांच राज्य नामत:, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, सिक्किम, तलिनाडु और संघ शासित क्षेत्र दादर नागर हवेली ने सिद्धांत पैकेज को स्वीकार किया है।
2.	उनके लोकतांत्रिक स्वावलंबी और कुशल कार्यक्रम के लिए आवश्यक कानूनी और संस्थागत सुधार लागू करना।	पुन:जीवन पैकेज में ऋण सहकारी समितियों में राज्य सरकारों के हस्तक्षेप को कम करना चाहा गया है तथा इसमें राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम में उपयुक्त संशोधन परिकल्पित है। वित्तीय पैकेज के अधीन वित्तीय सहायता की निर्मुक्ति पाश्वर्ात होगी तथा कानूनी संस्थागत और विनियामक सुधारों के संबंध में पूर्व परिभाषित बैंच मार्क की उपलब्धि से जुड़ी होगी और इसे तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध किया जाएगा।	महाराष्ट्र राज्य सरकार, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश ने पैकेज के अधीन सुधार उपायों को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन के लिए कार्य शुरू किए हैं। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में गठित राष्ट्र स्तरीय क्रियान्वयन और मानिटरिंग समिति ने पैकेज के क्रियान्वयन हेतु नीतिगत निदेश देने के लिए क्रमश: 30 मई, 2006, 7 सितम्बर, 2006 और 19 जनवरी, 2007 को बैठकें कीं।
3.	उपर्युक्त तकनीकी सहायता के जरिए मानक संसाधन की क्वालिटी और प्रचालनात्मक क्षमता सुधारने के उपाय करना		महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरांचल में राज्य स्तरीय और डी०सी०सी०बी० स्तरीय क्रियान्वयन और मानिटरिंग समितियों का गठन किया है। नाबार्ड ने जी०टी०जेड०, जर्मनी के साथ पी०ए०सी०एस० हेतु समरूप लेखाकरण प्रणाली विकसित करने पर कार्य कर रहा है। नाबार्ड द्वारा स्थापित आंतरिक समिति पी०ए०सी०एस० कर्मचारियों बोर्ड के सदस्यों आदि के प्रशिक्षण हेतु मोड्यूल सामग्री और कार्यनीति तैयार कर रहा है। सरकार ने पुन:जीवन पैकेज हेतु नाबार्ड 400 करोड़ रुपए की धनराशि निमुक्त की है।

[अनुवाद]

संयुक्त निरीक्षण

2781. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए समय-समय पर हमारी सीमाओं पर कामन स्थलों पर पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त निरीक्षण किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ये निरीक्षण किस स्तर पर किए जाते हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए संयुक्त निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पड़ोसी देशों के साथ जल संबंधी मुद्दों को सुलझाने में इन निरीक्षणों से किस सीमा तक मदद मिली है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान जिन स्तरों पर ये निरीक्षण किए गए और निरीक्षणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इन निरीक्षणों से सीमा के साथ विशिष्ट स्थलों पर मुद्दों के संबंध में बेहतर समझ और स्पष्टता स्थापित हुई है ताकि परस्पर सहमति से समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाये जिसकी वजह से दूसरे पक्ष को कोई हानि न हो। ये निरीक्षण नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जल आप्लावन समस्याओं का समाधान करने में तथा भारत-बांग्लादेश सीमा संबंधी नदी नियंत्रण कार्यों के द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करने में काफी उपयोगी साबित हुए हैं।

विवरण

पिछले दो वर्षों (2005-07) के दौरान पड़ोसी देशों की साझे सीमावर्ती स्थलों के संयुक्त निरीक्षण के दौरे

क्र० सं०	दौरे की अवधि	दौरे किए गए क्षेत्र	भारतीय दल/समूह नेता	दौरे का प्रयोजन
1	2	3	4	5
क	**भारत-नेपाल सीमा**			
1.	5 जुलाई, 2005	जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश	आयुक्त (गंगा), जल संसाधन मंत्रालय	भारत नेपाल सीमा क्षेत्रों में आप्लावन समस्याएं
2.	12 जुलाई, 2005	बागमती नदी	निदेशक, जी०एफ० सी०सी०, पटना	नेपाल सीमा में निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण करना
3.	7 अप्रैल, 2006	उत्तर प्रदेश के भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र	आयुक्त (गंगा), जल संसाधन मंत्रालय	भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रों में आप्लावन समस्याएं
4.	10 जून, 2006	बागमती नदी और नेपाल पूर्वी नहर	सदस्य, जी०एफ०सी०सी०, पटना	नेपाल की ओर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करना
5.	25-28 जून, 2006	सप्तकोसी, सनकोसी और कमला बांध स्थल	सदस्य (आर०एम०), सी०डब्ल्यू०सी०	सप्तकोसी, सनकोसी और कमला बांध परियोजनाओं के अन्वेषण कार्यों का क्षेत्र निरीक्षण

1	2	3	4	5
6.	2-6 दिसम्बर, 2006	बागमती नदी और पूर्वी नेपाल नहर	निदेशक, जी०एफ० सी०सी०, पटना	नेपाल सीमा पर चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण करना
ख	भारत-बांग्लादेश सीमा			
7.	26-31 मई, 2005	भारत (पश्चिम बंगाल) और बंग्लादेश की महानंदा, अतराई एवं इच्छामती सीमावर्ती नदियां	आयुक्त (गंगा) जलसंसाधन मंत्रालय	सीमावर्ती नदियों पर प्रस्तावित कटावरोधी कार्यों का निरीक्षण करना तथा इच्छामती नदी की गाद हटाना
8.	13-21 सितम्बर, 2006	त्रिपुरा में मुहुरी और फेनी नदियों पर तट सुरक्षा, लघु लिफ्ट सिंचाई एवं पेय जल आपूर्ति स्थल, पश्चिम बंगाल में इच्छामती नदी के साझे सीमाखंड का एक भाग तथा बंग्लादेश की ओर फेनी नदी पर तट सुरक्षा स्थल।	माननीय जल संसाधन मंत्री	तट सुरक्षा लघु लिफ्ट सिंचाई के लिए भू स्थिति का निरीक्षण करना तथा आकलन करना, पेयजल आपूर्ति स्थल और तटकर्षण/साझी/सीमावर्ती नदियों पर स्थलों की गाद हटाना

आधुनिक पुष्पकृषि बाजार की स्थापना

2782. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से आधुनिक पुष्पकृषि बाजार की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं। सरकार को आधुनिक पुष्पकृषि मण्डी की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

धान की औने-पौने दामों पर बिक्री

2783. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में कुछ राज्यों में धान की औने-पौने दामों पर बिक्री की रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मूल्यों में गिरावट और धान की औने-पौने दामों पर बिक्री के क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों में किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) कुछ राज्यों में खरीफ विपणन मौसम 2006-07 (अक्तूबर-नवम्बर, 2006 में) के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर धान की बिक्री की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। आवश्यक जांच के बाद भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि जांच किए गए सभी मामलों में बेचा गया धान भारत सरकार की उचित औसत किस्म विनिर्दिष्टियों से नीचे था।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों के लाभ किसानों तक पहुंच जाएं, सरकारी एजेंसियों (भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों) ने धान के विपणनीय अधिशेष वाले

सभी जिलों में वसूली केन्द्र खोले हैं। किसान अपने उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को अथवा खुले बाजार में, जो भी उन्हें लाभप्रद हो, बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। खरीफ विपणन मौसम 2006-07 (31.3.2007 तक) में खरीदे जाने वाले धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर प्रति क्विंटल 40 रुपये का प्रोत्साहन बोनस भी दिया जा रहा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गुणवत्ता की विहित विशिष्टियों से परिचित कराने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, इश्तेहारों, बैनरों आदि के जरिए व्यापक प्रचार भी किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों की कवरेज को व्यापक बनाने के लिए छतीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि जैसे अनेक राज्यों में विकेन्द्रीकृत वसूली योजना चल रही है।

तीस्ता बैराज परियोजना

2784. श्री इन्नान मोल्लाह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तरी बंगाल में तीस्ता बैराज परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार इस परियोजना की स्थिति तथा इसे पूरा करने की संभावित तारीख क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अंतर्गत 1996 से अब तक तीस्ता बैराज परियोजना को 141.244 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। ए०आई०बी०पी० के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता राज्यों को प्रदान की जाती है जो कि राज्यों द्वारा वास्तविक/वित्तीय प्रगति, उपयोग प्रमाण पत्र और बजट के बराबर-बराबर प्रावधान पर आधारित होती है।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तीस्ता बैराज परियोजना को 3 चरणों में निष्पादित किए जाने का प्रस्ताव था। परियोजना का प्रथम चरण पुन: तीन अवस्थाओं में उप विभाजित है। प्रथम अवस्था आगे दो उप अवस्थाओं में उप विभाजित है। परियोजना के प्रथम चरण की अवस्था-I की उप अवस्था-I का कार्य इस समय चल रहा है। परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यों की प्रगति की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:-

क्रम सं०	परियोजना के घटक	प्रगति का प्रतिशत		
		बैराज	मुख्य नहर	वितरिकाएं
1.	तीस्ता बैराज, महानंदा बैराज और दाउक बैराज	100%	–	–
2.	तीस्ता महानंदा नहर	–	100%	85%
3.	महानंदा मुख्य नहर	–	100%	63%
4.	दाउक नगर मुख्य नहर	–	85%	33%
5.	तीस्ता जलढाका मुख्य नहर	–	83%	12%
6.	नगर टंगोन मुख्य नहर	–	शून्य	शून्य

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चरण-I की पहली अवस्था की पहली उप अवस्था के अंतर्गत परियोजना के विभिन्न घटकों को पूरा करने की लक्षित तारीख मार्च, 2010 है।

प्रसार भारती का कार्यकरण

2785. श्री के० विरूपाक्षप्पा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रसार भारती की इकाइयां राज्यवार कहां-कहां हैं;

(ख) क्या कतिपय राज्यों/स्थानों पर ये इकाइयां कार्य नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबं में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों (64) और ट्रांसमीटर (1398) तथा आकाशवाणी स्टेशनों (361 ट्रांसमीटरों सहित 225 स्टेशन) की राज्यवार अवस्थिति का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) से (घ) दूरदर्शन के सभी 64 स्टूडियो केन्द्र कार्यशील

हैं। कालीकट (केरल) और राजौरी (जम्मू और कश्मीर) स्थित दो अतिरिक्त स्टूडियो केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार हैं और इन्हें अभी परिचालित किया जाना है। अपेक्षित स्टाक की संस्वीकृति और तैनाती के बाद इन दो स्टूडियो केन्द्रों को परिचालित किया जा सकता है। इस समय, दूरदर्शन नेटवर्क के कुल 1398 ट्रांसमीटरों में से 53 ट्रांसमीटर पर्याप्त जनशक्ति की अनुपलब्धता के कारण आंशिक प्रसारण का रिले कर रहे हैं। अधिकांश दूरदर्शन स्टेशनों के परिचालन और रखरखाव के लिए स्टाफ की संस्वीकृति नहीं दी गई है और पुनःतैनाती के लिए जरिए सीमित स्टाफ उपलब्ध करवाकर इन्हें परिचालित किया गया है। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, राजकोट स्थित 1000 कि०वा०मी०वे० ट्रांसमीटर, जिसे सितम्बर, 2009 तक प्रतिस्थापित कर दिए जाने की आशा है, को छोड़कर सभी ट्रांसमीटर/अधिष्ठापन कार्यशील हैं तथा अलीगढ़ स्थित 250 कि०वा० एस०डब्ल्यू० के दो ट्रांसमीटर कलपुर्जों की कमी के कारण बंद हैं। इन कलपुर्जों को नवम्बर, 2007 तक उपलब्ध करवा दिए जाने की आशा है।

विवरण-I

दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र

असम	गुवाहाटी
	पी०पी०सी०, गुवाहाटी
	डिब्रूगढ़
	सिल्चर
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
	विजयवाड़ा
	वारंगल
अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर
बिहार	पटना
	मुजफ्फरपुर
छत्तीसगढ़	जगदलपुर
	रायपुर
गोवा	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद
	राजकोट
हरियाणा	हिसार
हिमाचल प्रदेश	शिमला
झारखंड	रांची
	डाल्टनगंज
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
	जम्मू
	लेह
केरल	त्रिवेंद्रम
	त्रिचूर
कर्नाटक	बंगलौर
	गुलबर्गा
मध्य प्रदेश	भोपाल
	इंदौर
	ग्वालियर
मेघालय	शिलांग
	तुरा
महाराष्ट्र	मुम्बई
	नागपुर
	पुणे
मणिपुर	इम्फाल
मिजोरम	आईजोल
नागालैंड	कोहिमा

उड़ीसा	भुवनेश्वर		मऊ
	भवानीपटना		इलाहाबाद
	संभलपुर		वाराणसी
पंजाब	जालंधर		मथुरा
	पटियाला	उत्तरांचल	देहरादून
राजस्थान	जयपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
सिक्किम	गंगटोक		शांतिनिकेतन
तमिलनाडु	चेन्नै		जलपाईगुड़ी
	कोयम्बटूर	दिल्ली	दिल्ली
	मदुरै		सी०पी०सी०, दिल्ली
त्रिपुरा	अगरतला	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्टब्लेयर
उत्तर प्रदेश	लखनऊ		
	गोरखपुर	पांडिचेरी	पांडिचेरी
	बेरली	चंड़ीगढ़	चंडीगढ़

दूरदर्शन ट्रांसमीटर (14.03.2007 तक स्थिति के अनुसार)

आंध्र प्रदेश

कुल ट्रांसमीटर - 105

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (13)

अनंतपुर	राजमुंदरी	वारंगल
हैदराबाद	तिरूपति	हैदराबाद (डी०डी० न्यूज)
कुरनूल	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा (डी०डी० न्यूज)
नांदयाल	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम (डी०डी० न्यूज)
राजामुंदरा (डी०डी० न्यूज)		

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (81)

आछमपेट	करीमनगर	पुंगानूर

आदिलाबाद

अडोनी

आलगड्डा

अमलापुरम

बांसवाड़ा

बेलामपेल्ली

भद्राचलम

भाइंसा

भीमाडोलु

भीमावरम

बोब्बिली

चित्तूर

कुड्प्पा

दारसी

देवरकोंडा

एम्मीगनूर

गडवाल

गिड्डलूर

गुंटकल

हिंदुपुर

जडचेरला

जगतियाल

कदीरी

काकीनाडा

कामरेड्डी

कंडुकूर

कवेली

खमाम

कोल्हापुर

कोसगी

कोठगुडम

कुप्पम

एल० आर० पल्ली

मचरेला

मच्छलीपट्टनम

मदनापल्ली

माड्गुला

मंदासा

मर्कापुर

मेडक

महबूबनगर

मिर्यालकुडा

नागर करनूल

नलकोंडा

नारायणपेट

नेल्लौर

निर्मल

निजामाबाद

ओंगोले

पेदापल्ली

प्रोदुत्तूर

पुलामनेर

राजमपेट

रामागुंडम

सिद्दीपेट

सिरीसिल्ला

सिरपुर

श्रीकाकुलम

तलाकोंडापल्ली

तामब्लापल्ली

तंदुर

टेक्कली

तिरूपति

तुनी

उदयगिरी

वेमडांडा

वेमलवाडा

विनुकोंडा

विशाखापट्टनम

वनापरती

येल्लांडु

जहीराबाद

आत्माकुर (डी०डी० न्यूज)

काकीनाडा (डी०डी० न्यूज)

नरसारापेट (डी०डी० न्यूज)

नेल्लौर (डी०डी० न्यूज)

पेडांडीपडु (डी०डी० न्यूज)

विशाखापट्टनम (डी०डी० न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (आर०एल०एस०) (10)

चिन्तापल्ली	मादीपर्डू	सीताम्पेटा
डुट्टालूर	मारीपाडु	श्रीसलेम
इच्छापुरम	पडेरू	
कनीगिरी	पार्वतिपुरम	

ट्रांसपोज़र (1)

विजयवाड़ा

अरूणाचल प्रदेश

कुल ट्रांसमीटर-46

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

ईटानगर	ईटानगर (डी०डी० न्यूज)	

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

मियाओ	पासीघाट	तेजु

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (40)

अलॉंग	जैंसी	पलीन
बारिरिजो	हवाई	रागा
बसर	ह्युलियंग	रोईंग
बोलेंग	हुनली	रूपा
बोमडिला	इंकियोंग	सागली
चांगलंग	कलाक्तंग	संग्राम
चेयंगताजो	खिमयोंग	सेयजोसा
दपोरिजो	खोंसा	सेप्पा
दारक	मरियांग	तालीह्म
दियोमाली	मेचुका	त्वांग

दिरांग

एटालीन

जेकु

जीरो

मुक्तो

नमपोंग

नामसई

तिर्बिन

तूतिंग

योमचा

ट्रांसपोजर (1)

सांखीव्यू

असम

कुल ट्रांसमीटर-29

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

डिब्रूगढ़

गुवाहाटी

सिल्चर

गुवाहाटी (डी०डी० न्यूज)

सिल्चर (डी०डी० न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (22)

बोकाखाट

बोगांईगांव

बुबरी

दिफू

गोलपाड़ा

गोहपुर

गोलाघाट

हफ्लोंग

हतसिंघमारी

होजई

जोराहट

कोकराझार

लुमडिंग

मारघेरिटा

नागांव

नजीरा

नार्थ लखीमपुर

सतरासल

सोनारी

तेजपुर

तिनसुखिया

डिब्रूगढ़ (डी०डी० न्यूज)

अ० अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

डिगबोई

ट्रांसपोजर (1)

गुवाहाटी

बिहार

कुल ट्रांसमीटर-42

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

कटिहार	पटना	मुजफ्फरपुर (डी०डी० न्यूज)
मुजफ्फरपुर	पटना (डी०डी० न्यूज)	

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (35)

औरंगाबाद	जामुई	रोसेरा
बांका	खगारिया	सहरसा
बेगूसराय	किशनगंज	सासाराम
बेतिया	लखीसराय	शेखपुरा
भभुवा	मधेपुरा	सिकन्दरा
भागलपुर	मधुबनी	सिमरी बख्तियारपुर
बक्सर	मोतीहारी	सीतामढ़ी
दरभंगा	मुंगेर	सिवान
दौंदनगर	नवादा	सुपौल
फोरबेसगंज	फूलपारस	गया (डी०डी० न्यूज)
गया	रामनगर	दरभंगा (डी०डी० न्यूज)
गोपालगंज	रक्सौल	

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

मसरख	मरहौड़ा

छत्तीसगढ़

कुल ट्रांसमीटर-23

उच्चशक्ति ट्रांसमीटर (4)

जगदलपुर	अम्बिकापुर	रायपुर
रायपुर (डी०डी० न्यूज)		

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (16)

बैलाडिल्ला	कोंटा	पेंडरा रोड
बिलासपुर	कोरबा	रायगढ़
चम्पा	कुरासिया	राजहारा झारंदिलि
डूंगरगढ़	महिन्द्रगढ़	सकती
कांकेर	नारायणपुर	खरोद
पांडिरिया		

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (8)

बीजापुर	कॉडगांव	पधालगांव
देवभोग	कोयलीबेडा	सारंगढ़
जसपुरनगर	पखांजोर	
गोवा		

कुल ट्रांसमीटर-2

शक्ति प्रेषित्र (2)

पणजी	पणजी (डी०डी० न्यूज)	

गुजरात

कुल ट्रांसमीटर-70

उच्च शक्ति प्रेषित्र (10)

अहमदाबाद	सूरत	सूरत (डी०डी० न्यूज)
भुज	वडोदरा	वडोदरा (डी०डी० न्यूज) (अंतरिम)
द्वारका	अहमदाबाद (डी०डी० न्यूज)	
राजकोट	राजकोट (डी०डी० न्यूज)	

अल्प शक्ति प्रेषित (57)

अहवा	इदेर	पुनाड़ो (मोबाइल)
अम्बाजी	जमजोधपुर	राधनपर

अमोद	जामनगर	राजपीपला
अमरेली	झागडिया	राजूला
बांतवा	जूनागढ़	रापर
भाबर	केवादिया कालोनी	संजेली
भरूच	खामबलिया	शामलाजी
भावनगर	खम्बात	सोनगढ़
बोटाड	लिम्बड़ी	सुरेन्द्रनगर
छोटा उदेयपुर	लुनावाडा	थराद
डेडियापाड़ा	महुवा	उमेरगांव
दीसा	मंगरोल (जूनागढ़)	उना
देवगढ़ बाडिया	मंगरोल (सूरत)	फत्साड
धंधुखा	महेसाणा	वेरावल
धरंगधरा	मोदासा	गांधीनगर (डी०डी० न्यूज)
धारी	मोरवी	भावनगर (डी०डी० न्यूज)
धर्मपुर	पालनपुर	जामनगर (डी०डी० न्यूज)
धोराजी	पलीटना	दोहाद
पाटन	गोधरा	पोरबंदर

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (आर०एल०एस०) (3)

काकरापाड़	नेतरंग	सागवाड़ा

हरियाणा

कुल ट्रांसमीटर-23

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1)

करनाल

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (22)

भिवानी	महम	भिवानी (डी०डी० न्यूज)

चरखी दादरी

फतेहाबाद

फिरोजपुर झिरका

हिसार

जींद

कैथल

महेन्द्रगढ़

नारनौल

रिवाड़ी

रोहतक

सिरसा

टोहाना

अम्बाला (डी०डी० न्यूज)

हिसार (डी०डी० न्यूज)

करनाल (डी०डी० न्यूज)

कुरूक्षेत्र (डी०डी० न्यूज)

मंडी डबवाली (डी०डी० न्यूज)

नारनौल (डी०डी० न्यूज)

यमुनानगर (डी०डी० न्यूज)

हिमाचल प्रदेश

कुल ट्रांसमीटर-54

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (4)

कसौली

कसौली (डी०डी० न्यूज)

शिमला (डी०डी० न्यूज)

शिमला

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (9)

बिलासपुर

धर्मशाला

कुल्लू

मनाली

डलहौजी

रामपुर

सुन्दरनगर

सुजानपुर

मंडी (डी०डी० न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (39)

आहू फोर्ट

आशापुरी

आवा देवी

बैजनाथ

बांदला

बंजर

भारमौर

भारथी

डलहौजी

दियार

हमीरपुर

होली

जहलमा

जतीनगिरी (फूलाधार)

जोगिंदरनगर

काजा

नेहरी

निचार

पालमपुर

परवाणु

पीरम्यानू

रोहडू

सरकाघाट

शिवबदर

बिजली महादेव	कल्पा	थानेदार
चम्बा	करसोग	टीसा
चौपाल	कीलांग	उदयपुर
चौंडीखास	खड़ापत्थर	ऊना
चिरगांव	कोटखाई	वीर

ट्रांसपोजर (2)

राजगढ़	सोलन	

झारखंड

कुल ट्रांसमीटर-27

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (5)

डल्टानगंज	जमशेदपुर	रांची (डी०डी० न्यूज)
रांची	जमशेदपुर (डी०डी० न्यूज)	

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (19)

बड़हाड़वा	गिरिडह	मुशबनी
बोकारो	गोड्डा	नौमुंडी
चायबासा	गुमला	सरायकेल्ला
दियोघर	हजारीबाग	चतरा
धनबाद	कोडरमा	बोकारो (डी०डी० न्यूज)
दुमका	लोहरडागा	धनबाद (डी०डी० न्यूज)
घाटशिला		

अति अल्प शक्ति प्रेषित्र (3)

सिमडेगा	रामगढ़	गढ़वा

जम्मू और श्रीनगर

कुल ट्रांसमीटर-125

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (19)

जम्मू	सांबा	श्रीनगर (डी०डी० न्यूज)

कठुआ

लेह

पुंछ

श्रीनगर

कुपवाड़ा अंतरिम

नौशेरा

अ०श०ट्रां० (19)

अनन्तनाग (चल) (आर०एल०एस०)

बांदीपोर (चल) (आर०एल०एस०)

चौकीबाल (चल) (आर०एल०एस०)

दर्हाल (चल)

कुलगाम

करगिल

रियासी

अ०अ०श०ट्रां० (86)

आबरान

अर्धकुमारी

आर्नास

असमुक्कम (आर०एल०एस०)

बानी

बनीहाल

बारामुल्ला (आर०एफ०एस०)

बास्को

बसोली

बटालिक

गुरेज

टिथवाल

जम्मू (डी०डी० न्यूज)

नौशेरा (डी०डी० न्यूज)

सांबा (डी०डी० न्यूज)

पाटन (चल) (आर०एल०एस०)

पत्नीटॉप (चल)

काजीकुंड (चल) (आर०एल०एस०)

सोनारवानी (चल) (आर०एल०एस०)

पुंछ

राजौरी

हीरानगर

ईचार

जज्जार कोटली

कालाकोट

कंकरण (आर०एल०एस०)

खालसी

खलताई

खरेब (आर०एल०एस०)

किस्तवाड

कोटरंका

गुरेज डी०डी० न्यूज)

श्रीनगर (डी०डी० न्यूज)

टिथवाल (कशीर चैनल)

कुपवाड़ा कशीर चैनल अन्तिरिम

पुंछ (कशीर चैनल)

वुसान (चल) (आर०एल०एस०)

उधमपुर

उड़ी (चल) (आर०एल०एस०)

बारामुल्ला (चल) (डी०डी० न्यूज)

कठुवा (डी०डी० न्यूज)

(लेह डी०डी० न्यूज)

पानमिक

पानीकर

पोनी

पुलवामा (आर०एल०एस०)

रामबन

रामकोट

रामनगर

रिंगडोम गोम्पा

साकती

सनासर

यटोट

भद्रवा

बिलवाड़

बोध खुर्द

बोनियार (आर०एल०एस०)

बुधाल

चकरोई

चनानी

चुमतांग

चुशूल

डाह

दस्कीट

धार

डोडा

दुमचुक

द्रास

फतुला

गुजरां नगरोटा

हनले

ट्रांसपोजर (1)

सुरानकोट

कर्नाटक

कुल ट्रांसमीटर-68

उ०श०ट्रां० (12)

बंगलौर

कुंद

लाटी

लोलाब वेली (आर०एल०एस०)

लोरान

मचील (आर०एल०एस०)

मधुरे

मंडी

मनीगाम

मंजाकोट

मानसर

मैंधार

मोहरा (आर०एल०एस०)

मुलबेख

नगरोटा

न्येमा

नीमू

नवगाम (आर०एल०एस०)

पदम

पहलगाम (आर०एल०एस०)

संकू

शोपियन (आर०एल०एस०)

सियाचिन (बेस कैम्प)

सोनमार्ग (आर०एल०एस०)

शुद्ध महादेव

तंगमार्ग

तंगस्ते

तातापानी

थानामंडी

थाथरी

तिलेल

तिम्सुगाम

तराल (आर०एल०एस०)

तुरतोक

उड़ी

युसमार्ग आर०एल०एफ०

जांगला

करगिल आर०एल०एस०

हसन

बंगलौर डी०डी० न्यूज

धारवाड़ मंगलौर गुलबर्गा डी०डी० न्यूज

गुलबर्गा मैसूर धारवाड डी०डी० न्यूज

शिमोगा रायचूर मैसूर डी०डी० न्यूज

अ०श०ट्रां० (49)

आर्सिकेरे गंगावटी मुंद्रागी

अथानी गोकाक पावागाडा

बागलकोट हरपनहल्ली पुत्तूर

बंतवाल हटटीहल रामदुर्ग

बासवा कल्याण हिरिचूर रानीबेन्नूर

बेलगाम होली नरसीपुर सागर

बेल्लारी हौसदुर्ग संदूर

बेल्यानगडी हौजपेज सिंधनूर

भाटकाल हुंगुंद सिरसी

बिदार ईंदी तालीकोटा

बिजापुर कारवार टिपतूर

चिकमगलूर कोलार गोल्ड फिल्ड तुमकुर

चिकोदी कोप्पा उडिपी

चित्रदुर्ग कुम्टा बेल्लारी (डी०डी० न्यूज)

दंडेली मेडीखेडी देवनगेरे (डी०डी० न्यूज)

देवनगेरे मुधोल

गडन बेतगडी मुदीगेरे

अ०अ०श०ट्रां० आर०एल०एस० (7)

बदामी मधुगिरी श्रृंगेरी

हुबिन हिप्पार्गी सकलेशपुर सुलया

कुडलिगी

केरल

कुल ट्रांसमीटर-33

उ०श०ट्रां० (7)

कालीकट	कन्नानूर (अंतरिम)	कोचीन (डी०डी० न्यूज)
कोचीन	कालीकट डी०डी० न्यूज	तिरूवनंतपुरम (डी०डी० न्यूज)
	तिरूवनंतपुरम	

अ०श०ट्रां (22)

अड्डूर	कोयम्कुलम	पुनालूर
अट्टापडी	कोट्टाराकारा	सोरानूर
चंगनाच्चेरी	मालापुरम	तेलीच्चेरी
चेगंन्नूर	मनजेरी	थोडुपूजा
ईडूकी	पाल	त्रिसूर
कालपेट्टा	पालघाट	कन्नानूर (डी०डी० न्यूज)
कन्हानगढ़	पतनामथिट्टा	त्रिसुर (डी०डी० न्यूज)
कसारगोड		

अ०अ०श०ट्रां आर०एल०एस० (4)

देवीकोलम	कंजीरापल्ली
एरातूपेटा	मुडाकयम

मध्य प्रदेश

कुल ट्रांसमीटर-78

उ०श०ट्रा० (10)

भोपाल	शहडोल	इंदौर (डी०डी० न्यूज)
ग्वालियर	गुना	जबलपुर (डी०डी० न्यूज)
जबलपुर		
इंदौर	भोपाल (डी०डी० न्यूज)	ग्वालियर (डी०डी० न्यूज)

अ०अ०श०ट्रां० 63

आगार	हर्दा	नागदा
अलीराजपुर	इटारसी	नरसिम्हापुर
अशोकनगर	जौडा	नीमच
बड़ा मलहेड़ा	झाबुवा	पंचमंढ़ी
बादवानी	करैरा	पन्ना
बालाघाट	केलारस	पिपरिया
बरेली	खंडवा	राधोगढ़
बेतूल	खरगांव	राजगढ़
भंदेर	खुरई	रतलाम
भानपुरा	कुकडेश्वर	रीवा
भिंड	कुकशी	सागर
बीजापुर	कुरई	सतना
बुरहानपुर	लहार	सियोनी
चन्देरी	लखनादोन	शाजापुर
छतरपुर	मेहर	श्योपुर
छिंदवाड़ा	मलंजखंड	शिवपुरी
दमोह	मांडला	सिधी
दतिया	मंदसौर	सिंधवा
गदरवाडा	मुलताई	सिंगरौली
गरोद	मुरवाड़ा	सिरोंज
सीतामऊ	टिकमगढ़	उज्जैन

अ०अ०श०ट्रां० (5)

अलोट	डायमंड माइनिंग प्रो०	सिंगरौली
बुधनी	परासिया	

महाराष्ट्र

कुल ट्रांसमीटर-123

उ०श०ट्रां० (14)

अम्बाजोगई	पुणे	पुणे (डी०डी० न्यूज)
औरंगाबाद	रत्नागिरी	औरंगाबाद (डी०डी० न्यूज)
चन्द्रपुर	जलगांव	अम्बाजोगई (डी०डी० न्यूज)
मुम्बई	मुम्बई (डी०डी० न्यूज)	(मुम्बई डिजिटल)
नागपुर	नागपुर (डी०डी० न्यूज)	

अ०श०ट्रां० (89)

अचलापुर	इंचलकरणजी	राजापुर
अकोटा	जालना	रावेर
अहेरी	कंकौली	रिसोद
अहमदनगर	कराड	संगमनेर
अकालकोट	करंजा	सांगली
अक्लुज	खामगांव	सतना
अकोला	खानपुर	सतारा
अमालनेर	खोपोली	शाहद
अमरावती	किंवत	सिरडी
आर्वी	कोल्हापुर	सिरपुर
बदलापुर	महद	शोलापुर
बार्शी	मालेगांव	सिरोंचा
भमरागड	मंगल वेधा	तुमसार
भुसावल	मानगांव	उमेरगा
बीड	मनमाड	उमेरखेड
ब्रह्मपुरी	मेहकर	वानी

बुलडाना
चन्दूर
चिखली
चिपलुन
दरियापुर
देवरूखन
धडगांव
धर्माबाद
धूले
डिग्लूर
गढ़चिरौली
गोंदिया
हिंगनघाट
हिंगोली
म्हासले
मोर्शी
नांदेड
नन्दूरबार
नासिक
नवापुर
ओस्मानाबाद
पंदारकावाडा
पंढ़रपुर
परभानी
पाटन सतारा
फाल्टन
पुलगांव
पुसद
वर्धा
वसीम
यवतमाल
अकोला (डी०डी० न्यूज)
अमरावती (डी०डी० न्यूज)
भंडारा (डी०डी० न्यूज)
धूले (डी०डी० न्यूज)
कोल्हापुर (डी०डी० न्यूज)
मालेगांव (डी०डी० न्यूज)
मालेगांव (डी०डी० न्यूज)
नासिक (डी०डी० न्यूज)
सांगली (डी०डी० न्यूज)
शोलापुर (डी०डी० न्यूज)

अ०अ०श०ट्रां० आर०एल०एस० (20)

अम्बेट
अर्जुनी
अस्ती
भोकर
चिकलधाड़ा
चिमुर
जुन्नर
करंजा (वर्धा)
कर्जत
खेड़
कोरेगांव
कुरखेड़ा
मल्कापुर
मलवान
पिपंलनेर-सकरी
सकोली
सिंदेवाही
तिवसा
वसंतगढ़
वाई

मणिपुर

कुल ट्रांसमीटर-8

ड०श०ट्रां० (3)

इम्फाल
चूड़ाचांदपुर
इम्फाल (डी०डी० न्यूज)

अ०श०ट्रां० (1)

उखरूल

अ०अ०श० ट्रां० (4)

चन्देल मोरह कंगपोकपी

सेनापति

मेघालय

कुल ट्रांसमीटर-10

उ०श०ट्रां० (4)

शिलांग तुड़ा (डी०डी० न्यूज) तुड़ा

शिलांग (डी०डी० न्यूज)

अ०श०ट्रां० (3)

जोवई विलियमनगर चेरापूंजी

अ०अ०श०ट्रां० (2)

बाघमारा नोगस्टोइन

ट्रांसपोजर (1)

शिलांग

मिजोरम

कुल ट्रांसमीटर-8

उ०श०ट्रां० (3)

आइजोल लुंगलई आइजोल (डी०डी० न्यूज)

अ०श०ट्रां० (2)

लांगतलई लुंगलई (डी०डी० न्यूज)

अ०अ०श०ट्रां० (2)

चम्पई साइहा

ट्रांसपोजर (1)

आइजोल

नागालैंड

कुल ट्रांसमीटर-14

उ०श०ट्रां० (3)

कोहिमा	मोकोकचुंग	कोहिमा (डी०डी० न्यूज)

अ०श०ट्रां० (3)

दीमापुर	त्वेनसांग	मोकोकचुंग (डी०डी० न्यूज)

अ०अ०श०ट्रां० (6)

मोन	सताखा	वोखा
फेक	शमतोरी	जुन्हेबोतो

ट्रांसपोजर (2)

कोहिमा	बारा बस्ती

उड़ीसा

कुल ट्रांसमीटर-95

उ०श०ट्रां० (7)

बालेश्वर	संबलपुर	कटक (डी०डी० न्यूज)
भवानीपटना	बैरहमपुर	संबलपुर (डी०डी० न्यूज)

अ०श०ट्रां० (69)

आनंदपुर	जैपोर	पटनागढ़
अंगुल	जोडा	फुलबनी
अथामलिक	कबीसूर्यनगर	पुरी
बाहलदा	कामाख्यानगर	रायरंगपुर
बालनगिर	करंजिया	राजगंगापुर
बालीगुड़ा	क्योंझारगढ़	राजरानापुर
बानापुर	खांडपाड़ा	रायगढ़ा

बारगढ़

बरीपदा

भद्रक

भंजनगर

भुवन

बिरमित्रापुर

बोनई

बोध

ब्रजराजनगर

चिल्की

दशरथपुर

देवगढ़

धेनकनाल

दुर्गापुर

गुदईगिरी

गोंदिया

खरियाड़

कोरापुट

कोटपद

कुचिन्दा

लुडेरपुंक

मल्कांगिरी

मोहना

नरसिंहपुर

नवरंगपुर

नुआपाड़ा

पदमपुर

पदमापुरम

पड़ुआ

पल्लाहड़

पैरादीप

परलाखमुंडी

रेड़खोल

राउरकेला

सिम्लगुडा

सोहेला

सोनपुर

सुंदरगढ़

तालचेर

तुशारा

उमेरकोट

बालेश्वर (डी०डी० न्यूज)

बलियापाल (डी०डी० न्यूज)

भुवनेश्वर (डी०डी० न्यूज)

धेनकनाल (डी०डी० न्यूज)

दुधारकोट (डी०डी० न्यूज)

कॅंद्रपाड़ा (डी०डी० न्यूज)

तिरतोल (डी०डी० न्यूज)

अ०अ०शा०प्रं० (18)

ओल-आर०एल०एस०

बड़ा बरबिल-आर०एल०एस०

चित्रकोंडा-आर०एल०एस०

जयपटना-आर०एल०एस०

कलामपुर-आर०एल०एस०

काशीपुर-आर०एल०एस०

कोकसाडा-आर०एल०एस०

लंजीगढ़-आर०एल०एस०

मचकुंद-आर०एल०एस०

नागची-आर०एल०एस०

नयागढ़-आर०एल०एस०

पाईकमल-आर०एल०एस०

सबदेगा-आर०एल०एस०

सिमलीपागढ़-आर०एल०एस०

सुकिन्दा-आर०एल०एस०

थोमल रामपुर-आर०एल०एस०

राउरकेला (डी०डी० न्यूज)

ललितगिरी (डी०डी० न्यूज)

ट्रांसपोजर (1)

सुनबेडा

पंजाब

कुल ट्रांसमीटर-13

उ०श०ट्रां० (7)

अमृतसर	जालंधर	जालंधर (डी०डी० न्यूज)
भटिंडा	फाजिल्का	अमृतसर (डी०डी० न्यूज) (अंतरिम)

भटिंडा (डी०डी० न्यूज)

अ०श०ट्रां० (5)

अबोहर	गुरदासपुर	पटियाला
फिरोजपुर	पठानकोट	

ट्रांसपोजर (1)

तलवाड़ा

राजस्थान

कुल ट्रांसमीटर-99

उ०श०ट्रां०-10

बाड़मेर (अंतरिम)	जोधपुर	बुन्दी (डी०डी० न्यूज)
बुंदी	अजमेर	जयपुर (डी०डी० न्यूज)
जयपुर	अजमेर (डी०डी० न्यूज)	जोधपुर (डी०डी० न्यूज)

जैसलमेर

अ०श०ट्रां० (70)

अलवर	झालावाड़	रायगढ़ (चुरू)
अनूपगढ़	झुंझनू	रत्नगढ़
बाली	कर्णपुर	रावतसर

बांसवाड़ा
बारण
बड़ी सदरी
बाड़मेर
बासवा
भादरा
भरतपुर
भीलवाड़ा
भीनमाल
बीकानेर
चिरावा
चितौड़गढ़
चुरू
डीग
डूंगरपुर
गंगानगर
गंगापुर (एस०एम० पुर)
हनुमानगढ़
हिंडौन
जैसलमेर
जालौर
करौली
केसारायाजी
खजुवाला
खेतड़ी
किसनागढ़-बास (अलवर)
कोठपुतली
कुशालगढ़
मकराना
माउंटआबू
नगर
नागौर
नाथद्वारा
नवलगढ़
नौहर
नौखा
पाली
फलौदी
पिलानी
पिरवा
प्रतापगढ़
रायसिंह नगर
सागवाड़ा
सालमबेर
सरदारशहर
सवाई माधोपुर
शाहपुरा
सीकर
सिरोही
सोजत
श्रीडुंगरगढ़
सुजानगढ़
सूरतगढ़
तारानगर
टौंक
उदयपुर
वल्लभनगर
अलवर (डी०डी० न्यूज)
बंसी (डी०डी० न्यूज)
बीकानेर (डी०डी० न्यूज)
उदयपुर (डी०डी० न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (17)

अमेट
आंधी
गंगापुर (भीलवाड़ा
कोटरा
राजगढ़ (अलवर)
रावतभाटा

भीम कुम्भलगढ़ सिकराय

चौमाला लक्ष्मणगढ़ तीबी

देवगढ़ मंडलगढ़ विराटनगर

फतेहपुर नीम का थाना

ट्रांसपोजर (2)

जमुआ रामगढ़ लाल सोठ

सिक्किम

कुल ट्रांसमीटर-8

उ०शा० ट्रां० (2)

गंगटोक गंगटोक (डी०डी० न्यूज)

अ०अ०श०ट्रां० (6)

ग्यालसिंग नामची सिंगतम

मंगन रंगपो जोरथंग

तमिलनाडु

कुल ट्रांसमीटर-71

उ०श०ट्रां० (10)

चेन्नई कुम्बाकोनम (अंतरिम) कोडडइकनाल (डी०डी० न्यूज)

कोडडइकनाल धर्मापुरी (अंतरिम) चेन्नई (पीडिगई चैनल)

रामेश्वरम चेन्नई (डी०डी० न्यूज) चेन्नई (डिजिटल)

तिरूनेलवेली

अल्पशक्ति ट्रांसमीटर (53)

अरनी नागपतिन्नम तिरूवनामल्लई

अम्बासमुन्दरम नगर कोइल तूतीकोरिन

अम्बूर नाट्टम उदगमंडलम

आरकोट नेवेली उदमलपेट

अत्तूर

पलानी

वणियनवाडी

पट्टूकोटई

चेय्यार

पेरनमपेट

विलपूरम

चिदम्बरम

पौलाची

कोयम्बटूर (डी०डी० न्यूज)

कोयम्बटूर

पुडूकोट्टई

इरोड

कुन्नूर

राजपलायम

मदुरई (डी०डी० न्यूज)

कौरतलम

सेलम

सेलम (डी०डी० न्यूज)

कुड्डालोर

शंकरणकोविल

तिरूचिरापल्ली (डी०डी० न्यूज)

धेनकनिकोटा

थंजावूर

तिरूनेलवेली (डी०डी० न्यूज)

ईरोड

थिरूवययारू

तिरूपत्तूर (डी०डी० न्यूज)

गुडियटम

टिनडीवानम

तूतीकोरिन (डी०डी० न्यूज)

कलाकुरछी

तिरूचेनदूर

वेल्लौर (डी०डी० न्यूज)

कृष्णागिरि

तिरूचिरापल्ली

मारथनघम

तिरूपत्तूर

मयरूम

अ०अ०श०ट्रां० (आर०एल०एस०) (7)

जिजी

तिरूवनामल्लाई

वालपराई

कांचीपुरम

वालूर

वाजापाड़ी

मेत्तूपलायम

ट्रांसपौजर (1)

दिंदीगुल

त्रिपुरा

कुल ट्रां० 10

अ०श०ट्रां० (6)

अम्बासा

अमरपुर

जोलाइबारी

कैलाशहर

तेलियापुरा

कैलाशहर (डी०डी० न्यूज)

अ०अ०श०ट्रां० (1)

धर्मा नगर

ट्रांसपोंजर (1)

बैलोनिया

उत्तर प्रदेश

कुल ट्रांसमीटर-84

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर-18

आगरा	मऊ	इलाहाबाद (डी०डी० न्यूज)
इलाहाबाद	वाराणसी	बरेली (डी०डी० न्यूज)
बरेली	बांदा	गोरखपुर (डी०डी० न्यूज)
गोरखपुर	लखीमपुर	कानपुर (डी०डी० न्यूज)
कानपुर	फैजाबाद	लखनऊ (डी०डी० न्यूज)
लखनऊ	आगरा (डी०डी० न्यूज)	वाराणसी (डी०डी० न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (62)

अकबरपुर	जगदीशपुर	रायबरेली
अलीगढ़	झांसी	रामपुर
अमरोहा	कारवी	रथ
अथदमा	कासगंज	रूदौली
औरैया	कोसी	सम्भल
बेहराइच	लालगंज (रायबरेली)	शाहजहांपुर
बलिया	ललितपुर	सिकंदरपुर
बलरामपुर	महोबा	सुलतानपुर
बस्ती	महरोनी	तलबेहट
बिधुना	मैनपुरी	थिरुवा

छिब्बरामऊ

देवरिया

दुधिनगर

ऐटा

इटावा

फरूखाबाद

फतेहपुर

गंज दुंदवारा

गौरीगंज

गौंडा

हरदोई

मऊरानीपुर

मुहम्मदाबाद

मुरादाबाद

ननपारा

नरोरा

नौगढ़

ओबरा

ओरई

पीलीभीत

पूरनपुर

मथुरा

अलीगढ़ (डी०डी० न्यूज)

आजमगढ़ (डी०डी० न्यूज)

झांसी (डीडी न्यूज)

लालगंज (प्रतापगढ़) (डी०डी० न्यूज)

मऊ (डी०डी० न्यूज)

मुरादाबाद (डी०डी० न्यूज)

रामपुर (डी०डी० न्यूज)

रासरा (डी०डी० न्यूज)

शाहजहांपुर (डी०डी० न्यूज)

सुल्तानपुर (डी०डी० न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (4)

खूबिया नांगल

ठाकुरद्वारा (डी०डी० न्यूज)

मानकपुर

मणिकपुर

उत्तरांचल (कुल ट्रांसमीटर-53)

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (2)

मसूरी

मसूरी (डी०डी० न्यूज)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (16)

बछेर

चम्पावत

डाकपत्थर

हल्द्वानी

हरिद्वार

कालागढ़

काशीपुर

खेतीखान

कोटद्वार

नैनीडाडा

नैनीताल

न्यू टिहरी

पौड़ी

पिथौरागढ़

टनकपुर

खेतीखान (डी०डी० न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (33)

अल्मोड़ा	दुगड्डा	मुनसियारी
अरोली (बनोली)	फता	नंनप्रयाग
बद्रीनाथ	गाजा	नौगांवखाल
बागेश्वर	घंडियाल	ओखीमठ
बसोत	गोपेश्वर	पोखरी
भतियारी	जोशीमठ	प्रतापमठ
चौखटिया	कल्जीखाल	राजगढ़ी
देवप्रयाग	कर्णप्रयाग	रानीखेत
देवल	कौसनी	रूद्रप्रयाग
धारचूला	माणेश्वर	थराली
डिडीहट	मनीला	उत्तरकाशी

ट्रांसपोजर (2)

मसूरी	श्रीनगर

पश्चिम बंगाल

कुल ट्रांसमीटर-35

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (13)

आसनसोल	शांतिनिकेतन	आसनसोल (डी०डी० न्यूज)
कोलकाता	बलूरघाट (अंतरिम)	कोलकाता (डी०डी० न्यूज)
कृष्णानगर	खडगपुर (अंतरिम)	कोलकाता (बांग्ला चैनल)
कुर्सियांग	मुर्शिदाबाद (डी०डी० न्यूज)	कोलकाता (डिजीटल)
मुर्शिदाबाद		

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (21)

अलिपुरद्वार	दार्जिलिंग	मालदा
बाघमंडी	फरक्का	मेदिनीपुर

अलरामपुर	गड़बेटा	पुरुलिया
अर्धमान	झालदा	रानाघाट
बिशनुपुर	झाडग्राम	रायना
कोंटई	कालिंपोंग	शांतिनिकेतन (डी०डी० न्यूज)
कूचबिहार	कालना	बसंती (डी०डी० न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (आर०एल०एस०) (1)

इगरा

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

कुल ट्रांसमीटर-14

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

कार निकोबार	पोर्टब्लेयर	पोर्टब्लेयर (डी०डी० न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (11)

बारातंग	हुतबे	नननकाठरी
चैम्पबेल बे	कालीघाट	रंगत
दिगलीपुर	कतचल	स्वराज ग्राम
हवेलॉक	मायाबुंदर	

चंडीगढ़

कुल ट्रांसमीटर-1

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

चंडीगढ़

दादर एवं नगर हवेली

कुल ट्रांसमीटर-1

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

सिलवासा

दमन एवं द्वीप

कुल ट्रांसमीटर-2

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

दमन दीव

दिल्ली

कुल ट्रांसमीटर-3

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (3)

दिल्ली दिल्ली (डी०डी० न्यूज) दिल्ली (डिजिटल)

लक्षद्वीप

कुल ट्रांसमीटर-10

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (1)

कावारती

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (9)

अगाती (आर०एल०एस०) चेतलट (आर०एल०एस०) किलटोन (आर०एल०एस०)

अमीनी (आर०एल०एस०) कदमात (आर०एल०एस०) मिनीकॉय

एंड्रोट (आर०एल०एस०) कलपेनी (आर०एल०एस०) कावारती (डी०डी० न्यूज)

पांडिचेरी

कुल ट्रांसमीटर-6

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1)

पांडिचेरी (अंतरिम)

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (3)

कराइकल पांडिचेरी पांडिचेरी (डी०डी० न्यूज)

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (2)

माहे यानम

आर०एल०एस०: क्षेत्रीय भाषा सेवा

विवरण-II

आकाशवाणी

दिनांक 14.03.2007 की स्थिति के अनुसार मौजूदा आकाशवाणी स्टेशन

कुल स्टेशन-225

क्र०सं०	राज्य व स्थान
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	आदिलाबाद
2.	अनन्तपुर
3.	कुड़प्पा
4.	हैदराबाद
5.	कोटागुडम
6.	कुरनुल
7.	मरकापुरम
8.	निजामाबाद
9.	तिरूपति
10.	विजयवाड़ा
11.	विशाखापट्टनम
12.	वारंगल
	अरूणाचल प्रदेश
13.	इटानगर
14.	पासीघाट
15.	तवांग
16.	तेजू
17.	जीरो
	असम
18.	डिब्रूगढ़
19.	दीफू
20.	गुवाहाटी
21.	जोरहाट
22.	ढुबरी
23.	हाफलांग
24.	कोकराझार
25.	नावगांग
26.	सिलचर
27.	तेजपुर
	बिहार
28.	भागलपुर
29.	दरभंगा
30.	पटना
31.	पुर्णिया
32.	सासाराम
	छत्तीसगढ़
33.	अम्बिकापुर
34.	बिलासपुर
35.	जगदलपुर
36.	रायगढ़

1	2
37.	रायपुर
38.	सरायपल्ली
	गोआ
39.	पणजी
	गुजरात
40.	अहमदाबाद
41.	अहवा
42.	भुज
43.	गोधरा
44.	राजकोट
45.	सूरत
46.	बड़ोदरा
47.	हिम्मतनगर
	हरियाणा
48.	हिसार
49.	कुरूक्षेत्र
50.	रोहतक
	हिमाचल प्रदेश
51.	धर्मशाला
52.	हमीरपुर
53.	कसौली
54.	कुल्लु
55.	किन्नूर (काल्पा)
56.	शिमला
	जम्मू व कश्मीर
57.	मद्रवाह
58.	जम्मू
59.	खालसी
60.	करगिल
61.	कठुआ
62.	कुपवाड़ा
63.	लेह
64.	नौशेरा
65.	पुंछ
66.	राजौरी
67.	श्रीनगर
68.	द्रास
69.	ताइशुरू
	झारखंड
70.	छैबासा
71.	डाल्टनगंज
72.	हजारी बाग
73.	जमशेदपुर
74.	रांची

1	2
	कर्नाटक
75.	भद्रावती
76.	बंगलौर
77.	बेलारी
78.	बीजापुर
79.	चित्रदुर्ग
80.	धारवाड़
81.	गुलबर्गा
82.	हसन
83.	हास्पेट
84.	कारवार
85.	मंगलौर/उडीपी
86.	मरकारा
87.	मैसूर
88.	रायचुर
	केरल
89.	एलीपी
90.	कालीकट
91.	त्रिचुर
92.	त्रिवेन्द्रम
93.	कोचीन
94.	कन्नानौर
95.	इडुकी (देवीकुलम)
96.	मंजेरी
	मध्य प्रदेश
97.	बालाघाट
98.	बेतूल
99.	भोपाल
100.	छतरपुर
101.	छिन्दवाड़ा
102.	गुना
103.	ग्वालियर
104.	इंदौर
105.	जबलपुर
106.	खंडवा
107.	रीवा
108.	सागर
109.	शहडौल
110.	शिवपुरी
111.	मांडला
112.	राजगढ़
	महाराष्ट्र
113.	अहमदनगर
114.	अकोला
115.	औरंगाबाद
116.	बीड

1	2
117.	चन्द्रपुर
118.	धूले
119.	जलगांव
120.	कोल्हापुर
121.	मुम्बई
122.	नागपुर
123.	नान्देड़
124.	नासिक
125.	उस्मानाबाद
126.	प्रभानी
127.	पुणे
128.	रत्नागिरी
129.	शांगली
130.	सतारा
131.	शोलापुर
132.	यावतमाल
	मणिपुर
133.	इम्फाल
134.	जावली
135.	शिलांग
136.	तुरा
137.	विलियमनगर
138.	नांगस्टोइन
	मिजोरम
139.	आइजोल
140.	लुंगलेह
141.	शाइहा
	नागालैंड
142.	कोहिमा
143.	मोकाकचुंग
144.	मोन
145.	त्युसांग
	उड़ीसा
146.	बारीपाड़ा
147.	बरहमपुर
148.	भवानीपटना
149.	बोलनगीर
150.	कटक
151.	जैपोर
152.	जोरन्डा
153.	क्योंझर
154.	पुरी
155.	राउरकेला
156.	सम्बलपुर
157.	देवगढ़

1	2
	पंजाब
158.	भटिन्डा
159.	जालंधर
160.	पटियाला
	राजस्थान
161.	अजमेर
162.	अलवर
163.	बासवाड़ा
164.	बाड़मेर
165.	बीकानेर
166.	चितौड़गढ़
167.	चुरू
168.	जयपुर
169.	जैसलमेर
170.	झालावाड़
171.	जोधपुर
172.	कोटा
173.	माउन्ट आबू
174.	नागौर
175.	सुरतगढ़
176.	सवाई माधोपुर
177.	उदयपुर

1	2
	सिक्किम
178.	गंगटोक
179.	चैन्नई
180.	कोयम्बटूर
181.	कोडाइकनाल
182.	मदुरई
183.	नगरकोइल
184.	उदगमन्ड
185.	तिरूचिरापल्ली
186.	तिरूनलवेली
187.	तूतीकोरिन
188.	येरकौड (सलेम)
	त्रिपुरा
189.	अगरतला
190.	बेलोनिया
191.	कैलाशहर
	उत्तरांचल
192.	अल्मोड़ा
193.	गोपेश्वर (चमोली)
194.	मसूरी
195.	पौड़ी
196.	पिथौरागढ़
197.	उत्तरकाशी

1	2
	उत्तर प्रदेश
198.	आगरा
199.	अलीगढ़
200.	इलाहाबाद
201.	बरेली
202.	फैजाबाद
203.	गोरखपुर
204.	झांसी
205.	कानपुर
206.	लखनऊ
207.	मथुरा
208.	नजीबाबाद
29.	ओबरा
210.	रामपुर
211.	वाराणसी
	पश्चिम बंगाल
212.	कोलकाता
213.	कुर्सियांग
214.	मुर्शिदाबाद
215.	शांतिनिकेतन
216.	सिलिगुड़ी
217.	आसनसोल
218.	दार्जीलिंग

1	2
	संघ शासित क्षेत्र
219.	चंडीगढ़
220.	दमन
221.	दिल्ली
222.	कावाती
223.	पांडिचेरी
224.	कराइकनाल (पांडिचेरी)
225.	पोर्टब्लयेर (अंडमान व निकोबार)

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी

2786. श्री टेक लाल महतो : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एन०डब्ल्यू०डी०ए०) ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 250 करोड़ रुपए के परिव्यय की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो एजेंसी द्वारा अब तक कितनी व्यवहार्यता रिपोर्टें सौंपी गई हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक ऐसी कितनी रिपोर्टें क्रियान्वित की जा चुकी हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर किए गए व्यय का वर्ष-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन०डब्ल्यू०डी०ए०) ने ग्यारहवीं योजना के लिए 241 करोड़ रुपए के परिव्यय की मांग की है।

(ख) जल संसाधनों के विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए अभिज्ञात किए गए 30 संपर्कों (16 प्रायद्वीपीय और 14 हिमालयी) में से, एन०डब्ल्यू०डी०ए० ने प्रायद्वीपीय घटक के तहत 14 और हिमालयी

घटक (केवल भारतीय हिस्सा) के तहत 2 सम्पर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफ०आर०एस०) तैयार की हैं। इन सम्पर्कों का नाम संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नदियों को परस्पर जोड़ने का कार्यान्वयन राज्यों की सर्वसम्मति और सहयोग पर निर्भर करता है। एक प्राथमिकता सम्पर्क अर्थात केन-बेतवा के संबंध में सर्वसम्मति हो चुकी है जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) तैयार करने के वास्ते मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने 25 अगस्त, 2005 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केन-बेतवा सम्पर्क की डी०पी०आर० तैयार करने सहित अन्तर बेसिन जल हस्तांतरण से संबंधित विभिन्न अध्ययन करने के लिए एन०डब्ल्यू०डी०ए० ने 2003-04 के लिए 19.7 करोड़ रुपये, 2004-05 के लिए 21.3 करोड़ रुपये और 2005-06 के लिए 17 करोड़ रुपये का व्यय किया है। एन०डब्ल्यू०डी०ए० द्वारा इस व्यय को राज्यवार निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

पूर्ण व्यवहार्यता रिपोर्ट वाले संपर्कों की सूची

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1. महानदी (मणिभद्र) – गोदावरी (दोलेश्वरम) संपर्क
2. गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क
3. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (पुलिचिंताला) संपर्क
4. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर) संपर्क
5. कृष्णा (नागार्जुनसागर) – पेन्नार (सोमसिला) संपर्क
6. कृष्णा (श्रीसैलम) – पेन्नार संपर्क
7. कृष्णा (अलमट्टी) – पेन्नार संपर्क
8. पेन्नार (सोमसिला) – कावेरी (ग्रांड अनिकट) संपर्क
9. कावेरी (कट्टालई) – वेगाई (गुंडार) संपर्क
10. पारबती-कालीसिंध – चंबल संपर्क
11. दमनगंगा – पिंजाल संपर्क
12. पार – तापी – नर्मदा संपर्क
13. केन – बेतवा संपर्क
14. पंबा – अचनकोविल – वैप्पार संपर्क

हिमालयी नदी विकास घटक

1. घाघरा – यमुना संपर्क
2. सारदा – यमुना संपर्क

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

2787. **श्री भर्तृहरि महताब :**
श्री धावरचन्द गेहलोत :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न इस्पात संयंत्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के इस्पात के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इस योजना अवधि में प्रत्येक इस्पात संयंत्र की वास्तविक उपलब्धि क्या रही;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों को ऊर्जा सक्षम बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में इस्पात के उत्पादन और निर्यात हेतु प्रत्येक इस्पात संयंत्र द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) और (ख) दसवीं योजना अवधि के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर०आई०एन०एल०) के विभिन्न संयंत्रों द्वारा विक्रेय इस्पात संबंधी लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

सेल

इकाई: हजार टन

संयंत्र/मद	योग X पांच वर्ष (2002-03 - 2006-07)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां (10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक प्रत्याशित)
1	2	3
भिलाई इस्पात संयंत्र	17905	20078
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	8250	8205
राउरकेला इस्पात संयंत्र	8150	8074
बोकारो इस्पात संयंत्र	17060	17868
आई०एस०पी०	1755	1557
मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर	165	616
सेलम इस्पात संयंत्र	195	662
विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	504	547
सेल कुल	53984	57606

आर०आई०एन०एल०

10 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी०एस०पी०), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर०आई०एन०एल०) में विभिन्न प्रकार के इस्पात के उत्पादन हेतु निर्धारित वर्ष-वार लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:—

इकाई: मिलियन टन

उत्पादन	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां (फरवरी, 07 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विक्रेय इस्पात	2.675	3.056	2.900	3.169	2.958	3.173	3.125	3.237	3.175	3.059
-एल०एम०एम०एम० उत्पाद	0.650	0.799	0.720	0.815	0.750	0.858	0.810	0.873	0.825	0.805
-वॉयर रॉड्स	0.850	0.915	0.860	0.974	0.900	1.014	0.925	1.043	0.940	0.983
-एम०एम०एस०एम० उत्पाद	0.730	0.908	0.830	0.993	0.880	1.014	0.915	1.058	0.940	1.007
-अर्ध परिसज्जित इस्पात	0.445	0.434	0.490	0.386	0.428	0.287	0.475	0.263	0.470	0.264

नोट: एल०एम०एम०एम० — लाइट एंड मीडियम मर्चेंट मिले, एम०एम०एस०एम० — मीडियम मर्चेंट एंड स्ट्रक्चरल मिल

(ग) और (घ) सेल ने अपनी सभी इकाइयों अर्थात बी०एस०पी०, डी०एस०पी०, आर०एस०पी०, बी०एस०एल० तथा आई०एस०पी० के लिए विस्तार योजना में नई योजनाओं को शामिल करके अपने निष्पादन में सुधार करने तथा ऊर्जा खपत को विश्व स्तर पर लाने की योजना बनाई है। संयंत्रों की विस्तार योजना में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:–

– तप्त धातु अनुपात में कोयले की कमी

– 100% बी०ओ०एफ० और 100% सी०सी०

– अपशिष्ट में कमी

– उत्पादकता/उत्पादन में सुधार

सेल संयंत्रों में उपर्युक्त उपायों के लिए बड़ी योजनाओं को प्रगामी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसी तरह बी०एस०पी०, आर०आई०एन०एल० को ऊर्जादक्ष बनाने के लिए कंपनी ने तीसरी धमन भट्टी सहित मौजूदा 2 धमन भट्टियों में कोल डस्ट इंजेक्शन प्रणाली अपनाने और मौजूदा 2 सिंटर मशीनों में हॉट सिंटर से वेस्ट हीट रीकवरी प्रणाली अपनाने की योजना बनाई है। आर०आई०एन०एल० की संयंत्र की विस्तार योजना के दौरान विभिन्न ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियां अपनाने की भी योजना है।

(ङ) इस समय सेल 0.5 एम०टी० का निर्यात कर रहा है इसमें लगभग 5-6 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। वास्तविक निर्यात डायनैमिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार परिदृश्य पर भर करेगा। विक्रेय इस्पात के उत्पादन के संबंध में सेल वर्ष 2007-08 में 12.5 एम०टी० उत्पादन का लक्ष्य रख रहा है। वर्ष 2008-09 के लिए 13.5 एम०टी० विक्रेय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आर०आई०एन०एल० ने वर्ष 2007-08 के दौरान लगभग 3.210 मिलियन टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2007-08 के दौरान आर०आई०एन०एल० द्वारा मूल्य की दृष्टि से इस्पात के निर्यात हेतु प्रस्तावित अनंतिम लक्ष्य 600 करोड़ रुपए है।

आर०आई०एन०एल० द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए विक्रेय इस्पात के उत्पादन तथा निर्यात हेतु ऐसे ही लक्ष्यों को वर्ष 2007-08 के अंत में अंतिम रूप दिया जाएगा।

कृषि भाण्डागार क्षमता

2788. श्री प्रशान्त प्रधान : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाण्डागारण (विकास तथा विनियमन) विधेयक, 2005 में कृषि वस्तुओं के लिए भाण्डागारण क्षमता में कितना भाग निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र अपनाया गया है कि उक्त विधेयक में परिकल्पित लाभ किसानों तक पहुंचे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) भांडागारण (विकास और नियमन) विधेयक, 2005 संसद के विचाराधीन है। संसद में रखे गए विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित कानून के अधिनियमित होने पर किसानों को उनके जमा कृषि जिंसों पर पंजीकृत भंडारों द्वारा जारी की गई भांडागार रसीद पूर्णतया नेगोशियेबल होंगी और किसान बैंकों से आसानी से ऋण ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त भांडागारों में जमा कराते समय कृषि जिंसों की उचित ग्रेडिंग और गुणवत्ता प्रमाणन से किसानों को अधिक रिटर्न मिलना सुनिश्चित होगा। किसानों को विधेयक के प्रावधनों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।

बुनियादी संरचना को सुधारने हेतु उठाए गए कदम

2789. श्रीमती मिनाती सेन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रारण मंत्री 16 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2567 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र जलपाईगुड़ी की बुनियादी संरचना में सुधार करने के लिए अब तक कोई कार्रवाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, जलपाईगुड़ी स्थित मौजूदा सुविधाओं में रिकॉर्डिंग संपादन और ई०एन०जी० सुविधाओं सहित दो कैमरा सेट-अप से सुसज्जित लगभग 50 वर्ग मीटर क्षेत्र

का एक छोटा स्टूडियो शामिल हैं। अतिरिक्त उपस्कर नामत: एक गैर-रेखीय संपादन इकाई; एक छोटा डी०वी० कैमकॉर्डर, 3 छोटे डी०वी०वी०सी०आर० और एक संपादक नियंत्रक हाल ही में केन्द्र को उपलब्ध कराए गए हैं। दूरदर्शन केन्द्र, जलपाईगुड़ी के आंशिक डिजिटलीकरण हेतु स्कीम कार्यान्वयनाधीन हैं और इसके वर्ष 2007 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

कृत्रिम रूप से जल स्तर को बढ़ाया जाना

2790. **श्री देविदास पिंगले :**
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री शिशुपाल एन० पटले :
श्री मो० ताहिर :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय निधि से कृत्रिम उपायों द्वारा जल संचयन तथा जल स्तर को बढ़ाये जाने के कार्य शुरू किये गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को किसी राज्य से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस योजना के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी०जी०डब्ल्यू०बी०) वर्ष 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के 13 अभिज्ञात क्षेत्रों में सर्वेक्षण, जांच और अन्वेषण की अपनी चालू केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। वाटरशेड/संहत क्षेत्र आधार पर वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का संयुक्त रूप से निर्माण किया जाता है और इन संरचनाओं संबंधी सिविल कार्य लागत जमा आधार पर कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों के विभागों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) अब तक, केवल तमिलनाडु राज्य से 111.22 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। 594.67 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में से 416.27 लाख रुपये की राशि कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी की गई है। शेष राशि राज्यों से उपयोगिता प्रमाण पत्र होने के बाद जारी की जाएगी। इस स्कीम के तहत आबंटित और जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं अनुमानित लागत (रु० लाख में)	प्रथम किस्त में जारी की गई निधि (रु० लाख में
1.	आंध्र प्रदेश	130.46	91.32
2.	कर्नाटक	92.19	64.53
3.	मध्य प्रदेश	148.87	104.21
4.	तमिलनाडु	223.15	156.21

[अनुवाद]

सेलम इस्पात संयंत्र का लाभ/घाटा

2791. **श्री एम० अप्पादुरई** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात संयंत्र को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस इस्पात संयंत्र द्वारा वास्तव में कितनी मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया गया तथा यह इस्पात कितने मूल्य का था;

(ग) क्या सरकार का विचार अगले दो वर्षों में इसका विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) और (ख) वर्ष 2003-04 से 2006-07 के 9 माह के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र (एस०एस०पी०) का कर-पूर्व लाभ/हानि, विक्रेय इस्पात का उत्पादन तथा बिक्री और साथ ही बिक्री मूल्य (करों तथा शुल्कों को शामिल करते हुए सकल प्राप्ति) निम्नानुसार है:–

सेलम इस्पात संयंत्र		2003-04	2004-05	2005-06	9 माह 06-07
कर-पूर्व लाभ (पी०बी०टी०)/हानि(-)	करोड़ रुपए	1.94	3.48	-66.88	72.11
विक्रेय इस्पात का उत्पादन	हजार टन	84.673	149.105	171.187	146.067
विक्रेय इस्पात की बिक्री की मात्रा	हजार टन	83.402	147.047	158.758	146.178
विक्रेय इस्पात का बिक्री मूल्य	करोड़ रुपए	546.69	994.96	758.43	906.32

(ग) और (घ) जी, हां। 1553 करोड़ रुपए की इंडीकेटिव लागत पर सेलम इस्पात संयंत्र की विस्तार योजना को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) बोर्ड द्वारा जून, 2006 में सिद्धांतत: मंजूर कर दिया गया है। इस योजना में 180,000 टन वार्षिक बेदाग इस्पात स्लैबों का उत्पादन करने के लिए नई इस्पात उत्पादन तथा सतत ढलाई सुविधाओं की स्थापना करने तथा 146,000 टन वार्षिक शीत बेल्लित बेदाग इस्पात का उत्पादन करने के लिए शीत बेल्लन परिसर का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है।

संविदा कृषि की समस्याएं

2792. श्री अनन्त नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संविदा कृषकों तथा संविदा कृषि एजेंसियों के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। संविदा किसानों और संविदा खेती एजेन्सियों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि संविदा खेती व्यवस्थाओं का किसान और प्रायोजक कम्पनियों हेतु लाभदायक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विपणन संबंधी एक आदर्श कानून बनाया गया है और इसे राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है। जिससे अपेक्षित कृषि विपणन सुधार करने के लिए वे अपने अधिनियमों में उपयुक्त संशोधनों पर विचार कर सकें। इस आदर्श कानून में अन्य बातों के साथ-साथ प्रायोजक कम्पनियों के पंजीकरण, संविदा, खेती करारों को रिकार्ड करने, किसानों की भूमि की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और इसमें एक समयबद्ध वाद समाधान तंत्र का निर्धारण किया गया है।

न्यूनतम मजदूरी

2793. चौधरी लाल सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार द्वारा देश में संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें संगठित क्षेत्र के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर समान रूप से लागू होती हैं। केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के लिए अकुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी की दर दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	प्रतिदिन के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर (रुपयों में)
1	2	3
	केन्द्रीय	67.43-120.37

1	2	3
	राज्य/संघ शासित प्रदेश	
1.	आंध्र प्रदेश	45.00-128.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	55.00-57.00
3.	असम	48.00-97.00
4.	बिहार	66.00-75.00
5.	छत्तीसगढ़	52.87-79.13
6.	गोवा	75.00-94.00
7.	गुजरात	50.00-99.00
8.	हरियाणा	94.13-95.13
9.	हिमाचल प्रदेश	70.00
10.	जम्मू और कश्मीर	66.00
11.	झारखण्ड	50.06-186.34
12.	कर्नाटक	63.00-103.47
13.	केरल	72.00-189.00
14.	मध्य प्रदेश	61.37-94.13
15.	महाराष्ट्र	45.00-155.22
16.	मणिपुर	69.55-72.40
17.	मेघालय	70.00
18.	मिजोरम	91.00
19.	नागालैंड	66.00-70.00
20.	उड़ीसा	55.00
21.	पंजाब	90.44-94.24
22.	राजस्थान	73.00-81.50
23.	सिक्किम	85.00
24.	तमिलनाडु	54.44-150.00
25.	त्रिपुरा	51.35-65.77
26.	उत्तर प्रदेश	58.00-106.51
27.	उत्तरांचल	61.61-97.00
28.	पश्चिम बंगाल	64.22-125.88
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100.00-124.00
30.	चंडीगढ़	114.00
31.	दादर एवं नगर हवेली	91.00
32.	दमण और दीव	80.00
33.	दिल्ली	127.40
34.	लक्षद्वीप	70.00
35.	पुदुचेरी	45.00-124.00

प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण रोजगार खोना

2794. डा० बल्लभभाई कथीरिया : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण संगठित क्षेत्र में बहुत से नियमित कर्मचारियों को अपना रोजगार खोना पड़ेगा या अपना रोजगार खो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों के तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वे अपना रोजगार बनाए रख सकें?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओंकार फनाँडीस) : (क) और (ख) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार

सूचना कार्यक्रम के अनुसार संगठित क्षेत्र में रोजगार 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 के लिए क्रमशः 270.00, 264.43, 264.58 लाख है।

(ग) सरकार वर्तमान औद्योगिक कामगारों के कौशलों के उन्नयन हेतु बहुत से उच्च प्रशिक्षण संस्थान चला रही है। सरकार विश्व स्तरीय कुशल पेशेवर प्रशिक्षित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 5 वर्षों में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन करने की वर्ष 2005 के आरंभ से एक परियोजना भी चला रही है। शेष 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता आधार पर एक अन्य योजना की वित्त मंत्री द्वारा अपने 2007-08 के बजटीय अभिभाषण में घोषणा की गई है।

सरिस्का रिजर्व से गांवों को दूसरे स्थान पर बसाया जाना

2795. श्री मदन लाल शर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 11 दिसम्बर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2741 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरिस्का बाघ रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों से दूसरे स्थान पर बसाये जाने वाले गांवों/परिवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परिवार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता/मुआवजा सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरिस्का बाघ रिजर्व की विद्यमान सीमा को दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो ग्राम-लावा का बास, जोधावास, कीरों की ढ़ाणी, टोडी, खेरा तथा मैजोर का भविष्य क्या है;

(ङ) क्या वन्य जीव के संरक्षण हेतु सरिस्का से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग सं० 13 के मार्ग में परिवर्तन किए जाने की कोई योजना है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अलवर से शाहपुरा तक नया मार्ग कब तक शुरू हो जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) जी, नहीं। भारतीय वन्यजीव संस्थान को देश में बाघ रिजर्वों के कोर क्षेत्रों के आकलन का कार्य सौंपा गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरिस्का बाघ रिजर्व शामिल है जहां ग्राम के पुनर्वास का कार्य किया जाना है।

(ङ) और (च) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य राजमार्ग संख्या 13 के बन्द होने पर रिपोर्ट देने के लिए एक तथ्य जांच समिति गठित की है। उक्त समिति ने कुशलगढ़ से जयपुर के यातायात को वाया घटबनदरोल के लिए दिशा-परिवर्तन करने की सिफारिश की है, जहां तक वैकल्पिक सड़क मौजूद है। मामला न्यायाधीन है।

राष्ट्रीय बांस मिशन हेतु आबंटन

2796. श्री मणि चारेनामै :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बांस मिशन हेतु राज्य-वार, घटक-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी तथा उपयोग में लाई गई;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय बांस मिशन के क्रियान्वयन हेतु कौन-कौन से विभाग लगे हुए हैं;

(घ) क्या बांस के सामूहिक रूप से फूल आ जाने से उनके बेकार हो जाने से पूर्व बांस को पूर्ण-रूप से काटने तथा उपयोग में लाने के लिए पर्याप्त बाजार बुनियादी संरचना सृजित कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) कृषि और सहकारिता विभाग ने देश में पूर्वोत्तर राज्यों सहित 28 राज्यों में कार्यान्वयन के लिए 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय बांस मिशन संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरम्भ की है। राष्ट्रीय बांस मिशन की राष्ट्रीय संचालन समिति ने 27 फरवरी, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में असम, मेघालय, मणिपुर, तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैण्ड, राजस्थान,

मिजोरम, उत्तरांचल और गुजरात राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया। तथापि, ये प्रस्ताव अभी विभाग के विचाराधीन है।

पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय बांस मिशन का कार्यान्वयन करने वाले विभाग दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और भारत सरकार से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से 366.50 करोड़ रुपये की राशि से एक कार्यकारी योजना तैयार की है ताकि पूर्वोत्तर राज्यों में बास के वृन्द-पुष्पण के कारण सम्भवत: उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्याओं से निपटा जा सके। कार्यकारी योजना के मुख्य घटकों में क्षेत्र का सर्वेक्षण, पुष्पित बांसों के कर्षण के लिए अवसंरचना विकास और मूल्य वर्धन के माध्यम से उनकी उपयोगिता, क्षेत्र का पुन: सृजन और अग्नि, कृन्तक तथा अकाल नियंत्रण उपाय आदि शामिल हैं। विभिन्न अन्य स्रोतों से निधियां प्राप्त करने के अलावा, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने 2005-06 से 2008-09 तक की चार वर्षों की अवधि के लिए कार्ययोजना के अंतर्गत कुछ कार्यकलापों के आंशिक वित्तपोषण के लिए 85 करोड़ रु० की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरम्भ की है। राज्य सरकारें पुष्पित बांसों को उगाने और उपयोगिता के लिए आवश्यक अवसंरचना तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं। इसकी प्रगति की मानिटरिंग वन महानिदेशक तथा विशेष सचिव, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय मानिटरिंग समिति द्वारा आवधिक रूप से की जा रही है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वयन करने वाले विभाग दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य	कार्यान्वयन करने वाला विभाग
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	वन विभाग
2.	असम	वन विभाग
3.	मणिपुर	वन विभाग
4.	मेघालय	वन विभाग
5.	मिजोरम	वन विभाग
6.	नागालैण्ड	वन विभाग
7.	सिक्किम	बागवानी विभाग

बाल श्रम का उन्मूलन

2797. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खतरनाक उद्योगों में अभी भी बहुत से बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न खतरनाक उद्योगों का अध्ययन किया है, जहां बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए सरकार क्या उपचारात्मक उपाय करेगी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) भारत के महापंजीयक द्वारा कराई जाने वाली जनगणना देश में बाल श्रमिकों की संख्या के संबंध में प्रामाणिक आंकड़ा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की संख्या 1.26 करोड़ है। इसमें जोखिमकारी तथा गैर-जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं दोनों में कार्य कर रहे बच्चे शामिल हैं।

(ग) और (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों का जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन प्रतिषिद्ध है। इस समय, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, जोखिमकारी रूप में सूचीबद्ध 15 व्यवसाय और 17 प्रक्रियाएं हैं। सरकार इन जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची में लगतार बढ़ोतरी कर रही है। जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं के ये परिवर्धन महानिदेशक,

भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद (आई०सी०एम०आर०) की अध्यक्षता वाली तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर किये जाते हैं।

(ङ) सरकार जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों से शुरू करके और धीरे-धीरे गैर-जोखिमकारी व्यवसायों के बच्चों को भी कवर करते हुए बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को कार्य से हटाने और पुनर्वासित करने के लिए देश में 20 राज्यों के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एल०सी०एल०पी०) स्कीम चला रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत, कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में दाखिल कराया जाता है जहां उन्हें शिक्षा, पोषणाहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वजीफा और स्वास्थ्य देखरेख मुहैया कराई जाती है ताकि उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए अधिकतम तीन वर्षों की अवधि में तैयार किया जा सके।

अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना

2798. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में भेड़ पालन में लगे लोगों हेतु अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के सम्बंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बुन्देलखण्ड के लिए पैकेज

2799. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसानों के कल्याण तथा क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड के अति पिछड़े क्षेत्रों के लिए विदर्भ जैसा पैकेज प्रदान किये जाने हेतु कुछ जन प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस क्षेत्र के विकास हेतु उक्त वित्तीय सहायता कब तक घोषित किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए विशेष पैकेज हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं। योजना आयोग ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर विशेष बल दिए जाने के साथ उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय विकास में असमानताओं के संबंध में स्थिति का अध्ययन करने के लिए तथ्य का पता लगाने वाले एक दल का गठन किया है।

[अनुवाद]

गुआर का उत्पादन

2800. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुआर का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा इसकी खेती में राज्यवार तथा वर्ष-वार कितने परिवार लगे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास गुआर के उत्पादन में सुधार तथा किसानों की आय बढ़ाने हेतु महिला स्व-सहायता समूहों (एस०एच०जी०) को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक गुआर की फल का राज्य-वार उत्पादन और गुआर की फसल की खेती वाले कृषि प्रचालनात्मक जोतों की संख्या, कृषि संगणना 1995-96 के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध) का ब्यौरा निम्नलिखित है

राज्य	उत्पादन ('000 टन)			कृषि प्रचालनात्मक जोतों की संख्या
	2003-04	2004-05	2005-06	
गुजरात	203.8	157.1	157.1	178433
हरियाणा	117.2	358.7	289.0	108817
पंजाब	27.1	19.4	17.8	उपलब्ध नहीं
राजस्थान	1163.2	366.0	593.2	879555
उत्तर प्रदेश	2.1	2.1	1.9	उपलब्ध नहीं
अखिल भारत	1513.4	903.3	1059.0	1207257

(ख) और (ग) सरकार ने प्रति लाभानुभोगी प्रति वर्ष 15,000 रुपये की आय प्रदान करके महिला स्व-मदद समूहों की भागीदारी के माध्यम से हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में पांच वर्षों में गुआर बीज उत्पादन और गुआरगम के निर्यात में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने के उद्देश्य से इस परियोजना के लिए 14.50 करोड़ रुपए की राशि का अनुमोदन किया है।

[हिन्दी]

नैनी झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल किया जाना

2801. **श्री बालेश्वर यादव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नैनीताल की नैनी झील का राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त झील के रखरखाव हेतु वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना को भविष्य में बंद करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 47.97 करोड़ रुपये की लागत पर 70:30 हिस्सेदारी आधार पर एक परियोजना मंजूर की है जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 33.58 करोड़ रुपये और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 14.39 करोड़ रु० है। भारत सरकार ने अपनी 33.58 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी में से क्रमश: 2003-04 को 5.60 करोड़ रुपये, वर्ष 2004-05 में 10 करोड़ रुपये ओर वर्ष 2006-07 में 7.33 करोड़ रुपये जारी किए है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आई०सी०ए०आर० द्वारा कम्प्यूटर खरीदने में अनियमितताएं

2802. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई०सी०ए०आर०), दिल्ली द्वारा कम्प्यूटर खरीदने में कोई घोटाला उजागर हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) परिषद द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान खरीदे गए कम्प्यूटरों की खरीद में किसी तरह के घोटाले का पता नहीं लगा है। यद्यपि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणली में एन०ए०टी०पी० तथा एन०ए०आर०पी०-II में कम्प्यूटरों की खरीद में अनियमितता की शिकायतें आई है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने दोनों मामलों की जांच की है और दोनों मामलों से संबंधित केन्द्रीय अन्वेषण

ब्यूरो (सी०बी०आई०) की रिपोर्टों के आधार पर दोनों मामले समाप्त कर दिए गए हैं। इन मामलों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

(i) एन०ए०टी०पी० का मामला:– एन०ए०टी०पी० के तहत खरीदे गए कम्प्यूटरों तथा अन्य उपकरणों की खरीद के संबंध में महानिदेशक, भा०कृ०अ०प० तथा भा०कृ०अ०प० के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध पी०ई०आई० (ए) 2001-ए०सी०यू० (vi), सी०बी०आई०, नई दिल्ली, दिनांक 11.4.2001 को रजिस्टर्ड किया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच में भा०कृ०अ०प० के किसी भी पदाधिकारियों के बारे में किसी तरह का कोई दुराग्रह नहीं पाया गया और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामले को बंद कर दिया क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। अंत में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की दिनांक 6.5.2002 की रिपोर्ट के आधार पर परिषद में मामले को बंद कर दिया गया और केन्द्रीय सर्तकता आयोग को इस बारे में अवगत करा दिया गया है।

(ii) एन०ए०आर०पी० II का मामला: विश्व बैंक की वित्तीय सहायतार्थ को एन०ए०आर०पी०-II परियोजना की ए०आर०आई०एस० स्कीम के तहत कम्प्यूटर उपकरण तथा साफ्टवेयर की खरीद के मामले में अनियमितता के आरोपों की जांच हेतु आरंभिक रूप से एक पी०ई०-12(ए)/99 को रजिस्टर्ड किया गया। एन०ए०आर०पी०-II के तहत कम्प्यूटर और अन्य उपकरणों की खरीद में भा०कृ०अ०प० कार्मिकों तथा मैसर्स एच०सी०एल०-एन०पी० आदि के कार्मिकों के विरुद्ध जांच के निष्कर्षों के बाद उक्त पी०ई० को एक आर०सी० सं० डी०ए० I 2000-ए-0020 दिनांक 26.4.2000 को रजिस्टर्ड किया गया। इस मामले में सी०बी०आई० की जांच रिपोर्ट का परीक्षण परिषद में सी०वी०सी० के परामर्श से किया गया तथा सी०वी०सी० द्वारा दिए गए परामर्श को विचार में लेते हुए मामले को बंद कर दिया गया।

[अनुवाद]

राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को विशेष अनुदान

2803. श्री राम कृपाल यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राजेन्द्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार को इसकी खस्ताहाल वित्तीय स्थिति के मद्देनजर विशेष अनुदान आवंटित किया गया है/किये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी धनराशि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है तथा इस धनराशि को किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दसवीं योजनावधि के दौरान कृषि शिक्षा के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को 2294.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

महाराष्ट्र की परियोजनाएं

2804. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में उमान परियोजना का निर्माण कार्य निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण आरम्भ नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा निधियां कब तक जारी की जाएंगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय में उमान परियोजना के नाम से कोई प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, हुमान परियोजना के नाम से एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जो मूल्यांकनाधीन है। मूल्यांकन पूरा करने में लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का कितनी तत्परता से अनुपालन करती है। मूल्यांकन पूरा करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

केन्द्र सरकार लागू ए०आई०बी०पी० दिशानिर्देश के अनुरूप त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अंतर्गत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। परियोजना को ए०आई०बी०पी० में शामिल करने के लिए एक प्रमुख शर्त यह है कि परियोजना को योजना

आयोग से निवेश स्वीकृति मिली हुई होनी चाहिए। हुमान परियोजना के योजना आयोग से निवेश स्वीकृति नहीं मिली है।

[हिन्दी]

बीड़ी मजदूर आवास परियोजना

2805. **श्री चन्द्रभान सिंह** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नब्बे लाख की लागत वाली बीड़ी मजदूर आवास परियोजना केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) जी, नहीं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बीड़ी कामगारों के लिए 225 मकानों के निर्माण संबंधी एक सामूहिक आवास योजना, जिसमें 90 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है, को केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित एकीकृत आवास योजना, 2005 के अंतर्गत 8 फरवरी, 2007 को सम्बीकृति प्रदान की गयी थी तथा मध्य प्रदेश सरकार के लिए 8 फरवरी, 2007 को ही 45 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी गयी है।

[अनुवाद]

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना

2806. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) भारत सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अलग करके एक अलग भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद के सृजन के प्रस्ताव विभिन्न वर्गों से समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं। समय की मांग यह है कि कृषि के प्रति एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाए जहां कृषि और पशुपालन दोनों गतिविधियां एक-दूसरे की पूरक बन सके और यदि इन दोनों गतिविधियों में से कोई भी एक गतिविधि किसी विशेष मौसम में असफल हो जाती है तो दूसरी गतिविधि किसानों की जीविका को सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों की कुछ समस्याएं शायद एकीकृत कृषि के माध्यम से ज्यादा अच्छी तरह से सुलझायी जा सकती हैं। अत:, एक एकीकृत सघन कृषि दृष्टिकोण पर बल देते हुए, जिसमें कृषि, पशुधन एवं मात्स्यिकी क्षेत्रों के एकीकरण की व्यवस्था हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अलग करके एक अलग भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद का सृजन वांछनीय नहीं है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी राष्ट्रीय नीति

2807. **श्री जी०एम० सिद्देश्वर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी राष्ट्रीय नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य के विकास के लिए सब्सिडी प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान इसके मानदंडों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) राष्ट्रीय गहन समुद्री मात्स्यिकी नीति केंद्र सरकार द्वारा 2004 में घोषित व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति में निहित है। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है: (i) प्रादेशिक जल से बाहर मात्स्यिकी यानों की पहुंच को विनियमित करना, (ii) केवल संसाधन विशिष्ट मात्स्यिकी की ही अनुमति दी जाएगी, (iii) उन मात्स्यिकी यानों की संख्या तैयार की गई है जिन्हें अगले पांच वर्षों के दौरान अनुमति दी जा सकती है और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा, (iv) पूरी तरह से भारतीय स्वामित्वों वाली कंपनियों को और अकेले कम-से-कम 51% भारतीय इक्विटि वाली संयुक्त उद्यम कंपनियों को ही गहन समुद्री मात्स्यिकी की अनुमति दी जाएगी, (v) एक अंतरमंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति देश में गहन समुद्री मात्स्यिकी विकास को देखेगी।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने गहन समुद्री ट्रॉलरों को मोनो फिलामेंट लांग लाइनर में बदलने के लिए राजसहायता दी है। 15 लाख रुपए प्रति यान की सीमा के साथ ट्यूना के लिए मोनो फिलामेंट लांग लाइनिंग के लिए मौजूदा ट्रॉलरों को बदलने की 50% लागत केंद्रीय प्रायोजित योजना समुद्री मात्स्यिकी का विकास के एक घटक के माध्यम से बैंक इंडेड राजसहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। 4 यानों को 2004-05 के दौरान 53.2 लाख रुपए के राजसहायता तथा 2 यानों को 2005-06 के दौरान 27.2 लाख रुपए के राजसहायता प्रदान की गई थी। उक्त राजसहायता राज्यवार जारी नहीं की जाती है क्योंकि गहन समुद्री मात्स्यिकी यान नौवहन महानिदेशक के तहत पंजीकृत होते हैं।

भारत-चीन दल का संयुक्त निरीक्षण

2808. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रहमपुत्र एवं सतलुज के यथार्थ स्रोत का पता लगाने के लिए हिमालय में संयुक्त अभियान शुरू करने के लिए भारतीय एवं चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र एवं इसके लिए समय की अनुमति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पर्वतारोहण संघ तथा बीजिंग स्थित चाइनीज एकेडमी आफ साइंसेज ने दिसम्बर, 2006 में नई दिल्ली में समझौते संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों के विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत करेंगे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) भारतीय पर्वतारोही संस्थान के अध्यक्ष तथा चीनी वैज्ञानिक अकादमी के निदेशक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार छः भारतीय व चीनी वैज्ञानिकों और दो आरोही (भारत से) एवं कुछ सहायक सदस्यों को दो बड़ी नदियों ब्रह्मपुत्र व सतलुज के स्रोतों के लिए जून, 2007 में एक संयुक्त अभियान प्रारंभ करना है। अध्ययन क्षेत्र प्रमुख रूप से तिब्बत तथा ब्रह्मपुत्र घाटी तक सीमित है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, अध्ययन की अवधि 4-5 वर्ष, प्रत्येक अभियान हेतु 24 दिन है।

(ग) जी हां, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिसम्बर, 2006 में किए गए थे।

(घ) समझौता ज्ञापन में युवा मामले तथा खेल संबंधी नोडल मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने का कोई प्रावधान नहीं है।

फिनिश्ड स्टील/पिग आयरन का उत्पादन

2809. श्री नरहरि महतो : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2006-07 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादित फिनिश्ड स्टील तथा पिग आयरन का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनके उत्पादन में वृद्धि संबंधी कार्यक्रमों के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान वर्तमान एवं बढ़े हुए उत्पादन की पूर्ति के लिए लौह अयस्क तथा धातुकर्मीय कोयले की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी; और

(घ) ऐसे कोयले की कितनी मात्रा घरेलू रूप से उपलब्ध होने का अनुमान है और कितनी मात्रा का आयात किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) वर्ष 2006-07 (फरवरी, 2007 तक) के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा परिसज्जित इस्पात तथा कच्चे लोह का उत्पादन निम्नानुसार है:-

(इकाई: मिलियन टन)

मद	2006-07 (फरवरी, 2007 तक)
परिसज्जित इस्पात	9.3
कच्चा लोहा	0.46

वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर० आई०एन०एल०), विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी०एस०पी०) में परिसज्जित इस्पात तथा कच्चे लोहे के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(इकाई: मिलियन टन)

मद	2006-07 (प्रत्याशित
परिसज्जित इस्पात	3.001
कच्चा लोहा	0.349

(ख) सेल की वर्ष 2009-2010 तक परिसज्जित इस्पात का उत्पादन बढ़ाकर 12.3 एम०टी० करने और कच्चे लोहे का उत्पादन वर्ष 2009-2010 तक बढ़ाकर लगभग 1 एम०टी० करने की योजना है। इस समय बी०एस०पी० अपनी रेटिड क्षमता की लगभग 120 प्रतिशत क्षमता पर प्रचालन कर रहा है। बी०ए०पी० द्वारा अपनी 3 मिलियन टन क्षमता को बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन करने के लिए इसकी विस्तार योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) सेल इस समय 24 एम०टी० लौह अयस्क तथा 14 एम०टी० कोककर कोयले की खपत करता है। वर्ष 2009-2010 तक आवश्यकता बढ़कर 35 एम०टी० लौह अयस्क तथा 18 एम०टी० कोककर कोयला होने की संभावना है। आर०आई०एन०एल० 6.09 एम०टी० लौह अयस्क तथा 3.32 एम०टी० धातुकर्मीय कोयले की खपत कर रहा है। वर्ष 2009-2010 तक आवश्यकता बढ़कर 7.09 एम०टी० लौह अयस्क तथा 3.86 एम०टी० धातुकर्मीय कोयला होने की संभावना है।

(घ) सेल द्वारा इस समय खपत किए जाने वाले कोयले के 63 प्रतिशत भाग का आयात किया जाता है और 2009-2010 तक यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो सकता है। आर०आई०एन०एल० द्वारा खपत किए जाने वाले कोयले का 37 प्रतिशत भाग आयात किया जाता है और 2009-2010 तक इसके इतना ही बना रहने की संभावना है।

लौह अयस्क का आयात

2810. **श्री रत्नेश वर्मन** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों को इस वर्ष भारी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करने की अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) आई०टी०सी० (एच०एस०) वर्गीकरण के एग्जिम कोड संख्या "2601" के तहत सूचीबद्ध "लौह अयस्क तथा सांद्रण" आयात के लिए स्वतंत्र हैं। अत: सरकार से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा खरीद

2811. **श्री हितेन बर्मन** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में धान, चावल एवं गेहूं की खरीद राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है तथा किन-किन राज्यों में इसकी खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) द्वारा की जाती है;

(ख) अलग-अलग एजेंसियों द्वारा इनकी खरीद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके द्वारा ऐसी खरीद के कारण राज्य सरकारों को हानि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी हानियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी हानियों के लिए राज्यों को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) विपणन मौसम 2006-07 में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा जिन राज्यों में धान/चावल और गेहूं की वसूली की गई है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य की कवरेज को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियां खाद्यान्नों की वसूली का कार्य कर रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनके उत्पाद

के लिए लाभकारी मूल्य मिले और उन्हें मजबूरन बिक्री का सहारा न लेना पड़े।

(ग) से (ङ) भारत सरकार की ओर से धान, चावल और गेहूं की वसूली करने वाली राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों के वसूली प्रचालनों पर वहन किए गए समस्त खर्च की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत सिद्धान्तों के अनुसार खाद्य राजसहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है।

विवरण

विपणन मौसम 2006-07 में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा जिन राज्यों में धान/चावल और गेहूं की वसूली की गई है उनके नाम दर्शाने वाला विवरण

राज्य	धान/चावल	गेहूं
आंध्र प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां	–
बिहार	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां	–
चंडीगढ़	भारतीय खाद्य निगम	–
छत्तीसगढ़	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां	–
हरियाणा	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां
झारखंड	भारतीय खाद्य निगम	–
कर्नाटक	भारतीय खाद्य निगम	–
केरल	राज्य एजेंसियां	–
मध्य प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां
महाराष्ट्र	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां	–
उड़ीसा	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां	–
पंजाब	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां
राजस्थान	भारतीय खाद्य निगम	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां
तमिलनाडु	राज्य एजेंसियां	–
उत्तर प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां
उत्तराखंड	राज्य एजेंसियां	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां
पश्चिम बंगाल	भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां	–

नहर निरीक्षण

2812. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल ने नहरों के निरीक्षण के लिए राजस्थान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है तथा इससे कौन सी परियोजनाएं लाभान्वित होंगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) विश्व बैंक कार्यान्वयन सहायता मिशन ने राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (आर०डब्ल्यू०एस० आर०पी०) के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 8-15 दिसम्बर, 2006 के दौरान राजस्थान का दौरा किया था। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि दल ने गंग और भाकड़ा नहर प्रणाली का दौरा किया और निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। राजस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मिशन ने किए जा रहे निर्माण कार्य पर समग्र रूप से संतोष व्यक्त किया और कार्य की गति बढ़ाने के संबंध में विभिन्न उपायों का भी सुझाव दिया।

(ग) राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना के घटकों में 7 वृहद, 36 मध्यम एवं 45 लघु सिंचाई स्कीमों की नहर प्रणाली का पुनर्वास शामिल है। अन्य बातों के साथ-साथ इस परियोजना के उद्देश्य में नहरों के पश्च खंडों में जल उपलब्ध कराना शामिल है। इन स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना पुनर्वासित की जा रही सिंचाई स्कीमों की सूची

क्रम सं०	सिंचाई स्कीम का नाम	श्रेणी	जिला	सी०सी०ए० (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.	बसुनदानी	लघु	अजमेर	1360
2.	जैसमंड	मध्यम	अलवर	4790
3.	देवती	लघु	अलवर	1410
4.	मंगलसर	लघु	अलवर	958
5.	माले	लघु	बांसवाड़ा	1045
6.	परवान नहर प्रणाली	मध्यम	बारन	7550
7.	उमेदसागर	मध्यम	बारन	2968
8.	रैती	लघु	बारन	1576
9.	बरेठा	मध्यम	भरतपुर	4243
10.	भरतपुर पोषक	मध्यम	भरतपुर	7278

1	2	3	4	5
11.	नहर सागर	मध्यम	भीलवाड़ा	2939
12.	उमेद सागर	मध्यम	भीलवाड़ा	3249
13.	बी०के० सरेरी	लघु	भीलवाड़ा	586
14.	मंडल	लघु	भीलवाड़ा	1152
15.	जेतपुरा	मध्यम	भीलवाड़ा	3730
16.	अनवासा	लघु	भीलवाड़ा	586
17.	गोवता	लघु	भीलवाड़ा	1620
18.	झादोल	लघु	भीलवाड़ा	1905
19.	गुधा	वृहद	बूंदी	11376
20.	बुंदी का गोथरा	मध्यम	बूंदी	5560
21.	पैबालपुरा	लघु	बूंदी	1930
22.	पेच की बाओरी	लघु	बूंदी	991
23.	बुर्धा	मध्यम	बूंदी	4251
24.	भिमलेट अभयपुरा	मध्यम	बूंदी	3402
25.	गंभीरी	मध्यम	चित्तौड़गढ	7599
26.	बनकिया	लघु	चित्तौड़गढ	1655
27.	गादोला	लघु	चित्तौड़गढ	1098
28.	गंगारिया	लघु	चित्तौड़गढ	233
29.	ओराई	मध्यम	चित्तौड़गढ	9260
30.	बनीना	लघु	चित्तौड़गढ	178
31.	काला देह	लघु	चित्तौड़गढ	297
32.	कालाखो	मध्यम	दौसा	3400
33.	सैंथल सागर	मध्यम	दौसा	3267

1	2	3	4	5
34.	चन्दराना	लघु	दौसा	1012
35.	पारबती	लघु	धौलपुर	25368
36.	रामसागर	मध्यम	धौलपुर	5600
37.	उर्मिला सागर	मध्यम	धौलपुर	2900
38.	बाबा की बाड़	लघु	डूंगरपुर	588
39.	भादर	लघु	डूंगरपुर	461
40.	बिलपन	लघु	डूंगरपुर	425
41.	गजपुर	लघु	डूंगरपुर	771
42.	गोरियो का नाका	लघु	डूंगरपुर	410
43.	लोडिसार	लघु	डूंगरपुर	1792
44.	मार्गिया	लघु	डूंगरपुर	866
45.	वतरक	लघु	डूंगरपुर	626
46.	गलियाना	लघु	डूंगरपुर	446
47.	कन्ती	लघु	डूंगरपुर	428
48.	पंजपुर	लघु	डूंगरपुर	582
49.	गंग नहर प्रणाली	वृहद	गंगानगर	125000
50.	भाकड़ा नहर प्रणाली	वृहद	गंगानगर एवं हनुमानगढ़	164774
51.	बुछड़ा	मध्यम	जयपुर	2638
52.	चिन्तोली	मध्यम	जयपुर	2280
53.	खर्द	मध्यम	जयपुर	4073
54.	बंकाली बंद	मध्यम	जालौर	5382
55.	भिम सागर	मध्यम	झालवाड़	9986
56.	मुंडलिया खेरी	लघु	झालवाड़	591

1	2	3	4	5
57.	सरन खेरी	लघु	झालावाड़	1377
58.	जुग्गर	मध्यम	करौली	5927
59.	अलनिया	मध्यम	कोटा	7882
60.	जवाई	वृहद	पाली	38671
61.	हेमावास	मध्यम	पाली	8684
62.	खारदा बाँध	मध्यम	पाली	2451
63.	रायपुर लूनी	मध्यम	पाली	2605
64.	मिग्री	लघु	पाली	1913
65.	नंद संसद	मध्यम	राजसमंद	6163
66.	कुंडेली	लघु	राजसमंद	1063
67.	चवंड	लघु	उदयपुर	361
68.	हरचन्द	लघु	उदयपुर	909
69.	केजर	लघु	उदयपुर	688
70.	सोम पिकअप वीयर	लघु	उदयपुर	969
71.	मोरेल	वृहद	सवाई माधोपुर	16720
72.	मानसरोवर	मध्यम	सवाई माधोपुर	3168
73.	मोरा सागर	मध्यम	सवाई माधोपुर	7374
74.	सुरवाल	मध्यम	सवाई माधोपुर	3963
75.	चन्दपुरा	लघु	सवाई माधोपुर	1016
76.	दिवपुरा	लघु	सवाई माधोपुर	1860
77.	अंगोर	मध्यम	सिरोही	3455
78.	ओरा	मध्यम	सिरोही	4616
79.	पश्चिम बनास	मध्यम	सिरोही	7952

1	2	3	4	5
80.	मादर का नाला-I	लघु	सिरोही	491
81.	गलवा	वृहद	टॉक	13391
82.	माशी	मध्यम	टॉक	6985
83.	मोतीसागर	मध्यम	टॉक	2157
84.	बक्सा का नाका	लघु	उदयपुर	348
85.	झादोल	लघु	उदयपुर	530
86.	नगमाला	लघु	उदयपुर	254
87.	ओगना	लघु	उदयपुर	1252
88.	सुखेर का नाका	लघु	उदयपुर	480
	सकल योग			616116

ई०एस०आई० अस्पताल

2813. डा० के०एस० मनोज : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय ई०एस०आई० अस्पतालों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या केरल सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने और ई०एस०आई० अस्पतालों को केन्द्रीय ई०एस०आई० योजना के अंतर्गत लाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ओस्कर फर्नांडीस) : (क) देश में 21 केन्द्र संचालित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल हैं। राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) मॉडल अस्पताल स्कीम के अनुसार, प्रत्येक राज्य में केवल एक अस्पताल कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मॉडल अस्पताल के रूप में चलाए जाने के लिए अधिग्रहित किया गया था। इसके अलावा, 02.06.2005 को आयोजित स्थायी समिति की बैठक कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई०एस०आई०सी०) में यह निर्णय लिया गया था कि दो वर्षों की अवधि के लिए, मार्च, 2007 तक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मॉडल अस्पताल के रूप में चलाये जाने के लिए राज्य सरकार से कोई और अस्पताल अधिग्रहीत नहीं करेगी। तत्पश्चात्, प्राप्त अनुभवों के आधार पर, अगले चरण के लिए रणनीति के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

केरल सरकार से केन्द्रीय कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अंतर्गत राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को और संख्या में लाने के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	नाचरम, हैदराबाद

1	2	3
2.	असम	बेलटोला
3.	झारखंड	रांची
4.	कर्नाटक	राजाजीनगर, बंगलौर
5.	केरल	असरमम, कोल्लम
6.	उड़ीसा	राऊरकेला
7.	पंजाब	लुधियाना
8.	राजस्थान	जयपुर
9.	उत्तर प्रदेश	नोएडा
10.	बिहार	फुलवारी शरीफ
11.	गुजरात	बापूनगर, अहमदाबाद
12.	जम्मू	बारी ब्राहमा
13.	दिल्ली	बसईदारापुर
14.	दिल्ली	झिलमिल
15.	दिल्ली	ओखला
16.	दिल्ली	रोहिणी
17.	महाराष्ट्र	चिंचवाद, पुणे
18.	पश्चिम बंगाल	जोका, कोलकाता
19.	तमिलनाडु	केके नगर, चैन्नई
20.	मध्य प्रदेश	नागदा
21.	यू०टी० चंडीगढ़	चंडीगढ़

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज

2814. **श्री नकुल दास राई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व क्षेत्र की सरकारों से कृषि क्षेत्र के विकास हेतु राज्यवार विशेष पैकेज के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

न्यूनतम गारन्टी मूल्य

2815. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के किसानों की लंबित मांग को ध्यान में रखते हुए कपास, मिर्च तथा तम्बाकू जैसी वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य (एम०जी०पी०) की घोषणा करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके कारण क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) जैसाकि राष्ट्रीय कृषि नीति में निहित है, केन्द्रीय सरकार अपने उत्तरदायित्व को निभाने में कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु, प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य (एम०जी०पी०) के स्थान पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। किसी एक जिन्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निचले स्तर का मूल्य होता है तथा यदि जिन्स का विपणन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरता है, सरकारी एजेंसियां इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रापण करती हैं तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि किसान दबाव पूर्ण बिक्री के लिए बाध्य न हों।

कृषि मंत्रालय, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कपास तथा तम्बाकू सहित 25 प्रमुख कृषि फसलों के लिए

वार्षिक आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। किसी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसके उत्पादन की लागत तथा अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखता है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी परामर्श किया जाता है।

जहां तक मिर्चों के संबंध में, ये बाजार हस्तक्षेप योजना (एम०आई०एस०) के अंतर्गत कवर होता है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग बागवानी तथा अन्य कृषि जिन्सों जोकि सामान्यत: स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाली होती हैं इन जिन्सों के उत्पादकों को अधिकतम आगम अवधि के दौरान बम्पर फसल के मौके पर जब मूल्य आर्थिक स्तर से नीचे गिरने लगते हैं, दबावपूर्ण बिक्री से बचाने के उद्देश्य से, के प्रापण के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करता है। बाजार हस्तक्षेप योजना किसी राज्य/संघ शासित सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है यदि कोई हानि होती है तो वह 50% हानि (उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में 25%) वहन करने को तैयार होती है। स्कीम के अंतर्गत एक निर्धारित बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर एक पूर्व निर्धारित मात्रा केन्द्रीय एजेंसी के रूप में नैफैड तथा एक निश्चित अवधि अथवा बाजार हस्तक्षेप मूल्य से ऊपर मूल्य स्थिर रहने तक जो भी पहले हो राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसी के द्वारा प्रापण किया जाता है। कार्य का क्षेत्र केवल संबंधित राज्य एक प्रतिबंधित होता है।

ग्लिपीजाइड दवा का मूल्य

2816. **चौ० मुनव्वर हसन :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एन०पी०पी०ए०) ने मधुमेह-रोधी दवा ग्लिपीजाइड का मूल्य निर्धारित/संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन०पी०पी०ए० को उक्त दवा के मूल्य के निर्धारण के संबंध में पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या एन०पी०पी०ए० ने दवा के मूल्य में संशोधन के लिए कोई नई लागत एवं तकनीकी आर्थिक अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) इस पर क्य कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) से (च) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) ने एक विस्तृत लागत मूल्य अध्ययन के बाद बल्क औषध ग्लिपीजाइड की पहले अधिसूचना दिनांक 13.8.04 के जरिए निर्धारित मूल्य 31584/- रु० प्रति कि०ग्रा० को का०आ० 1403 (अ०) दिनांक 11.7.2006 के द्वारा घटाकर 29244/- रु० प्रति कि०ग्रा० कर दिया है। बल्क औषध ग्लिपीजाइड का मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी०पी०सी०ओ०, 1995) के प्रावधानों के तहत निर्धारित/संशोधित किया गया है।

बल्क औषध ग्लिपीजाइड को डी०पी०सी०ओ० 1995 को पहली अनुसूची से हटा दिए जाने के कारण यह मुकदमे के अधीन था। इस बल्क औषध का मूल्य उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को खारिज कर दिए जाने के बाद, पहली बार एन०पी०पी०ए० द्वारा कराए गए एक विस्तृत लागत सह तकनीकी आर्थिक अध्ययन के आधार पर दिनांक 13.08.04 की एक अधिसूचना के द्वारा 31584/- प्रति कि०ग्रा० निर्धारित किया गया था।

बल्क औषध ग्लिपीजाइड के मूल्य निर्धारण के संबंध में सरकार/एन०पी०पी०ए० को पत्र प्राप्त हुए हैं। एन०पी०पी०ए० द्वारा बाजार मूल्य की आवधिक निगरानी के दौरान यह पाया गया कि बल्क औषध ग्लिपीजाइड का मूल्य विद्यमान अधिसूचित मूल्य की तुलना में कम चल रहा था। एन०पी०पी०ए० ने सभी ज्ञान विनिर्माताओं से सूचना मांग कर एक नया लागत सह तकनीकी-आर्थिक अध्ययन कराने का फैसला किया। एन०पी०पी०ए० द्वारा एक विस्तृत अध्ययन के पश्चात जुलाई, 2006 में उक्त बल्क औषध की कीमत को घटाकर 29244/- रु० प्रति कि०ग्रा० कर दिया गया। बाजार मूल्यों की निगरानी सिर्फ पत्रिकाओं से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। जहां कहीं कोई लागत मूल्य अध्ययन किया जाता है, वहां एन०पी०पी०ए० द्वारा लागत के आधार पर मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और ऐसी लागत बाजार मूल्यों से मुक्त होती है। इसके अलावा, कीमतों में समय-समय पर घट-बढ़ होती रहती है। ग्लिपीजाइड के मामले में लागत बाजार मूल्य से ऊंची थी। डी०पी०सी०ओ० 1995 के प्रावधानों के तहत बल्क औषध के मूल्य का निर्धारण करते समय समान दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

[हिन्दी]

दुकानों की संख्या

2817. डा० चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति हजार व्यक्ति दुकानों की औसत संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, जापान आदि जैसे अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत एवं अन्य देशों में दुकानों की औसत संख्या के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) भारत तथा अन्य देशों में दुकानों के आकार के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन) : (क) से (ग) श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संकलित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक विवरणियों के रूप में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 के दौरान दुकानों की कुल संख्या 36,97,119 थी। भारत तथा अन्य देशों मे दुकानों की औसत संख्या तथा दुकानों के आकार के बारे में तुलनात्मक आंकड़े भारत सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

हैदराबाद विमानपत्तन पर वन्यजीव प्रकोष्ठ

2818. श्री चाडिगा रामकृष्णा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद विमानपत्तन पर वन्यजीव प्रकोष्ठ की स्थापना करने का सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : (क) से (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद हवाई अड्डा पर वन्य पशुओं के अवैध व्यापार और आवाजाही को रोकने हेतु एक टास्क फोर्स गठित करने के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था। इसके जवाब में भारत सरकार ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वह ऐसी यूनिट की स्थापना करने में केन्द्रीय सहायता मांगने की बजाए अपने मौजूदा संसाधनों को उपयोग में लाए।

पत्थर तोड़ने वाले (स्टोन क्रशिंग) कारखानों को बंद किया जाना

2819. श्री अधीर चौधरी :
श्री जयंतासेखरी बल्लभनेनी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की यमुना नदी को प्रदूषण रहित नदी बनाने के संबंध में कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने सफाई प्रयासों को अधिक कारगर एवं परिणामोन्मुखी बनाने के संबंध में पर्यावरणविद् की राय का पता लगाया है/लगाने का प्रस्ताव है:

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) वर्ष 2007-08 के दौरान इसके लिए कितनी निधियां निर्धारित की गई है; और

(छ) नदियों, विशेषकर यमुना को स्वच्छ रखने के लिए स्थापित किए गए जल-मल शोधन संयंत्रों की शोधन क्षमता कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (छ) दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण निवारण उपायों को शुरू करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और जिसके कार्यान्वयन के लिए अनेक एजेंसियों को अभिनिर्धारित किया गया है। दिल्ली में यमुना कार्य योजना के अंतर्गत कार्य भी उक्त एकीकृत कार्य योजना का भाग है। यमुना कार्य योजना-I के अंतर्गत प्रतिदिन 741 मिलियन मीटर की शोधन क्षमता तैयार की गई थी जिसमें से प्रतिदिन 402 मिलियन लीटर उत्तर प्रदेश में, प्रतिदिन 309 मिलियन लीटर हरियाणा

में और प्रतिदिन 30 मिलियन लीटर दिल्ली में थी। यमुना कार्य योजना-I को बंद घोषित कर दिया बाद में यमुना कार्य योजना-II शुरू की गई जिसमें दिल्ली में प्रतिदिन 135 मिलियन लीटर क्षमता सृजन और उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 54 मिलियन लीटर के अलावा दिल्ली में प्रतिदिन 324 मिलियन लीटर की मरम्मत किए जाने की परिकल्पना की गई है।

वर्ष 2007-2008 के दौरान यमुना कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत प्रदूषण निवारण कार्य करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए 77 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी निजी योजना निधि से यमुना नदी में बड़े पैमाने पर सीवरेज गैर सीवरेज और सीवेज शोधन कार्य शुरू किए है। यमुना कार्य योजना-II कार्यान्वयन में सरल बनाने के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में अनेक विशेषज्ञों को शामिल करके परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की घाटा

2820. श्री तथागत सत्पथी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन आजकल घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले पर गौर करने हेतु समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) ओ०एम०डी०सी० को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई हानि के मुद्दे की विशेष रूप से जांच करने के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

2821. श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री सुप्रीय सिंह :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) एवं केन्द्र सरकार द्वारा आरंभ की गई कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों की योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान इस हेतु आवंटित निधियों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास में उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों ने कितना योगदान दिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, मानद विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संकाय वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा विकास के लिए वित्तीय सहायता देती है। गुजरात में कृषि विश्वविद्यालयों सहित कृषि विश्वविद्यालयों में इस योजना के तहत शुरू किए गए कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है तथा कृषि शिक्षा का विकास, महिला छात्रावास अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास, इन्सट्रक्शनल मॉडल प्लांट तथा इन्सट्रक्शनल मॉडल फार्म, का निर्माण, पुराने तथा बहुत पुराने उपकरणों को अद्यतन करना/बदलना, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण जागरूकता निर्माण अनुभव कार्यक्रम, बेहतर अध्यापक पुरस्कार, प्रत्यायन, विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें इमेरिटस वैज्ञानिक योजना, सेन्टर ऑफ एडवान्सड स्टडीज, उत्कृष्टता के निच क्षेत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर एक्सपैरीमेन्टल लर्निंग ईण्डस शामिल हैं। इसके अलावा, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं, कृषि विज्ञान केन्द्र, तदर्थ योजनाएं तथा राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना के तहत योजनाएं भी गुजरात में कृषि विश्वविद्यालयों सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू की गई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान उन पर रिलीज/आवंटित की गई निधियों का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कृषि विश्वविद्यालयों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई योजना/कार्यक्रमों ने कृषि विकास पर आधारित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकियों में मदद की है जो कि कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसने देश के लिए कृषि तथा कृषि प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र प्रशिक्षित मानव शक्ति तैयार करने में मदद की है। इसके अलावा, इन योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि, पशु विज्ञान, मात्स्यिकी संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार और वर्षवार कृषि विश्वविद्यालयों को आवंटित धनराशि

(रु० लाख में)

क्र०सं०	राज्य/वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	असम	1278.34	1419.00	2086.19	3182.03
2.	आन्ध्र प्रदेश	2207.11	2097.66	2595.32	4777.61
3.	बिहार	1069.84	1393.21	1830.39	3362.11
4.	छत्तीसगढ़	827.38	907.10	1520.26	2229.88
5.	गुजरात	1598.88	2660.25	3574.92	4916.91
6.	हरियाणा	1664.81	2867.71	2368.62	4047.28
7.	हिमाचल प्रदेश	1833.47	1859.47	8288.62	4469.96
8.	जम्मू एवं कश्मीर	969.45	2424.88	4334.68	5953.43
9.	झारखण्ड	597.42	802.66	1806.98	3215.33
10.	कर्नाटक	2698.48	3084.53	3957.96	5676.51
11.	केरल	997.34	2543.32	1674.27	4443.71
12.	मध्य प्रदेश	1802.12	2339.55	1152.12	2362.73
13.	महाराष्ट्र	3459.84	3241.94	5512.39	5181.54
14.	उड़ीसा	1405.27	1655.73	2479.28	3708.65
15.	पंजाब	2024.36	3517.73	2776.26	4571.64

1	2	3	4	5	6
16.	राजस्थान	2635.16	2955.05	3590.75	4922.76
17.	तमिलनाडु	2242.11	2407.84	3138.71	5660.23
18.	उत्तर प्रदेश	2688.94	2836.43	4881.57	8840.54
19.	उत्तराखण्ड	1262.75	1451.55	2817.57	3618.84
20.	पश्चिम बंगाल	1273.60	1235.15	2336.53	4066.07
21.	नागालैंड	0.00	0.00	50.00	381.00
22.	दिल्ली	83.78	95.95	209.98	442.05
23.	त्रिपुरा	3.00	28.83	13.85	60.81
24.	मणिपुर	116.79	53.99	63.63	105.84
25.	मेघालय	0.00	8.55	34.42	32.56
26.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	28.56
27.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	125.54
28.	गोवा	0.00	0.00	0.00	2.69
29.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	3.74
30.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	7.73

पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध

2822. **श्री सुनील खां** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के विकास हेतु उपलब्ध कराई गई निधियों के एक बड़े हिस्से का कुछ अन्य कार्यों में उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालय

2823. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री काशीराम राणा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार व्यक्तियों के पंजीयन की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में कार्यरत रोजगार कार्यालय निरर्थक हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन कदमों के परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) 03.12.2002 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों में रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, का पंजीकरण जोकि 50.64 लाख था, 31.12.2006 को बढ़कर 72.89 लाख हो गया, जिसके फलस्वरूप लगभग 46 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। पिछले दस वर्षों में औसतन प्रतिवर्ष लगभग 58 लाख रोजगार चाहने वाले रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण करवाते रहे।

(ख) से (ङ) देश भर में व्याप्त 947 कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से रोजगार कार्यालय, पंजीकरण, नियोक्ताओं को नामों का प्रेषण, आजीविका परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा श्रम बाजार सूचना का संकलन जैसे विभिन्न कार्यों के माध्यम से रोजगार चाहने वालों, नियोक्ताओं, इत्यादि को मुफ्त सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। अतः, देश में रोजगार कार्यालयों का कार्यकरण आज भी महत्वपूर्ण है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बेरोजगारी पर प्रभाव

2824. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक बेरोजगारी समस्या पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) बेरोजगारी की समस्या पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम०एन०सी०) के प्रवेश से पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कोई अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, हो सकता है, वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के कारण पुराने पड़ चुके उद्यमों में कुछ रोजगार अवसरों में कार्यकुशलता में कमी के कारण गिरावट आई हो, परन्तु साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, आधुनिक खुदराकरण, निर्माण इत्यादि जैसे अनेक नए क्षेत्रों में नए रोजगार अवसर सृजित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देश में सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार अवसर जो कि 1993-94 में लगभग 374 मिलियन थे, वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 397 मिलियन तथा वर्ष 2004-05 में 459 मिलियन हो गए।

[अनुवाद]

झीलों का संरक्षण

2825. श्री वी० करुणाकर रेड्डी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झीलों के संरक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई;

(घ) क्या देश में झीलों की संख्या में कमी आ रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) अगले दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत शामिल की गई/की जाने वाली झीलों का ब्यौरा क्या है और इस हेतु झीलवार कितनी निधि आवंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) :

(क) और (ख) भारत सरकार देश में प्रदूषित झीलों और तालाबों के संरक्षण और प्रबंध के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। राट्रीय झील संरक्षण योजना जून, 2001 में केन्द्र और संबंधित राज्य के बीच 70:30 हिस्सेदारी आधार पर की गई थी। तब से 45 झीलों के संरक्षण के लिए 542.64 करोड़ रु० की लागत पर परियोजनाएं अनुमोदित की गई है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान झील संरक्षण परियोजनाओं के लिए केन्द्र के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा 99.62 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 10 झीलों का संरक्षण कार्य पूरा होने की सूचना मिली है।

(घ) से (च) झीलें विभिन्न कारणों से अवक्रमित होती हैं जिनमें गाद, घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रदूषकों का बहिस्राव, कृषि रन-आफ, अतिक्रमण आदि शामिल है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के लिए वर्ष 2006-07 के लिए अनुमोदित बजट (संशोधित अनुमान) 58.41 करोड़ रुपए है जबकि वर्ष 2007-08 के लिए 100 करोड़ रु० का बजट नई परियोजनाओं के साथ ही साथ चल रही परियोजनाओं के लिए अनुमोदित किया गया। ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि के लिए आवंटन अभी तय नहीं हुआ है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत झीलों का प्राथमिकीकरण करने का विचार करने का अनुरोध किया था जिसके प्रत्युत्तर मे अब तक, 15 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने झीलों की अपनी प्राथमिकीकरण सूचना भेजी है। वित्त वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत नए प्रस्ताव राज्यों द्वारा प्राथमिकीकरण, झीलों के प्रदूषण स्तर और योजना के अंतर्गत निधि की उपलब्धता पर निर्भर हैं।

विवरण

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अनुमोदित झील संरक्षण परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र० सं०	झील	राज्य	अनुमोदित लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3	4
1.	बंगलौर की तीन झीले नामत: वेनगैयाखीरी, नागावेरा और जरगनहाली	कर्नाटक	11.48
2.	वेलानदूर झील, बंगलौर	-वही-	5.54
3.	कोटकेरे झील, बेलगांव	-वही-	5.64
4.	भीष्म झील, गडग	-वही-	2.50
5.	लालयाग, बंगलौर	-वही-	1.66
6.	चन्नापटना झील, हसन	-वही-	4.97
7.	शरणभासवेश्वरा झील, गुलवर्ग	-वही-	4.89
8.	अक्कामादेवी झील, हावेरी	-वही-	2.64
9.	कुंदावड़ा झील, देवनागरी	-वही-	3.41
10.	कोटे तावेरेकेरे झील, चिकमंगलूर	-वही-	3.64

1	2	3	4
11.	त्रिपुरनथकेश्वर झील, बिदार	-वही-	4.67
12.	बंजारा झील, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	2.75
13.	पवई झील, हैदराबाद	महाराष्ट्र	6.62
14.	ठाणे में 9 झीलें	महाराष्ट्र	2.53
15.	महालक्ष्मी झील, वादागांव	-वही-	1.85
16.	रनकाल झील, कोल्हापुर	-वही-	8.65
17.	वरहाल देवी झील, भिवन्डी	-वही-	4.60
18.	मानसागर झील, जयपुर	राजस्थान	24.72
19.	ऊटी झील	तमिलनाडु	1.95
20.	कोडईकनाल झील, डिन्डीगुल	-वही-	10.42
21.	अगरतला की 3 झीलें	त्रिपुरा	2.02
22.	नैनीताल में 4 झीलें	उत्तरांचल	16.85
23.	नैनीताल झील, नैनीताल	-वही-	47.97
24.	रवीन्द्र सरोवर	पश्चिम बंगाल	6.96
25.	मिरिक झील, दार्जलिंग	-वही-	4.01
26.	डल झील, श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	297.00
27.	वेली अकुलम झील, तिरुवन्नतपुरम	केरल	24.56
28.	बिन्दु सागर झील, भुवनेश्वर	उड़ीसा	3.50
29.	रानी तालाब, रीवा	मध्य प्रदेश	3.31
30.	सागर झील, सागर	-वही-	21.33
	कुल		542.64

[हिन्दी]

अल्प वृष्टि क्षेत्र

2826. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है जहां खेती की दृष्टि से कम वृष्टि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों में सिंचाई प्रयोजनार्थ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने अथवा सहायता के रूप में कोई पैकेज उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष हेतु उन शीर्षों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए निधियों का आबंटन किया जा रहा है और इनकी शीर्ष-वार मात्रा कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) सरकार ने उन क्षेत्रों का कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं कराया है जहां खेती के मामले में वर्षा कम होती है। तथापि, वर्षा पर आंकड़े भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों की जरूरतों पर बल देने के लिए कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि मृदा और जल संरक्षण का संवर्धन किया जा सके।

कृषि मंत्रालय

(i) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राज्यीय पनधारा विकास परियोजना

(ii) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

(iii) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना .

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(iv) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

(v) मरूभूमि विकास कार्यक्रम

(vi) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के तहत गत तीन वर्षों में आवंटित/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों में विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों की वित्तीय प्रगति खर्च/निर्मुक्ति

(क्षेत्र लाख है० में, खर्च करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	मंत्रालय/स्कीम	2003-04 व्यय/आवंटन	2004-05 व्यय/आवंटन	2005-06 व्यय/आवंटन	कुल व्यय/आवंटन
1	2	3	4	5	6
क.	**कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)**				
1.	एन०डब्ल्यू०डी०पी०आर०ए०	170.64	235.57	267.86	674.07
2.	आर०वी०पी० एण्ड एफ०पी०आर०	115.55	126.20	130.11	371.86
3.	डब्ल्यू०डी०पी०एस०सी०ए०	21.21	19.27	29.15	69.63

1	2	3	4	5	6
ख.	**ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग)**				
4.	डी०पी०ए०पी०	294.80	299.99	352.98	947.77
5.	डी०डी०पी०	214.80	214.90	267.80	697.50
6.	आई०डब्ल्यू०डी०पी०	307.52	334.42	486.74	1128.68
	कुल	1124.52	1230.35	1534.64	3889.51

[अनुवाद]

नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में लोक मत

2827. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने के समर्थन में लोक मत जुटाने हेतु गैर सरकारी संगठनों का आहवान किया है;

(ख) यदि हां, तो नेशनल वाटर डेवलवमेंट एजेंसी ने नदियों को आपस में जोड़ने के समर्थन में लोक मत जुटाने हेतु कोई प्रस्ताव भी तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जल क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों का सामना करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जल संसाधन मंत्रालय (एम०ओ०डब्ल्यू०आर०) (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) तथा केन्द्रीय जल आयोग (सी०डब्ल्यू०सी०) ने जल संसाधन विकास के लिए 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन०पी०पी०) तैयार की थी जिसमें अधिकता वाले बेसिनों से कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जिसके दो घटक हैं अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक जल के अंतर्बेसिन अंतरण की परिकल्पना की गई थी। एन०पी०पी० के प्रस्तावों की व्यवहार्यता प्रमाणित करने और इसे एक ठोस आधार देने के लिए विभिन्न तकनीकी अध्ययन करने के वास्ते जल संसाधन मंत्रालय के अधीन 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन०डब्ल्यू०डी०ए०) की स्थापना की गई। किए गए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर एन०डब्ल्यू०डी०ए० ने व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफ०आर०) तैयार करने के लिए 30 संपर्क अभिज्ञात किए हैं (प्रायद्वीपीय घटक के अधीन 16 तथा हिमालयी घटक के अधीन 14)। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अधीन 14 संपर्कों तथा हिमालयी घटक के अधीन 2 संपर्कों (भारतीय हिस्सा) की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं।

इसके अलावा प्रायद्वीपीय घटक में एक संपर्क अर्थात केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) तैयार करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के बीच 25 अगस्त, 2005 को हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त डी०पी०आर० तैयार करने का काम एन०डब्ल्यू०डी०ए० को सौंप दिया।

जलचर पालन हेतु प्रौद्योगिकी मिशन का गठन

2828. डा० एम० जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जलचर पालन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए जलचर पालन हेतु प्रौद्योगिकी मिशन (टेक्नालॉजी मिशन फॉर एक्वाकल्चर) गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जल कृषि के विकास पर भारत सरकार और राज्य सरकारों की चालू योजनाओं के तहत तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के माध्यम से भी पहले ही ध्यान दिया जा रहा है।

तटीय संरक्षण हेतु परियोजना प्रस्ताव

2829. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने तटीय संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु एकीकृत परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस परियोजना हेतु बाह्य सहायता प्राप्त करने की सिफारिश की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रो०एम०एस० स्वामीनाथन समिति, जिसने तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना, 1991 की पुनरीक्षा की है, द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना शुरू की है। परियोजना के लिए गुजरात राज्य सरकार को अभिनिर्धारित किया गया है। गुजरात सरकार ने भी गुजरात में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपनी स्वीकृत भेज दी है।

(ग) और (घ) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय दाता एजेंसियों से तकनीकी और वित्तीय सहायता मांगी है। परियोजना में आक्रमणयता लाइन का सीमांकन, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों की मैपिंग, संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण, भूमि आधारित कार्यों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण और गुजरात के अभिनिर्धारित तटीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना शामिल है।

(ङ) विश्व बैंक के अभिनिर्धारण मिशन ने हाल ही में अक्तूबर 2006 को गुजरात का दौरा किया और राज्य सरकार के अधिकारियों से चर्चा की। इस संबंध में ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

दिल्ली मेट्रो का रिज पर प्रभाव

2830. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मेट्रो रेल से रिज क्षेत्र पर उल्लेखनीय रूप से प्रभाव पड़ा है अथवा प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप रिज क्षेत्र के विनाश को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) मैट्रो रेल से रिज क्षेत्र पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय-कुतुब मीनार-गुड़गांव कारिडोर, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, तीन स्थानों पर रिज क्षेत्र में बाधा पहुंचाएगा। ये बाधाएं अपरिहार्य हैं और इसमें रिज का एक छोटा क्षेत्र शामिल होगा जिसका मापन में स्थाई तौरा पर 5.56 हैक्टेयर है और अस्थाई (केवल निर्माण कार्य अवधि के दौरान) तौर पर 2.17 हेक्टेयर है।

(ग) निर्माण कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिज क्षेत्र में कम से कम संख्या में न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो। काटे जा रहे वृक्षों के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाएगा। निर्माण कार्य प्रणाली इस प्रकार की होगी कि आस-पास के क्षेत्र में कम से कम व्यवधान हो।

[हिन्दी]

इंदिरा सागर परियोजना हेतु प्रस्ताव

2831. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में इन्दिरा सागर सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 181.397 हैक्टेयर वन भूमि वनेतर प्रयोग के लिए दी गई है।

[अनुवाद]

भेषज कंपनियां

2832. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज कंपनियों ने चिकित्सीय नुस्खे को प्रभावित करने हेतु चिकित्सकों के अवकाश एवं मनोरंजन खर्चों को प्रायोजित करने, वित्तीय लाभ प्रदान करने एवं उपहार बांटन जैसे क्रियाकलपों को बढ़ावा दिया है जैसाकि दिनांक 5 फरवरी, 2007 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्रियाकलापों को रोकने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इन्डिडक) : (क) और (ख) फार्मा कंपनियां अपने नुस्खा उत्पादों को डाक्टरों के बीच नियमित रूप से प्रोत्साहित करती है। चिकित्सीय पेशेवरों को रोग के उपचार व इलाज के नए व बेहतर तरीके के बारे में जागरूक करने की दिशा में चिकित्सीय पेशेवरों के बीच नुस्खा दवाइयों का प्रोत्साहन संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कई बार डाक्टरों को उनकी चिकित्सा विशेषज्ञता को अद्यतन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश भेजा जाता है जो कि उन्हें रोगियों की बेहतर सेवा में मददगार साबित होता है और यह सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम का एक भाग है। तथापि, फार्मा कंपनियों द्वारा उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई अनैतिक या कदाचारपूर्ण तरीका अपनाए जाने के संबंध सरकार के पास किसी निश्चित घटना की सूचना नहीं है।

रोजगार कार्यालयों का कार्यकरण

2833. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना; अधीनियम, 1959 के अंतर्गत रोजगार कार्यालय राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त कामगारों की संख्या से संबंधित आंकड़ों को संग्राहित करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या अत्यंत कम संख्या में प्रतिष्ठानों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और ये आंकड़े रोजगार संबंधी वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करने में अक्षम हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रोजगार कार्यालयों के कार्य-करण की पुरसंरचना करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए या उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) और (ख) रोजगार कार्यालय राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं तथा रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार प्रतिष्ठानों से रोजगार संबंधी आंकड़े एकत्रित करना रोजगार कार्यालयों की गतिविधियों में से एक है।

(ग) और (घ) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों तथा गैर-कृषीय कार्यकलापों में लगे निजी क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें सामान्यत: परिश्रामिक पर कार्य कर रहे 25 या उससे अधिक व्यक्तियों को शामिल करना अनिवार्य है। दिनांक 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के नियोक्ता रजिस्अर पर प्रतिष्ठानों की संख्या 2.94 लाख थी जिनमें से 1.72 लाख प्रतिष्ठान सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 1.22 लाख निजी क्षेत्र में थे।

(ङ) और (च) कार्य दल में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं जो कि देश में रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा करते हैं तथा जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक उपाय करते हैं।

दिहाड़ी मजदूर

2834. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने हेतु कोई मानदंड निधारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों एवं विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों एवं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में भी लिपिकीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा दिहाड़ी मजदूरों का है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ङ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, भारत सरकार के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के का०ज्ञा० संख्या 51016/2/290-स्था०(सी०) के द्वारा संबंधित कार्यालयों में समूह 'घ' संवर्गों में प्रत्येक तीन रिक्त पदों में से दो को विभाग द्वारा भर्ती नियमों के अनुसार तथा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार ''अस्थायी हैसियत'' वाले नैमित्तिक कामगारों से से भारा जाएगा। नैमित्तिक कामगारों को समूह 'ग' पदों पर नियोजित करने की अनुमति नहीं है ये अनुदेश राज्य सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर सीधे लागू नहीं होते हैं।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा दिहाड़ी कामगारों को आवश्यकता के अनुसार दिन-प्रतिदिन आधार पर लगाया जाता है, जिसके संबंध में अपेक्षित सूचना नहीं रखी जा सकती है।

वायु प्रदूषण

2835. **श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (ए०डी०बी०) द्वारा एशियाई शहरों में ''बेहतर वायु गुणवत्ता'' पर जनवरी, 2007 में इंडोनेशिया में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ए०डी०बी० के स्थिति पत्र में भारत में प्रदूषण में वृद्धि और विशेषकर जहरीले पदार्थ के उत्सर्जन को देश में वाहनों की वृद्धि से जोड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) 'क्लीन एयर इनिशिएटिव फॉर एशियन सिटीज' (सी०ए०आई०-एशिया) तथा अन्य के समन्वयन से बेहतर वायु गुणवत्ता विषय पर एक कार्यशाला 13 से 15 दिसम्बर, 2006 तक योग्याकार्टा, इंडोनेशिया में आयोजित हुई थी। यह कार्यशाला वायु प्रदूषण के निवारण हेतु उपाय तलाशने के लिए एशिया और अन्य देशों के नीति-निर्माताओं तथा विशेषज्ञों को एकजुट करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना अनुसार, उपर्युक्त कार्यशाला के दौरान परिचर्चा संबंधी प्रारूप, जिसका इस मंत्रालय में पियर रिव्यु नहीं हुआ है, में देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहनों को माना गया है। ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अनुसार वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए देश में एक रोडमैप पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वाहनों के संबंध में उनके विनिर्माण स्तर पर ही कड़े ऑटो एग्जास्ट मानक लागू करना तथा ईंधन की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल हैं। इसके अलावा, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाने के लिए देश के 6 प्रमुख शहरों अर्थात् दिल्ली, बंगलौर, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कानपुर में सोर्स अपोर्शनमैंट अध्ययन कराने हेतु भी कदम उठाए गए हैं।

कृषि उत्पादन की आदान लागत

2836. **श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वार्षिक कृषि उत्पादन का राज्यवार और वर्षवार मूल्य कितना रहा; और

(ख) उसमें प्रयुक्त आदानों की लागत कितनी है और भूमिहीन और भूस्वामियों की मजदूरी और उनकी मजदूरी की किस दर को न्यूनतम मजदूरी/वार्षिक औसत मजदूरी को तय करने के लिए हिसाब में लिया गया तथा इनको सम्मिलित करते हुए प्रमुख आदानों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पशुधन सहित कृषि से वार्षिक उत्पादन का मूल्य तथा निवेश के संघटकों का मूल्य और वर्तमान कीमतों पर कुल निवेश, अखिल भारतीय स्तर पर 2003-2004, 2004-05 तथा 2005-06 वर्षों के लिए निम्न प्रकार हैं:

(करोड़ रुपये में)

मद	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
कुल उत्पादन का मूल्य	615795	620137	679665
कुल निवेशों का मूल्य	143455	148930	159586
जिनमें			
बीज	10120	10173	11195
जैविक खाद	6095	6421	6763
रासायनिक उर्वरक	20956	21378	21808
चालू मरम्मतें, स्थायी सम्पत्तियों का रखरखाव तथा अन्य संचालन लागतें	2392	2621	3319
पशुधन का भोजन	68380	68711	73236
सिंचाई खर्चे	1187	1406	1793
विपणन खर्च	10689	10605	11670
बिजली	5825	6006	6193
कीटनाशक तथा कीड़ानाशक	1473	1509	1545
डीज़ल तेल	11381	14869	16364
अप्रत्यक्ष मापी गई वित्तीय मध्यमार्गी सेवाएं	4957	5232	5700

नवीनतम उपलब्ध वर्षों 2001-02 से 2003-04 के लिए पशुधन सहित कृषि के लिए उत्पादन तथा उपज के लिए राज्यवार मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सकल घरेलू उत्पाद के संकलन के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन तथा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, सामग्रीय निवेश उपयोग किए गए हैं। भाड़े के मज़दूरों को भुगतान की कोई मज़दूरी अथवा स्वयं के श्रम की अध्यारोपित मज़दूरियां शामिल नहीं है।

विवरण

पशुधन सहित कृषि क्षेत्र के उत्पादन व निवेश का मूल्य सामयिक मूल्यों पर

क्र० सं०	राज्य	वर्ष 2001-02		वर्ष 2002-03		वर्ष 2003-04	
		उत्पादन का मूल्य	निवेश का मूल्य	उत्पादन का मूल्य	निवेश का मूल्य	उत्पादन का मूल्य	निवेश का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	4543255	819196	4276631	830546	5102518	891018
2.	अरूणाचल प्रदेश	62737	5184	68122	5473	75381	6245
3.	असम	1237583	128224	1256842	131548	1192156	135796
4.	बिहार	2473387	428531	2615589	455767	2965798	497197
5.	गोवा	61887	6653	63330	7373	68364	6884

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	2539425	832209	2563657	970189	3854469	1043206
7.	हरियाणा	2301394	509906	2369444	557681	2640368	631633
8.	हिमाचल प्रदेश	459685	67322	487688	73283	552912	82078
9.	जम्मू व कश्मीर	583314	123727	707632	149586	731915	160076
10.	कर्नाटक	3397599	619197	3170626	639471	2968686	625647
11.	केरल	1557386	200831	1735082	215053	1723099	223247
12.	मध्य प्रदेश	3071587	740265	2884682	821349	3838909	982718
13.	महाराष्ट्र	5985851	2142737	5839767	2217250	6344523	2576342
14.	मणिपुर	90367	11425	94175	12343	118335	14021
15.	मेघालय	114429	14536	130754	15782	122316	15714
16.	मिजोरम	44914	3978	42366	4205	42952	4201
17.	नागालैंड	165561	13439	165567	13776	106572	13191
18.	उड़ीसा	1477687	305399	1432090	306373	1871751	352585
19.	पंजाब	3570354	690598	3577011	765154	3774348	798552
20.	राजस्थान	3503154	1086010	2839698	972393	4226193	1233891
21.	सिक्किम	28344	4308	29251	4496	32177	4707
22.	तमिलनाडु	2683361	469602	2237480	462042	2279220	447175
23.	त्रिपुरा	224697	17701	205401	17662	210463	18781
24.	उत्तर प्रदेश	8083353	1939959	8438519	1995696	9045479	2240978
25.	पश्चिम बंगाल	4590972	693427	4531849	710253	4986956	753661
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25062	1965	31400	2498	28052	2446
27.	दादरा और नगर हवेली	8503	1197	8713	1361	8500	1439
28.	दमन और द्वीव	2605	267	2530	278	2589	292

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दिल्ली	124840	21405	123203	34886	126628	25368
30.	लक्षद्वीप	2712	235	3080	194	3893	238
31.	पांडिचेरी	24552	6358	26469	8127	28672	8886
32.	चंडीगढ़	8435	774	8746	1071	9921	957
33.	झारखंड	938612	193157	658710	192457	898976	215148
34.	छत्तीसगढ़	893579	192282	938032	221222	1054788	225769
35.	उत्तराखंड	453263	90226	488192	97733	541625	105363
	कुल	55334445	12382231	54052328	12914550	61579504	14345451

खाद्यान्नों की खरीद

2837. **श्री जोआकिम बखला : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से वर्षवार और एजेंसीवार कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरण हेतु उक्त राज्यों में विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के माध्यम से खरीदे गए खाद्यान्न की मात्रा और कीमत का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) विगत तीन विपणन मौसमों और चालू खरीफ विपणन मौसम 2006-07 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से वसूल किए गए चावल, गेहूं और मोटे अनाजों की कुल मात्रा के वर्षवार और एजेंसीवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त विपणन मौसमों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के तहत वितरण करने के लिए उक्त राज्यों में विकेन्द्रीकृत वसूली प्रणाली के मध्यम से वसूल किए गए खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण-I

चावल की वसूली (2003-04 से 2006-07) एजेंसीवार और वर्षवार

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भा०खा०नि०	राज्य सरकार	सी०एस०सी०	सहकारी	एग्रो उद्योग	रा०भां०नि०	कानफेड	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा	678	159	–	290	52	85	71	1334

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	3148	1233	1518	1343	651	769	—	8662
महाराष्ट्र	183	50	—	74	—	—	—	308
उत्तर प्रदेश	—	2303	11	203	36	—	—	2554
तमिलनाडु	—	—	207	—	—	—	—	207
पश्चिम बंगाल	630	118	59	118	—	—	—	925
2004-2005								
हरियाणा	713	250	—	450	69	115	65	1662
पंजाब	3138	1462	1617	1386	691	812	—	9106
महाराष्ट्र	157	28	—	20	—	—	—	205
उत्तर प्रदेश	849	1955	5	117	44	—	—	2970
तमिलनाडु	—	—	652	—	—	—	—	652
पश्चिम बंगाल	318	148	—	268	—	—	—	945

नगण्य: 500 टन से कम

2005-2006								
हरियाणा	538	438	—	678	147	135	116	2052
पंजाब	1772	1704	1857	1630	940	951	—	8854
महाराष्ट्र	92	59	—	43	—	—	—	194
उत्तर प्रदेश	526	2353	15	183	74	—	—	3151
तमिलनाडु	—	—	926	—	—	—	—	926
पश्चिम बंगाल	809	97	41	329	—	—	—	1276

नगण्य: 500 टन से कम

2006-2007								
हरियाणा	402	407	—	605	163	70	119	1766

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	816	1942	1823	1459	909	791		7740
महाराष्ट्र	9	49		35				93
उत्तर प्रदेश	193	1596	20	200	78			2087
तमिलनाडु			907					907
पश्चिम बंगाल	148	238						386

नगण्य: 500 टन से कम

*आंकड़े 13/03/2007

विवरण-II

गेहूं की वसूली (2004-05 से 2006-07) एजेंसीवार और वर्षवार

2004-2005

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भा०खा०नि०	राज्य सरकार	सी०एस०सी०	सहकारी	एग्रो उद्योग	रा०भां०नि०	यू०पी० एस०एस०	कानफेड	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	880	1044	–	1730	417	598	–	446	5115
पंजाब	2147	838	1937	2179	1081	1058	–	–	9240
महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	15	464	139	737	332	54	–	–	1741
				2005-06					
हरियाणा	617	958	–	1675	430	436	–	413	4529
पंजाब	1428	1083	1948	2436	1075	1040	–	–	9010
उत्तर प्रदेश	41	114	35	189	107	11	63		560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				2006-07					
हरियाणा	269	495		841	238	217	–	169	2229
पंजाब	1063	1058	1520	1796	736	773	–	–	6946
महाराष्ट्र	5	21	6	8	3	2	4	नगण्य	49
उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–

नगण्य: 500 टन से कम

*आंकड़े 25/07/2006 तक

विवरण-III

मोटे अनाजों की वसूली

(आंकड़े टन में)

राज्य/वर्ष	ज्वार	बाजरा	मक्का	रागी	जोड़
1	2	3	4	5	6
			2003-2004		
हरियाणा	–	199121	–	–	199121
महाराष्ट्र	42980	192	16838	–	60010
पंजाब	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
			2004-2005		
हरियाणा	–	130122	–	–	130122
महाराष्ट्र	11928	4810	14757	–	31495
पंजाब	–	–	227	–	227
उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–
			2005-2006		
महाराष्ट्र	–	4900	–	–	4900
पंजाब	67258	58	29649	–	96965
उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–
हरियाणा	–	–	–	–	–
			2006-2007 (28.02.2007 की स्थिति के अनुसार		
महाराष्ट्र	195	–	–	–	195
पंजाब	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–	–	–
पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–
हरियाणा	–	–	–	–	–

नोट : मोटे अनाजों की वसूली राज्य एजेंसियों द्वारा ही की जाती है।

विवरण-IV

विकेन्द्रीकृत वसूली योजना चलाने वाले पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में राज्य सरकार/एजेंसियों द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की मात्रा और अनुमानित मूल्य

(मात्रा हजार टन में)
(मूल्य करोड़ रुपये में)

गेहूं

2004-05

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		राज्य सरकार	सी०एस०सी०	सहकारी	एग्रो उद्योग	रा०भां०नि०	यू०पी० एस०एस०	कानफेड	जोड़
उत्तर प्रदेश	मात्रा	464.00	139.00	737.00	332.00	54.00	—	—	1726.00
	मूल्य	292.32	87.57	464.31	209.16	34.02	—	—	1087.38
2005-06									
उत्तर प्रदेश	मात्रा	114.00	35.00	189.00	107.00	11.00	63.00	—	519.00
	मूल्य	72.96	22.40	120.96	68.48	7.04	40.32	—	332.16
2006-07									
उत्तर प्रदेश	मात्रा	21.00	6.00	8.00	3.00	2.00	4.00	नगण्य	44.00
	मूल्य	14.70	4.20	5.60	2.10	1.40	2.80	—	30.80

'आंकड़े 25/07/2006 तक

गेहूं का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस पर परिकलित है (वसूली प्रासंगिक खर्च शामिल नहीं किए गए हैं)

चावल

2003-04

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		राज्य सरकार	सी०एस०सी०	सहकारी	एग्रो उद्योग	रा०भां०नि०	यू०पी० एस०एस०	कानफेड	जोड़
1		2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	मात्रा	2303.00	11.00	203.00	36.00				2553.00
	मूल्य	1890.52	9.03	166.64	29.55				2095.75
तमिलनाडु	मात्रा		207.00						207.00
	मूल्य		173.01						173.01

1		2	3	4	5	6	7	8	9
पश्चिम बंगाल	मात्रा	118.00	59.00	118.00				211.00	506.00
	मूल्य	98.63		98.63				176.36	373.61
2004-05									
उत्तर प्रदेश	मात्रा	1955.00	5.00	117.00	44.00				2121.00
	मूल्य	1634.03	4.18	97.79	36.78				1772.78
तमिलनाडु	मात्रा		652.00						652.00
	मूल्य		544.96						544.96
पश्चिम बंगाल	मात्रा	148.00		268.00				211.00	627.00
	मूल्य	123.70		224.00				176.36	524.06
2005-06									
उत्तर प्रदेश	मात्रा	2353.00	15.00	183.00	74.00				2625.00
	मूल्य	2001.81	12.76	155.69	62.96				2233.21
तमिलनाडु	मात्रा		926.00						926.00
	मूल्य		787.79						787.79
पश्चिम बंगाल	मात्रा	97.00	41.00	329.00					467.00
	मूल्य	82.52	34.88	279.90					397.30
2006-07									
उत्तर प्रदेश	मात्रा	1596.00	20.00	200.00	78.00				1894.00
	मूल्य	1476.90	18.51	185.07	72.18				1752.66
तमिलनाडु	मात्रा		907.00						907.00
	मूल्य		839.31						839.31
पश्चिम बंगाल	मात्रा	238.00							238.00
	मूल्य	220.24							220.24

नगण्य: 500 टन से कम

*आंकड़े 13/03/2007 तक

चावल का मूल्य साधारण धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस पर परिकलित है (वसूली प्रासंगिक खर्च शामिल नहीं किए गए हैं)

[हिन्दी]

दलहनों का उत्पाद

2838. श्री विजय कृष्ण :
श्री रामदास आठवले :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हरित क्रांति के क्रियान्वयन से पहले और उसके बाद दलहनों का राज्यवार और दलहनवार प्रति हैक्टेयर उत्पादन कितना रहा है;

(ख) क्या हरित क्रांति में केवल गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने दलहनों के बढ़ते आयात के मद्देनज़र उसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) हरित क्रांति (1963-64 तथा 1964-65) के कार्यान्वयन से पहले तथा वर्तमान में (2005-06 तथा 2006-07 के दौरान) विभिन्न दालों के राज्यवार प्रति हैक्टेयर उत्पादन संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) यह सच है कि उच्च पैदावार वाली किस्मों के आने, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार के कारण हरित क्रांति अवधि के दौरान गेहूं उत्पादन बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया था। अनाजों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु गेहूं उत्पादन में वृद्धि को उस समय की आवश्यकता के रूप में लिया गया था परंतु दालों (झिंगरी, अरहर, और लेग्यूमंस) में अनुसंधान कार्यक्रम भी चल रहे थे।

(ग) और (घ) दालों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1.4.2004 से देश के 14 राज्यों में तिलहनों, दालों, पॉम आयल तथा मक्का पर एक केन्द्रीय प्रायोजित, एकीकृत स्कीम कार्यान्वयन के अंतर्गत है। स्कीम के अंतर्गत दालों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए, नस्ली बीजों की खरीद, फांउडेशन बीजों का उत्पादन, बीज मिनीकिट का वितरण, बुनियादी ढांचे का विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी पर ब्लाक प्रदर्शनों, एकीकृत कीट प्रबंधन, वी०डी० साईडस, छिड़काव सेट का वितरण, दालों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, इत्यादि पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बजट 2007-08 आइसोपाम को विस्तार देने का प्रस्ताव करता है।

विवरण-I

हरित क्रांति ऐरा से पहले राज्य-वार विभिन्न दालों की उत्पादकता के अनुमान

(कि०ग्रा०/हैक्टेयर)

राज्य	अरहर (तूर)		चना		अन्य दालें*		कुल दालें	
	1963-64	1964-65	1963-64	1964-65	1963-64	1964-65	1963-64	1964-65
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	333	444	306	306	199	200	217	233
असम	1000	1000	500	500	414	430	434	446
बिहार	678	892	500	459	561	516	565	520
गुजरात	548	517	539	564	313	315	370	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हिमाचल प्रदेश	एन०जी०	एन०जी०	333	333	273	292	286	300
जम्मू और कश्मीर	एन०जी०	एन०जी०	333	333	434	485	423	469
कर्नाटक	381	328	283	319	239	244	270	271
केरल	444	444	—	—	371	372	386	386
मध्य प्रदेश	613	734	—	—	285	340	410	476
महाराष्ट्र	673	644	294	332	261	264	377	381
उड़ीसा	636	636	458	458	523	517	517	480
पंजाब	667	500	511	782	497	588	506	755
राजस्थान	375	467	355	529	174	220	262	347
तमिलनाडु	364	370	500	500	232	230	237	238
त्रिपुरा	एन०जी०	एन०जी०	एन०जी०	एन०जी०	500	500	500	500
उत्तर प्रदेश	530	1210	548	739	475	775	522	815
पश्चिम बंगाल	826	705	570	526	467	498	510	493
दादरा व नागर हवेली	1000	1000	एन०जी०	एन०जी०	एन०जी०	एन०जी०	100	1000
दिल्ली	एन०जी०	एन०जी०	426	705	250	333	400	650
समस्त भारत	561	766	480	640	342	378	418	516

एन०जी० : या तो फसल पैदा नहीं होती या क्षेत्र 50 हैक्टेयर/उत्पादन 50 टन से कम

*अन्य दालों में उडद, लाख या खेसरी आदि सम्मिलित है।

विवरण-II

2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्य-वार विभिन्न दालों की उत्पादकता का अनुमान

(कि०ग्रा०/हैक्टेयर)

राज्य	अरहर (तूर)		चना		उडद		अन्य दालें*		कुल दालें	
	2005-06	2006-07*	2005-06	2006-07*	2005-06	2006-07*	2005-06	2006-07*	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	609	455	1591	1187	595	526	417	697	772	653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
असम	692	714	500	500	489	538	551	575	537	563
बिहार	1291	1306	902	903	770	750	689	776	749	775
गुजरात	1102	848	850	868	379	352	341	656	704	627
हिमाचल प्रदेश	#	#	538	1000	407	455	960	313	713	370
जम्मू और कश्मीर	#	#	500	#	419	429	622	615	504	519
कर्नाटक	727	465	548	560	214	155	322	424	487	408
केरल	#	1500	#	#	714	1000	781	1200	775	1167
मध्य प्रदेश	739	837	926	722	425	353	487	664	754	630
महाराष्ट्र	720	668	691	819	430	351	363	646	584	603
उड़ीसा	742	797	646	775	253	264	357	455	416	421
पंजाब	885	1000	750	900	464	500	833	881	804	484
राजस्थान	647	300	443	985	253	520	168	588	261	584
तमिलनाडु	540	612	678	657	329	381	307	497	337	440
त्रिपुरा	692	#	500	#	#	#	655	#	629	#
उत्तर प्रदेश	987	1474	893	1038	444	523	876	1176	811	1050
पश्चिम बंगाल	889	750	913	896	716	631	774	793	785	751
दादरा व नागर हवेली	867	#	500	#	#	#	844	#	862	#
दिल्ली	1000	#	1000	#	#	#	1000	#	1000	#
समस्त भारत	765	758	808	835	419	425	426	689	597	651

*05.02.2007 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान

एन०जी० : या तो फसल पैदा नहीं होती या क्षेत्र 50 हैक्टेयर/उत्पादन 50 टन से कम

*अन्य दालों में मूंग, मसूर, मोठ, कुल्थी, मटर और लाख या खेसरी आदि सम्मिलित है।

झारखण्ड के जलाशय

2839. **श्री टेक लाल महतो :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखण्ड के पलामू प्रमंडल की औरंगा जलाशय प्लान का संशोधित विस्तृत योजना अनुमान केन्द्रीय जल आयोग के पास काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है;

(ग) योजना के संशोधित अनुमान के अनुसार निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है और इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या मुख्य कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) झारखंड की औरंगा जलाशय परियोजना को सितम्बर, 1983 में योजना आयोग द्वारा 125.40 करोड़ रुपये की निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण एवं वन स्वीकृति तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना की स्वीकृति के अध्यधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अगस्त, 1993 में आयोजित अपनी 55वीं बैठक में 297.81 करोड़ रुपये के संशोधित प्राक्कलन (1987-88 मूल्य स्तर पर) की राशि को स्वीकृत किया गया था। झारखंड सरकार ने मूल्यांकन के लिए जून, 2006 में दिसम्बर, 2004 के मूल्य स्तर पर औरंगा जलाशय परियोजना के लिए 1260.88 करोड़ रुपये का संशोधित प्राक्कलन पुन: प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार को दिनांक 01.11.2006 को लागत पहलू संबंधी टिप्पणी अनुपालना के लिए भेजी गई थी। परियोजना के अनुमोदन/स्वीकृति मे लिया गया समय केन्द्रीय मूल्यांकन अधिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा की गई तत्परता पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण एवं उनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा उनकी अपनी आवश्यकताओं एवं कार्यों की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, औरंगा जलाशय परियोजना का मार्च, 2006 तक संचयी व्यय 75.53 करोड़ रुपये का है जिसमें वर्ष 2005-06 के दौरान इस परियोजना पर किया गया 26.29 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

[अनुवाद]

निर्मित फिल्में

2840. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री जी० करूणाकर रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्रारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश में भाषावार कितनी फिल्में निर्मित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार और राज्यों ने फिल्म उद्योग से कितना राजस्व अर्जित किया;

(ग) फिल्म क्षेत्र में कितने व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं; और

(घ) सरकार द्वारा फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) भारतीय फिल्म उद्योग अधिकांशत: निजी क्षेत्र में है। यह मंत्रालय किसी एक वर्ष के दौरान निर्मित फिल्मों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006 के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी०बी०एफ०सी०) द्वारा भाषा-वार प्रमाणित फिल्मों की संख्या संलग्न विवरण-I से IV में दी गई है।

(ख) मंत्रालय, राज्यों द्वारा फिल्मों से अर्जित राजस्व संबंधी ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, इस अवधि के दौरान सी०बी०एफ०सी० द्वारा प्रमाणन शुल्क और उपकर शुल्क के माध्यम से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है :–

वर्ष	प्रमाणन शुल्क (रु० में)	उपकर शुल्क (रु० में)
2003-04	36,98,974	1,17,88,000
2004-05	51,71,809	1,18,15,000
2005-06	53,53,234	1,52,71,000
अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक	60,84,151	89,40,500

प्रमाणन के समय फिल्म से इस प्रकार एकत्रित उपकर, सिने कर्मी कल्याण निधि को जाता है।

(ग) फिल्म उद्योग एक वृहद रोजगार प्रदाता है। फिल्मों के निर्माण में बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार में लगे हैं और अन्य फिल्मों आदि के वितरण और प्रदर्शन में लगे हैं। तथापि, यह मंत्रालय फिल्म क्षेत्र में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी कोई आंकड़े नहीं रखता है।

(घ) इस क्षेत्र को 'उद्योग' के रूप में घोषित करने के नीतिगत हस्तक्षेप और इस क्षेत्र को सांस्थानिक वित्त उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सरकार, ने उत्पाद शुल्क तथा शुल्कों को कम/समाप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से मध्यस्थता की थी।

यद्यपि भारत में फिल्मों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है तथापि स्वचालित मार्ग पर 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी की अनुमति है। सरकार ने जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के साथ सह-निर्माण करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं तथा अन्य देशों (चीन, ब्राजील, कनाडा और हंगरी) के साथ ऐसे करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत जारी है।

भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयासों में समन्वयन लाने के लिए विगत में औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर भी कार्य कर रही है। फिल्म समारोह निदेशालय और अन्य माध्यम एकक विदेश में आयोजित समारोहों में भी भाग लेते हैं तथा अपने विभिन्न दूतावासों को समारोहों हेतु फिल्में भेजते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वैश्विक विपणन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए फिल्म बाजार (भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परिसंघ के साथ आयोजित) और कान व अमरीकी फिल्म बाजार जैसे फिल्म बाजारों में हिस्सेदारी के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2006 में फिल्म समारोह निदेशालय ने फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले के दौरान और ब्रुसेल्स में भी समारोहों का आयोजन किया। ये समारोह हमारे दूतावासों के साथ उनके नियमित समन्वय के अतिरिक्त थे।

जुलाई, 2006 के उद्योग के साथ विस्तृत चर्चा के पश्चात मंत्रालय ने फिल्मों के निर्यात व उससे जुड़े मुद्दों पायरेसी, प्रदर्शन क्षेत्र, प्रमाणन, प्रोन्नति, विकास, फिल्मों का विपणन, भारत में व विदेशों में फिल्म समारोह और विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने हेतु कराधान व सीमा शुल्क जैसे तकनीकी मुद्दों तथा सिफारिशें देने के लिए मंत्रालय ने पांच कोर समूहों का गठन किया है। इन कोर समूहों की सिफारिशों का उपयोग फिल्म उद्योग के हितों की पूर्ति करने एवं इन्हें बढ़ावा देने के लिए उपाय करने हेतु किया जा रहा है।

विवरण-I

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

दिनांक 1.1.2006 से 31.12.2006 तक प्रमाणित की गई भारतीय फीचर फिल्में

(क्षेत्रवार-भाषा वार (सेल्यूलॉयड फिल्में)

क्र० सं०	भाषा	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	बंगलौर	तिरूवनंतपुरम	हैदराबाद	नई दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हिन्दी	171	2	12	4	4	30	–	–	–	223
2.	तमिल	–	1	140	8	3	10	–	–	–	162
3.	तेलुगु	–	–	52	6	15	172	–	–	–	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	मलयालम	2	–	1	2	68	4	–	–	–	77
5.	कन्नड़	–	–	–	75	–	–	–	–	–	75
6.	बांगला	2	30	–	–	–	1	–	–	–	42
7.	गुजराती	16	–	–	–	–	–	–	–	–	16
8.	मराठी	73	–	–	–	–	–	–	–	–	73
9.	अंग्रेजी	7	1	–	–	1	1	–	–	–	10
10.	उड़िया	1	4	–	–	–	–	–	16	–	21
11.	असमिया	1	1	–	–	–	–	–	–	5	7
12.	छत्तीसगढ़ी	3	–	–	–	–	–	–	1	–	4
13.	राजस्थानी	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5
14.	भोजपुरी	72	–	–	–	–	–	–	2	–	76
15.	पंजाबी	12	–	–	–	–	–	–	–	–	12
16.	हरियाणवी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
17.	तमिल (डब)	11	–	–	–	–	–	–	–	–	11
18.	कॉकणी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
19.	तेलुगू (डब)	17	–	–	–	–	–	–	–	–	17
20.	मैथिली	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
21.	संथाली	–	3	–	–	–	–	–	–	–	3
22.	हिंगलिश	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
23.	सदरी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
24.	पर्सियन इंगलिश	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	नेपाली	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
26.	टुलू	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
	कुल	403	51	205	97	91	220		19	5	1091

विवरण-II

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

दिनांक 1.1.2006 से 31.12.2006 तक प्रमाणित की गई भारतीय फीचर फिल्में

(क्षेत्रवार-भाषावार (सेल्यूलॉयड फिल्में)

क्र० सं०	भाषा	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	बंगलौर	तिरुवनंतपुरम	हैदराबाद	नई दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हिन्दी	215	1	7	7	8	5	2	–	–	245
2.	तमिल	–	–	118	5	2	11	–	–	–	136
3.	तेलुगु	1	–	29	4	7	227	–	–	–	268
4.	मलयालम	–	–	–	–	66	1	–	–	–	67
5.	कन्नड़	–	–	–	81	–	–	–	–	–	81
6.	बांग्ला	2	37	–	–	–	–	1	–	–	40
7.	गुजराती	16	–	–	–	–	–	–	–	–	16
8.	मराठी	57	–	–	–	–	–	–	–	–	57
9.	अंग्रेजी	14	1	4	–	–	1	–	–	–	20
10.	अंग्रेजी (डब)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
11.	उड़िया	–	1	–	–	–	–	–	17	–	18
12.	असमिया	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8
13.	अवधि	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	राजस्थानी	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
15.	भोजपुरी	37	2	–	–	–	–	–	–	–	39
16.	संथाली	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
17.	भोजपुरी (डब)	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6
18.	कन्नड़ (डब)	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
19.	मलयालम (डब)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
20.	नागपुरी	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
21.	बंगला (डब)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
22.	गुजराती (डब)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
23.	तमिल (डब)	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
24.	कोंकणी	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
25.	तेलुगू (डब)	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5
26.	मैथिली	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
27.	पंजाबी	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5
28.	हिंगलिश	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
29.	गढ़वाली	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
30.	हिन्दी (डब)	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
31.	संस्कृत	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
32.	अंग्रेजी उपशीर्ष सहित तिब्बती	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
33.	मणिपुरी	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
34.	मोनपा-अरूणाचल	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	कुल	381	45	158	98	83	245	4	17	10	1041

विवरण-III

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

दिनांक 1.1.2006 से 31.12.2006 तक प्रमाणित की गई भारतीय फीचर फिल्में

(क्षेत्रवार-भाषावार (सेल्यूलॉयड फिल्में)

क्र० सं०	भाषा	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	बंगलौर	तिरूवनंतपुरम	हैदराबाद	नई दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हिन्दी	217	3	5	3	8	8	—	—	—	244
2.	तमिल	8	—	110	2	2	8	—	—	—	130
3.	तेलुगु	15	—	23	10	18	137	—	—	—	203
4.	मलयालम	1	—	—	1	67	2	—	—	—	71
5.	कन्नड़	1	—	—	74	—	—	—	—	—	75
6.	बांग्ला	4	41	—	—	—	1	—	—	—	46
7.	गुजराती	13	—	—	—	—	—	—	—	—	13
8.	मराठी	56	—	—	—	—	—	—	—	—	56
9.	अंग्रेजी	9	1	2	—	—	1	—	—	—	13
10.	नेपाली	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
11.	उड़िया	4	1	—	—	—	—	—	14	—	19
12.	असमिया	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9
13.	कोकबोर्क	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14.	राजस्थानी	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4
15.	भोजपुरी	21	—	—	—	—	—	—	—	—	21
16.	पंजाबी और उर्दू	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
17.	कुमायनी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18.	बोडो	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	छत्तीसगढ़ी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
20.	नागपुरी	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
21.	हिमाचली	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
22.	अवधी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
23.	तमिल (डब)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
24.	कोंकणी	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2
25.	तेलुगु (डब)	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5
26.	मूक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
27.	पंजाबी	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
28.	मैथिली	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
29.	गढ़वाली	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
30.	बंजारा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
31.	मराठी	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2
	कुल	377	47	140	91	95	157		14	13	934

विवरण-IV

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

दिनांक 1.1.2006 से 31.12.2006 तक प्रमाणित की गई भारतीय फीचर फिल्में

(क्षेत्रवार-भाषावार (सेल्यूलॉयड फिल्में)

क्र० सं०	भाषा	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	बंगलौर	तिरूवनंतपुरम	हैदराबाद	नई दिल्ली	कटक	गुवाहाटी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हिन्दी	173	1	7	4	27	10	–	–	–	222
2.	तमिल	4	–	111	5	17	14	–	–	–	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	तेलुगु	7	—	12	11	6	119	—	—	—	155
4.	मलयालम	—	—	1	—	63	—	—	—	—	64
5.	कन्नड़	—	—	—	109	—	—	—	—	—	109
6.	बांग्ला	2	43	—	—	—	—	—	4	—	49
7.	गुजराती	13	—	—	—	—	1	—	—	—	14
8.	मराठी	24	—	—	—	—	1	—	—	—	25
9.	अंग्रेजी	15	—	4	2	—	2	—	—	—	23
10.	नेपाली	7	—	—	—	—	—	—	—	—	7
11.	उड़िया	1	—	—	—	—	—	—	12	—	13
12.	असमिया	1	—	—	—	—	—	—	—	16	17
13.	मणिपुरी	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
14.	राजस्थानी	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
15.	भोजपुरी	8	2	—	—	—	—	—	—	—	10
16.	पंजाबी	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3
17.	कुमायनी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18.	बुन्देली	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
19.	छत्तीसगढ़ी	3	—	—	—	—	—	—	1	—	4
20.	नागपुरी	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
21.	हरियाणवी	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22.	गढ़वाली	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
23.	संथाली	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2
	कुल	267	49	135	131	113	147	1	17	17	877

कृषि अनुसंधान अवसंरचना

2841. श्री ई० पोन्नुस्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की कृषि अनुसंधान अवसंरचना विश्व की बड़ी कृषि अनुसंधान अवसंरचनाओं में से एक है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने वैज्ञानिक, शोधार्थी और उनके सहायक कार्यरत हैं;

(ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कितने शोध पत्र प्रस्तुत किए गए और कितनी नई किस्म की फसलों की खोज की गई;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कई वैज्ञानिक और शोधार्थी एक भी शोध पत्र प्रस्तुत करने और नई किस्म की फसल की खोज करने में नाकाम रहे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या सरकार वैज्ञानिकों और शोधार्थियों द्वारा एक निश्चित संख्या में शोध पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय 4328 वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान/विस्तार एवं अध्यापन गतिविधियों में लगे हुए हैं। रिसर्च फेलोज/रिसर्च एसोसिएट्स स्वीकृत अनुसंधान परियोजनाओं के अनुरूप परिचालन की आवश्यकताओं तथा मांग के अनुसार संविदा के आधार पर कार्यरत हैं तथा योजनाओं की समाप्ति पर उनका कार्य भी समाप्त हो जाता है।

(ग) वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्त्ता प्रत्येक वर्ष कृषि के विभिन्न विषयों में कई पेपर्स प्रकाशित कर रहे हैं। वर्ष 2002 के दौरान लगभग 7000 शोध-पत्र प्रकाशित किए गए तथा कैब सार (सी०ए०बी०ए०) में उल्लिखित थे। इसके अलावा, विभिन्न पत्रिकाओं में कई लेख प्रकाशित किए गए। संदर्भ के अधीन वर्षों से संबंधित शोध-पत्रों की गणना पूरी करने हेतु एक अध्ययन अधिकृत किये जाने की आवश्यकता होगी और जिस प्रक्रिया में समय लगता है।

इसके अलावा वर्ष 2005 के दौरान 108 तथा 2006 के दौरान 83 किस्में/संकर रिलीज की गई थी।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। वैज्ञानिकों की ओर से प्रत्येक वर्ष पेपर का प्रकाशन कराना आवश्यक नहीं है क्योंकि इनमें से कई लोग लम्बी अवधि तक चलने वाली शोध परियोजनाओं तथा अन्य गतिविधियों जैसे अनुसंधान प्रबंधन समन्वय, प्रौद्योगिकी परिष्करण तथा प्रसार एवं शिक्षा में लगे हुए हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) लागू नहीं।

उड़ीसा में पर्यावरण संबंधी मानकों का उल्लंघन

3842. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खंदाधर के आसपास स्थित लौह अयस्क खानों के पट्टाधारक पर्यावरण संबंधी मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) उड़ीसा में खंदाधर के आसपास 5 किलोमीटर की परिधि में (i) कुरमित्रा ब्लाक आयरन माइन (खंदाधर आयरन और माइन) मैसर्स उड़ीसा माननिंग कारपोरेशन लि०, (ii) माहुलसुखा मैग्नीशिया माइन, मैसर्स आर्यन माइनिंग एंड ट्रैडिंग कारपोरेशन प्रा०लि० और (iii) भूटुडा मैग्नीशिया माइन; मैसर्स ए०एक्स०एल० एक्सपलोरेशन प्रा० लि० द्वारा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन की सूचना मिली है। इसमें से किसी भी परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान नहीं की गई है।

(ग) गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ रिट याचिका (सिविल) सं० 2004 की 460 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सभी राज्य और संघ शासित सरकारों को पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन में चल रही सभी यूनिटों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्थान में जैतून का पौध रोपण

2843. श्री दुष्यंत सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कुल कितने क्षेत्र में जैतून का पौधरोपण किया गया है;

(ख) क्या राज्य में उक्त पेड़ों के पौध रोपण को बढ़ावा देने की काफी संभावनाएं है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में उक्त पौधरोपण का क्षेत्र बढ़ाने हेतु अभी तक कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्तमान में राजस्थान में जैतून फसल की खेती नहीं की जाती।

(ख) अब तक, राजस्थान में जैतून की खेती के लिए कोई परीक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राज्य इस फसल के साथ उन क्षेत्रों में प्रयोग करना चाहता है जहां जलवायु की परिस्थितियां इजरायल के जैतून उगाने वाले क्षेत्रों जैसी हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने जैतून की खेती और जैतून उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए राजस्थान ओलिव कम्पनी की स्थापना करने के लिए इन्डओलिव लिमिटेड नामक एक इजरायली कम्पनी और प्लास्टो प्लासन इन्डस्ट्रीज (इन्डिया) के साथ एक करार किया है।

(ग) अब तक, राज्य में जैतून रोपण के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन०एच०एम०) के अंतर्गत मणिपुर को जारी की गई धनराशि

2844. श्री मणि चारेनामै : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन०एच०एम०) के आरंभ से लेकर अभी तक इसके अंतर्गत मणिपुर को वर्षवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या योजना के अंतर्गत किसानों को बुलाई और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2001-02 से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित कर रही है ताकि इन राज्यों में बागवानी के विकास से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसमें मणिपुर राज्य भी शामिल है। इस स्कीम को मिशन पद्धति के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है। मणिपुर में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए वर्षवार जारी निधियों के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:–

वर्ष	जारी की गई निधियां (लाख रुपए)
2001-02	785.179
2002-03	685.000
2003-04	638.000
2004 05	1286.250
2005-06	1500.000
2006-07	1753.735

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए इस प्रौद्योगिकी मिशन (टी०एम०एन०ई०) के अंतर्गत यह मंत्रालय बागवानी उपज के विपणन को सुविधाजनक बनाने के लिए मंडी अवसंरचना को स्थापित करने के लिए मणिपुर सहित राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। मंडी अवसंरचना के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्यौरे निम्नवत हैं–

मंडी अवसंरचना	अनुमानित परियोजना लागत	सहायता दर
थोक बिक्री मंडी	100.00 करोड़ रुपये	क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडिड सब्सिडी के रूप में परियोजना लागत के 33.33% की दर से
ग्रामीण प्राथमिक मंडी	15.00 लाख रुपये	परियोजना लागत के 50% की दर से
अपनी मंडियां	15.00 लाख रुपये	परियोजना लागत के 50% की दर से
राज्य ग्रेडिंग प्रयोगशालाएं	2.50 लाख रुपये	परियोजना लागत के 100% की दर से

डेयरी विकास हेतु धनराशि

2845. श्री भर्तृहरि महताब : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डेयरी विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी विकास हेतु शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) अनुमोदित परियोजनाओं की लागत तथा उनसे प्राप्त मांग के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत निधियां जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत राज्यवार जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में डेयरी विकास के लिए किसी नई योजना के प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मौजूदा योजनाओं के जारी रहने की संभावना है।

विवरण

डेयरी विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान जारी राज्यवार निधियां

क्र० सं०	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	8.19	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	150.00	39.37	200.50
3.	अरुणाचल प्रदेश	14.20	—	—
4.	असम	—	304.06	8.52
5.	बिहार	100.00	100.53	100.00
6.	झारखण्ड	99.91	—	146.89
7.	गुजरात	—	—	251.25
8.	हरियाणा	—	162.89	392.36
9.	हिमाचल प्रदेश	50.75	198.59	—
10.	जम्मू एवं कश्मीर	—	180.79	—
11.	केरल	—	77.63	697.48
12.	कर्नाटक	—	697.47	53.85
13.	मध्य प्रदेश	—	61.67	563.19
14.	महाराष्ट्र	—	409.94	994.60
15.	मेघालय	50.00	150.00	65.00
16.	मिजोरम	—	139.72	96.76
17.	नागालैण्ड	—	106.83	270.18

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	–	474.46	1088.80
19.	राजस्थान	–	297.96	519.67
20.	सिक्किम	324.80	70.79	397.89
21.	तमिलनाडु	–	282.92	111.50
22.	उत्तर प्रदेश	325.09	461.46	507.81
23.	उत्तरांचल	483.00	586.02	201.12
24.	पश्चिम बंगाल	–	42.01	162.76
25.	पाण्डिचेरी	–	–	19.30
26.	पंजाब	–	178.30	87.11
27.	गोवा	–	–	91.48

[हिन्दी]

चमगादड़ों का संरक्षण

2846. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में चमगादड़ों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जा रहा है और उसकी फल खाने वाली तेरह में से आठ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चमगादड़ों के संरक्षण हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चमगादड़ों के संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ममोनाराचन मीना) : (क) फल खाने वाले चमगादड़ों के शिकार की घटनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। इण्टरनेशनल यूनियन फॉर कंसर्वेशन ऑफ नेचर (आई०यू०सी०एन०) के तत्वावधान में वर्ष 2002 के दौरान संरक्षण मूल्यांकन और प्रबंधन योजना (सी०ए०एम०पी०) में चमगादड़ों पर आयोजित हुई कार्यशाला के आधार पर प्राप्त सूचना के अनुसार भारत में फ्रूट बैट्स की तेरह में से 3 प्रजातियों को 'एन्डेन्जर्ड', 1 को 'वलनरेबल', 4 को 'नीयर थ्रेटेण्ड' और 5 प्रजातियों को 'लीस्ट कन्सर्न' की सूची में रखा गया है।

(ख) सरकारी संस्थाओं जैसे कि भारतीय वन्यजीव संस्थान भारतीय प्राणि सर्वेक्षण और गैर सरकारी संगठनों जैसे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (बी०एन०एच०एस०), चिड़ियाघर आउटरीच संगठन मदुरै कामराज विश्वविद्यालय और अन्य द्वारा फ्रूट बैट्स के संबंध में इन्वेंट्री, मानीटरिंग और पारिस्थितिकीय अध्ययनों के रूप में कई प्रयास किए गए हैं।

(ग) भारतीय वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत सलीम अली फ्रूट बैट (लाटिडेन्स सालिमाली) को अनुसूची-I में शामिल करके इसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित क्षेत्रों में फ्रूट बैट्स के पर्यावास वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पूरी तरह सुरक्षित हैं।

सरकारी क्षेत्र की रूग्ण इस्पात इकाइयां

2847. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़** :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री सुनील खां :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में सरकारी क्षेत्र की कितनी इकाइयां रूग्ण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उनमें से कुछ इकाइयों विशेषकर हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड (एच०एस०सी०एल०) का पुनरूद्धार/पुनर्गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो संयंत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) इस समय सरकारी क्षेत्र की कोई भी इस्पात उत्पादक कंपनी रूग्ण नहीं है।

(ख) से (घ) इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक अन्य उपक्रम हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० (एच०एस०सी०एल०) एक रूग्ण सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, तथापि, कंपनी को निवल हानि हो रही है। यद्यपि सरकार ने बोर्ड फॉर रीकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सैक्टर इंटरप्राइजेज (बी०आर०पी० एस०ई०) को इसकी सिफारिशों हेतु एच०एस०सी०एल० का पुनर्संरचना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पुनर्संरचना प्रस्ताव में शामिल हैं:— (i) सभी कारोबार का पुनरूद्धार (ii) चुनिंदा कारोबार का पुनरूद्धार (iii) वर्ष 2007-08 तक पूर्णत: बंद करना तथा (iv) विद्यमान कारोबार को "जैसा है' आधार पर जारी रखना।

[अनुवाद]

निजी गोदामों को किराए पर लेना

2848. श्री जी०एम० सिद्देश्वर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भारतीय खाद्य निगम द्वारा (एफ०सी०आई०) निजी गोदामों में कितनी भंडारण क्षमता किराए पर ली गई थी और उसके लिए कितने किराये का भुगतान किया गया;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन गोदामों को किराये पर लेते समय इनके किराये में कमी सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान कितनी भंडारण क्षमता किराये पर लिए जाने की संभावना है और उसके लिए कितने किराये का भुगतान किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निजी पार्टियों से किराए पर ली गई भंडारण क्षमता तथा दिए गए किराए का विवरण नीचे दिया गया है:—

आंकड़े लाख टन में

वर्ष (31 मार्च को)	क्षमता	दिया गया किराया (करोड़ रुपये में)
2003-04	18.01	17.64
2004-05	14.13	12.05
2005-06	8.83	9.37 (सं०अ०)
2006-07 (31.1.2007 तक)	6.92	7.00 (सं०अ०)

(ख) से (घ) दर तथा किराए, आदि में संशोधन के लिए महा-प्रबंधक (क्षेत्र) को सस्ती लागत तथा अन्य संगत पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की पूरी शक्तियां प्राप्त हैं। गत तीन वर्षों के दौरान 23 लाख टन निजी गोदाम क्षमता को किराए से हटाया गया है।

(ङ) निजी गोदाम क्षमता को तभी किराए पर लिया जाता है जब यह बहुत जरूरी हो। इस समय भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्वाधीन 46% भंडारण क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। 2007-08 के दौरान गोदामों को किराए पर लिया जाना तथा दिया जाने वाला किराया वसूली तथा उठान के रूझान पर निर्भर करेगा।

उर्वरकों की ढुलाई

2849. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2007 में नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को उर्वरकों को लाने-ले-जाने के संबंध में ढुलाई संबंधी स्थिति को सामान्य बनाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) और (ख) जी हां, उर्वरक क्षेत्र में संबंधित मुद्दों पर राज्य कृषि मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां, कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से परिवहन स्थिति को सहज बनाने के लिए गडग-बगलकोट रेलवे लाइन को पूरा करने, नए मैंगलोर हासन बीजी मार्ग को स्थिर करने, कर्नाटक के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के कुछ स्थानों पर ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने/उन्नयन कराने तथा रैक उपलब्ध कराने आदि का अनुरोध किया है। रेलवे मंत्रालय ने निम्नानुसार सूचित किया है;

(i) गडग-बगलकोट खण्ड को परिवर्तित करने का कार्य वर्ष 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है;

(ii) मैंगलोर-हासन लाइन घाट सेक्शन से होकर गुजरती है जहां हाल में ढलानों की कटाई की गई है। मानसून के दौरान कुछ ढलाने ढह गई थीं जिनहें जहां-कहीं आवश्यक समझा गया है, स्थिर किया जा रहा है। मैंगलोर बंदरगाह में मांग करने पर वैगन उपलब्ध कराए गए थे और इन्हें भविष्य में भी उपलब्ध कराया जाएगा;

(iii) **हासन :** आने वाले और जाने वाले परिवहन को सुचारू रूप से चलाने के एिल सभी आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध है।

(iv) **बंगारूपेट :** आने वाले और जाने वाले रेल भार से निपटने के लिए बंगारूपेट माल गोदाम में समस्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। इस स्टेशन पर माल की आवाजाही को सुचारू रूप से हैण्डल किया जा रहा है।

विवरण

उर्वरक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर राज्य कृषि मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव

उर्वरक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर राज्य कृषि मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन माननीय केन्द्रीय रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में 29.01.2007 को आयोजित किया गया। सम्मेलन में 12 राज्य कृषि मंत्रियों और 24 राज्य सरकारों के अधिकारियों, रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्रालय से संबद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों, उर्वरक क्षेत्र में संबंधित भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों, उर्वरक उत्पादन तथा व्यापार कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक प्रतिनिधियों तथा उर्वरक विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

राज्यों के मंत्रियों ने इस सम्मेलन के आयोजन में केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की कि खरीफ और रबी मौसम शुरू से पहले इस प्रकार का सम्मेलन वर्ष में दो बार आयोजित किया जाए।

विचार-विमर्श के आधार पर निम्नलिखित प्रस्ताव अपनाए गए:

- सभी राज्य सरकारों को फसल क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र और फसल पद्धति के आधार पर उर्वरक उत्पादों की मांग का वास्तविक आकलन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक ब्लॉक का आकलन किया जाए और उसे जिलावार मांग में संकलित करने के उपरांत राज्यों की मौसम संबंधी मांग द्वारा सुदृढ़ किया जाए।

- इसके बाद मौसम के लिए उर्वरकों की मांग को प्रत्येक राज्य में प्रमुख उर्वरक कंपनियों और उर्वरकों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के परामर्श से जिलावार, मासिकवार और कंपनीवार फार्मेट में निर्धारित किया जाए।

- यूरिया के संबंध में आकलित मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर, यदि कोई हो, तो सरकार द्वारा समय रहते आयात करके पूरा किया जाएगा, जिन्हें प्रमुख उर्वरक कंपनियों के माध्यम से वितरित किया जाए।

- पी० एण्ड के० उर्वरकों (डी०ए०पी०/एम०ओ०पी०/ मिश्रित उर्वरक/एस०एस०पी०) की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर का प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उर्वरक उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं के साथ परामर्श करके पता लगाया जाए।

- अनुभव को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में डी०ए०पी० और एम०ओ०पी० के आयात को सरणिबद्ध बनाने का समर्थन किया गया और उर्वरक विभाग से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया।

- नियंत्रणमुक्त उर्वरकों का वितरण करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार कम से कम एक राज्य संस्थागत एजेंसी

का चयन करें जिसे उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की अपेक्षित मात्राओं का आयात करने का अधिकार प्रदान किया जाए। किसी राज्य में नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी पूर्णतया संबंधित राज्य सरकार की होगी। उर्वरक विभाग द्वारा नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के बफर स्टॉक का इस्तेमाल किसी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा तथा संबंधित मौसम के लिए "आपूर्ति योजना" के अंतर्गत आकलित मांग और उपलब्धता के बीच के किसी अन्तर को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

- उर्वरकों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार मौजूदा डीलरशिप नेटवर्क की समीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वितरण श्रृंखला का पूरे राज्य में ब्लॉक स्तर तक समान रूप से विस्तार सुनिश्चित किया जा सके। जहां-कहीं आवश्यक हो, उर्वरक कंपनियों को अतिरिक्त थोक विक्रेताओं/वितरकों/खुदरा व्यापारियों की नियुक्ति की व्यवस्था करके वितरण श्रृंखला को 31 मार्च, 2007 तक सुदृढ़ बनाना होगा। ऐसे वितरण नेटवर्क में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

- प्रत्येक राज्य में वितरण नेटवर्क में जमाखोरी और कालाबाजारी के किसी मामले को रोकने के लिए गहन निगरानी की जाए और जहां-कहीं अपेक्षित हो, एफ०सी०ओ० के उपबंधों के अनुसार आवश्यक दण्ड सख्ती से लागू किया जाए।

- उर्वरक कंपनियां, 31.3.2007 तक प्रत्येक उस जिले में प्राथमिक स्टॉक प्वाइंट की व्यवस्था करें जहां वे उर्वरक उत्पादों का विपणन कर रही हैं ताकि देश के प्रत्येक ब्लॉक में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- प्रमुख उर्वरक कंपनियां, राज्य के प्रत्येक जिले में 31.3.2007 तक एक प्राथमिक स्टाक प्वाइंट बनाएं।

- उर्वरक कंपनियां "आपूर्ति योजना" के अनुसार काम करेंगी और उर्वरकों की आपूर्ति करेंगी। प्राइमरी स्टॉक प्वाइंट पर उर्वरक पहुंचने पर राजसहायता का भुगतान किया जाएगा।

- उर्वरक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि खरीफ 2007 के बाद प्रत्येक माह की यूरिया की आवश्यकता के अग्रिम स्टॉक को 33% के मौजूदा स्तर की तुलना में 75% के स्तर पर बनाए रखा जाए।

- उर्वरक विभाग मौसमी आवश्यकता के 5% तक यूरिया के बफर स्टॉक की भी व्यवस्था करेगा। प्रत्येक प्रमुख कृषि राज्य में प्रमुख उर्वरक इकाइयों के माध्यम से बफर स्टॉक रखा जाएगा। ऐसे प्रमुख राज्यों में न्यूनतम बफर स्टॉक 50,000 मी०टन होगा।

- राज्य सरकारें, गोदाम आदि जैसी भौतिक अवसंरचना की व्यापक समीक्षा करेंगी ताकि राज्य में उर्वरकों के भंडारण और वितरण में मदद मिल सके।

- राज्य सरकारें रेलवे के परामर्श में निर्धारित रेक प्वांइट और रेक साइडिंग पर भौतिक सुविधाओं की समीक्षा करेंगी ताकि ऐसी कमियों का पता लगाया जा सके जिनमें संशोधन/सुधार करना अपेक्षित है।

- उर्वरक विभाग, उर्वरक उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं की वितरण लागतों को पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रतिपूर्ति करना सुनिश्चित करेगा। इसके लिए नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरक के लिए वास्तविक आधार पर प्राथमिक और गौण भाड़ा घटक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

- सम्मेलन में वेब आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली प्रारंभ किए जाने का समर्थन किया गया और निर्णय लिया गया कि सभी संबंधितों, जिनमें उर्वरक कंपनियां और राज्य/जिला कर्मचारी शामिल होंगे के लिए वास्तविक समय के आधार पर आंकड़े दर्ज करना आवश्यक होगा।

- उर्वरक विभाग फरवरी, 2007 में आयोजित होने वाले अनेक क्षेत्रीय सम्मेलनों के जरिए एफ०एम०एस० के प्रचालन के संबंध में उर्वरक कंपनियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों में जानकारी और सूचना का प्रचार-प्रसार करने की व्यवस्था करेगा जिसका समापन मार्च/अप्रैल 2007 में अखिल भारतीय जिला कृषि कार्यालयों के सम्मेलन में होगा।

- उर्वरक विभाग देश में गैस की संभावित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार

की प्रक्रिया पर शीघ्रता से कार्रवाई करेगा। नई उर्वरक इकाइयां स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

– उर्वरक विभाग उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी की व्यवस्था करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की व्यवस्था करेगा और उर्वरक क्षेत्र से संबंधित अन्य मुद्दों का समाधान भी करेगा।

– उर्वरकों की उपलबधता पर ध्यान केन्द्रित करने के अतिरिक्त आपूर्ति किए गए उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

इस्पात का निर्यात

2850. श्री नरहरि महतो : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगामी पांच वर्षों के दौरान इस्पात निर्यात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1991-92 में इस्पात क्षेत्र को नियमनमुक्त, लाइसेंसमुक्त और नियंत्रणमुक्त कर दिय गया था। अत: सरकार इस्पात के निर्यात के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेती है। इस्पात उत्पादक अपनी वाणिज्यिक स्थितियों के आधार पर ऐसे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन

2851. श्री रमेन बर्मन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान इस्पात के कुल उत्पादन की तुलना में एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन का ब्यौरा और प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा उत्पादित कुल इस्पात का कतिपय प्रतिशत "सेमिस" और ऐसा आयातित मूल्य संवर्धित वस्तुओं की भारत में पहुंचने पर कम मूल्य के कारण है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) अप्रैल-जनवरी, 2007 के दौरान 37.022 मिलियन टन के कुल उत्पादन (अनंतिम) की तुलना में प्रमुख उत्पादकों (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और टाटा स्टील लिमिटेड) के एकीकृत इस्पात संयंत्रों का उत्पादन 18.222 मिलियन टन है। यह कुल उत्पादन का 49.22 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) सेल संयंत्रों में स्थापित सुविधाओं के आधार पर उत्पाद मिश्र में सेमीज शामिल है। सेल संयंत्रों में सेमीज का उत्पादन वर्ष 2005-06 के दौरान 19 प्रतिशत तथा 2006-07 (फरवरी, 2007 तक) के दौरान 18 प्रतिशत है। सेमीज का उत्पादन कीमत को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाता है।

(घ) सेल संयंत्रों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए निर्गमित योजना में अतिरिक्त फिनिशिंग सुविधाओं की स्थापना शामिल है जिससे विक्रेय इस्पात में सेमीज की प्रतिशतता में कमी होगी।

[हिन्दी]

फसल उत्पादन से आय

2852. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रति हैक्टेयर आदान, उपज और फसलों के समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों को फसलोत्पादन से होने वाली आय के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेहूं की फसल के संबंध में ऐसा आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फसल उत्पादन की लागत और फसलों के समर्थन मूल्य में भारी अंतर है जो किसानों के हितों के विरूद्ध है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) 2006-07 की खरीफ फसल के लिए मूल्य नीति पर कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2005-06 वर्ष के लिए गेहूं सहित कुछ प्रमुख फसलों की पैदावावर से प्रति हैक्टेयर सकल प्राप्ति निम्न प्रकार है:

फसल का नाम	सकल प्राप्ति (रुपए/हैक्टेयर)
धान	16564
धान (सुपर फाईन)	17436
गेहूं	16909
बाजरा	4715
चना	11172
अरहर	9282
रेपसीड तथा सरसों	17476
मूंगफली	15580
कपास (एफ-414/एच-777)	14362
कपास (एच-4)	16157
पटसन (टी०डी०-5)	19711
गन्ना	49742

किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिश करते समय फसल की उत्पादन की लागत के साथ-साथ बहुत से अन्य तथ्यों जैसे निवेश उपयोग की प्रवृत्ति तथा फैलाव, संबंधित फसल का उत्पादन तथा उत्पादकता, विपणन मूल्य (घरेलू तथा वैश्विक दोनों), अन्त:फसल मूल्य समानता, उत्पन्न आपूर्ति-मांग की स्थिति, प्रापण तथा वितरण, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, को ध्यान में रखता है।

(ङ) से (ज) 2007-08 के दौरान विपणन योग्य 2006-07 फसल मौसम हेतु गेहूं के लिए सरकार ने 750.00 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है जोकि पिछले फसल मौसम 2005-06 से 100.00 रुपए अधिक है। वर्ष 2006.07 के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा प्रक्षेपित उत्पादन की औसत लागत 574.00 रुपए प्रति क्विंटल है।

[अनुवाद]

मत्स्यपालन विकास के लिए धनराशि

2853. डा० के०एस० मनोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान मत्स्यपालन विकास हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) 31 दिसम्बर, 2006 तक कितनी राशि खर्च की गयी है और राज्यवार कितने प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) वर्ष 2007-08 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) सरकार मात्स्यिकी के विकास और मछुआरा कल्याण के लिए आवश्यकता के आधार पर और प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता देती है। 2006-07 में बजट प्राक्कलन में उपलब्ध कराए गए 232.00 करोड़ रुपए और संशोधित प्राक्कलन में 131.93 करोड़ रुपए में से 31 दिसम्बर 2006 तक 99.49 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई थी जो बजट प्राक्कलन का 42.88% और संशोधित प्राक्कलन 75.41% है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/क्रियान्वयन एजेंसियों की स्वीकृत राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन योजनाओं के तहत वर्ष 2007-08 के लिए निर्धारित राशि 162.68 करोड़ रुपए है।

विवरण

2006-07 में 31 दिसम्बर, 2006 तक मात्स्यिकी विकास और मछुआरा कल्याण के लिए राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों/ क्रियान्वयन एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत केन्द्रीय सहायता

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश/ क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	531.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	38.45
3.	बिहार	108.04
4.	छत्तीसगढ़	113.11
5.	गोवा	109.00
6.	गुजरात	405.25
7.	हरियाणा	10.05
8.	हिमाचल प्रदेश	11.25
9.	झारखंड	20.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	242.75
11.	कर्नाटक	838.38
12.	केरल	697.00
13.	मध्य प्रदेश	135.45
14.	महाराष्ट्र	434.24
15.	मणिपुर	10.00
16.	मिजोरम	10.89
17.	नागालैंड	70.00
18.	उड़ीसा	50.00
19.	राजस्थान	81.86
20.	सिक्किम	2.00
21.	तमिलनाडु	119.48
22.	त्रिपुरा	68.87
23.	उत्तर प्रदेश	502.60
24.	उत्तरांचल	34.00
25.	पश्चिम बंगाल	561.00
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.48
27	दमन एवं दीव	69.00
28.	पांडिचेरी	1149.00
29.	अन्य	524.25
30.	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	3000.00
	कुल	9949.38

विषैले पदार्थों की उपस्थिति

2854. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहरीले कीटनाशकों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में 70,000 विषैले पदार्थ उपस्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन पदार्थों के बाजार में उपलब्धता के संबंध में कोई जांच करायी है,

(ग) यदि हां, तो किन स्रोतों से ये विषैले कीटनाशी आयातित या प्राप्त किए जा रहे हैं; और

(घ) इसके उपचार हेतु तथा विष संबंधी मामलों में विश्लेषणात्मक

सहायता के साथ साथ विषैले पदार्थों के बारे में जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में आयात, विनिर्माण और पादप संरक्षण के लिये प्रयोग के लिये 204 कीटनाशियों का पंजीकरण किया गया है। इन कीटनाशियों का पंजीकरण, पंजीकरण समिति करती है जो इनकी कारगता और मानव, पशु और पर्यावरण के प्रति इनकी निरापदता की पूरी तरह जांच करके ही इनका पंजीकरण करती है। अगर लेबल और पर्ची पर दिये निर्देशों के अनुसार उर्वरकों का वैज्ञानिक और न्यायसंगत प्रयोग किया जाए तो उससे कोई खतरा या जहर नहीं पैदा होता है।

(घ) प्रत्येक पंजीकृत कीटनाशी के लेबल और पर्ची में विषाक्तता, जहर के लक्षण, पर्याप्त सुरक्षा उपाय और उपचार संबंधी जानकारी दी गई होती है। सरकारी और निजी अस्पतालों तथा जहर सूचना/नियंत्रण केन्द्रों पर जहर के मामलों के उपचार और विश्लेषण सुविधायें उपलब्ध हैं। सरकार ने देश भर में केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र स्थापित किये हैं जो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं और कृषक फील्ड स्कूलों का आयोजन करके किसानों की कीटनाशियों के सुरक्षित प्रयोग और आई०पी०एम० के बारे में जानकारी देते हैं।

दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में स्थानीय करों को शामिल करना

2855. **श्री अधीर चौधरी :**
डा० चिन्ता मोहन :
श्री निखिल कुमार :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एम०आर०पी०) में स्थानीय करों को शामिल करने के सरकारी निर्णय से दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं जैसाकि दिनांक 17 फरवरी, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के सभी प्रयासों के बावजूद आवश्यक दवाओं/औषधियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच के भीतर नहीं लायी जा सकी है; और

(घ) यदि हां, तो दवाओं की कीमतों को नीचे लाने के लिए कौन सी नयी रणनीति अपनायी गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय इान्डिक) : (क) और (ख) का०आ०सं० 946(अ) दिनांक 26 जून, 2006 के अंतर्गत दवाओं का सभी स्थानीय करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एम०आर०पी०) 2 अक्टूबर, 2006 से लागू किया गया है। 2 अक्टूबर, 2006 के बाद विनिर्मित बैचों के लिए सभी करों सहित एम०आर०पी० मुद्रित करना अनिवार्य है। तथापि, आयातित फार्मूलेशनों के लिए, सभी करों सहित एम०आर०पी० 1.3.2007 से लागू किया गया है।

(ग) और (घ) सभी करों सहित एम०आर०पी० के शुरू होने से अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के संबंध में 4% वैट तथा उत्पाद शुल्क की गणना के लिए एम०आर०पी० पर 40% की कमी को शामिल करके, मूल्य पर प्रभाव केवल 0.45% है। जनवरी, 2007 से उत्पाद शुल्क की गणना करने में एम०आर०पी० पर कमी को 40% से बढ़ाकर 42.5% किए जाने के कारण, सभी कर सहित एम०आर०पी० शुरू होने की कारण मूल्य पर 0.45% का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी०पी०सी०ओ०, 95) के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत हैं और उनके मूल्य डी०पी०सी०ओ०, 95 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) द्वारा निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। इन औषधों को सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति 1986 में संशोधन" में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत रखा गया है। डी०पी०सी०ओ०, 95 के अंतर्गत अनुसूचीबद्ध औषधों एवं फार्मूलेशनों का मूल्य निर्धारण/समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्य उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

गैर अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों की निगरानी अब ओ०आर०जी०-आई०एम०एस० से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

जहां गैर सूचीबद्ध फार्मूलेशनों की कीमतों में एक वर्ष में 20% से अधिक की वृद्धि होती है और फार्मूलेशन पैक का वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपए से अधिक होता हो वहां कंपनियों की अल्प सूची बनायी जाती है। इसके अतिरिक्त फार्मूलेशनों के उस खंड में फार्मूलेशन निर्माता का हिस्सा बाजार का कम से कम 20% अपेक्षित होता है या दवाई उस श्रेणी की 3 शीर्ष दवाइयों में एक हो। मानदंड, नामत: अधिक कारोबार और 20% मूल्य वृद्धि आम खपत के मामलों का पता लगाने के लिए और डी०पी०सी०ओ०, 1995 के पैरा 10 (ख) में सन्दर्भित ''जनहित'' की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं।

गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों की मानीटरिंग एन०पी०पी०ए० द्वारा की जाने वाली एक सतत कार्रवाई है। हाल ही में विभाग/एन०पी०पी०ए० ने 14 फार्मूलेशनों के मूल्यों में 0.50% से 24.54% के बीच कटौती के आदेश जारी किए हैं। अब एन०पी०पी०ए० को ऐसे मामले स्वयं लेने तथा, यदि आवश्यक हो तो, अनुमत्य स्तर तक मूल्य कटौती करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। यदि कोई कंपनी एन०पी०पी०ए० द्वारा इस प्रकार निर्धारित मूल्य का पालन नहीं कर पाती है तो एन०पी०पी०ए० द्वारा उस कंपनी के विरुद्ध अतिप्रभार का मामला शुरू किया जाएगा।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा तांबे का आयात

2856. **श्री हितेन बर्मन :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी०एस०पी०) ने भारी मात्रा में तांबे का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे आयात के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तांबे का आयात सतर्कता जांच का विषय है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसी वर्ष में उत्पादन उद्देश्य हेतु कितनी मात्रा में तांबे की आवश्यकता होती है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) और (ख) जी, हां। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी०एस०पी०) ने इस्पात गलनशाला में सतत् ढलाई मशीनों के मोल्ड में प्रयोग की जा रही मशीन्ड व अनमशीन्ड, दोनों प्रकार की कॉपर प्लेटों का आयात किया है। वी०एस०पी० में मोल्डों की आवश्यकता के अनुसार ये कॉपर प्लेटें स्वदेशी रूप से उपलब्ध नहीं हैं और इस प्रकार ये आयातित स्रोतों से प्राप्त की जा रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान वी०एस०पी० द्वारा किए गए आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

इकाई टन में

विवरण	2005	2006
(i) मशीन्ड कॉपर प्लेटें	12	12.5
(ii) अनमशीन्ड कॉपर प्लेटें	15	15.5

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान इस्पात गलनशाला में मूल्य-वर्धित इस्पात उत्पादन के लिए अनुमानित तौर पर 185 टन कॉपर की आवश्यकता होगी।

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम द्वारा भूमि की खरीद

2857. **श्री किसनभाई वी० पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2007-08 के दौरान केंद्रीय भाण्डागारण निगम (सी०डब्ल्यू०सी०) का अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों में भूमि खरीदने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी खरीद से सी०डब्ल्यू०सी० द्वारा संभावित व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके परिणामत: भंडारण क्षमता में राज्यवार कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य भाण्डागारण निगमों के अंतर्गत भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को दी गयी सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी सहायता दिए जाने के मानदंड क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 2007-08 के दौरान केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा खरीदी जाने वाली प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

हिमाचल प्रदेश	—	4 एकड़ (शिमला)
केरल	—	5 एकड़ (कन्नूर) और
तमिलनाडु	—	2.5 एकड़ (तूतीकोरीन)

(ग) ऐसी भूमि की खरीद की अनुमानित लागत हिमालच प्रदेश में 20 लाख रुपये, केरल में 10 लाख रुपये और तमिलनाडु में 22.50 लाख रुपये है।

(घ)	हिमाचल प्रदेश	:	10,000 टन
	केरल	:	10,000 टन
	तमिलनाडु	:	10,000 टन

(ङ) केन्द्रीय भण्डारण निगम राज्य भंडारण निगमों के तहत भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एफ०एम० के माध्यम से आय

2858. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
डा० धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री मणि शारेनामै :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एफ०एम० रेडियो के माध्यम से राजस्व अर्जित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार इससे राज्यवार कितना राजस्व प्राप्त किया जा रहा है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार काम कर रहे एफ०एम० रेडियो स्टेशनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) एफ०एम० रेडियो स्टेशन स्थापित करने की औसत अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का कुछ और एफ०एम० रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(छ) व्यय को पूरा करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2005-06 की अवधि के दौरान आकाशवाणी के एफ०एम० रेडियो स्टेशनों द्वारा अर्जित राजस्व का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए विवरण में दर्शाया गया है। सरकार ने निजी प्रसारकों से 1527 करोड़ रु० (लगभग) की राशि भी अर्जित की जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) इस समय कार्यशील आकाशवाणी स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा सलंग्न विवरण-III में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, चरण-I और चरण-II स्कीम के अंतर्गत निजी एजेंसियों के जरिए एफ०एम० रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार की नीति के तहत 266 निजी एफ०एम० चैनल चलाने की अनुमति दी गई है। जिनमें से 56 स्टेशन इस समय परिचालन में हैं। इन 56 स्टेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) एक एफ०एम० ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए औसत लागत 10 लाख रुपये से 11 करोड़ रुपये तक आ सकती है जो कि ट्रांसमीटर की शक्ति (10 कि०वा० से 20 कि०वा० तक) और विभिन्न अन्य कारकों पर निर्भर करती है।

(ङ) और (च) आकाशवाणी द्वारा दसवीं योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पचहत्तर स्टेशनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है। इनमें से 3 एफ०एम० स्टेशन पहले ही चालू कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संलग्न विवरण-VI में दिए गए ब्यौरे के अनुसार

बंद निविदा प्रणाली के आधार पर एफ०एम० स्टेशनों की स्थापना करने हेतु निजी प्रसारकों को आवंटित करने के लिए 97 अवस्थितियों को भी अधिनिर्धारित कर दिया गया है।

(छ) जहां तक निजी एफ०एम० रेडियो का संबंध है, रेडियो स्टेशन की स्थापना करने में होने वाला पूरा व्यय निजी एफ०एम० ऑपरेटरों द्वारा वहन किया जाता है। जहां तक आकाशवाणी एफ०एम० का संबंध है, चरणबद्ध व्यय के आधार पर वार्षिक योजना के वित्त वर्ष के दौरान अनुमोदित योजना निधि से व्यय को पूरा किया जाना है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 के दौरान आकाशवाणी एफ०एम० स्टेशनों से राज्यवार राजस्व

क्रम सं०	राज्य	राशि (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1.3388
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.2954
3.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य
4.	असम	0.2525
5.	बिहार	1.3213
6.	छत्तीसगढ़	0.1698
7.	दिल्ली	1.2243
8.	गोवा	0.112
9.	गुजरात	0.9888
10.	हरियाणा	0.1509
11.	हिमाचल प्रदेश	0.0254
12.	जम्मू एवं कश्मीर	0.2371
13.	झारखंड	1.8637
14.	कर्नाटक	2.3399
15.	केरल	2.3695
16.	मध्य प्रदेश	1.8913
17.	महाराष्ट्र	2.0473
18.	मेघालय	0.0700
19.	मिजोरम	0.0411
20.	मणिपुर	0.1213
21.	नागालैंड	0
22.	उड़ीसा	0.2966
23.	पंजाब	0.6563
24.	राजस्थान	1.1012
25.	तमिलनाडु	9.2017
26.	त्रिपुरा	0.1938
27.	केंद्रशासित प्रदेश दमन	0.0106
28.	केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी	0.4801
29.	केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़	1.5357
30.	उत्तर प्रदेश	2.0515
31.	उत्तरांचल	0
32.	पश्चिम बंगाल	0.8669
33.	सिक्किम	0
	योग	33.2538

विवरण-II

मार्च 2000 से प्राइवेट एफ चैनलों से राज्यवार अर्जित राजस्व

क्रम सं०	राज्य	प्राइवेट एफ०एम० चैनलों से प्राप्त कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	894,936,397
2.	असम	12,291,090
3.	बिहार	52,810,000
4.	केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़	262,169,345
5.	छत्तीसगढ़	63,430,006
6.	दमन व दीव	1,105,,002
7.	दिल्ली	2,305,374,048
8.	गोआ	42,168,990
9.	गुजरात	863,026,701
10.	हरियाणा	32,637,220
11.	हिमाचल प्रदेश	25,840,090
12.	जम्मू एवं कश्मीर	16,354,912
13.	झारखंड	42,666,979
14.	कर्नाटक	1,497,158,347
15.	केरल	682,862,734
16.	मध्य प्रदेश	486,431,357
17.	महाराष्ट्र	4,184,457,552
18.	मणिपुर	1,303,000
19.	मेघालय	3,014,000
20.	मिजोरम	1,207,000
21.	उड़ीसा	32,519,180
22.	पांडिचेरी	85,910,990
23.	पंजाब	206,420,270
24.	राजस्थान	357,254,676
25.	सिक्किम	5,307,101
26.	तमिलनाडु	1,728,998,568
27.	त्रिपुरा	1,620,000
28.	उत्तर प्रदेश	928,596,589
29.	पश्चिम बंगाल	452,201,869
	कुल	15,270,074,013

विवरण-III

आकाशवाणी के मौजूदा एफ०एम० रेडियो ट्रांसमीटरों (161) की सूची

राज्य	क्रम	स्थान	शक्ति
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1.	अनंतपुर	6 किलोवाट
	2.	कोथागुडम	6 किलोवाट
	3.	कुरनूल	6 किलोवाट
	4.	मर्कापुर	6 किलोवाट
	5.	निजामाबाद	6 किलोवाट
	6.	तिरूपति	3 किलोवाट एवं 10 किलोवाट

1	2	3	4
	7.	वारंगल	10 किलोवाट
	8.	हैदराबाद	6 किलोवाट, 5 किलोवाट
	9.	विशाखापटनम	10 किलोवाट
	10.	विजयवाड़ा	1 किलोवाट (अंतरिम ढांचा
असम	11.	हाफलोंग	6 किलोवाट
	12.	जोरहाट	10 किलोवाट
	13.	नौगोंग	6 किलोवाट
	14.	धुबरी	6 किलोवाट
	15.	गुवाहाटी	10 किलोवाट
बिहार	16.	पूर्णिया	6 किलोवाट
	17.	सासाराम	6 किलोवाट
	18.	पटना	6 किलोवाट
छत्तीसगढ़	19.	बिलासपुर	6 किलोवाट
	20.	रायगढ़	6 किलोवाट
	21.	रायपुर	1 किलोवाट (अंतरिम ढांचा)
	22.	सरायपल्ली	1 किलोवाट
दिल्ली	23.	दिल्ली	5 किलोवाट एवं 10 किलोवाट
गोवा	24.	पणजी	6 किलोवाट
गुजरात	25.	गोधरा	6 किलोवाट
	26.	अहमदाबाद	10 किलोवाट
	27.	सूरत	6 किलोवाट
	28.	राजकोट	10 किलोवाट
	29.	वड़ोदरा	10 किलोवाट
हरियाणा	30.	हिसार	6 किलोवाट
	31.	कुरूक्षेत्र	6 किलोवाट
	32.	रोहतक	1 किलोवाट (अंतरिम ढांचा)
हिमाचल प्रदेश	33.	हमीरपुर	6 किलोवाट
	34.	धर्मशाला	10 किलोवाट
	35.	कसौली	10 किलोवाट
	36.	कुल्लू	6 किलोवाट
	37.	शिमला	1 किलोवाट (अंतरिम ढांचा)
जम्मू कश्मीर	38.	जम्मू	3 किलोवाट एवं 10 किलोवाट
	39.	कठुआ	10 किलोवाट
	40.	पुंछ	6 किलोवाट
	41.	श्रीनगर	10 किलोवाट
	42.	भद्रवाह	6 किलोवाट
	43.	राजौरी	10 किलोवाट
झारखंड	44.	चाईबासा	6 किलोवाट
	45.	हजारीबाग	6 किलोवाट
	46.	डाल्टनगंज	10 किलोवाट
	47.	जमशेदपुर	6 किलोवाट

1	2	3	4
	48.	रांची	6 किलोवाट
कर्नाटक	49.	बीजापुर	6 किलोवाट
	50.	चित्रदुर्ग	6 किलोवाट
	51.	होसपेट	10 किलोवाट
	52.	कारवाड़	3 किलोवाट
	53.	रायचूर	6 किलोवाट
	54.	हासन	6 किलोवाट
	55.	मेरकारा	6 किलोवाट
	56.	बंगलौर	10 किलोवाट एवं 10 किलोवाट
	57.	मैसूर	10 किलोवाट
	58.	धारवाड़	10 किलोवाट
	59.	मंगलौर	10 किलोवाट
	60.	बेल्लारी	1 किलोवाट (अंतरिम छांचा)
	61.	गुलबर्गा	1 किलोवाट (अंतरिम छांचा)
केरल	62.	कोचीन	6 किलोवाट एवं 10 किलोवाट
	63.	कन्नूर	6 किलोवाट
	64.	इडुकी	6 किलोवाट
	65.	त्रिवेन्द्रम	10 किलोवाट
	66.	कालीकट	10 किलोवाट
	67.	मंजेरी	3 किलोवाट

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	68.	बालाघाट	6 किलोवाट
	69.	बैतूल	6 किलोवाट
	70.	छिंदवाड़ा	6 किलोवाट
	71.	गुना	6 किलोवाट
	72.	खंडवा	6 किलोवाट
	73.	सागर	6 किलोवाट
	74.	शहडोल	6 किलोवाट
	75.	शिवपुरी	6 किलोवाट
	76.	भोपाल	6 किलोवाट
	77.	इंदौर	6 किलोवाट
	78.	जबलपुर	10 किलोवाट
	79.	मांडला	1 किलोवाट
	80.	राजगढ़	3 किलोवाट
महाराष्ट्र	81.	मुम्बई	5 किलोवाट एवं 10 किलोवाट
	82.	अहमदनगर	6 किलोवाट
	83.	अकोला	6 किलोवाट
	84.	औरंगाबाद	1 किलोवाट (अंतरिम छांचा)
	85.	बीड	6 किलोवाट
	86.	चन्द्रपुर	6 किलोवाट
	87.	धूले	6 किलोवाट
	88.	नांदेड़	6 किलोवाट

1	2	3	4
	89.	नासिक	6 किलोवाट
	90.	उसमानाबाद	6 किलोवाट
	91.	सतारा	6 किलोवाट
	92.	यवतमाल	6 किलोवाट
	93.	कोल्हापुर	6 किलोवाट
	94.	नागपुर	6 किलोवाट
	95.	पुणे	6 किलोवाट
मेघालय	96.	जोवई	6 किलोवाट
	97.	शिलोंग	6 किलोवाट
मिजोरम	98.	लुंगलेह	10 किलोवाट
मणिपुर	99.	इम्फाल	6 किलोवाट
नागालैंड	100.	मोकाकचुंग	10 किलोवाट
उड़ीसा	101.	बेहरामपुर	6 किलोवाट
	102.	बोलनगीर	6 किलोवाट
	103.	पुरी	3 किलोवाट
	104.	राउरकेला	6 किलोवाट
	105.	कटक	6 किलोवाट
	106.	देवगढ़	100 वाट एलपीटी
पंजाब	107.	बठिंडा	6 किलोवाट
	108.	पटियाला	6 किलोवाट
	109.	जालंधर	10 किलोवाट
राजस्थान	110.	अलवर	6 किलोवाट
	111.	बांसवाड़ा	6 किलोवाट
	112.	चित्तौड़गढ़	6 किलोवाट
	113.	झालावाड़	6 किलोवाट
	114.	नागौर	6 किलोवाट
	115.	सवाईमाधोपुर	6 किलोवाट
	116.	चुरू	6 किलोवाट
	117.	जैसलमेर	10 किलोवाट
	118.	माउंट आबू	6 किलोवाट
	119.	जोधपुर	6 किलोवाट
	120.	जयपुर	6 किलोवाट
	121.	उदयपुर	1 किलोवाट (अंतरिम ढांचा)
तमिलनाडु	122.	चेन्नई	5 किलोवाट एवं 10 किलोवाट
	123.	नगरकोइल	10 किलोवाट
	124.	कोडईकनाल	10 किलोवाट
	125.	कोयम्बूतर	10 किलोवाट
	126.	तिरुचिरापल्ली	10 किलोवाट
	127.	मदुरई	1 किलोवाट (अंतरिम ढांचा)
	128.	यारकुड	100 वाट एलपीटी
त्रिपुरा	129.	बेलोनिया	6 किलोवाट
	130.	कैलाशशहर	6 किलोवाट
	131.	अगरतला	10 किलोवाट

1	2	3	4
केंद्र शासित प्रदेश	132.	दमन	3 किलोवाट
	133.	कराइकल	6 किलोवाट
	134.	चंडीगढ़	6 किलोवाट
	135.	पोर्ट ब्लेयर	10 किलोवाट
उत्तर प्रदेश	136.	बरेली	6 किलोवाट
	137.	फैजाबाद	6 किलोवाट
	138.	झांसी	6 किलोवाट
	139.	ओबरा	6 किलोवाट
	140.	अलीगढ़	6 किलोवाट
	141.	लखनऊ	10 किलोवाट
	142.	इलाहाबाद	10 किलोवाट
	143.	गोरखपुर	1 किलोवाट (अंतरिम ढांचा)
	144.	कानपुर	1 किलोवाट (अंतरिम ढांचा)
उत्तरांचल	145.	मसूरी	10 किलोवाट
पश्चिम बंगाल	146.	कोलकाता	5 किलोवाट एवं 10 किलोवाट
	147.	मुर्शिदाबाद	6 किलोवाट
	148.	आसनसोल	6 किलोवाट
	149.	सिलीगुड़ी	10 किलोवाट
	150.	शांतिनिकेतन	3 किलोवाट
	151.	कुर्सियांग	5 किलोवाट
	152.	दार्जिलिंग	100 वाट एलपीटी

विवरण-IV

राज्यवार मौजूदा निजी एफएम रेडियो केंद्र

क्रम सं०	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	शहर	चैनलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	4
		विशाखापट्टनम	1
2.	दिल्ली	दिल्ली	7
3.	गुजरात	अहमदाबाद	1
4.	हरियाणा	हिसार	1
5.	जम्मू कश्मीर	जम्मू	1
		श्रीनगर	1
6.	कर्नाटक	बंगलौर	6
7.	मध्य प्रदेश	इंदौर	1
8.	महाराष्ट्र	मुम्बई	6
		पुणे	1
9.	राजस्थान	बीकानेर	1
		जयपुर	5
10.	तमिलनाडु	चेन्नई	7
		कोयम्बतूर	1
		तिरूनेलवली	1
11.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2
12.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	1
		झांसी	1

1	2	3	4
		लखनऊ	1
13.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	6
	कुल		56

विवरण-I

दसवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित नए एफ०एम० रेडियो स्टेशनों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. काकीनाड़ा (10 किलोवाट)
2. करीमनगर (5 किलोवाट)
3. श्रीकाकुलम (1 किलोवाट)
4. नेल्लोर (10 किलोवाट)
5. महबूबनगर (10 किलोवाट)
6. सूर्यपूट (10 किलोवाट)

अरूणाचल प्रदेश

7. अनिनी (1 किलोवाट)
8. बोमडिला (1 किलोवाट)
9. दफोरीजो (1 किलोवाट)
10. चांगलांग (1 किलोवाट)
11. खोंसा (1/5 किलोवाट)

असम

12. करीमगंज (1/5 किलोवाट)
13. लुमडिंग (1/5 किलोवाट)
14. बोलपारा (1/5 किलोवाट)

बिहार

15. गया (10 किलोवाट)
16. मोतीहारी (10 किलोवाट)
17. बांगा (10 किलोवाट)
18. मधूबनी (10 किलोवाट)

छत्तीसगढ़

19. दांतेवाड़ा (5 किलोवाट)
20. राजनांदगांव (5 किलोवाट)
21. जसपुर नगर (5 किलोवाट)
22. बैकुंठपुर (5 किलोवाट)

गुजरात

23. जामनगर (10 किलोवाट)
24. जूनागढ़ (10 किलोवाट)

हरियाणा

25. अम्बाला (5 किलोवाट)

झारखंड

26. धनबाद (10 किलोवाट)
27. दुमका (5 किलोवाट)
28. गुमला (5 किलोवाट)

कर्नाटक

29. श्रंगेरी (10 किलोवाट)

केरल

30. कोननी (5 किलोवाट)

मध्य प्रदेश

31. उज्जैन (5 किलोवाट)

महाराष्ट्र

32. शिरडी (5 किलोवाट)
33. पोरस (5 किलोवाट)
34. अमरावती (10 किलोवाट)

मणिपुर

35. तामेंगलांग (1/5 किलोवाट)

36. उखरूल (1/5 किलोवाट)

मेघालय

37. दावकी (1/5 किलोवाट)

मिजोरम

38. चम्फाई (1/5 किलोवाट)

39. तुइपंग (1/5 किलोवाट)

40. कोलासिब/सारचीब (1/5 किलोवाट)

नागालैंड

41. फेक (1 किलोवाट)

42. जुनेबोटो (1 किलोवाट)

43. वोखा (1 किलोवाट)

उड़ीसा

44. देवगढ़ (5 किलोवाट)

45. रेगड़डा (5 किलोवाट)

46. रायरंगपुर (1/5 किलोवाट)

47. पारलाकीमिदी (5 किलोवाट)

पंजाब

48. फाजिल्का (10 किलोवाट)

49. अमृतसर (20 किलोवाट)

राजस्थान

50. रामगढ़ (20 किलोवाट)

51. चोटनहिल (20 किलोवाट)

तमिलनाडु

52. कांचीपुरम (5 किलोवाट)

त्रिपुरा

53. उदयपुर (1/5 किलोवाट)

54. नूतन बाजार (1/5 किलोवाट)

55. लॉगथेराई (त्रिपुरा) (5 किलोवाट)

उत्तर प्रदेश

56. गाजीपुर (10 किलोवाट)

57. बांदा (10 किलोवाट)

58. लखीमपुर खीरी (10 किलोवाट)

59. रायबरेली (20 किलोवाट)

उत्तरांचल

60. देहरादून (10 किलोवाट)

61. हल्दवानी/कालीडुंगी (10 किलोवाट)

62. बागेश्वर (5 किलोवाट)

63. चम्पावत (1 किलोवाट)

64. गैरसन (1 किलोवाट)

65. न्यू टिहरी (1 किलोवाट)

66. रुद्रप्रयाग (1 किलोवाट)

पश्चिम बंगाल

67. पुरुलिया (10 किलोवाट)

68. मालदा (10 किलोवाट)

69. कूचबिहार (10 किलोवाट)

70. बर्दवान (10 किलोवाट)

71. तमलुक (5 किलोवाट)

72. बालुरघाट (10 किलोवाट)

---

75 नए एफ०एम० स्टेशनों में से 3 स्टेशनों (बैल्लारी–अंतरिम ढांचा, दार्जिलिंग – अंतरिम ढांचा एवं पोर्टब्लेयर) को चालू कर दिया गया है।

विवरण-II

मार्च 2000 से प्राइवेट एफ चैनलों से राज्यवार अर्जित राजस्व

शहरों के नाम	एफ०एम० स्टेशनों की संख्या
1	2
अगरतला	3
आगरा	1
अहमदनगर	0
आइजोल	3
अजमेर	1
अकोला	2
अलीगढ़	1
इलाहाबाद	1
अमृतसर	0
आसनसोल	0
औरंगाबाद	1
बंगलौर	1
बरेली	2
भोपाल	0
भुवनेश्वर	1
बीकानेर	3
बिलासपुर	2
चंडीगढ़	0
चेन्नई	0
कोचीन	0
कोयम्बटूर	0
दमन	1
दिल्ली	1
धूले	1
गंगटोक	1
गोरखपुर	3
गुलबर्गा	2
गुवाहाटी	0
हिसार	0
हैदराबाद	3
इम्फाल	4
इन्दौर	0
ईटानगर	3
जबलपुर	0
जयपुर	0
जालंधर	0
जलगांव	1
जम्मू	2
जमशेदपुर	1
झांसी	3
जोधपुर	0
कन्नूर	0

1	2
कानपुर	0
करनाल	0
कोहिमा	4
कोल्हापुर	0
कोलकाता	0
कोटा	1
कोजीकोड	0
लखनऊ	0
मदुरई	0
मंगलौर	0
मुंबई	2
मुज्जफरपुर	3
मैसूर	2
नागपुर	2
नांदेड	2
नासिक	0
पणजी	0
पटियाला	0
पटना	3
पाण्डिचेरी	0
पोर्ट ब्लैयर	4
पुणे	0
रायपुर	0
राजामुंदरी	2
राजकोट	0
रांची	0
राउरकेला	2
सागर	4
सांगली	0
शिलांग	2
शिमला	1
शोलापुर	1
सिलीगुड़ी	0
श्रीनगर	3
सूरत	0
तिरूवनन्तपुरम	0
त्रिसूर	0
तिरूचिरापल्ली	2
तिरूनेलवेली	1
तिरूपति	0
तुतीकोरिन	1
उदयपुर	1
वड़ोदरा	0
वाराणसी	0
विजयवाड़ा	0
विशालापट्टनम	0
वारंगल	2
देहरादून	4
कुल	97

मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान

2859. **श्री चन्द्रभान सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और तेज हवाओं के कारण लगभग बीस प्रतिशत फसलों को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस संबंध में किसानों को राहत देने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(घ) राज्य में प्रभावित किसानों को कितनी सहायता दी गयी है/दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य के 35 जिलों में ओलावृष्टि और असमय वर्षा के कारण 5% से 50% तक के फसल क्षति की जानकारी दी है। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि नुकसान का सर्वेक्षण राजस्व और कृषि अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य सरकार के अनुसार प्रभावित क्षेत्र 1.74 लाख हैक्टेयर है और प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है।

खुले बाजार में गेहूं की बिक्री

2860. **डा० चिन्ता मोहन** :
श्री सी०के० चन्द्रप्पन :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने चार लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त गेहूं बेचने के लिए निविदा प्रणाली अपनायी गयी थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और इसके लिए निकाली गयी निविदा में आधार मूल्य कितना दिया गया था; और

(ङ) वर्तमान खुले बाजार मूल्य से उक्त आधार मूल्य कितना अधिक/कम था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने गेहूं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए फरवरी और मार्च, 2007 महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों में खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत 4.00 लाख टन तक गेहूं की बिक्री करने का निर्णय लिया था।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रथम चरण में महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गुजरात राज्यों में 2.40 लाख टन गेहूं के लिए निविदाएं मंगाई गई थीं। इन निविदाओं के लिए न्यूनतम मूल्य 1232.58 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था।

(ङ) निविदाएं मंगाने के समय प्रमुख केन्द्रों, जहां खुली बिक्री द्वारा हस्तक्षेप लक्षित किया गया था, में गेहूं के थोक मूल्य इस न्यूनतम मूल्य से अधिक चल रहे थे।

[अनुवाद]

बांस के वन

2861. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विश्व के सबसे बड़े बांस के वन हैं जिनका अब तक दोहन नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन बांस के वनों से लाभ प्राप्त करने के लिए इनका दोहन करने तथा उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त बांस के वनों के व्यावसायिक दोहन से बांस तथा संबंधित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रोजगार संभावना के उचित दोहन हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) जी, हां। भारत में विश्व के सबसे अधिक बांस के जंगल हैं। कृषि और सहकारिता विभाग ने देश में बांस क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006-07 में एक केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय बांस मिशन स्कीम की शुरूआत की है। मिशन के अनुसंधान, पौधरोपण और हस्तशिल्प विकास एवं विपणन के तीन प्रमुख घटक हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति करना है:–

- क्षेत्र निर्धारित क्षेत्रीय विशिष्टता युक्त कार्यनीति के माध्यम से बांस क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा देना;
- उपज बढ़ाने के लिए उन्न किस्मों सहित संभाव्यता क्षेत्रों में बांस के अंतर्गत क्षेत्र की कवरेज को बढ़ाना;
- बांस और बांस आधारित हस्तशिल्पों के विपणन को बढ़ावा देना;
- बांस के विकास के लिए पणधारियों के बीच अभिसरण और सहक्रिया स्थापित करना;
- परम्परागत बुद्धिमत्ता और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के पूर्ण मेल के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, विकसित करना और प्रसारित करना;
- कुशल और अकुसल व्यक्तियों, विशेषकर बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार अवसर मुहैया कराना।

मिशन का विचार वर्तमान बांस वनों का सुधार करना और औसत 18 टन प्रति हैक्टेयर के स्तर तक बांस की उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे कि इसे अनुसंधान प्रयासों और उन्नत पद्धतियों के माध्यम से लाभकारी बनाया जा सके।

मिशन द्वारा 5 वर्षों की अवधि के दौरन 1.76 हेक्टेयर में बांस पौध रोपण कार्यकलापों से लगभग 50.4 मिलियन मानव कार्य दिवसों का सृजन किया जाना है। नर्सरी क्षेत्रक में जो प्रति वर्ष कुल अनुमानित रोजगार सृजित किया जाना है वह लगभग 9.7 लाख मानव दिवस का होगा।

[हिन्दी]

एन०आर०सी०पी० के अंतर्गत प्रस्ताव

2862. श्री कृष्ण मुरारी मोघे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०) के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य में पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं:–

क्र० सं०	शहर का नाम	नदी	अनुमानित लागत (लाख रुपए)
1.	रीवा	बीहड़	2775.27
2.	चित्रकूट	मंदाकिनी	791.01
3.	शाहडोल	सोन	2084.00
4.	महेश्वर और मंडलेश्वर	नर्मदा	2372.85
5.	सिहौर	पार्वती/सिवान	963.59
6.	गंजबसौदा	बेतवा	2348.12
7.	राजगढ़	नेवाज	1588.67
8.	मंदसौर	शियोन	1734.49
9.	होशगांबाद	नर्मदा	1904.28
10.	नेपानगर	तापती	2014.21
11.	रीछाली	सोनार	220.00

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं से उपलब्ध बचत को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद और रीवा की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। इन प्रस्तावों पर स्थायी वित्त समिति द्वारा क्रमशः 26.02.07 और 12.03.07 को विचार किया गया और "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

दवाओं का निर्यात और उन्हीं दवाओं का अधिक मूल्य पर आयात

2863. चौ० मुनव्वर हसन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय दवा विनिर्माता दवाओं का कम मूल्य पर निर्यात कर रहे हैं और उसी दवा को अधिक मूल्य पर आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय भेषज मूल्यन प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) इस प्रकार की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आयी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात उद्योग की क्षमता का उपयोग

2864. श्री जोआकिम बलला : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात उद्योग की औसत क्षमता का उपयोग कितना है और दसवीं योजना अवधि के अंत में इस्पात की उपलब्धता की मांग के बीच अनुमानित अंतर कितना है;

(ख) इस्पात उद्योग के विकास तथा विस्तार योजनाओं को बाधित करने वाले कारक कौन-से हैं;

(ग) क्या एक बड़ी इस्पात इकाई का वित्त पोषण करने हेतु किसी विदेशी निवेशक ने प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) 10 वीं पंचवर्षीय योजना 2002-03 से 2006-07 (अप्रैल, 2006-जनवरी, 2007) के अंत तक देश में इस्पात संयंत्रों की अपरिष्कृत इस्पात की औसत क्षमता उपयोगिता लगभग 90.2 प्रतिशत है। 10वीं योजना अवधि के दौरान देश में परिसज्जित गैर-मिश्र इस्पात की अनुमानित उपलब्धता और प्रत्यक्ष खपत नीचे दी गई है:-

(हजार टन)

वर्ष	उपलब्धता	प्रत्यक्ष खपत
2002-03	28625	28897
2003-04	31201	31169
2004-05	34564	34389
2005-06	39410	39185
2006-07 (अप्रैल-जनवरी) (अनंतिम)	35977	35582

(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)

(ख) इस्पात उद्योग का विकास मुख्य रूप से इस्पात की मांग और उपलब्धता पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एन०एस०पी०) में वर्ष 2019-20 तक 100 मिलियन टन से अधिक के इस्पात के उत्पादन की परिकल्पना की गई है और उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए एन०एस०पी० में पूर्ति संबंधी विभिन्न अड़चनों को दूर करने की बात कही गई है। मोटे तौर पर नीति संबंधी विवरणों के अलावा एन०एस०पी० में नीतिगत उद्देश्यों को हासिल करने के लिए विशिष्ट कार्य बिन्दु बनाए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कुल 101 विदेशी फाईनेंसरों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ०डी०आई०) रूट के जरिए लोहा और इस्पात क्षेत्र में निवेश देने की पेशकश की है। एफ०डी०आई० रूट के जरिए स्थापित करने के लिए प्रस्तावित इस्पात इकाइयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अप्रैल 2002 से दिसंबर 2006 तक एफ०डी०आई० निवेश की कंपनी-वार विवरणी

(करोड रुपए)

क्र० सं०	भारतीय कंपनी का नाम	देश	विदेशी साझीदार का नाम	निर्माण की मद	एफडीआई की राशि (रुपए)
1	2	3	8	7	6
1.	पी०एस०एल० लि०	आस्ट्रेलिया	मैकक्वारीज बैंक लि०	एकीकृत इस्पात संयंत्रों में प्राईमरी/अर्ध परिसज्जित स्थिति में लोहा और इस्पात	25.20
2.	ब्लू स्कोप स्टील बिल्डिंग सोल्यूशन	आस्ट्रेलिया	ब्लू स्कोप एशिया होल्डिंग	प्राईमरी/अर्ध में लोहा और इस्पात	88.70
3.	स्टरलाईट आयरन एंड स्टील कं० ल०	बहमास	वोल्कान इन्वेस्टमैंट्स लि०	प्राईमरी/अर्ध परिसज्जित स्थिति में लोहा और इस्पात	0.05
4.	जिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी लि०	बहरीन	सिटीग्रुप बैंकिंग कोर०	अर्ध परिसज्जित लोहा और इस्पात निर्माण	14.82
5.	सूरज स्टेनलैस लि०	बेल्जियम	बसुरीबवेस्ट बी०वी०बी०ए०	प्राईमरी अवस्था में लोहा एवं इस्पात	13.91
6.	राजकुमार फोर्ज लि०	कनाड़ा	शान्तनु राजकुमार	अर्ध परिसज्जित लोहा और इस्पात निर्माण	1.12
7.	उत्कल एल्यूमियान इंटल लि०	कनाड़ा	अल्कान	फैरो मिश्र	12.18
8.	मैसर्स पेन्नार इंडस्ट्रीज लि०	केमैन आईलैण्ड	ऐट कैपीटल मास्टल फंड लि०	शीत बेल्लित मिलों में शीत बेल्लित अर्ध परिसज्जित लोहा और इस्पात उत्पाद	31.25
9.	फचोर ऑयजलिमिटेड	चैनल आईलैण्ड	चोर्नेल्ल कॉर्प	ऑफ फैरो अल्लोयस	2.28
10.	मगोत्तऊक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	साइप्रस		स्टील	2.39
11.	इउप जिंदल मेतल्स एवं अलॉयज एल०टी०डी०	फ्रांस	इम्प्ल्य ठगिने प्रोमिशन	मैन्युफॅक्चर ऑफ आरयन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स एन०इ०सी०	15.28

1	2	3	4	5	6
12.	जे०के० तोलबोत लिमिटेड	फ्रांस	मोब ओद्यतिल्लगेस	आयरन और स्टील इन पी०आर०आई०एम०ए० आर०वाय०/सेमि	0.27
13.	एरस्तील इंडिया प्राइवेट-लिमिटेड	फ्रांस		स्टील	0.30
14.	जे०के० तोलबोत लिमिटेड	फ्रांस	मोबोत्तिल्लोगे सर्च्स एस०टी० एतिएन्ने	आयरन और स्टील इन पी०आर०आई०एम० ए०आर०वाय०/सेमि फिनिशेद एफ०ओ०आर० एम०एस०	0.27
15.	थ्यस्सेंक्रूप्प इलेक्ट्रिक स्टील (आई)पी०वी०टी० लिमिटेड	जर्मनी	एबा ग्फेब म्ब	मेन्युफैक्चर आयन और स्टील	159.97
16.	एबा इंडिया प्राइवेटलिमिटेड	जर्मनी	एबा ग्फेब म्ब		48.96
17.	इंडिया स्टील कॉपोरेशन	हांगकांग	सिनो एशियन रिसोंसेस इंडस्ट्रीज एल०टी०डी०	सेमि फीनिश्ड आयरन एवं स्टील प्रॉडक्ट एन०ई०सी०	6.81
18.	भागवती औतोकॅस्त लिमिटेड	हांगकांग	जैसा वै० लिस्त अत्तचेद वाय दी सी०ओ०एम०पी०ए० एन०वाय०	कास्टिंग ऑफ आयरन और स्टील (आई०एन० सी०एल०यू०डी०ई०एस० कास्टिंग फीनिश्ड और सेमि फीनिश्ड प्रॉडक्ट ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट एस०टी०)	0.02
19.	ओर्नमेंतल स्टैनलैसस्टील प्राइवेटलिमिटेड	हांगकांग	इंसुक च	एम०ए०एन०यू०एफ०ए०सी०टी०यू०आर०ई०-एस०ई०एम०आई०-फीनिश्ड आयरन और स्टील	0.05
20.	जिंदल स्टैनलैस स्टील वय लिमिटेड	इटली	एल०जी० इतालीया ग्रल	आयरन और स्टील इन पी०आर०आई०एम०ए० आर०वाय०/एस०ई०एम०आई० फीनिश्ड फोर्म्स	1.55
21.	शैफाली रूल्स लिमिटेड	इटली	फोमस एस०पी०ए० मिलन	आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स एन०ई०सी०	0.50
22.	एम०/एम० रेन्न स्टिल्स लिमिटेड	इटली	एम/एस एठरोफिन ग्रल	सेमि फीनिश्ड आयरन और स्टील प्रॉडक्ट नेच	0.53

1	2	3	4	5	6
23.	जिंदल स्टैनलैस स्टील वय लिमिटेड	इटली	एल०जी० इतल्ल एस०आर० एल०	आयरन और स्टील इन पी०आर०आई०एम० ए०आर०वाय०/सेमि फीनिश्ड फोर्म्स	1.06
24.	एम०/एस० रेर्न्ज स्टिल्स लिमिटेड	इटली	एम/एस एउरो फिन ग्रल	सेमि फीनिश्ड आयरन और स्टील प्रॉडक्ट नेच	0.32
25.	नील मैटलप्रॉडक्ट एल० टी०डी०	जापान		स्टील	0.50
26.	पोस्को इंडिया पी०एल० टी०डी०	कोरिया (एस०ओ०यू० टी०एच०)	तए ह्युन जेओंग्ल एवं पोस्को	सेमि फीनिश्ड आयरन एवं स्टील प्रॉडक्ट एन०इ०सी०	225.00
27.	तएयंग मैटल (आई) पी० एल०टी०डी०	कोरिया (एस०ओ०यू० टी०एच०)	तएयंग मैटइंडस्ट्रीयल सी०ओ० एल०टी०डी०	मेन्युफैक्चर ऑफ चोल्द रोल्लेद सेमि फीनिस्ड आयरन एवं स्टील प्रॉडक्ट इन चोल्द रोलिंग मिल्स	0.01
28.	तएयंग मैटल (आई) पी० एल०टी०डी०	कोरिया (एस०ओ०यू० टी०एच०)	मुन हो पर्क	मेन्युफैक्चर ऑफ चोल्द रोल्लेद सेमि फीनिस्डआयरन एवं स्टील प्रॉडक्ट इन चोल्द रोलिंग मिल्स	0.00
29.	क्तच फैरो अलॉयस प्राइवेट- लिमिटेड	कोरिया (एस०ओ०यू० टी०एच०)	क्तच कोरॅक्र सी०ओ० लिमिटेड	फैरो ए०एल०ओ०वाय०एस०	3.18
30.	मोमेंत स्पिलचिंग सिस्टम पी०वी ट्री० एल०टी०डी०	मलेशिया	ली चिंग बूम	एस०इ०एम०आई०-फीनिश्ड आई०आर०ओ० एन०-स्टील प्रॉडक्ट नेच	0.08
31.	सकॅव इंडस्ट्रीज प्राइवेट-लिमिटेड	मोरिशस	ग्लोबल स्टील और पॉवर लिमिटेड	आयरन और स्टील इन पी०आर०आई०एम० ए०आर०वाय०/सेमि फिनिश्ड फोर्म्स	6.04
32.	सकॅव इंडस्ट्रीज प्राइवेट-लिमिटेड	मोरिशस	ग्लोबल स्टील और पॉवर लिमिटेड	मेन्युफैक्चर आयरन और स्टील	2.61
33.	एउरो इकोन आयरन एवं स्टील प्राइवेट लिमिटेड	मोरिशस	बॅठफिएल्ड होल्दिग लिमिटेड	मेन्युफैक्चर आयरन और स्टील	20.51

1	2	3	4	5	6
34.	स्पेरिएस कॉस्टिंग्स एल०टी०डी०	मोरिशस	सिल्वहर पॅक इन्वेस्टमॅट (एम० ए०यू०आर०आई०टी०आई० यू०एस०) एल०टी०डी०	मेन्युफैक्चर ऑफ फैरो अलॉयजक्षेत्रम अलुमिनोथर्मिच प्रोसेस	8.21
35.	पी०सी०एल० लिमिटेड	मोरिशस	चित्प्रोतप ग्लोबले मर्कॉस मोरिशस लिमिटेड	आयरन और स्टील इन पी०आर०आई०एम० ए०आर०चाय०/सेमि फीनिश्ड फोर्म्स इन दी इंतेग्रतेद स्टील पी०एल०ए०एन०टी०एस०	25.20
36.	ज्वे सिमेन्ट एल०टी०डी०	मोरिशस	स्टील ट्रेडर्स एल०टी०डी०	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	1.16
37.	सकॅव इंडस्ट्रीज प्राइवेट-लिमिटेड	मोरिशस	ग्लोबल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड	मेन्युफैक्चर आयरन और स्टील	14.52
38.	कनिश्क स्टील इंडस्ट्रीज एल०टी०डी०	मोरिशस	रदिअंत सोल्युशन्स पी०वी०टी० एल०टी०डी०	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	2.51
39.	जिंदल स्टैनलैस लिमिटेद	मोरिशस	तैव सिक्युरिटीज एल०टी०डी०	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	0.04
40.	जिंदल स्टैनलैस लिमिटेद	मोरिशस	गोल्डमैन सच्स इन्वेस्टमॅट मोरिशस	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	0.29
41.	स्टील कॉपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड	मोरिशस	गुजरात स्टील होल्डिंग्स लिमिटेड	एम०ए०एन०यू०एफ०ए०सी०टी०यू०आर०इ०-आरयन और स्टील	12.78
42.	मेत्चोके इंडस्ट्रीज लिमिटेड	मोरिशस	स्म्मतेच आशिया चॅंचर्स लिमिटेड	एम०एफ०जी० ऑफ आयरन एवं स्टील इन पी०आर०आई०एम०ए०आर०चाय०/एस०इ० एम०आई० फीनिश्ड फोर्म्स	3.48
43.	ऐअ इंजीनीअरींग प्राइवेट लिमिटेड	मोरिशस	एस०एन०एम० इंवेस्तोर्स लिमिटेड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्स फोर्म्स नेच	19.13
44.	ऐअ इंजीनीअरींग प्राइवेट लिमिटेड	मोरिशस	एस०एन०एम० इन्वेस्टमॅट लिमिटेड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्स फोर्म्स नेच	19.13
45.	सकॅव इंदुअत्रिएस प्राइवेट लिमिटेड	मोरिशस	ग्लोबल स्टील और पॉवर लिमिटेड	आयरन एवं स्टील एन पी०आर०आई०एम० ए०आर०चाय०/सेमि फीनिश्ड फोर्म्स	1.80

1	2	3	4	5	6
46.	भारत अलॉयज और एनर्जी लिमिटेड	मोरिशस	2आई कॅपिटल प्व्व	फैरो ए०एल०एल०ओ०वाय०एस०	18.30
47.	भारत अलॉयज और एनर्जी लिमिटेड	मोरिशस	2आई कॅपिटल प्व्व	फैरो ए०एल०एल०ओ०वाय०एस०	16.64
48.	रामरुपाईबलजि स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	सॅइवेन इंव्हेस्टमेंट (एम०ए० आर०यू०आई०टी०आई०यू० एस०) लिमिटेड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्स फोर्म्स एन०इ०सी०	1.10
49.	रामरुपाईबलजि स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	तैब बैंक ब्व्व (सी)	आयरन और स्टील इन प्रिमर्स फोर्म्स एन०इ०सी०	3.19
50.	रामरुपाईबलजि स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	दी इंदिअमन फ्रुंद (एम०ए० आर०यू०आई०टी०आई०यू० एस०) लिमिटेड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्स फोर्म्स एन०इ०सी०	3.30
51.	रामरुपाईबलजि स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	वीनस कॅपिटल मॅनेजमेंट इंच	आयरन और स्टील इन प्रिमर्स फोर्म्स एन०इ०सी०	0.55
52.	रामरुपाईबलजि स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	वीनस सेरिएस ट्रस्ट ए०/सी० आई०टी०एफ० मोरिशस	आयरन और स्टील इन प्रिमर्स फोर्म्स एन०इ०सी०।	0.55
53.	रामरुपाईबलजि स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	आअ	ओयरन और स्टील इन प्रिमर्स फोर्म्स एन०इ०सी०	0.00
54.	यूरोइकोन आरयन एवं स्टील प्राइवेट लिमिटेड	मोरिशस	बॅठफिएल्द होल्दिंग लिमिटेड	मेन्युफैक्चर आयरन और स्टील	84.39
55.	फचोर स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	ग्लोबल सर्कले इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स एन०ई०सी०	0.35
56.	फचोर स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	सुपरविजन लिमिटेड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स एन०ई०सी०	0.63
57.	आई०एन०डी०ओ०-उस मिम टेक पी० एल०टी०डी०	मोरिशस	ग्रीन मॅदोव्स इन्वेस्टमेंट एल०टी०डी०	मेन्युफैक्चर ऑफ अन्य मैटलप्रॉडक्ट नेच	0.89

1	2	3	4	5	6
58.	फचोर स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	इमगेतेच लिमिटैड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स एन०ई०सी०	0.59
59.	फचोर स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	इंवेस्तोर लिमिटेड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स एन०ई०सी०	0.63
60.	फचोर स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	प्रेचिसेतिच लिमिटेड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स एन०ई०सी०	0.63
61.	फचोर स्टिल्स लिमिटेड	मोरिशस	तेरचोत कन्सलटन्सी सर्विसेस लिमिटेड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स एन०ई०सी०	0.59
62.	गर्ग आयरन और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	ओवेसैस चेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	आयरन और स्टील इन पी०आर०आई०एम० ए०आर०वाय०/सेमि फीनिश्ड फोम्स इन दी इंतेग्रतेद स्टील पी०एल०ए०एन०टी०एस०	0.44
63.	रेडीमेड स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर		आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोम्स एन०इ०सी०	0.01
64.	रेडीमेड स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	च्यच होल्दिंग लिमिटेड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोम्स एन०इ०सी०	0.27
65.	इंडियन स्टील कॉपोरेशन	सिंगापुर	क्यनिते एचोनोमिच एवं डेव्हलपमेंट एल०टी०डी०	सेमि फीनिश्ड आयरन एवं स्टील प्रॉडक्ट एन०इ०सी०	4.36
66.	कामच्छी स्पोंगे एवं पॉवर सी०ओ०आर०पी०एन० एल०टी०डी०	सिंगापुर	अभिताव रॉय	मेन्युफैक्चर ऑफ दिरेक्त रेदुचेद आयरन एवं अन्य स्पोंग्य फेरोंउस प्रॉडक्ट इन प्रिमर्य फोर्म्स	2.25
67.	जिंदल स्टैनलैस लिमिटेड	स्पैन	मेर्रिल्ल ल्यंच कॅपिटल माक्रेट एस्पन	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	0.17
68.	विस इन्टरनॅशनल लिमिटेड	स्वीटजरलैण्ड		ऑफ आरयन एनं स्टील इन पी०आर०आई०एम० ए०आर०वाय०/एस०इ०एम०आई० सेमि फीनिश्ड फोर्म्स	17.50
69.	गर्ग आयरन और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	यू०ए०इ०	अल बलद अल अमीन एस्त	आरयन और स्टील इन पी०आर०आई०एम० ए०आर०वाय०/सेमि फीनिश्ड फोर्म्स इन दी इंतेग्रतेद स्टील पी०एल०ए०एन०टी०एस०	0.30
70.	सुंविक स्टिल्स पी. लिमिटेड	यू०ए०इ०	संदीप मनोहरलाल	एम०एफ०आर० ऑफ दिरेचत रेदुचेद इओन एवं फेरोंउस प्रॉडक्ट	0.31

1	2	3	4	5	6
71.	पायोनिअर तोर्स्टील मिल्स पी. एलटीडी.	यू०ए०इ०	खल्फन सुलिमन	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	0.13
72.	सुंधिक स्टिल्स प्राइवेट लिमिटेड	यू०ए०इ०	संदीप मनोहरलाल शिशोदिअ	ऑफ दिरेक्त रेदुचेद आयरन एवं अन्य स्पॉग्य फेरौंठस प्रॉडक्शन	0.33
73.	पायोनिअर ट्रोस्टील मिल्स पी. एलटीडी.	यू०ए०इ०	खल्फन सुलिमन	मंफ्तुअच्चुरे ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	0.12
74.	इंडियन स्टील कॉपोरेशन	यू०ए०इ०	त्रंस सिबेरिअन इंडस्ट्रीज एल०टी०डी	सेमि फीनिश्ड आयरन एवं स्टील प्रॉडक्ट एन०इ०सी०	15.00
75.	इंडियन स्टील सी०ओ० आर०पी०एन० एल०टी०डी०	यू०ए०इ०	त्रंस सिबेरिअन आई०एन०डी० एल०टी०डी०	मेन्युफैक्चर ऑफ अन्य मैटलप्रॉडक्ट नेच	0.00
76.	कनिश्क स्टील इंडस्ट्रीज एल०टी०डी०	यू०ए०इ०	अमीना बेगम	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	2.40
77.	पायोनिअर ट्रोस्टील मिल्स पी० एल०टी०डी०	यू०ए०इ०	खल्फन सुलिमन शर्जह खोर्फखन	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	0.25
78.	पायोनिअर ट्रोस्टील मिल्स पी० एल०टी०डी०	यू०ए०इ०	खल्फन सुलिमन	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	0.25
79.	जिंदल स्टैनलैस लिमिटेड	यू०के०	सिटी ग्रुप ग्लोबल मर्केंत्स मोरिशस	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	0.17
80.	जिंदल स्टैनलैस लिमिटेड	यू०के०	मोरगन स्तॅलेय एवं सी०ओ० आई०एन०टी०एन०एल० एल०टी०डी०	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	0.12
81.	ग्लोबल स्टिल्स लिमिटेड	यू०के०	पी प्रताप चौधरी	मेन्युफैक्चर आयरन और स्टील	0.11
82.	रामरुपाई बालाजी स्टिल्स लिमिटेड	यू०एस०ए०	53 एन०आर०आई०	आयरन और स्टील इन प्रिमर्स फोर्म्स एन०इ०सी०	0.07
83.	ग्लेडे स्टील प्राइवेट लिमिटेड	यू०एस०ए०	डी०आर० ह्मदेमोंहम्मेद खान	फैरो ए०एल०एल०ओ०वाय०एस०	0.50

1	2	3	4	5	6
84.	ग्लेडे स्टील प्राइवेट लिमिटेड	यू०एस०ए०	नाजनीन एच खातून	फैरो ए०एल०एस०ओ०वाय०एस०	0.45
85.	अंबी विजय स्टील्स सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड	यू०एस०ए०	जितेंद्र एस पटेल	एम०एफ०आर० ऑफ आयरन और स्टील	0.04
86.	जिंदल स्टैनलैस एल०टी०डी०	यू०एस०ए०	चितिबंक एन०ए०	मेन्युफैक्चर ऑफ आयरन एवं स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	3.35
87.	मोन्नेत इस्पात लिमिटेड	यू०एस०ए०	चितिग्रोप आई०एन०टी०एल० फाइनेस कॉपोरेशन	एम०ए०एन०यू०एफ०ए०सी०टी०यू०आर०इ०- आयरन और स्टील	35.27
88.	व्स्ल वायर्स लिमिटेड	यू०एस०ए०	ग्लोबल सींद इंव्हेस्टेमेंट लिमिटेड	एम०ए०एन०यू०एफ०ए०सी०टी०यू०आर०इ०- आयरन और स्टील	0.14
89.	कामधेनु इस्पात एल०टी०डी०	यू०एस०ए०	अल्प जतकिअ	मेन्युफैक्चर ऑफ सेमि फीनिश्ड आयरन एवं स्टील प्रॉडक्ट नेच	0.00
90.	कामधेनु इस्पात एल०टी०डी०	यू०एस०ए०	मेघल जतकिअ	मेन्युफैक्चर ऑफ सेमि फीनिश्ड आयरन एवं स्टील प्रॉडक्ट नेच	0.00
91.	एम/एस स्टील विनिमय इंडिया लिमिटेड	यू०एस०ए०	मिस वसंता सी नारायण ड एम०आर० रवि नारायण	आयरन और स्टील इन प्रिमर्य और फोर्म्स नेच	0.55
92.	सुजन मैटलप्रॉडक्ट लिमिटेड	यू०एस०ए०	अएनॅस कॅपिटल मॅनेजमेंट	एम०एफ०आर० ऑफ आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स	13.64
93.	सुजन मैटलप्रॉडक्ट लिमिटेड	यू०एस०ए०	ओर्प्पेहेइन्नेर एवं कं इंच	एम०एफ०आर० ऑफ आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स	13.02
94.	सेंचुरी एक्स्ट्रुसिओंस लिमिटेड	यू०एस०ए०	क्रिश्नसम्य मुरलिधरन	मेन्युफैक्चर ऑफ अन्य सेमि फीनिश्ड प्रॉडक्ट ऑफ ॲल्युमिनियम नेच	0.01
95.	एल०जी० गलकृष्णन एवं ब्रदर्स लिमिटेड	यू०एस०ए०	इन्टरनॅशनल फाइनेन्स कॉपोरेशन	आयन और स्टील इन पी०आर०आई०एम० ए०आर०वाय०/सेमि फीनिस्ड एफ०ओ०आर० एम०एस०	22.07
96.	एम/एस पेन्नर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	ब्रिटिश वरजिनिया	स्पिन्नकेर ग्लोबल ओप्पोर्तुनित्य फुंद लिमिटेड	चोल्द रोल्लेद सेमि फीनिस्ड आयरन और स्टील प्रॉडक्ट इन चोल्द रोलिंग एम०आई०एल० एल०एस०	28.26

1	2	3	4	5	6
97.	एम/एस पेन्नर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	ब्रिटिश वरजिनिया	स्पिन्नकेर ग्लोबल एमेर्गिंग फुंद एमकेटी. लिमिटेड	चोल्द रोल्लेद सेमि फीनिस्ड आयरन और स्टील प्रॉडक्ट इन चोल्द रोलिंग एम०आई०एल० एल०एस०	43.30
98.	एम/एस पेन्नर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	ब्रिटिश वरजिनिया	स्पिन्नकेर ग्लोबल स्त्रतेगिच	चोल्द रोल्लेद सेमि फीनिस्ड आयरन और स्टील प्रॉडक्ट इन चोल्द रोलिंग एम०आई०एल० एल०एस०	19.60
99.	इंडियन मैटल्स और फैरो अल्लोय्स लिमिटेड	लाइबेरिया	लितेच अक्तिएंगेसेल्ल्स्वफत	फैरो अलॉय	48.64
100.	चेल्स्पुन गुजरात स्तहल रोल्सेन ल्द	ब्रिटिश आइलैण्ड	आयरन और स्टील इन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	आयरन और स्टील एन प्रिमर्य फोर्म्स नेच	22.11
101.	थ्यस्सेंक्रूप्प इलेक्ट्रिकल स्टील इंडिया पी० लिमिटेड	शेयर का अधिग्रहण ऑफ शरे	थ्यस्सेंक्रू इलेक्ट्रिकल स्टील एबा	प्रॉडक्शन ऑफ स्टील प्रॉडक्ट	32.98

गोदामों के निर्माण हेतु सहायता

2865. श्री वृज किशोर त्रिपाठी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा गोदामों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार प्रदान की गई सहायता तथा इसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार कितने गोदामों का निर्माण किया गया था इससे क्षमता में कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के विशेष रूप से ग्रामीण, दुर्गम, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में सुगम वितरण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए दी गई राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2005-06 से सरकार, सिक्किम और जम्मू व कश्मीर सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के रूप में योजना स्कीम के तहत भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान राज्य सरकारों को रिलीज किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) अंतिम रूप प्रदान की गई समय अनुसूची के अनुसार निधियों के रिलीज करने के 18 माह के भीतर मिजोरम राज्य में चम्फई (3,000 टन) और सेरचिब (3,000 टन) के भंडारण गोदामों को पूरा किया जाना है। जहां तक जम्मू व कश्मीर में लेथपोरा (6,160 टन) का संबंध है निधियों के जारी होने की तारीख से 12 माह के भीतर इस गोदाम को पूरा किया जाने का कार्यक्रम है।

(घ) सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण, दूर-दराज, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों के सुचारू प्रवाह हेतु निम्नलिखित कदम उठाये हैं–

(i) द्वार पर सुपुर्दगी करना तथा उचित दर दुकान स्तर तक खाद्यान्नों के संचलन पर निगरानी रखना।

(ii) त्वरित सूचना प्रवाह/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण।

(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में थोक विक्रेताओं/मध्यस्थों की सहभागिता को सुप्रवाही बनाना।

(iv) भारतीय खाद्य निगम की निधियां अंतरित करने के लिए इलेक्ट्रानिक अंतरण को लागू करना।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय अन्न योजना की सूची की समीक्षा करना।

(vi) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों/वाहनों के आगे के शीशे पर तथा पीछे की ओर बैनर/बोर्ड प्रदर्शित करना जिनमें राज्य सरकार, गंतव्य, जिन्स और एजेंट के नाम के ब्यौरे दिए जाएं।

(v) कठिन एवं दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों वाले प्रमुख पहाड़ी राज्यों में प्रमुख वितरण केन्द्रों पर गोदाम खोलना और पहाड़ी ढुलाई राजसहायता योजना के तहत वास्तविक आधार पर खाद्यान्नों की ढुलाई की लागत की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रतिपूर्ति करना।

विवरण-I

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सहायता का ब्यौरा

2004-05

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	जारी की गई राशि (रुपए में)	उद्देश्य
1	2	3	4
1.	बिहार	4,50,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
2.	गुजरात	45,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
3.	मिजोरम	10,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम (शेष राशि)
4.	पश्चिम बंगाल	45,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
5.	पश्चिम बंगाल	5,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम (शेष राशि)
6.	पश्चिम बंगाल	5,849	सेमिनार (शेष राशि)
	जोड़	5,60,849	

2005-06

1.	राजस्थान	36,000	कंप्यूटर की खरीद
2.	राजस्थान	38,250	प्रशिक्षण कार्यक्रम
3.	आन्ध्र प्रदेश	90,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
4.	महाराष्ट्र	1,20,000	सम्मेलन
5.	हिमाचल प्रदेश	1,20,000	सम्मेलन
6.	मिजोरम	1,80,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
7.	हरियाणा	1,35,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
8.	नागालैण्ड	1,35,000	कंप्यूटर की खरीद
9.	केरल	1,20,000	सम्मेलन
10.	पंजाब	44,500	प्रशिक्षण कार्यक्रम
11.	आंध्र प्रदेश	4,50,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
12.	पश्चिम बंगाल	1,35,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
13.	नागालैंड	27,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम,
14.	सिक्किम	1,80,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम

1	2	3	4
15.	पश्चिम बंगाल	5,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम (शेष राशि)
16.	मिजोरम	20,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम (शेष राशि)
17.	तमिलनाडु	11,50,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
18.	गुजरात	11,25,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
19.	बिहार	50,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षण कार्यक्रम)
20.	पश्चिम बंगाल	1,68,000	कोलकाता में क्षेत्रीय सम्मेलन
21.	असम	1,68,000	गुवाहाटी में क्षेत्रीय सम्मेलन
22.	महाराष्ट्र	30,000	क्षेत्रीय सम्मेलन (शेष राशि)
23.	हिमाचल प्रदेश	30,000	क्षेत्रीय सम्मेलन (शेष राशि)
24.	असम	42,000	क्षेत्रीय सम्मेलन (शेष राशि)
	जोड़	45,98,750	

2006-07 (28.02.2007 तक)

1	2	3	4
1.	गुजरात	6,512	कंम्पयूर की खरीद (शेष राशि)
2.	केरल	30,000	क्षेत्रीय सम्मेलन (शेष राशि)
3.	त्रिपुरा	4,50,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
4.	मिजोरम	3,60,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
5.	छत्तीसगढ़	9,82,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
6.	पश्चिम बंगाल	11,820	प्रशिक्षण कार्यक्रम (शेष राशि)
7.	हरियाणा	9,55,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम
8.	गुजरात	2,70,000	एक सेमिनार
	जोड़	30,65,332	

विवरण-II

प्लान स्कीम के तहत भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा

2004-05

राज्य	केन्द्र	क्षमता (टन में)	कुल अनुमानित लागत	जारी की गई राशि करोड़ रु० में
मिजोरम	चम्पफाई	3,000	1.74	0.58
	सरछिप	3,000	1.74	0.26

2006-07 (15 मार्च, 2007 तक)

जम्मू व कश्मीर	लेथपोरा	6160	3.41	1.12

कृषि नवीकरण योजना

2866. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र, जो 115 मिलियन परिवारों को रोजी रोटी देता है, कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि नवीकरण योजना हेतु एक रणनीति प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत कितनी सफलता दर्ज की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) देश में कृषि क्षेत्र में 9 वीं और 10 वीं योजना के दौरान विकास में मन्दी आई है जो लगभग 2% प्रति वर्ष रही है। इस क्षेत्र द्वारा सामना की गई प्रमुख चुनौतियों में स्थिर उत्पादकता, निम्न निवेश, गिरती हुई लाभप्रदता और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी शामिल है। कृषि क्षेत्र में साम्यता के साथ सतत वृद्धि प्राप्त करने के लिए वर्ष 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति वर्ष 2000 में प्रतिपादित की गई थी। सरकार ने कृषि क्षेत्र और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कई पहलों की शुरूआत की है। इसके साथ-साथ इनमें वर्ष, 2004 में एक ऋण नीति की घोषणा शामिल है, जिसमें तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र और कृषि के लिए ऋण प्रवाह को दुगुना करना शामिल है। खरीफ 2006-07 से किसानों को 7% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक के फसल ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। सरकार ने सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के लिए पैकेज भी घोषित किया है। कृषि के विविधीकरण के लिए मुख्य प्रयास की शुरूआत की है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन को अनुसंधान, कटाई पश्चात प्रबन्धन, प्रसंस्करण और विपणन को कवर करते हुए अग्र एवं पश्च सम्पर्कों के साथ आद्योपांत दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2005 से आरम्भ किया गया है। बागवानी विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है। सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य पहलों में शामिल हैं– सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करना, पनधारा विकास और वर्षाजल एकत्रण के साथ उन्नत जल प्रबंधन करना और राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना करना।

उद्वह सिंचाई परियोजना

2867. श्री जी०एम० सिद्दीश्वर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेन्नागिरि तालुक तथा थारीकेरे तालुक उद्वह सिंचाई परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसमें शामिल अनुमानित लागत के साथ-साथ इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि इसने चन्नागिरि तालुक और तारीकेरे तालुक के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली उन्नानी अमृतापुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम प्रारम्भ की है।

(ख) इस परियोजना को 3 चरणों में शुरू किये जाने का प्रस्ताव है। 27.80 करोड़ रुपए के प्रथम चरण के कार्य राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 55.81 करोड़ रुपए के दूसरे और तीसरे चरण के कार्यों के लिए निविदाओं पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत 92.50 करोड़ रुपए है और राज्य सरकार द्वारा इसे 2009-10 के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

कर्नाटक पशुधन विकास एजेंसी

2868. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यान्वयन हेतु कर्नाटक पशुपालन विकास एजेंसी की लघु योजना का प्रस्ताव 2094.40 लाख रुपए तथा 453.08 लाख रुपए की पुनर्वैधीकरण का प्रस्ताव कर्नाटक सरकार द्वारा 30 अक्तूबर, 2006 को प्रस्तुत किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासनिक अनुमोदन तथा अनुदान का जारी किया जाना सभी बाकी है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) :

(क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना को अक्टूबर, 2000 से देश भर में क्रियान्वित किया जा रहा है तथा कर्नाटक राज्य वर्ष 2003-04 से इस योजना में भाग ले रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेंसी (कर्नाटक पशुधन विकास एजेंसी) को अब तक आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज के तहत 903.04 लाख रुपए सहित 2669.53 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की जा चुकी है। योजना के अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को जारी निधियों के लिए पुनर्वेधीरकरण की आवश्यकता नहीं है। राज्य को 453.08 लाख रुपए के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र देना है तथा उसके बाद, आवश्यक उपयोगिता प्रमाणपत्र, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तथा 2005-06 के दौरान जारी निधियों को लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के बाद इस परियोजना के तहत निधियों को जारी किया जाएगा।

अलापुज्जा में आकाशवाणी स्टेशन

2864. डा० के०एस० मनोज : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलापुज्जा में आकाशवाणी केन्द्र उच्च बारंबारता के प्रसारण योग्य है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस केन्द्र का उन्नयन करके स्वतंत्र कार्यक्रम बनाने वाला केन्द्र बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अलापुज्जा में कोई एफ०एम० स्टेशन शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) अलापुज्जा में 200 कि०वा० का मीडियम वेव उच्च शक्ति ट्रांसमीटर दिनांक 15.04.1999 से कार्यशील है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित वेतनमान का क्रियान्वयन

2870. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई०एस०आई०सी०) में बीमा निरीक्षण तथा प्रबंधक ग्रेड ए के वेतनमान में आज तक संशोधन नहीं किया गया है जबकि अन्य विभागों में कार्यरत इनके समकक्षों का वेतनमान पांच वर्ष पूर्व ही संशोधित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या ई०एस०आई०सी० ने इस उद्देश्य के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा किए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ई०एस०आई०सी० तथा निगम के अध्यक्ष ने आठ माह पूर्व संशोधित वेतनमान के क्रियान्वयन का आदेश दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक इसे क्रियान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर पीठ के ओ०ए० संख्या 477/95 में आदेश के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने श्री एस० सत्यम की अध्यक्षता में एक वेतन समिति का गठन किया था। वेतन समिति की रिपोर्ट पर मंत्रालय में विचार किया गया था और सरकार ने अखिल भारतीय अधिकारी परिसंघ और साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श के बाद बीमा निरीक्षण/प्रबंधन ग्रेड-II के संवर्ग में वेतनमान के संशोधन के लिए अखिल भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिकारी परिसंघ के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए 28.10.2004 को एक स्पीकिंग आदेश जारी किया था।

(घ) और (ङ) अखिल भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिकारी परिसंघ द्वारा पुन: तर्क रखे जाने पर कि 21.4.2004 से केन्द्रीय उत्पाद/आयकर के निरीक्षकों के वेतनमान के ऊपर की ओर संशोधन के फैक्टम पर सरकार द्वारा पहले विचार नहीं किया गया था, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 23.12.2006 को आयोजित बैठक में यह मामला कर्मचारी राज्य बीमा निगम के समक्ष रखा था। कर्मचारी

राज्य बीमा निगम ने पुनर्विचार हेतु सरकार के समक्ष नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

एशिया के शेरों के लिए वैकल्पिक आवास

2871. श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के गिर वन के एशियाई शेरों के लिए मध्य प्रदेश के कुनोपालपुर अभ्यारण्य की उनके वैकल्पिक आवास के रूप में पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ शेरों को वैकल्पिक पर्यावास में स्थानान्तरित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार उन्हें पुन: बसाने के अब तक क्या परिणाम रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने 1993-94 में विभिन्न सुरक्षित क्षेत्रों और गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का सर्वेक्षण किया और अन्तत: मध्य प्रदेश के मौरैना जिले में कूनो पालपुर अभ्यारण्य की एशियाई शेर के वैकल्पिक आवास की स्थापना करने हेतु अत्यधिक उपयुक्त स्थल के रूप में सिफारिश की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा योजना

2872. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से भारत तथा कनाडा के बीच समझौते के अनुसरण में तैयार की गई भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में जल संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने तथा जल उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है; और

(ग) इसे कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) भारत-कनाडा पर्यावरण सुविधा (आई०सी०ई०एफ०) ने मध्य प्रदेश सरकार से पांच वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किए जाने के लिए 1141.0 लाख रु० का "मध्य प्रदेश में जल उपयोक्ताओं द्वारा सिंचाई प्रणालियों की सहभागिता बहाली और प्रबंधन" नामक एक परियोजना प्रस्ताव वर्ष 2002 में प्राप्त किया है।

(ख) इस प्रस्ताव को भारत-कनाड़ा पर्यावरण सुविधा से 1141.0 लाख रु० के अनुदान और मध्य प्रदेश सरकार से 196.3 लाख रु० के योगदान और लाभान्वित होने वाले समुदायों से 196.3 लाख रु. के योगदान के साथ 1.12.2002 से 31.5.2007 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के सहभागिता सिंचाई प्रबंधन अधिनियम के तहत सिंचाई विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चार गैर सकरारी संगठनों और संबंधित जल उपभोक्ता संघों (डब्ल्यू०यू०ए०) के सहयोग से सात जिलों में सात परियोजना स्थलों (विदिशा, राजगढ़, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, बारवानी और खारगोल) में क्षतिग्रस्त सिंचाई डीचें को पुन:बहाल करना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अमेरिकी सोयाबीन का उत्पादन

2873. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार देश में अमेरिकी सोयाबीन का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में अमेरिकी सोयाबीन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उसकी खरीफ मूल्य को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या देश में सोयाबीन के उत्पादन में वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य तेलों के आयात में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी कमी दर्ज की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सोयाबीन की विशिष्ट किस्मों के उत्पादन आकलन का उल्लेख नहीं किया जाता है। देश में 2003-04 से 2005-06 तक सोयाबीन का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार प्रत्येक वर्ष कृषि मूल्य तथा लागत आयोग की सिफारिशों के आधार पर सोयाबीन (काली) तथा सोयाबीन (पीली) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) तय करती है। सोयाबीन (पीली) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) 2004-05 में 1000 रुपए प्रति क्विंटल से 2005-06 में 1010 रुपए प्रति क्विंटल तथा पुन: 2006-07 में 1020 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया। सोयाबीन(काली) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) 2003-04 में 840 रुपए प्रति क्विंटल से 2004-05 में 900 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया। यह 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा।

(घ) और (ङ) सोयाबीन का उत्पादन 2003-04 में 78.18 लाख टन से घटकर 2004-05 में 68.77 लाख टन हो गया। तथापि यह 2005-06 में बढ़कर 82.74 लाख टन हो गया। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय (डी०जी०सी०आई०एस०) के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार खाद्य तेलों का आयात 2003-04 में 52.90 लाख टन से घटकर 2004-05 में 47.51 लाख टन तथा पुन: 2005-06 में 41.75 लाख टन हो गया।

विवरण

राज्य	उत्पादन ('000 टन)		
	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	107.3	120.5	191.0
अरूणाचल प्रदेश	4.7	4.3	3.6
छत्तीसगढ़	18.4	33.8	36.8
गुजरात	10.0	15.0	29.0
हिमाचल प्रदेश	1.0	1.0	0.8
कर्नाटक	45.3	96.0	71.0
मध्य प्रदेश	4652.6	3747.1	4500.7
महाराष्ट्र	2219.0	1892.0	2527.0
मेघालय	1.0	0.9	1.0
मिजोरम	2.0	1.6	2.7
नागालैण्ड	36.0	48.0	32.0
राजस्थान	691.4	886.5	856.3
सिक्किम	3.2	3.3	3.3
उत्तर प्रदेश	6.0	3.0	3.0
उत्तरांचल	21.0	23.0	15.0
पश्चिम बंगाल	0.0	0.3	0.3
समस्त भारत	7818.9	6876.3	8273.5

भेषज हेतु स्वायत्त निकाय

2874. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भेषज के लिए एक केन्द्रीय लाइसेंसिंग स्वायत्त निकाय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह मामला इस समय किस चरण में है; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) से (घ) जीवन रक्षक औषधियों को वाजिब मूल्य पर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूल्य नियंत्रण के आलवा अन्य विकल्पों को ढूढने के लिए डा० प्रणव, सेन, प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स ने अन्य बातो के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि अंतत: में औषध विनियामक एवं मूल्य नियंत्रण दोनों का कार्य एक ही एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए और एक समेकित विनियामक प्रणाली होनी चाहिए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय औषध नीति 2006 के प्रारूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्तमान में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी०डी०एस०सी०ओ०) के स्थान पर एक स्वतंत्र व स्वायत्तशासी केन्द्रीय औषध प्राधिकरण के गठन के लिए तत्काल कदम उठाया जाएगा। यह प्रस्ताव भी है कि अंतत: राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन०पी०पी०ए०) एवं केन्द्रीय औषध प्राधिकरण के विलय के प्रस्ताव की जांच की जाएगी जिससे कि राष्ट्रीय औषध एवं नैदानिक प्राधिकरण (एन०एस०डी०टी०) का गठन हो, जो कि देश में समेकित विनियामक प्राधिकरण होगा।

इस नीति को मंत्रिमंडल से समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने 11.1.2007 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया और मामले को मंत्रियों के समूह (जी०ओ०एम०) को संदर्भित कर दिया। अब जी०ओ०एम० का गठन हो गया है।

केरल में कृषिजन्य संकट

2875. डा० के०एस० मनोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कृषिजन्य संकट की जांच करने तथा राज्य के अलापुज्जा तथा इडुक्की जिलों के लिए विशेष पैकेज तैयार करने हेतु डा० एम०एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके निदेश पद क्या है तथा समिति को अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कितनी समय-सीमा की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या समिति से सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मछुआरों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए भी कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कुट्टसनाड नम भूमि परिस्थितिकी प्रणाली के सतत विकास से संबंधित अध्ययन कार्य एम०एस० स्वामीनाथन अनुसंधान फाउन्डेशन को सौंपा गया है। एम०एस०एस०आर०एफ० को निम्नलिखित के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें देने की सलाह दी गई है:–

(1) कुट्टानाड नभभूमि परिस्थितिकी प्रणाली की पारिस्थितकीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के उपाय।

(2) क्षेत्र के लोगों के लिए सतत जीविका के अवसरों के लिए उपाय।

इस फाउन्डेशन ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 13.2.2007 को प्रस्तुत कर दी है और अन्तिम रिपोर्ट जून, 2007 के अन्त तक मिलने की संभावना है। एम०एस०एस०आर०एफ० से इडुक्की जिले को उक्त अध्ययन में शामिल करने के लिए इसके क्षेत्र का विस्तार करने की भी सलाह दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चौबीस घंटे टी०वी० चैनल

2876. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की योजना पूरे देश में मौसम के पूर्वानुमान प्रसारित करने हेतु एक चौबीस घंटे टेलीविजन चैनल शुरू करने की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या पद्धतियां अपनाई गई हैं; और

(ग) अब तक इसमें हुई प्रगति सहित यह मामला किस चरण में है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन का पूरे देश में मौसम का पूर्वानुमान प्रसारित करने हेतु एक 24-घंटे का टेलीविजन चैनल शुरू करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जनजातीय गांवों के विकास हेतु परियोजना प्रस्ताव

2877. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत-जर्मन द्विपक्षीय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 827 जनजातीय गांवों का समेकित विकास करने हेतु गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग के माध्यम से गरीबी उपशमन के लिए एक समेकित परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान सहायता

2878. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों को अनुमोदित श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) जी, हां।

(ख) पात्र मामलों में, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2004-05, 2005-06 के दौरान उपलब्ध करायी गयी सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सहायता राज्य-वार नहीं दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2004-05

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/ शैक्षिक संस्थाओं के नाम	जारी किए गए अनुदान
1	2	3
1.	मीडिया अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	0.99
2.	मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली	1.25
3.	विकास पहल, उड़ीसा	0.59
4.	विकास प्रबंधन विजन फाऊंडेशन, नई दिल्ली	1.70
5.	भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	1.00
6.	अनुसंधान कार्य एवं प्रशिक्षण केन्द्र (क्रिएट), नई दिल्ली	0.91
7.	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी, नई दिल्ली	1.00
8.	उद्यम संबंधी शिक्षा एवं विकास हेतु एशियन सोसाइटी (ए०एस०ई०ई०डी०), नई दिल्ली	1.00

1	2	3
9.	औद्योगिक संबंध और मानव संसाधन श्री राम केन्द्र, नई दिल्ली	1.00
10.	श्रम अध्ययन तमिलनाडु संस्थान, चेन्नई	1.13
11.	दीप शिखा सेवा समिति, मेरठ (उ०प्र०)	1.00
12.	मानव विकास संस्थान, नई दिल्ली	1.50
13.	श्रम आर्थिक अनुसंधान एवं विकास न्यास, इंडियन सोसाइटी, नई दिल्ली	1.25
14.	सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक विकास सोसाइटी, नई दिल्ली	1.00
15.	मुखर्जी नॉलेज वेयर एसोसिएशन, मुंबई	0.52
16.	मानवाधिकार सामाजिक मंच, नई दिल्ली	1.12
	कुल	16.96

2005-06

1.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र	0.46
2.	दीप शिक्षा सेवा समिति, मेरठ (उ०प्र०)	1.00
3.	राष्ट्रीय अकादमी सामाजिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, नई दिल्ली	2.00
4.	सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक विकास सोसाइटी, नई दिल्ली	1.00
5.	मानवाधिकार सामाजिक मंच, नई दिल्ली	1.12
6.	अनुसंधान विकास केन्द्र, नई दिल्ली	1.98
7.	भारतीय परिवर्धन संस्था, नई दिल्ली	1.00
8.	प्रौद्योगिकी एवं विकास केन्द्र थिरूवनन्तपुरम, केरल	0.83
	कुल	9.39

1	2	3
	2005-06	
1.	सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक विकास सोसाइटी, नई दिल्ली	0.98
2.	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी, नई दिल्ली	1.00
3.	भारतीय परिवर्धन संस्था, नई दिल्ली	1.00
4.	सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक विकास सोसाइटी, नई दिल्ली	1.00
5.	नोबल सामाजिक एवं शैक्षिक सोसाइटी, तिरूपति (आंध्र प्रदेश)	1.00
		4.98 (जनवरी, 2007 तक)

सड़कों के निर्माण वन भूमि

2879. श्री वृज किशोर त्रिपाठी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीन तथा नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क के निर्माण कार्य हेतु गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क तथा असकोट प्राणी अभ्यारण्य की आरक्षित वन भूमि के कुछ भाग को जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना से संभावित रूप से प्रभावित वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने अपनी 12.7.2002 को आयोजित बैठक में उत्तरांचल में 'असकोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य' से कु 106.506 हेक्टेयर भूमि का पथान्तरण वन्यजीवों और इसके आश्रय स्थलों की सुरक्षा के लिए आठ पूर्व शर्तों के अनुपालन

करने के अध्यधीन सिफारिश की थी। पूर्व शर्तों में भूमि कटाव को कम करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग, सड़क के दोनों तरफ ढलानों को स्थापित करना, ट्रप्स और मानसरोवर तीर्थ यात्रियों की आवाजाही के लिए रोड का इस्तेमाल, और सड़क विनिर्माण आदि के बाद वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए विशेष स्टाफ लगाना शामिल है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल के संबंध में मंत्रालय में कोई भी प्रस्ताव भूमि के पथान्तरण के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र में कपास की खरीद

2880. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव कॉटन ग्रोअर्स मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को केन्द्र सरकार से कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं हो रही है जबकि यह कच्चे कपास की खरीद करता है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (म०एस०पी०) बनाए रखने में सरकार की मदद करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कपास की खरीद के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव कॉटन ग्रोउर्स मार्केटिंग लिमिटेड को एक एजेंट के रूप में अधिसूचित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी हां, भारत सरकार महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लि० को कपास के उत्पादन के लिए कोई भी सबसीडी नहीं दे रही है।

(ख) भारत सरकार केन्द्रीय एजेन्सियों को केवल उसी घाटे की प्रतिपूर्ति करती है जो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) के अंतर्गत कच्चे कपास की खरीद में होती है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लि० (एम०एस०सी०सी०जी०एम०एफ०) को कपास की खरीद के लिए एक एजेन्ट के रूप में घोषित करे। अब तक इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पायी है।

[हिन्दी]

ठेका कृषि

2881. **श्री शिशुपाल एन० पटले :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
श्री बालशेवर यादव :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री मो० ताहिर :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी कंपनियों/बडे औद्योगिक घराने किसानों की भूमि को पट्टे पर लेकर तथा खाद्यान्नों सहित कृषि उत्पाद की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान के द्वारा ठेका कृषि करवा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कंपनियों के नाम क्या है;

(ग) क्य ठेका कृषि के लिए ऐसी कंपनियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा कोई ऋण दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसी ठेका कृषि से देश में खाद्यान्नों सहित विभिन्न कृषि उत्पादों की कमी होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे क्रियाकलापों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार के लिए योजना

2882. श्री गिरिधारी यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार के विभिन्न शहरों में 'एनवॉयरमैंटल रिजनरेशन' के लिए बिहार सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने के बावजूद भी कतिपय परियोजनाओं पर कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं जहां पर कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) बिहार राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को अब तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार शहरी क्षेत्र पर पौधरोपण स्कीमों को अपने स्वयं के संसाधनों से क्रियान्वित कर रही है जिसका पर्यावरणीय रिजनरेशन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसंधान की आउटसोर्सिंग

2883. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान ठेके दिए गए हैं और इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इन अनुसंधान ठेकों के विषयों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) इस्पात मंत्रालय अनुसंधान ठेके नहीं देता है। तथापि, सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में कार्य कर रही अधिकार प्राप्त समिति (ई०सी०), जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी०एस०टी०), विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी०एस०आई०आर०), राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, प्रमुख इस्पात उत्पादकों के प्रतिनिधि तथा इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं, के अनुदान से इस्पात संयंत्रों, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अकादमिक संस्थानों आदि द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए इस्पात विकास निधि (एस०डी०एफ०) से वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान प्रस्तावों का संगठन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस्पात संयंत्र, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, अकादमिक संस्थान आदि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी-अपनी अनुसंधान परियोजनाएं तैयार करते हैं। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन, मूल्यांकन-समूह (ई०जी०), जिसमें औद्योगिक सलाहकार, इस्पात मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी०एस०टी०), विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी०एस०आई०आर०) के प्रतिनिधि शामिल हैं, द्वारा दिया जाता है। अब भी आवश्यकता होती है, मूल्यांकन समूह द्वारा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी परामर्श किया जाता है। मूल्यांकन समूह की सिफारिशें अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखी जाती हैं, जो इस्पात विकास निधि से वित्तीय सहायता अनुमोदित और मंजूर करने से पूर्व पुराने प्रस्तावों के संबंध में पुन: विचार-विमर्श करती है। अधिक मूल्य (1.00 करोड़ रुपए से अधिक) की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, विशेष रूप से गठित विशेषज्ञों के अधिकार प्राप्त बोर्ड द्वारा की जाती है, जो परियोजना में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में भी निर्णय लेने में सहायता करता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2003-04 से 2005-06) के दौरान अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान प्रस्तावों का संगठन-वार ब्यौरा

संगठन का नाम	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	पूरे हुए प्रस्तावों की संख्या	चल रहे प्रस्तावों की संख्या	रोके गए प्रस्तावों की संख्या
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सैकेण्ड्री स्टील टैक्नोलॉजी और ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन	1	1	–	–
टाटा मैटालिक्स लि०	1	–	–	1
आर०डी०सी०आई०एस०, सेल, रांची	2	–	2	–
एन०एम०एल०, जमशेदपुर	2	–	2	–
जादवपुर विश्वविद्यालय	1	–	1	–
सैण्ट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट	1	–	1	–
बाप्पा रे प्रोडक्शन	1	–	1	–
मेकॉन लि०	4	–	3	1
इस्पात अनुसंधान एवं विकास	1	–	1	–
कल्याणी कारपेंटर स्पेशल स्टील लि०	2	–	2	–
आर०डी०सी०आई०एस०, सेल व आई०आई०टी० कानपुर	1	–	1	–

नदी घाटी परियोजना

2894. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के सतारा जिले के उस पनधारा (वाटरशेड) का क्या नाम है जिसमें नदी घाटी परियोजना को मंजूरी दी गई है;

(ख) प्रत्येक पनधारा (वाटरशेड) परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इसमें कितना क्षेत्र कवर किया जाएगा तथा ये कार्य कितनी अवधि तक पूरे किये जायेंगे;

(ग) क्या धनराशि की अनुपलब्धता के कारण नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाला कार्य प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) महाराष्ट्र के सतारा जिले में कृष्णा बेसिन में तराली नदी पर स्थित 19.498 हजार हेक्टे० क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली तराली सिंचाई परियोजना जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। सिंचाई राज्य का विषय है और

परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और वित्तपोषण तथा निष्पादन की प्राथमिकता निर्धारण राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। भारत सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के तहत सहायता, ए०आई०बी०पी० के समय-समय पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा ए०आई०बी०पी० के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मुहैया कराई जाती है। ए०आई०बी०पी० में किसी परियोजना को शामिल करने की प्रमुख शर्तों में से एक यह है कि यह परियोजना को योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा तराली परियोजना के संबंध में योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त करना अभी शेष है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन में स्थानांतरण नीति

2885. डा० टोकचोम मैन्या : क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तैनात आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी/कर्मचारी लंबे समय तक दिल्ली में ही तैनात रहते हैं जबकि देश के अन्य भागों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित रूप से स्थानांतरित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सभी अधिकारियों हेतु एक समान स्थानांतरण नीति बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन में अधिकारियों/कर्मचारियों के तदर्थ आधार पर पदोन्नतियां दी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक नियमित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली और देश के अन्य भागों में कर्मचारियों का स्थानांतरण करने में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है। स्थानांतरण संबंधी नीतिगत दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, जहां तक संभव हो, निष्पक्षता से किया जाता है और ये लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं के अध्यधीन हैं। एक स्टेशन पर अपनी कार्यावधि पूरी करने वाले सभी अधिकारियों/पदाधिकारियों को समय-समय पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। दिल्ली और देश के अन्य भागों में ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो कार्य की अत्यावश्यकताओं और पारिवारिक/चिकित्सा कारणों की वजह से अपनी तैनाती-स्थल पर बने हुए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) न्यायालय में जारी मामलों, सतर्कता संबंधी मामलों, प्रशासनिक बाध्यताओं, फीडर श्रेणी में वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप न दिए जाने आदि जैसे कारणों की वजह से विभिन्न श्रेणियों में तदर्थ आधार पर पदोन्नतियां की गई हैं। इस समय कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं का जा सकती है।

वन्यजीवों की संख्या

2886. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री एस०के० खारवेनचन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार वन्य जीवों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफैंट के विकास हेतु बाह्य एजेंसियों से धनराशि प्राप्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मधुमलाई अभ्यारण्य को बाघ संरक्षण केन्द्र के रूप में घोषित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) राज्यों द्वारा यथासूचित पिछले आकलनों से संबंधित कुछ मुख्य वन्यजीवों के राज्यवार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों और बाघ परियोजना की संचालन समिति की 23.1.2003 को हुई 137 वीं बैठक की सिफारिशों के आधार पर मुदुमलय वन्यजीव अभयरण्य (तमिलनाडु) को बाघ रिजर्व के रूप में घोषित करने को "सिद्धांत रूप से" मंजूरी प्रदान कर दी है।

विवरण

राज्यों द्वारा यथासूचित कुछ मुख्य वन्यजीवों की जनसंख्या आकलन

क्र० सं०	राज्य का नाम	बाघ 2001-02**	चीता 2001-01	एशियाई शेर 2001	हाथी* 2002
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	192	505	शून्य	74
2.	अरुणाचल प्रदेश	61	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	1067
3.	असम	354	248	शून्य	5246
4.	बिहार/झारखंड	110	164	शून्य	772
5.	गोवा/दमन व द्वीव	5	41	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	999	327	शून्य
7.	हरियाणा	शून्य	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	शून्य
9.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	7	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	401	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	5838
11.	केरल	71	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	3850
12.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	937	2206	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	238	513	शून्य	शून्य
14.	मणिपुर	शून्य	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	12
15.	मेघालय	47	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	1868
16.	मिजोरम	28	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	33
17.	नागालैण्ड	23	42	शून्य	145
18.	उड़ीसा	173	457	शून्य	1841
19.	राजस्थान	58	481	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
20.	सिक्किम	शून्य	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	शून्य
21.	तमिलनाडु	60	41	शून्य	3052
22.	त्रिपुरा	शून्य	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	40
23.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	535	2168	शून्य	1667
24.	पश्चिम बंगाल	349	331	शून्य	328
25.	दादर नगर हवेली	शून्य	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	शून्य
26.	अण्डमान एवं निकोबार	शून्य	प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	40
	कुल	3642	8203	327	26413

*हाथी की संख्या को दिसम्बर, 2003 में हाथी परियोजना की संचालन समिति द्वारा अपनाया गया है।

**सकंलन/पुनरीक्षा की जा रही है

एन०आर० = प्राप्त नहीं हुआ

[हिन्दी]

बी०पी०एल० सूची का संशोधन

2887. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों विशेषकर बिहार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी०पी०एल०) परिवारों की संशोधन सूची सरकार को भेजी है ताकि बी०पी०एल० परिवारों को वितरण हेतु आबंटित किये जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा में वृद्धि की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कई राज्यों में बी०पी०एल० परिवारों की सूची में कोई विसंगति पाई गई है जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अंत्योदय अन्न योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी०डी०पी०एस०) के अंतर्गत लाभ लेने से वंचित हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी विसंगतियों को दूर करने तथा प्रो० लाकड़ावाला समिति की सिफारिशों के आधार पर टी०पी०डी०एस० के अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ) बिहार और कुछ अन्य राज्य सरकारों से उनके द्वारा जारी किए गए या जारी करने के लिए प्रस्तावित कार्डों (गरीबी रेखा से नीचे) के आधार पर खाद्यान्नों के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। योजना आयोग के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है। फिलहाल विभाग मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार जनगणना महापंजीयक के आबादी अनुमानों पर वर्ष 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों का अनुसरण कर रहा है जिसमें 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (2.50 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर करने का लक्ष्य है। इस मामले को योजना

आयोग के साथ उठाया गया था जिनहोंने निम्नलितखत विचार व्यक्त किए हैं–

''लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रयोजनार्थ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या के पुनर्निर्धारण में न केवल आबादी में वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है बल्कि निर्धनता के आंकड़ों में होने वाले परिवर्तन को भी ध्यान में रखा जाता है। यदि एक मानदंड को परिवर्तित कर दिया जाए और दूसरे में परिवर्तन न किया जाए तो इससे गलत परिणाम निकलेंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 55वें चक्र (1999- 2000) के अनुसार निध्नता के मामलों में तेजी से कमी आई है और यह 1993-94 के 36% की तुलना में 26% रह गई है। इन परिस्थितियों में इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती हे कि इस अवस्था में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक खाद्य और पोषण सुरक्षा संबंधी कार्य दल की सिफारिश का संबंध है वर्ष 2000 में संशोधन कर 10% की ग्रेस मार्जिन का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लिया गया है। इसके अलावा कार्य दल ने यह भी सिफारिश की है कि संख्या में अगले पांच वर्षों तक कोई परिवर्तन न किया जाए।''

[अनुवाद]

पगलादिया परियोजना

2888. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम स्थित पगलादिया परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसकी मूल स्वीकृत लागत कितनी है एवं अभी तक कितनी निधियां जारी की गई हैं;

(ख) परियोजना को कार्यान्वित करने में विलंब के क्या कारण हैं तथा अभी तक कितनी लागत वृद्धि हुई है;

(ग) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) उक्त परियोजना में असम राज्य सरकार द्वारा अभी तक कितना अंशदान किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्र प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पगलादिया बांध परियोजना के लिए निविदा ड्राइंग तथा दस्तावेज तैयार करने, कालोनी, संपर्क सड़कों आदि का निर्माण करने जैसे प्रारंभिक कार्य किए गए हैं। यह परियोजना, परियोजना प्रभावित लोगों (पी०ए०पी०) के एक वर्ग से विरोध के कारण रूक गई थी जिसमें असम सरकार द्वारा जीरत सर्वेक्षण किये जाने के आधार पर पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर० एंड आर०) को अंतिम रूप दिया जाता है। 1999 के मूल्य स्तर पर परियोजना की संस्वीकृत लागत 542.90 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड को 2000-01 से दिसंबर, 2006 तक 46.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। तथापि, परियोजना प्राधिकारियों ने उपयोग न हो पाने के कारण भारत सरकार को 14.00 करोड़ रुपये वापस कर दिए। इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब, जीरत सर्वेक्षण को पूरा न हो पाने तथा परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण हुआ। जनवरी, 2004 के मूल्य स्तर पर इस परियोजना का संशोधित लागत अनुमान 1069.40 करोड़ रुपये है। लागत अनुमान में वृद्धि मुख्यत: डिजाइन में परिवर्तन, वास्तविक शर्तों के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता तथा पिछले आकलन से मूल्य में वृद्धि के कारण है।

(ग) और (घ) जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जीरत सर्वेक्षण पूरा करने तथा परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस मामले पर असम सरकार के साथ कार्रवाई कर रहा है। असम सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी मंत्रिमंडल समिति बनाई थी। अब तक इस समिति की दो बैठकें हुई हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बी०टी०सी०) ने दिसंबर, 2006 में ब्रह्मपत्र बोर्ड को सूचित किया कि इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बी०टी०सी० को कोई आपत्ति नहीं है। असम सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए पहल की है तथा इस परियोजना के वास्ते नए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार करने के लिए सिविल प्रशासन को हाल ही में निर्देश दिए हैं।

एन०एम०डी०सी० द्वारा लौह-अयस्क का निकाला जाना

2889. **श्री इंसराज गं० अहीर** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन०एम० डी०सी०) ने लौह अयस्क को निकालने संबंधी दरों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्योगों पर ऐसी वृद्धि के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने एन०एम०डी०सी० को लौह-अयस्क निकालने संबंधी दरों में कमी करने के लिए कोई निदेश जारी किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर एन०एम०डी०सी० द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। इसके विपरीत, इस्पात संयंत्रों/स्पंज लोहा संयंत्रों की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए एन०एम०डी०सी० को निर्देश दिए गए हैं।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नस्लीय विज्ञापन

2890. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :**
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत-श्रीलंका क्रिकेट श्रृंखला के दौरान अपने खेलकूद चैनल पर नस्लीय विज्ञापन देने के संबंध में निजी प्रसारणकर्ता निम्बस कम्युनिकेशन के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जैसा कि 16 फरवरी, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। इन विज्ञापनों का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने दिनांक 14.2.2007 को मै० निम्बस कम्युनिकेशन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। चैनल ने अपने उत्तर में कहा कि यह अभियान, भारतीय परिस्थितियों में खलते समय विदेशी क्रिकेट टीम के अनुभव का एक रूपक है। तत्पश्चात, इस मामले को अन्तर मंत्रालयीय समिति को प्रस्तुत किया गया था जिसकी सिफारिशों को अब सक्षम प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

समेकित वन रोपण/पारिस्थितिकी विकास परियोजना

2891. **डा० एम० जगन्नाथ** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास परियोजना योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो योजना के उद्देश्यों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने राज्यों में यह योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक देश के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य रखे गए तथा कितनी उपलब्धि रही;

(ङ) ऐसे प्रत्येक राज्य के तटीय क्षेत्रों में जहां अब तक इस योजना को कार्यान्वित किया गया कुल कितनी संख्या में पेड़/पौधे उगाए गए; और

(च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना पर राज्य-वार कुल कितनी राशि मंजूर की गई, जारी की गई तथा खर्च की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (च) 1989-90 के दौरान शुरू की गई समेकित वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास परियोजना स्कीम (आई०ए०ई०पी०एस०) को दसवीं पंचवर्षीय योजना में जारी नहीं रखा जा रहा है। दसवीं योजना के दौरान, आई०ए०ई०पी०एस० और तीन अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, नामश: क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम (ए०ओ०एफ०एफ०पी०एस०), औषधीय पौधों सहित गैर इमारती वन उत्पादों का संरक्षण और विकास स्कीम (एन०टी०एफ०पी०एस०) और भोगाधिकार आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्भव में अनुसूचित

जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता (ए०एस०टी०आर०पी०एस०) को मिलाकर, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन०ए०पी०) शीर्षक से एक नई बृहप्रयोजय स्कीम तैयार की गई थी। ऊपर उल्लिखित, एन०ए०पी० को तैयार करने के परिणामस्वरूप, दसवीं योजना के दौरान आई०ए०ई०पी०एस० के अंतर्गत किसी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

मनोरंजन उद्योग के लिए निर्यात संवर्धन परिषद्

2892. **श्री मधु गौड यास्खी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनोरंजन उद्योग के लिए निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन व शर्तें क्या हैं; और

(ग) इससे मनोरंजन उद्योग को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वाणिज्य विभाग के दिशानिर्देशों के तहत फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र के लिए निर्यात सवंर्धन परिषद/फोरम की स्थापना करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए दिनांक 6 मार्च, 2006 को मनोरंजन उद्योग के पणधारियों से अनुरोध किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्यात संवर्धन परिषद/ निर्यात संवर्धन फोरम का गठन पिछले वर्ष में फिल्म उद्योग के निर्यात के कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम 50 प्रतिशत निर्यातकों द्वारा किया जाना है।. उद्योग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(ग) सरकार ने निर्यात का संवर्धन करने पर विशेष ध्यान दिया हुआ है। इस समय निर्यात पर दिए जा रहे बल के मद्देनजर और देश के निर्यात – व्यापार को बढ़ाने व इसमें विविधता उत्पन्न करने के लिए शुरू किए जा रहे विभिन्न उपायों को सुकर बनाने हेतु निर्यात संवर्धन परिषदों (ई०पी०सी०) के उत्पादों और उपयोगी वस्तुओं के निर्यात संबंधी क्रियाकलाप शुरू करने के लिए ई०पी०सी० की सहायता करने हेतु वाणिज्य विभाग के जरिए विपणन विकास सहायता (एम०डी०ए०) स्कीम कार्यशील है। भारत से अपने उत्पादों और उपयोगी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी क्रियाकलापों के विकास और सवंर्धन हेतु एम०डी०ए० की सहायता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त ई०पी०सी० पात्र हैं। इससे पूरे मनोरंजन उद्योग को लाभ मिलने की आशा है।

वन विकास अभिकरणों के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति

2893. **श्री मधुसूदन मिस्त्री :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान गुजरात सरकार ने विभिन्न वन विकास अभिकरणों (एफ०डी०ए०) के लिए परियोजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गुजरात सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान 21 वन विभाग एजेंसियों द्वारा पूरे किए जाने वाले एडवांस निर्माण कार्यों को मंजूरी देने के लिए प्रस्ताव दिया था। इन प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है और इस मंत्रालय द्वारा 583.85 लाख रु० की धनराशि जारी कर दी गई है।

एस०टी०पी० के लिए मानक

2894. **श्री चालासोचरी वल्लभनेनी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में काम कर रहे सीवेज उपचार संयंत्रों (एस०टी०पी०) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने एस०टी०पी० के लिए कोई मानक निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त में से कितने एस०टी०पी० मानकों को पूरा करते हैं; और

(घ) शेष एस०टी०पी० के मानकों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी०पी०सी०बी०, 2006) की रिपोर्ट के अनुसार देश में श्रेणी-I शहर, श्रेणी-II और अन्य छोटे नगरों में इस समय 231 सीवेज शोधन संयंत्र कार्य कर रहे हैं। सतही जल निकायों में निस्तारतण के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का अधिसूचित बहिस्राव मानक इस प्रकार है: जैव-आक्सीजन मांग 30 किलोग्राम प्रति लीटर और कुल निलंबित ठोस 100 मिली ग्राम प्रति लीटर और कुल निलंबित ठोस 100 मिलीग्राम प्रति लीटर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 115 सीवेज शोधन संयंत्र के लिए किए गए निष्पादन आकलन के आधार पर 70 सीवेज शोधन संयंत्र के सतही जल निस्तारण मानकों को प्राप्त करने की सूचना मिली है।

(घ) सीवेज शोधन संयंत्रों के निष्पादन में सुधार के उपायों में संयंत्रों का उचित प्रचालन और रखरखाव, राज्यों द्वारा पर्याप्त संसाधनों का संचालन और समर्पित विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता शामिल है।

वन्य जीव संरक्षण हेतु धनराशि

2895. श्री मणि चारेनामै : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संरक्षित वन क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में कुल वन क्षेत्रों में से संरक्षित क्षेत्रों का राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(ग) संरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) संरक्षित क्षेत्रों से बाहर वन्य जीवों के संरक्षण में वन्य जीव खंड (विंग) की क्या भूमिका है तथा संरक्षित क्षेत्रों से बाहर वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालाय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट (2003) के अनुसार विभिन्न राज्यों में संरक्षित वन क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल वन क्षेत्रों में से संरक्षित क्षेत्रों की प्रतिशतता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता तीन प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् 'राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के लिए दी जाती है। चालू वित्त वर्ष, अर्थात 2006-07 के दौरान इन स्कीमों के तहत 99.59 करोड़ की धनराशि रखी गई है। स्कीम वार निधियों का ब्रेक-अप नीचे दिया गया है:—

क्र० सं०	स्कीम का नाम	चिन्हित निधियां
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	53.50 करोड़ रुपये
2.	बाघ परियोजना	31.00 करोड़ रुपये
3.	हाथी परियोजना	15.09 करोड़ रुपये
	कुल	99.59 करोड़ रुपये

(घ) वन्य जीवों की सुरक्षा प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि संरक्षित क्षेत्र सामान्यतया वन्यजीव खंड (विंग) द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, तथापि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों को वन खंड (विंग) द्वारा रेखा जाता है। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधान संरक्षित क्षेत्रों में और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर, दोनों के लिए लागू हैं। आवश्यक तकनीकी निवेश, जहां कहीं आवश्यकता हो, राज्य वन्य जीव विंगों द्वारा अपने काउंटरपार्टों को, जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों का प्रबंध करते हैं, प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार भी राज्य सरकारों को वन्यजीव संरक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तथापि, संरक्षित क्षेत्रों से बाहर वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कोई निधियां चिन्हित नहीं की गई है।

विवरण-I

देश में संरक्षित वनों का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	संरक्षित वनों के तहत क्षेत्र (वर्ग किमी में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12365
2.	अरूणाचल प्रदेश	9536

1	2	3
3.	असम	0
4.	बिहार	5779
5.	छत्तीसगढ़	24,036
6.	गोवा	822
7.	गुजरात	395
8.	हरियाणा	1158
9.	हिमाचल प्रदेश	33043
10.	जम्मू और कश्मीर	17643
11.	झारखंड	19185
12.	कर्नाटक	3585
13.	केरल	170
14.	मध्य प्रदेश	35587
15.	महाराष्ट्र	8196
16.	मणिपुर	4171
17.	मेघालय	12
18.	मिजोरम	3568
19.	नागालैण्ड	508
20.	उड़ीसा	15525
21.	पंजाब	1137
22.	राजस्थान	17652
23.	सिक्किम	389
24.	तमिलनाडु	2183
25.	त्रिपुरा	664
26.	उत्तर प्रदेश	2425
27.	उत्तराखण्ड	10673
28.	पश्चिम बंगाल	3772
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4242
30.	चण्डीगढ़	0
31.	दादर एवं नगर हवेली	5
32.	लक्षद्वीप	0
33.	दमन एवं दयू	1
34.	दिल्ली	7

विवरण-II

उत्तर पूर्व भारत में कुल वन क्षेत्र में से कुल संरक्षित क्षेत्र का प्रतिशतता का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कुल वन क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र का प्रतिशत
1.	अरूणाचल प्रदेश	19.20
2.	असम	14.47
3.	मणिपुर	4.52
4.	मेघालय	3.18
5.	मिजोरम	5.93
6.	नागालैण्ड	2.57
7.	सिक्किम	37.27
8.	त्रिपुरा	9.59

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं

2896. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभ हेतु बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ये योजनाएं किन-किन क्षेत्रों तथा राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों के कल्याण के लिए एक विशेष योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसका उद्देश्य विशेष अध्यापन/प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावसायिक मार्गदर्शन/आजीविका परामर्श प्रदान कर उनकी रोजगारपरकता बढ़ाना है। यह योजना विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थित अ०जा०/अ०ज०जा० हेतु 22 अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) आवधिक रिपोर्टों/विवरणियों के माध्यम से योजना का नियमित प्रबोधन किया जाता है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्यों का नाम	क्षेत्र का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	असम	गुवाहाटी
3.	दिल्ली	दिल्ली
4.	गुजरात	सूरत
5.	हरियाणा	हिसार
6.	हिमाचल प्रदेश	मण्डी
7.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू
8.	झारखंड	रांची
9.	कर्नाटक	बंगलौर
10.	केरल	तिरुवनंतपुरम
11.	मध्य प्रदेश	जबलपुर
12.	महाराष्ट्र	नागपुर
13.	मणिपुर	इम्फाल
14.	मेघालय	जोवई
15.	मिजोरम	आइजोल
16.	नागालैण्ड	कोहिमा
17.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
18.	पंजाब	जालंधर
19.	राजस्थान	जयपुर
20.	तमिलनाडु	चेन्नई
21.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
22.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

विवरण-II

क्र० सं०	राज्यों का नाम	वर्षवार उपलब्ध करवाई गई निधियां		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.03	17.67	19.51
2.	असम	7.98	11.12	12.49
3.	दिल्ली	32.32	34.92	35.50
4.	गुजरात	11.42	12.86	14.23
5.	हरियाणा	9.63	12.23	12.83
6.	हिमाचल प्रदेश	5.61	5.67	8.44
7.	जम्मू व कश्मीर	5.90	5.00	5.50
8.	झारखंड	12.99	12.26	14.96
9.	कर्नाटक	14.62	14.90	17.00
10.	केरल	13.48	16.08	18.00
11.	मध्य प्रदेश	11.84	13.80	15.66
12.	महाराष्ट्र	12.90	12.57	14.98
13.	मणिपुर	12.10	11.14	13.71
14.	मेघालय	1.86	1.75	1.50
15.	मिजोरम	3.23	5.46	6.15
16.	नागालैण्ड	5.35	5.80	6.10
17.	उड़ीसा	9.34	9.97	14.49
18.	पंजाब	5.02	4.30	4.90
19.	राजस्थान	7.54	8.69	11.17
20.	तमिलनाडु	13.80	14.11	17.79
21.	उत्तर प्रदेश	14.30	18.80	20.07
22.	पश्चिम बंगाल	13.74	15.90	19.02
	योग	240.00	265.00	304.00

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

2897. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संकटापन्न प्रजाति है और लुप्त होन के कगार पर है;

(ख) क्या बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी ने मंत्रालय से फरवरी तथा मार्च, 2007 के बीच दूसरे प्रजनन मौसम से इस पक्षी का प्रजनन कराने हेतु अनुमति मांगी है;

(ग) क्या उनके प्रजनन कराने हेतु अनुमति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। सोहन चिड़िया सकंटापन्न पक्षी प्रजाति है और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बाहर बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभा पटल पर रखे गए पत्र लेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, पश्चिम बंगाल में *(व्यवधान)* सैकड़ों लोग मारे गए। *(व्यवधान)* प्रियरंजन दासमुंशी जी ने *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पेपर्स लेड के बाद आपकी बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री शरद पवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2007-2008 के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6009/07]

(2) वर्ष 2007-2008 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6010/07]

(3) वर्ष 2007-2008 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6011/07]

(4) वर्ष 2007-2008 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6012/07]

जल संसाधन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6013/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : महोदय मैं श्रीमती अम्बिका सोनी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6014/07]

[श्री विजय हान्डिक]

(3) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6015/07]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : महोदय, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 6016/07]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी०के० वासन) : मैं वर्ष 2007-2008 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6017/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नॉलाजी, गुड़गांव के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नॉलाजी, गुड़गांव के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6018/07]

(3) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एस०ए०एस० नगर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6019/07]

(5) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6020/07]

(6) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तुत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6021/07]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० शकील अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2007-2008 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6022/07]

(2) वर्ष 2007-2008 के लिए डाक विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6023/07]

(3) वर्ष 2007-2008 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6024/07]

(4) वर्ष 2007-2008 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6025/07]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : महोदय, श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6026/07]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडिस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडिस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6027/07]

(1) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6028/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्रालय (श्री विजय खान्डिक) : मैं, श्री पृथ्वीराज चव्हाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2007-2008 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6029/07]

(2) वर्ष 2007-2008 के लिए अंतरिक्ष विभाग अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6030/07]

(3) वर्ष 2007-2008 के लिए अंतरिक्ष विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6031/07]

(4) वर्ष 2007-2008 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6032/07]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) : मैं, श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 की धारा 39 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2007 जो 31 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 53(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त तथा अन्य पदों की भर्ती) विनियम, 2007 जो 31 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 54(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीकी पदों की भर्ती) विनियम, 2007 जो 31 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 55(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6033/07]

(1) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6034/07]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञप्ति अपेक्षाओं, स्टॉक सीमा और संचालन प्रतिबंध) को हटाया जाना (संशोधन) आदेश, 2007 जो 27 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 297(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6035/07]

वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6036/07]

(2) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6037/07]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6038/07]

(2) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत जारी सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थाओं और अन्य देशों में ऐसी संस्थाओं सहित संस्थाओं के बीच उनसे संबंधित जैव संसाधनों या सूचना के अंतरण या विनिमय से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुसंधान परियोजनाओं संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत, जो 8 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1911(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6039/07]

(3) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 262(अ) जो 21 फरवरी,

2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय जैव प्राधिकरण के सदस्यों के नाम और पदनाम दिए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6040/07]

(4) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 6041/07]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6042/07]

(2) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2007-2008 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 6043/07]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

पेपर लेड के बाद सिर्फ एक रिपोर्ट बाकी रह गयी है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं डा० कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य की ओर से प्रवासी भारतीयों से संबंधित मुद्दे'' के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

(इस समय श्री भंवर सिंह डांगावास और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 12.04½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) कृषि और सहकारिता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-05 के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट शेष दो सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

"कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II द्वारा जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73-क के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2004-05), के

---

* सभापटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिये सं० एल०टी० 6044/07

[श्री शरद पवार]

पहले प्रतिवेदन में निहित शेष दो सिफारिशों के कार्यान्वयन पर यह वक्तव्य पटल पर रखता हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2004-05 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों की जांच की और 17.8.2004 को इसे लोक सभा के समक्ष रखा। इस रिपोर्ट में 16 सिफारिशें थीं। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के उत्तर समिति को 5 जनवरी, 2005 को भेजे गए। कृषि संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सभी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/की स्थिति को दर्शाते हुए एक वक्तव्य 2 मई, 2005 लोक सभा में दिया गया।

शेष दो सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित की गई कार्रवाई का संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है।

अपराह्न 12.05 बजे

(दो) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें (2006-07) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 39 वीं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी०के० वासन)** : मैं, माननीय अध्यक्ष लोक सभा के निर्देश 73-क के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति के उन्तालीसवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह विवरण दे रहा हूं।

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2006-07 हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच की और 22 मई, 2006 को लोकसभा तथा राज्यसभा को अपनी उन्तालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई 09 सिफारिशें हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी है। मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं–

(i) भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना के टियर-I के शेष घटकों संबंधी कार्य के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित समय-सारणी का अनुपालन करना ताकि परियोजना का टियर-II आगे बिना किसी विलम्ब के शुरू हो सके;

(ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारी) श्रृंखला का संशोधन करने के लिए परिवार निर्वाह सर्वेक्षण शुरू करना;

(iii) पूर्व निर्धारित टाइम फ्रेम में थोक मूल्य सूचकांक (थो०मू०सू०) का संशोधन तथा आधार 2001 = 100 पर सी०पी०आई० (आई०डब्ल्यू०) की नई श्रृंखला जारी करना;

(iv) कोर सांख्यिकी की गुणवत्ता के अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार में मंत्रालयों, राज्य सरकारों, तथा अन्य सांख्यकीय अभिकरणों के साथ समन्वय हेतु के०सां०सं० की प्रमुख भूमिका;

(v) अक्तूबर, 2004 में आयोजित सी०ओ०सी०एस०एस०ओ० की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर की गई कार्रवाई के बारे में समिति को सूचित करना तथा सी०ओ०सी० एस०एस०ओ० का वार्षिक रूप से आयोजन;

(vi) परियोजना कार्यान्वयन तथा ओ०सी०एम०एस० के प्रचालन में समय तथा लागत वृद्धि को कम करने हेतु पर्याप्त उपायों का कार्यान्वयन;

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति को मेरे विवरण, जो सदन के पटल पर रख गया है, के अनुबंध में इंगित किया गया है। मैं अनुबंध की विषय वस्तु को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर रखा समझा जाए और ये कार्यवाही के हिस्सा है।

(व्यवधान)

---

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिये सं० एल०टी० 6045/07

*सभा पटल पर रखे माने गये।

(एक) दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के सहयोगी थिल्लैयादी वल्लीयाम्मै की स्मृति में डाक टिकट और "फर्स्ट डे कवर" जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस०के० खारवेन्थन (पलानी) : महोदय, महात्मा जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किये गए सत्याग्रह का यह 100वां साल है। तिलाइमाड में 22.2.1898 को जन्मे तिलाईयादी वल्लीयाभाई जो श्री मुनुसामी मुदसियार तथा श्रीमती मंगलम जानकी की संतान थे, गांधी जी के सबसे पुराने सहयोगियों में से थे। मूलत: उनके माता-पिता बुनकर थे और वे तमिलनाडु के तिल्लाईयादी में बुनकर का काम करते थे। चूंकि बुनाई की काम पूरी तरह उपेक्षित था इसलिए उन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। वे कुली का काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए और जोहानेसवर्ग में बस गए। वर्ष 1893 में दादा अब्दुल्ला कम्पनी ने महात्मा जी से अपने मुकदमें की पैरवी करने का अनुरोध किया। दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर इस प्रकार की दासता देखकर गांधी ने इस गुलामी की समस्या के समाधान के लिए वहां और दो वर्ष तक रहने का फैसला किया। 11 सितम्बर, 1906 में गांधी जी ने भारतीय तथा स्थानीय लोगों की एक सभा बुलाई। उस सभा के लगभग 3000 लोगों ने भाग लिया। अहिंसा के माध्यम से विरोध करने का निर्णय लिया गया। गोखले के हस्तक्षेप के कारण गांधी जी और जनरल स्मार्ट्ज के बीच अक्टूबर 1912 में एक समझौता हुआ। इस समझौता के अनुरूप प्रत्येक भारतीय के लिए तीन मोहरों के भुगतान संबंधी जनरल स्मार्ट्ज द्वारा बनाये गये काला कानून को समाप्त कर दिया गया। 14 मार्च, 1913 को न्यायाधीश, शिमार्ली ने उन सभी विवाहों का अमान्य घोषित कर दिया जो स्थानीय कानून के अनुसार सम्पन्न नहीं किए गए थे। इससे भारतीय महिलाओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इस निर्णय के खिलाफ भारतीय समुदाय तथा अन्य लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। उन सभी आंदोलनों में वल्लियम्माई नामक छोटी से लड़की ने भाग लिया और भाषण दिए। ग्यारह वर्ष की उम्र में जबकि वह बीमार थी। उसने कस्तूरबा गांधी के साथ न्यू कैसल, चार्ल्स टाउन, डांडी, लैडिस्मीथ; मेरीट्स्वार्क, डरबन जैसे सभी स्थानों की यात्रा की तथा सभाएं की 22 दिसम्बर, 1913 को पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे तीन महीने का सजा हुई। उसे मेरिट्सवर्ग जेल में रखा गया।

दिनों-दिन उसकी स्थिति खराब होती गई। जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई वो उसे 11 फरवरी, 1914 को छोड़ दिया गया। वहां से उसे घर ले जाया गया और 22 फरवरी, 1914 को उसकी मृत्यु हो गई।

उसने उस शुरूआती दौर में गांधी के साथ कार्य किया जब गांधी जी ने रंगभेद नीति के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में पहली बार अहिंसक तरीके का इस्तेमाल किया और गांधी ने स्वयं यह बात स्वीकार की कि उसके बलिदान ने उन्हें अंग्रेजो के विरुद्ध संघर्ष के लिए उनके संकल्प को और मजबूती प्रदान की है।

इस प्रकार की एक राष्ट्रभक्त महिला को सम्मानित करने के लिए मैं माननीय संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि उसके सम्मान में एक विशेष डाक टिकट तथा फर्स्ट डे कवर जारी किया जाये। जिससे तमिलनाडु की एक लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हो सके।

(दो) गुजरात में सूरत-धुलिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के वीरपुर और गांधीनगर रेलवे क्रासिंग पर सड़कों का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

डा. तुषार अमर सिंह चौधरी (मांडवी) : मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान गुजरात के वीरपुर गांधीनगर रेल समपारों पर सड़कों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

वीरपुर और गांधीनगर रेल समपार सूरत धूलिया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 पर स्थित हैं। इन समपारों पर सड़कों की स्थिति बहुत खराब है जिनका रख-रखाव रेलवे द्वारा किया जाता है। सड़कें टूटी हुई हैं और इन सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं जिस कारण इस सड़क पर यातायात बहुत ही बाधित है। इस सड़क पर यातायात जाम होना रोज की बात है और इससे इस सड़क पर सुचारू यातायात में बाधा आती है। इन रेल समपारों पर सड़कों की खराब हालत के कारण इन सड़कों से गुजरने वाले लोगों को बहुत असुविधा होती है।

लोगों की जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए मैं रेल मंत्रालय से वीरपुर और गांधीनगर रेल समपारों पर सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने तथा सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को आने वाली दिक्कतों को दूर करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) झारखंड के सिन्दरी स्थित उर्वरक कारखाने को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दुबे (धनबाद) : सरकार का ध्यान झारखंड राज्य अंतर्गत 2002 से बन्द एक मात्र उर्वरक कारखाना सिन्दरी (लोक

[श्री चन्द्र शेखर दूबे]

उपक्रम) को चालू करने संबंधी वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई पहल की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि इस संदर्भ में सरकार द्वारा नियुक्त पी.डी.आई.एल. के विशेषज्ञ दल द्वारा प्रतिवेदन 2004 में ही उर्वरक मंत्रालय को दे दिया गया है। विशेषज्ञों द्वारा कारखाने को चालू करने की अनुशंसा की गयी है।

ज्ञातव्य है कि लोक उपक्रम के अंतर्गत स्थापित सिन्दरी खाद कारखाना, जिसके माध्यम से झारखंड, बंगाल, बिहार एवं पूर्वोत्तर राज्यों को उर्वरक की आपूर्ति होती थी, मुनाफे में चलने के बावजूद सरकार द्वारा 2002 में बन्द कर दिया गया जिसके चलते इस क्षेत्र में उर्वरक की आपूर्ति में काफी कमी आयी है।

अत: में सरकार से मांग करता हूं कि इस जनोपयोगी सिन्दरी कारखाने को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र चालू कराया जाये। इस कारखाने के साथ किसान तथा मजदूरों का भविष्य जुड़ा हुआ है।

(चार) गुजरात के अमरेली में जूनागढ़ और कोडीनार के बीच सड़क निर्माण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. दुम्मर (अमरेली) : मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के अंतर्गत जूनागढ़ कोडीनार मार्ग 25 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य वन संबंधी कानूनों के कारण नहीं हो पा रहा है। यह मार्ग गिरी फोरेस्ट में पड़ता है। इस सड़क के न बनने से लोगों को कई किलोमीटर चक्कर काटकर अमरेली से कोडीनार आना जाना पड़ता है जिसके कारण लोगों में काफी असंतोष है। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस सड़क के निर्माण का प्रस्ताव भेजा है जो अभी तक लंबित है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जूनागढ़ कोडीनार पर 25 किलोमीटर सड़क के निर्माण की मंजूरी दी जाये जो डेढ़ साल से ज्यादा समय से लंबित है।

(पांच) कैलाश मानसरोवर के लिए शिपक-ला-पास होकर वैकल्पिक छोटे रास्ते का पता लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : जैसाकि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि विदेश मंत्रालय हर वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा आयोजित करता है। कैलाश मानसरोवर जो नेपाल में पड़ता है का मार्ग पुराने काल से ही उत्तरांचल से गुजरता है। यह यात्रा लम्बी और थकाने वाली है तथा पैदल की जाती है और पूरी यात्रा में लगभग एक महीना का समय लग जाता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार कुछ समय से किन्नौर जिले के सीमा तथा तिब्बत में स्थित शिपकिला दर्रा से होकर एक आसान तथा लघु वैकल्पिक मार्ग की संभावना का पता लगा रही है। हमारी सरकार ने एक विस्तृत अध्ययन कराया है और पाया है कि इस क्षेत्र से होकर एक वैकल्पिक मार्ग संभव है। इससे यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा और इससे न केवल तीर्थ यात्रियों को लाभ होगा बल्कि विदेश मंत्रालय के लिए यात्रा के लिए साजो-सम्मान के प्रबंधन का कार्य भी आसान हो जाएगा।

इसलिए माननीय प्रधान मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि विदेश मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों के एक दल द्वारा इस प्रस्ताव की जांच को अवश्य कराया जाए ताकि इस मार्ग को तैयार किया जा सके। यदि यह संभव हो जाता है तो इससे किन्नौर जिले के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र में तथा सामान्यत: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा।

(छह) राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में आश्रम एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 4311 (बरेली से नया भुज तक) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : राजगढ़ मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर का बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। सैंकड़ो आदिवासी ग्रामों के लिए राजगढ़ ही एकमात्र स्थान है। आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी नं. 2915 व 2916 का 2 मिनट का ठहराव होने से क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार गाड़ी नं. 4311 बरेली-न्यू भुज का पूर्व में ठहराव था मगर गत वर्ष बन्द कर दिया गया था। अब यह गाड़ी सप्ताह में 6 दिन चलने लगी है। जनता की मांग को देखते हुए रेल मंत्रालय से प्रायोगित तौर पर ठहराव किये जाने की मांग करता हूं।

(सात) उड़ीसा में पारेषण और वितरण घाटे को कम करने हेतु विद्युत उपयोगिता को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए अनुदानों की शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : उड़ीसा की राज्य सरकार ने जून, 2005 में विद्युत मंत्रालय को एक विहित प्रपत्र में एक प्रस्ताव

भेजा था जिसमें वर्ष 2003-2004 के लिए 264.94 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की मांग की गई थी। यह राशि 2000-2001 को आधार वर्ष मानते हुए विद्युत इकाइयों के वास्तविक हानि में आई कमी का 50 प्रतिशत है और यह राज्य के खुदरा विद्युत आपूर्ति से जुड़ी ग्रिडको (विद्युत का पारेषण तथा बड़े पैमाने पर आपूर्ति) जो कि राज्य सरकार की एक इकाई है, तथा चार वितरण लाइसेंसें धारकों द्वारा हानि में लाई गई कमी पर आधारित है।

इसलिए, मैं विद्युत मंत्रालय से अनुदान को इस आधार पर मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा में स्थित विद्युत वितरण कम्पनियां संयुक्त उद्यम है और वे मात्र निजी कम्पनियां नहीं है क्योंकि प्रबंधन नियंत्रण में ग्रिडको भी भागीदार 49 प्रतिशत है जब कि सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी 51 प्रतिशत है। अनुदान जारी करने में हुए विलम्ब ने विद्युतीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट तौर पर रोक दिया गया है और वर्ष 2012 के लिए निर्धारित लक्ष्य (सभी के लिए विद्युत) को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

(आठ) पाइप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्यों, विशेष रूप से मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : देश में पेयजल के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल स्रोतों पर पेयजल उपलब्धि के उपाय जल संशोधनों के संयंत्र और पेयजल प्रदाय के लिए गुणवत्ता की पाइप लाइन्स, पेयजल संग्रह-प्रदाय के लिए ऊंची टंकियों का निर्माण तथा सार्वजनिक नलों की स्थापना के लिये समूची कार्ययोजना तथा वित्तीय प्रावधान एवं अनुदान की आवश्यकता है। पेयजल परिवहन, ट्यूब वेल एवं हेण्ड पम्पस खनन के लिये अतिरिक्त उपाय करने के भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अतएव केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सहित को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिये पूर्ण वित्तीय सहायता करें।

(नौ) रेल से यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के रेल भाड़े में हुई बढ़ोतरी को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : देश में अनेकों छोटी-बड़ी तीर्थयात्रा कंपनियां है, जो लोगों को रेल के माध्यम से देश के विभिन्न तीर्थस्थलों, जैसे प्रयाग, काशी, अयोध्या, गया, गंगासागर, पूरी तिरूपति बालाजी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, श्रीशैलम, बेंगलुरू, मैसूर आदि तीर्थस्थलों की यात्रा करती हैं, और इस हेतु रेलवे के स्वतंत्र थ्री टीयर कोच आरक्षित करती है। चूंकि यात्रा कई-कई दिनों, महीनों की होती है इसलिए रेल कोचों का विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ठहराव भी आवश्यक होता है और इसके लिए कंपनियों द्वारा रेलवे को हाल्ट चार्जेज आदि दिया जाता है। इससे देश की जनता को जहां तीर्थयात्रा करने में आसानी होती है, वहीं रेलवे के राजस्व में भी काफी वृद्धि होती है।

किन्तु हाल ही में रेलवे ने अपने एक आदेश द्वारा इस तीर्थयात्रा के हंतु लिये जाने वाले किराये में भारी बढ़ोतरी की है। पहले डिटेंशन चार्ज के रूप में 3,120 रुपये प्रतिदिन लिया जाता, था, उसको बढ़ाकर 14,400 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य चार्जो को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। इस प्रकार से रेलवे द्वारा तीर्थयात्रा हेतु लगभग 3 लाख रुपया लिया जाता था, वहीं अब 6 लाख 25 हजार रुपये से ऊपर हो गया है।

इस प्रकार से इतना अधिक किराया बढ़ाये जाने से लोगों में भारी रोष है।

अत: मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उक्त किराया वृद्धि पर मंत्रालय पुनर्विचार करें तथा अपने उक्त आदेश को तुरन्त वापिस लें ताकि लोगों को रेलवे द्वारा देश में तीर्थयात्रा करने में वित्तीय परेशानी न हो।

(दस) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग का समुचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : राष्ट्रीय राजमार्ग के शालाजी-अहमदाबाद-बड़ोदरा-सूरत-मुम्बई खंड का जून-2002 तक तथा राष्ट्रीय राज मार्ग के पोरबंदर-जूनागढ़-राजकोट बामनबोर-समख्याली- पालनपुर-आबू रोड खंड का मई, 2005 तक रख-रखाव तथा मरम्मत का कार्य भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा किया गया था। तत्पश्चात, इन सड़कों के देखरेख का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। जब तक राजमार्ग राज्य सरकारों के पास थे तब तक आवंटिम निधि के अंतर्गत ही इनका रख-रखाव अच्छी तरह होता था और कोई शिकायत नहीं आई थी। भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण ने सड़को को चार लेन वाला बनाने का कार्य शुरू किया है लेकिन मौजूदा राजमार्गों के रखरखाव तथा मरम्मत कार्य पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारतीय

[श्री काशीराम राणा]

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण के ठेकेदारों द्वारा निर्माण के दौरान यातायात सुरक्षा की पूरी तरह अनदेखी की जाती है। पहले भी तथा चालू मानसून के बाद माननीय संसद सदस्यों, विधायकों तथा जनता की ओर से सड़को की खराब हालत के बारे में गुजरात सरकार को बहुत सारी शिकायते प्राप्त हुई हैं। विभिन्न स्तरों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिए गए अभ्यावेदनों के बावजूद सड़कों की हालत राष्ट्रीय राजमार्ग के मानक के अनुरूप नहीं है जिसके कारण सड़कों से होकर गुजरने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। इससे समय और ईंधन की भी बर्बादी होती है।

इसलिए, सरकार से मैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सड़को के रखरखाव तथा मरम्मत कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में नीमच स्थित गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलायड वर्क्स का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदासौर) : देश में विदेशी मुद्रा की पर्याप्त एवं बचत की दुष्टि से कोडीन फास्फेट का उत्पादन अफीम से किया जाता है। इसके उत्पादन हेतु मध्य प्रदेश के नीमच स्थिति अल्कलाइड फैक्ट्री है, जहां प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है किन्तु मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन तथा उसको निर्यात करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त बिक्री नहीं होने से, धीरे-धीरे अफीम का संग्रह बढ़ता जा रहा है, जो कि कई टनों में है और इस दृष्टि से कोडीन तथा अफीम के सहउत्पादों का उत्पादन बढ़ाये जाने की अति आवश्यकता है। सरकार द्वारा इस बारे में नीमच स्थित फैक्ट्री के विस्तारीकरण का मामला हाथ में लिया गया था तथा पूर्व में चल रही एक शिफ्ट को दो शिफ्टों में चलाकर उत्पादन बढ़ाया गया, तथापि भारत में जितने कोडीन फास्फेट की मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और विदेशों से आयात करना पड़ रहा है, जिस पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस दृष्टि से नीमच स्थित अल्कलाइड फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बढ़ायी जाये ताकि उत्पादित अफीम को स्वदेश में ही खपाया जा सके और विदेशी मुद्रा की भी बचत की जा सके।

सैद्धान्तिक रूप से सरकार इसका उत्पादन बढ़ाने और फैक्ट्री का विस्तार करने के पक्ष में भी है किन्तु किन्हीं कारणों से इसमें विलंब हो रहा है। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि नीमच में पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपलब्ध है जो इसके लिए विशेष रूप से आवश्यक होता है तथा फैक्ट्री के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि भी उपलब्ध है। अत: मेरा पुन: अनुरोध है कि नीमच स्थित इस फैक्ट्री को विस्तारित किया जाये तथा कोडीन और उसके सह-उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जाये, क्योंकि भारत ने जितनी कोडीन फास्फेट की मांग है उसकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं और उसका आयात करना पड़ता है। जिसके लिए हमको भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

अत: मेरा आग्रह होगा कि इस बारे मं शीघ्र ही समुचित कदम उठाया जाये।

(बारह) पश्चिम बंगाल के दिघा के तटीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रशान्त प्रधान (कोटंई) : पश्चिम बंगाल में दिघा से हल्दिया तक बंगाल की खाड़ी का समुद्री तट, विशेषकर दिघा का समुद्री तट, पर्यटकों का पसंदीदा केन्द्र है। तथापि, दिघा, संकासपुर, माडेरमोनी, जानपुर पटुआ घाट, खेजूरी-मसना दियाला में कोई स्थायी पर्यटन केन्द्र नहीं हैं। ये पर्यटन स्थल समुद्र तटीय राजमार्ग द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बृहत् पर्यटन योजना के अंतर्गत अवसंरचना का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है; ताकि पर्यटन उस स्थान पर आसानी से पहुंच सकें। मुख्य सड़क (नंदाकुमार से दिंधनतक) से जोड़ने वाली सड़क का रख-रखाव समुचित रूप नहीं किया जा रहा है। सड़कों की हालत में सुधार किऐ जाने तथा उन्हें आकर्षक बनाए जाने की आवश्यकता है। यदि इस परियोजना का अनुमोदित कर दिया जाता है, तो समुद्री तट के बचाव के लिए बनाई गई दीवारें समुद्री कटाव से रक्षा कर सकती हैं। इसी बीच दोमोव (मौजा) कटाव के कारण पहले ही समुद्र में जलमग्न हो गए है।

महोदय, मैं इस संबंध में महासागर विकास जल संसाधन और पर्यटन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(तेरह) ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण-ऋण देने वाली तीसरी एजेंसी के रूप में उभरकर सामने आई है। "वित्तीय

समावेशन'' पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका के बारे में रंगराजन समिति की सिफारिश को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश के कवर न किए गए क्षेत्रों को भी कवर करें। अब तक 80 जिलों तथा सिक्किम गोवा, अंडमान और लक्षद्वीप कवर नहीं किए गए हैं। यद्यपि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उत्पादकता लगभग पांच गुणी बढ़ी है लेकिन 1990 से कोई भर्ती नहीं की गई है। केवल तत्काल भर्ती तथा पदोन्नति करके तथा श्रमशक्ति की योजना बनाकर ही यह विस्तार संभव है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्यबल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, जिसमें कारोबार तथा अन्य कारको के साथ जुड़ी विस्तृत श्रमशक्ति आयोजन है, को आवश्यक क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त श्री के.जी. करमाकर महाप्रबंधक नाबार्ड, के साथ मिलाकर बनाए गए कार्यबल ने राज्य स्तरीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पक्ष में सिफारिश की है। यदि इस प्रकार के राज्य-स्तरीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना इस प्रकार की जाए कि इनका एक शीर्ष ग्रामीण बैंक हो तो इससे वर्तमान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा घाटे में चल रही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटेगी और इससे एक समान और अद्वितीय ग्रामीण आधार सुनिश्चित होगा। इससे प्रति-राजसहायता (क्रास सब्सिडी) भी सुनिश्चित होगी। बैंक निदेशित ब्याज-दर पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध करा पायेंगे। अतिरिक्त धन से विद्युत, सिंचाई आदि के क्षेत्र में निवेश में बढ़ावा मिलेगा जिस से कृषि उत्पादन में सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उचित दर पर राज्य सरकारों का धन प्राप्त होगा। इससे राज्य सरकार का बोझ भी कम होगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्यबल के निष्कर्षों के क्रियान्वित करे।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोले जान की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के लगभग सभी हिस्से पिछड़े हुए हैं और यहां के गरीब किसानों को वित्तीय सहायता नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं और कुछ लोग विदेशों में हैं। उनको अपने परिवार को पैसे भेजने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र का एक मेहरौना बाजार विकास खंड लार में है। यह क्षेत्र घाघरा और छोटा गंडक नदी के किनारे पर है, जहां के कई लोग विदेशों में है और यहां के किसान बहुत ही गरीब हैं। दूसरा क्षेत्र पडरी, जो विकास खंड बनकटा में है। इस क्षेत्र से पांच किलोमीटर की दूरी तक कोई भी बैंक नहीं है। तीसरा क्षेत्र वीरपुर मिश्र जो भलुअनी विकास खंड में हैं, इस क्षेत्र से छः किलोमीटर की दूरी तक कोई बैंक नहीं हैं। इन क्षेत्रों में बैंकों के अभाव में किसानों को वित्तीय सहायता और सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिना वित्तीय सहायता के किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचेगा। केन्द्र सरकार की कृषि निवेश एवं अन्य लोन सुविधा का लाभ इन किसानों को नहीं मिल पायेगा।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेहरौना, पडरी बाजार एवं वीरपुर मिश्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की छोटी-छोटी शाखाएं खोली जाएं जिससे किसानों को वित्तीय सुविधा मिल सके।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश में हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर-महोबा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी-मिर्जापुर में देवरी बांध जनपद झांसी से लेकर मटौंध, जनपद बांदा तक एवं राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर-सागर में हमीरपुर से कैमाहा, जनपद महोबा तक सड़क का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के निर्माण कार्य को वार्षिक योजना में शामिल करके, निर्माण कराया जाना अत्यंत आवश्यक है।

कस्बा सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर के बाईपास हेतु 22 करोड़ लगभग की धनराशि स्वीकृत हुई थी, परन्तु यह धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं हुई है, न ही निर्माण कार्य शुरू किया गया। कबरई से मटौंध के बीच चल रहा निर्माण कार्य भी गुणवत्ता के अनुरूप न होकर बहुत ही धीमी गति से हो रहा है।

कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में हमीरपुर से कबरई तक जो निर्माण कार्य चल रहा है, वह बहुत ही धीमी गति एवं खराब गुणवत्ता के साथ हो रहा है। इसका निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाए। वर्तमान में महोबा से कानपुर तक, महोबा से रोडवेज की बसें, निजी गाड़ियां एवं कबरई से हजारों ट्रक पत्थर से लदे हुए चलते हैं तथा हमीरपुर से बालू से लदे ट्रक प्रतिदिन चलते हैं,

[श्री राजनरायन बुधौलिया]

जबकि यह सड़क उस मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी हुई नहीं है। सड़क की हालत बहुत ही खराब है। यातायात ज्यादा होने के कारण गाड़ियां ऊबड़-खाबड़ रास्ते से बहुत धीमी गति से चलानी पड़ती है तथा प्रतिदिन दुर्घटनाएं एवं जाम की समस्या बनी रहती है।बस के द्वारा महोबा से कानपुर लगभग 130 किलोमीटर की दूरी 6-7 घंटे में तय होती है।

अत: सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के लिए लोगों की आवश्यकताओं एवं गुणवत्ता के अनुरूप उक्त सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण वार्षिक योजना में शामिल कराते हुए शीघ्र निर्माण सुनिश्चित कराने का कट करें।

(सोलह) बिहार के पीरापंथी घाट पर सिकरहना नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : बिहार राज्य के पूर्वी एक पश्चिमी चम्पारण के बीच सिकरहना नदी बहती है। यही कारण है कि रमगढ़वा, रक्सौल, आदापुर, छौड़ादानों, बनकटवा प्रखण्ड से सीतामढ़ी जिला के प्रखण्ड तथा नेपाल के लोगों को बेतिया जाने में 200 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। इसी बीच प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण रमगढ़वा से अधकपरिया पिरापांती घाट तक हो रहा है, एवं पश्चिमी चम्पारण जिला के मझौलिया प्रखण्ड गढ़वा, भोगाड़ी होते हुए पिरपाती घाट तक प्रधानमंत्री सड़क बनाने का प्रस्ताव है। इस बीच सिकरहना नदी में पुल निर्माण करना जनहित में नितांत आवश्यक है।

मैं ग्रामीण विकास मंत्री से मांग करता हूं कि पिरपाती घाट पर सिकरहना नदी में पुल बनाने की स्वीकृति दें।

(सत्रह) उड़ीसा के 23 जिलों को वर्ष 2006-07 के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : यद्यपि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, फिर भी इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई) के अंतर्गत उड़ीसा के 23 जिलों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जानेवाली वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त के संबंध में अभी भी भारी अनिश्चिता बनी हुई है। हालांकि आम तौर पर केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त दिसम्बर माह में जारी कर दी जाती है लेकिन इस योजना के अंतर्गत 30 जिलों में से अब तक केवल सात जिलों को धन राशि प्राप्त हुई है। उड़ीसा में चालू वर्ष के दौरान 80 हजार 228 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहली किस्त में केंद्र ने अपने हिस्से की 85.17 करोड़ रुपये की धनराशि पिछले वर्ष अप्रैल में जारी की। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पास 116.63 करोड़ रुपये की धनराशि बची थी, जिसमे राज्य का हिस्सा तथा 2005-06 की धन राशि में से बची हुई राशि भी सम्मिलित थी। उड़ीसा सरकार ने दावा किया है कि 30 हजार 933 मकान दिसम्बर, 2006 के अंत तक जानकर तैयार हो गये थे और राज्य ने 91.54 करोड़ रुपये की उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा तथा दूसरी किस्त जारी करने का अनुरोध किया।

तथापि, सरकार ने यह कारण बताते हुए सहायता की दूसरी किस्त जारी करने से इनकार कर दिया है कि वह उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भीषण चक्रवात के दौरान केन्द्रीय सहायता के विशेष आवंटन के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रही है। भीषण चक्रवात से प्रभावित जिलों में इस योजना के अंतर्गत 7 लाख मकानों के निर्माण के लिए राजग सरकार ने विशेष सहायता प्रदान की थी। चूंकि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्त पोषण मानदंड केन्द्र और राज्य के बीच 25:25 के अनुपात का होता है। क्योंकि राज्य का मैचिंग शेयर अभी 28 फरवरी तक जारी किया जाना था और केन्द्र द्वारा दूसरी किस्त अभी जारी की जानी है, अत: उड़ीसा को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है।

मैं सरकार से इस मामले पर पुन: विचार करने तथा इस वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व 68 करोड़ 34 लाख 65 हजार रुपये की दूसरी किस्त जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(अठारह) पुदुचेरी के जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : संघ राज्य क्षेत्र की आबादी का एक हिस्सा अनुसूचित जनजाति समुदायों का है। लेकिन भारत की जन-गणना रिपोर्ट में उनको अभी तक न तो सम्मिलित किया गया है न ही उन्हें विभिन्न जन-गणनाओं में अनुसूचित जन-जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन समुदायों की पहचान के लिए पुदुचेरी के अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा कई बार मांग की गई। तथापि,

भारत सरकार ने इस आधार पर उन समुदायों को मान्यता देने से इनकार कर दिया कि वे संघ राज्य क्षेत्र के मूल निवासी नहीं है। यह एक भिथक है। संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जन-जाति के लोग सदियों से, विशेषकर संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के 1954 में आजाद होने से पहले से ही रहते आ रहे हैं। वास्तव में, संघ राज्य क्षेत्र के गांवों का नाम इन समुदायों के नामके आधार पर रखा जाता है, जैसे इस लान सनडाई, वे ट्टाईकरन पुडुर आदि पुडुचेरी सरकार ने इन समुदायों के अस्तित्व को मान्यता प्रदान कर दी है और भारत सरकार द्वारा इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए, विधान सभा में संकल्प भी पारित किये हैं। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्ययन तथा पांडिचेरी विश्व विद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों की पहचान के लिए विशेष रूप किए गऐ अध्ययन में निर्णयाक रूप से पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का अस्तित्व प्रमाणित किया जा चुका है। तथापि, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत सरकार इन संरक्ष्यों को स्वीकार करने और अनुसूचित जनजाति आबादी को मान्यता देने से इनकार कर रही है। उन्हें न तो अनुसूचित जातियों में ही पिछडी जातियों में वर्गीकृत किया गया है और शिक्षा, रोजगार, नीतियों तथा योजनाओं में उनको आरक्षण भी नहीं दिया गया है।

संप्रग सरकार जो अब सामाजिक न्याय के मसले का समाधान कर रही है, को इस मुद्दे की ओर अत्यधिक महत्व देते हुए ध्यान देना चाहिए और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की जनजातीय समुदायों को मान्यता देनी चाहिए।

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश में सूखा राहत कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 370 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

डा. एम. जगन्नाथ (नगरकुरनूल) : आंध्र प्रदेश पिछले 7 वर्षों से लगातार भयंकर सूखे की चपेट में है। वर्तमान में राज्य के 9 जिले गंभीर सूखे को झेल रहे हैं। राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित 298 मंडलों में राहत कार्य आरंभ किया है और 277 करोड़ रुपए व्यय कर चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण हालत यह है कि यद्यपि सूखे की स्थिति राज्य में पिछले चार माह से बनी हुई है, अब जाकर एक के द्रीय टीम ने राज्य का दौरा किया तथा सूखा प्रभावित स्थानों का निरक्षण किया। इस टीम ने इस तथ्य को माना कि राज्य में सूखे की स्थिति बहुत निकट है और राज्य को उदार वित्तीय सहायता देने की सिफारिश करने का आश्वासन दिया था। राज्य सरकार ने सूखा राहत कार्यों के लिए 370 करोड़ रुपए की संस्वीकृति का अनुरोध किया है। तथापि आज तक, केन्द्रग्रीय टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और परिणामस्वरूप राज्य को वित्तीय सहायता की घोषणा अभी की जानी है।

सर्वाधिक परेशान करने वाला तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा ऋण माफी के वादे तथा विशेष पैकेज की घोषणा के बावजूद, राज्य पुलिस ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऋण वसूली के लिए मामले दायर करने वाले बैंकों के इशारे पर किसानों को गिरफ्तार किया है। दो किसानों को ऋण भुगतान न कर पाने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। उन्हें तभी जेल से छोड़ा गया जब ऋण राशि का एक भाग चुका दिया गया। अनुरोध है कि सरकार बैंकों को किसानों से ऋण वसूली के लिए अदालत में मामले दायर न करने का निदेश दे।

राज्य में गंभीर सूखे की हालात को देखते हुए अनुरोध है कि राज्य को शीघ्र उदार वित्तीय सहायता जारी की जाए। यह भी अनुरोध है कि "इनपुट सब्सिडी" योजना के तहत अनुदान सहायता के दिशानिदेशों में नरमी बरती जाए ताकि योजना के लाभ सभी किसानों को मिले चाहे वे फसल बीमा के तहत कवर किए गए हैं या नहीं।

(बीस) देश में उपलब्ध अधिशेष भूमि (सरप्लस लैंड) का बंटवारा भूमिहीन श्रमिकों के बीच किए जाने तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का बजट आबंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : देश में लगभग 8 करोड़ हेक्टेयर 20 एकड़ भूमि सरप्लस है, जो बिना उपयोग के बेकार पड़ी हुई है तथा वहीं दूसरी ओर हमारे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित दूसरे समुदाय के ऐसे बहुत से नागरिकों की संख्या करोड़ों में है, जिनके पास कोई भूमि नहीं है।

देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 26 प्रतिशत से भी अधिक है। आगामी 10 वर्षों में देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाये जाने हेतु एक विस्तृत योजना बनाये जाने के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को रोजगार के विशेष अवसर सुलभ कराये जाने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम का बजट बढ़ाया जाना चाहिए।

[श्री रामदास आठवले]

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार देश के भूमिहीनों को सरप्लस भूमि से भूमि का आबंटन किए जाने एवं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये जाने हेतु एक विस्तृत योजना बनाये जाने के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम का धनाबंटन बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

अपराह्न 12.07 बजे

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधायी कार्य नामत: कराधान विधि (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेगी।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय मैं प्रस्ताव** करता हूं:

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 को केन्द्रीय विक्रय (सी. एस.टी.) अधिनियम, 1956 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य हुई सहमति के अनुरूप सी.एस.टी. को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ करने के उद्देश्य से आवश्यक संशोधन करने के लिए पुर:स्थापित किया गया है।...*(व्यवधान)*

सी.एस.टी., स्रोत आधारित कर होने के कारण वैट (जो एक लक्ष्य आधारित कर है) के अनुरूप नहीं है इसके अलावा सी.एस. टी. से करो की जाती है। इन कारणों से यह सहमति हुई है कि मी.एस.टी. को चरणबद्ध रूप से हटाया जाए। यह एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी), लागू करने की पूर्व शर्त भी है जिसे सरकार 1 अप्रैल, 2010 तक लागू करना चाहती है...*(व्यवधान)*

इस संबंध में, मैंने राज्य वित्त मंत्रियों के साथ 16 दिसम्बर 2005, 17 फरवरी, 2006, 22 मार्च, 2006, 3जनवरी, 2007 और 22 फरवरी, 2007 को बैठकें कीं और मैं यह रिपोर्ट देता हूं कि सीएसटी को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने और इस वजह से राज्यों को होने वाले घाटे के प्रतिपूर्ति पैकेज की योजना हेतु के सरकार और राज्य सरकारों के मध्य सहमति हो गई है उपर्युक्त प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु सी. एस.टी. अधिनियम तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 में संशोधन की आवश्यकता है। इसके परिणाम स्वरूप सीएसटी दर में कमी के प्रावधान के लिए सी.एस.टी. अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)*

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

आइए हम चर्चा करके इसे पारित करें। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 19.3.07 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प के बारे में

तथा

राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) विधेयक*, 2007

अपराह्न 12.09 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 20 और 21 पर एक साथ विचार करेगी। प्रो. रासा सिंह रावत, श्री प्रबोध पांडा, श्री बच्ची सिंह रावत, श्री वरकला राधाकृष्णन, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री सन्तोष गंगवार श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्रीमती सुमित्रा महाजन और श्री सुरेश प्रभु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 में प्रत्यक्ष करों की उगाही, आकलन, संग्रहण, और लागू करने के संबंध में राष्ट्रीय कर अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन का प्रावधान है...*(व्यवधान)*

इसमें उस अधिकरण द्वारा वस्तुओं पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों के निर्धारण तथा ऐसे शुल्कों के आकलन हेतु वस्तुओं के मूल्यांकन संबंधी संविधान के अनुच्छेद 323(ए) के अनुसरण में सेवा पर कर प्रभारित करने संबंधी मामलों के न्यायनिर्णयन का भी प्रावधान है...*(व्यवधान)* 1 यह अधिनियम भारत सरकार की 28 दिसम्बर, 2005 को जारी अधिसूचना एस.ओ. 1826 (ई) के द्वारा लागू किया गया था।...*(व्यवधान)*

उक्त अधिनियम को देशभर में विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी।...*(व्यवधान)* भारत सरकार को राष्ट्रीय कर अधिकरण गठित करने से रोकने के लिए मुम्बई, उड़ीसा, और पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालयों सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अंतरिम आदेश पारित किए गए थे।...*(व्यवधान)* सभी रिट याचिकाओं को समेकित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 फरवरी को एक स्थानान्तरण याचिका सं. 92/2006 दाखिल की गई थी।...*(व्यवधान)* सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क सुनने के बाद 9 जनवरी, 2007 को यह टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया कि अधिनियम के प्रावधानों में जैसा सरकार उपयुक्त समझे ऐसे संशोधन करने तथा मामले का उल्लेख किया जाने के बाद और अधिनियम के उपबंधों में संशोधन के बाद सूचीबद्ध करने के लिए मामले के उल्लेख संबंधी सरकार के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए न्यायालय मामले की जांच करेगा।...*(व्यवधान)* सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश 2007 के प्रख्यापन के द्वारा अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक समझा ताकि राष्ट्रीय कर अधिकरण के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।...*(व्यवधान)* तदनुसार राष्ट्रीय कट अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का प्रख्यापन 29 जनवरी, 2007 को किया गया। ...*(व्यवधान)*

राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 को अब राष्ट्रीय का अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)* 1 राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिकरण अधिनियम, 2005 के निम्नलिखित उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है। ...*(व्यवधान)*

(i) यह प्रावधान करने के लिए कि राष्ट्रीय कर अधिकरण के किसी भी सदस्य को सभापति की अनुमति के बिना

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 19.3.2007 में प्रकाशित।

[श्री हंसराज भारद्वाज]

केन्द्र सरकार द्वारा स्थानातरित न किया जाए, धारा 5 की उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है।... *(व्यवधान)*

(ii) अधिनियम की धारा 6 की उप धारा 2 में संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि आयकर अपीलीय अधिकरण तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अधिकरण के सदस्य की राष्ट्रीय कर अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हरता अवधि को सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया जा सके...*(व्यवधान)* और

(iii) धारा 13 की उपधारा में संशोधन प्रस्तावित है ताकि यह उपबंध किया जाए कि पार्टी या तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत चार्टड एकांटेंट अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अधिकरण के समक्ष उपस्थित हो सके।... *(व्यवधान)*

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए और पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री हंस राज भारद्वाज : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.14 बज

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (जम्मू-कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 2007

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवश प्रसाद सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का आभारी हूं और सदन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित और समर्थन दिया था लेकिन भारत की संविधान की धारा 370 के अधीन जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर वह कानून पारित हुआ था। संवैधानिक बाध्यता के चलते हमने जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार से कहा कि वह वहां की विधान सभा से इस कानून को पारित कराकर कानून बना ले। लेकिन उन्होंने फिर आग्रह किया कि इसे इस माननीय सदन से पारित किया जाए, इसीलिए मैं यह संशोधन सदन के विचारार्थ लाया हूं। मैं चाहता हूं कि इसे पारित किया जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम, 2005 का जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, मंगलवार 20 मार्च, 2007 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.17 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 20 मार्च, 2007/ 29 फाल्गुन, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	प्रो. रासा सिंह रावत श्री विजय कृष्ण	281
2.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली	282
3.	श्री अधीर चौधरी	283
4.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	284
5.	श्री हरि केवल प्रसाद श्री वी.के. दुम्मर	285
6.	श्री तथागत सत्पथी श्री हरिभाऊ राठौड़	286
7.	श्री रनेन बर्मन	287
8.	श्री गणेश सिंह श्री राजनरायन बुधौलिया	288
9.	श्री राम कृपाल यादव श्री कैलाश मेघवाल	289
10.	श्री हितेन बर्मन	290
11.	डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य श्रीमती प्रतिभा सिंह	291
12.	डा. के.एस. मनोज	292
13.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री असादूद्दीन ओवेसी	293
14.	श्री सुनील खां श्री ई.जी. सुगावनम	294
15.	श्री उदय सिंह	295
16.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव डा. अरुण कुमार शर्मा	296
17.	श्री प्रभुनाथ सिंह	297
18.	श्रीमती प्रिया दत्त श्री पंकज चौधरी	298
19.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री मधु गौड यास्खी	299
20.	श्री सांताश्री चटर्जी	300

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2763, 2827, 2861, 2866, 2880
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2858
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2721, 2889
4.	अप्पादुरई, श्री एम.	2791

1	2	3
5.	आठवले, श्री रामदास	2744, 2838
6.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2762, 2890
7.	बर्मन, श्री हितेन	2811, 2856
8.	बर्मन, श्री रनेन	2810, 2851
9.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	2770
10.	बखला, श्री जोवाकिम	2719, 2837, 2864
11.	भक्त, श्री मनोरंजन	2762
12.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2756
13.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2739
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2713, 2806, 2846
15.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2761, 2796, 2888
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2799, 2847
17.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2881
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2764, 2860
19.	चारेनामै, श्री मणि	2796, 2844, 2858, 2895
20.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2737, 2826
21.	चिन्ता मोहन, डा.	2740, 2817, 2855, 2860
22.	चौधरी, श्री अधीर	2819, 2855
23.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2755, 2824
24.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2733
25.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2727. 2749, 2797, 2847
26.	गांधी, श्रीमती मेनका	2776, 2835, 2897
27.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2787

1	2	3
28.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2753
29.	हसन, चौधरी मुनव्वर	2747, 2816, 2863
30.	जगन्नाथ, डा. एम.	2766, 2828, 2891
31.	जय प्रकाश, श्री	2780
32.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2772
33.	जिन्दल, श्री नवीन	2781
34.	करूणाकरन, श्री पी.	2731
35.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2794
36.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2720, 2804, 2854, 2870
37.	खां, श्री सुनील	2822, 2847
38.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2881
39.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2724
40.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2749
41.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2717, 2812, 2852, 2881
42.	कृष्ण, श्री विजय	2838
43.	कृष्णादास, श्री एन.एन.	2759
44.	कुप्पुसामी, श्री सी.	2730
45.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	2736
46.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2740, 2817, 2860
47.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2798, 2876
48.	महतो, श्री नरहरि	2723, 2809, 2850
49.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2756
50.	महताब, श्री भर्तृहरि	2787, 2845

1	2	3
51.	महतो, श्री टेक लाल	2786, 2839
52.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2718, 2757
53.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	2751
54.	मंडल, श्री सनत कुमार	2876
55.	माने, श्रीमती निवेदिता	2727, 2749, 2797, 2847
56.	मनोज, डा. के.एस.	2813, 2853, 2869, 2875
57.	मेघवाल, श्री कैलाश	2754, 2821, 2825, 2871
58.	मैन्या, डा. टोकचोम	2885
59.	मिस्त्री, श्री मधुसूधन	2768, 2829, 2893
60.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2773, 2831, 2862, 2872, 2877
61.	मो. ताहिर, श्री	2790, 2881
62.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2784
63.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2778, 2881, 2887
64.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2783, 2836
65.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2881
66.	नायक, श्री अनन्त	2792, 2842
67.	निखिल कुमार, श्री	2855
68.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2833
69.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2710, 2800
70.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2718, 2757, 2802
71.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2886
72.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2821, 2857, 2871
73.	पाठक, श्री ब्रजेश	2790, 2881

1	2	3
74.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2709, 2884
75.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2790, 2881
76.	पिंगले, श्री देविदास	2790
77.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	2734, 2841
78.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2762, 2883, 2890
79.	प्रधान, श्री प्रशान्त	2788
80.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2760
81.	राई, श्री नकुल दास	2729, 2814
82.	राजगोपाल, श्री एल.	2716
83.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2746
84.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2743, 2818
85.	राणा, श्री काशीराम	2823
86.	राव, श्री के.एस.	2732
87.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2815
88.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	2764
89.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2722, 2825, 2840
90.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2769
91.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2738
92.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2741
93.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	2871
94.	रेड्डी, श्री सुखराम सुधाकर	2860
95.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2745, 2826
96.	साई प्रताप, श्री ए.	2767

1	2	3
97.	सज्जन कुमार, श्री	2748
98.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2708, 2808, 2849, 2868, 2876
99.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2742
100.	सत्पथी, श्री तथागत	2820
101.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2775, 2834
102.	सेन, श्रीमती मिनाती	2789
103.	सेठी, श्री अर्जुन	2765
104.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2878
105.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2762, 2890
106.	शर्मा, श्री मदन लाल	2795
107.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2763, 2827, 2861, 2874, 2878
108.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2790, 2881
109.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एस.	2807, 2848, 2867
110.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2745, 2823, 2858
111.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2711, 2805, 2859
112.	सिंह, चौधरी लाल	2793
113.	सिंह, श्री दुष्यत	2738, 2843
114.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	2752
115.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2727, 2749, 2797, 2847
116.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	2782
117.	सिंह, श्री सुगीव	2777, 2821, 2857
118.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2715
119.	सुब्बारायण, श्री के.	2750

1	2	3
120.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2728
121.	सुजाता, श्रीमती सी.एस	2746
122.	सुमन, श्री रामजीलाल	2855
123.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2735
124.	थामस, श्री पी.सी.	2712, 2764
125.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2758
126.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2718, 2802
127.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2726, 2840, 2865, 2873, 2879
128.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2771, 2819, 2830, 2894
129.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2725
130.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2774, 2832, 2861, 2866, 2896
131.	विरूपाक्षप्पा, श्री के.	2785
132.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2758
133.	यादव, श्री बालेश्वर	2714, 2801, 2881
134.	यादव, श्री गिरिधारी	2882
135.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2790
136.	यादव, श्री मित्रसेन	2779
137.	यादव, श्री पारसनाथ	2754
138.	यादव, श्री राम कृपाल	2803
139.	यास्खी, श्री मधु गौड	2892
140.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2749

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	285, 291, 295, 300
रसायन और उर्वरक	:	289, 294, 298
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	286, 288
पर्यावरण और वन	:	296, 299
सूचना और प्रसारण	:	283, 284
श्रम और रोजगार	:	282, 292, 293
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	287, 290, 297
जल संसाधन	:	281

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2708, 2710, 2712, 2717, 2724, 2725, 2728, 2729, 2731, 2732, 2733, 2734, 2737, 2738, 2742, 2743, 2746, 2753, 2758, 2760, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2769, 2773, 2775, 2780, 2782, 2792, 2796, 2798, 2799, 2800, 2802, 2803, 2806, 2807, 2814, 2815, 2821, 2826, 2828, 2836, 2838, 2841, 2843, 2844, 2845, 2852, 2853, 2854, 2859, 2861, 2866, 2868, 2873, 2875, 2880, 2881
रसायन और उर्वरक	:	2715, 2722, 2741, 2762, 2816, 2832, 2849, 2855, 2863, 2874
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2723, 2727, 2748, 2750, 2756, 2772, 2783, 2887, 2788, 2811, 2817, 2837, 2848, 2857, 2860, 2865
पर्यावरण और वन	:	2716, 2721, 2735, 2739, 2749, 2751, 2754, 2759, 2761, 2766, 2777, 2795, 2801, 2818, 2819, 2825, 2829, 2830, 2831, 2835, 2842, 2846, 2862, 2871, 2872, 2877, 2879, 2882, 2886, 2891, 2893, 2894, 2895, 2897

सूचना और प्रसारण	:	2713, 2736, 2757, 2771, 2785, 2879, 2840, 2858, 2869, 2876, 2885, 2890, 2892
श्रम और रोजगार	:	2711, 2714, 2718, 2730, 2740, 2744, 2745, 2768, 2770, 2778, 2779, 2793, 2794, 2797, 2805, 2813, 2823, 2824, 2833, 2834, 2870, 2878, 2896
संसदीय कार्य	:	
इस्पात	:	2719, 27 20, 2747, 2787, 2791, 2809, 2810, 2820, 2847, 2850, 2851, 2856, 2864, 2863, 2889
जल संसाधन	:	2709, 2726, 2752, 2755, 2774, 2781, 2784, 2786, 2790, 2804, 2808, 2812, 2822, 2827, 2839, 2867, 2884, 2888

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रक

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।